वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2015-2016

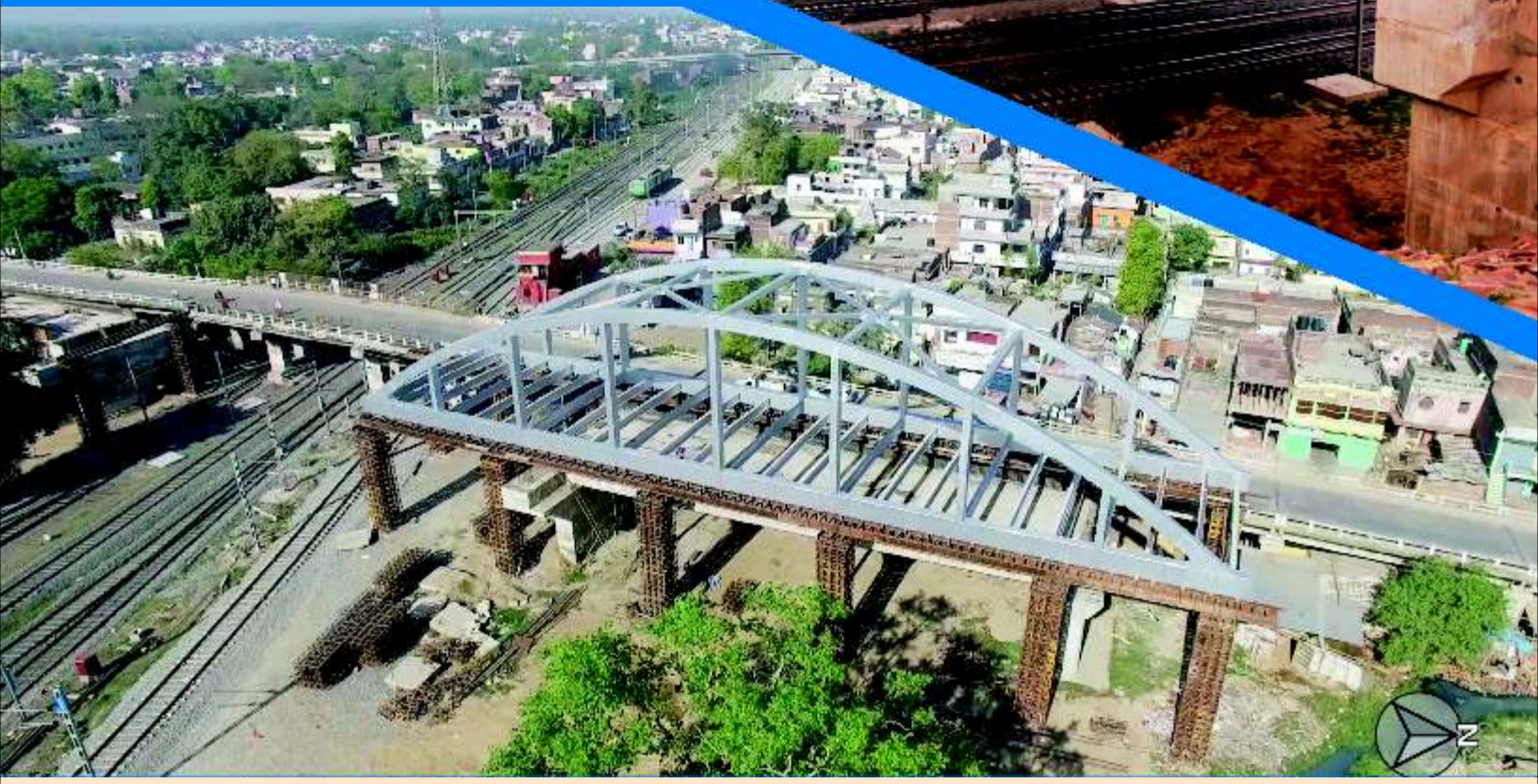

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A GOVERNMENT OF INDIA (MINISTRY OF RAILWAYS) ENTERPRISES

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2015-2016

Regd. Office & Corp. Office:
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

GENERAL INFORMATION

REGISTERED OFFICE & CORPORATE OFFICE

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex,
New Delhi-110001

STATUTORY AUDITOR

Baweja & Kaul, Chartered Accountants
306, Corporate Towers
85A, Zamrudpur, Greater Kailash-I
New Delhi -110048

INTERNAL AUDITOR

M/s. Gianender & Associates
Chartered Accountants
Plot No. 6, Site No. 21
Geeta Mandir Marg
New Rajinder Nagar
Delhi-110060

BANKERS

Union Bank of India
State Bank of India
HDFC Bank
ICICI Bank
Punjab National Bank
Oriental Bank of Commerce
Kotak Mahindra

LIST OF DIRECTORS (AS ON THE DATE OF AGM)

S. No.	Name of the Director	Designation	Date of holding office w.e.f.
1.	Sh. A.K.Mital	Part Time Chairman (Official)	03.02.2015
2.	Sh. Adesh Sharma	Managing Director	20.10.2014
3.	Sh. Anshuman Sharma	Director (Project Planning)	05.04.2011
4.	Sh. H.D. Gujrati	Director (Operations & Business Development)	29.11.2012
5.	Sh. M.K. Mittal	Director (Finance)	16.09.2013
6.	Sh. D. S Rana	Director (Infrastructure)	27.10.2014
7.	Sh. Girish Pillai	Part time Official Director (Government Nominee-MoR)	14.11.2012
8.	Sh. Ravi Mathur	Independent Director	01.04.2016
9.	Smt. Shakti Munshi	Independent Director	01.04.2016
10.	Sh. Y.S. Malik	Part-time Official (Government Nominee-Niti Aayog)	30.06.2016

CONTENTS

1.	Chairman's Message	5
2.	Notice	7-14
3.	Proxy Form	15-16
4.	Directors' Report	17-48
5.	The Comments of the Secretarial Auditor and Management's Reply thereto (Annexure - "A")	49
6.	A report of Corporate Social Responsibility (Annexure - "B")	51-61
7.	A "Corporate Governance Report placed at (Annexure - "C")	63-76
8.	Certification of Financial Statements by Chief Executive Officer and Chief Financial Officer (Annexure - "C1")	77
9.	Declaration by Managing Director (Annexure - "C2")	78
10.	Certificate of compliance of Corporate Governance obtained from practicing Company Secretary (Annexure - "C3")	79
11.	A "Management Discussion and Analysis Report" (Annexure - "D")	81-92
12.	A Secretarial Audit Report from a Company Secretary in Practice (Annexure - "E")	93-96
13.	An extract of Annual Return prescribed form MGT-9 (Annexure - "F")	97-107
14.	Financial Statements	109-148
15.	Independent Auditor's Report	149-158
16.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	159-160

CHAIRMAN'S MESSAGE

It gives me immense pleasure to welcome you to the Tenth Annual General Meeting of the Company. The Directors' Report and audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2016 together with the Auditor's Report have already been circulated.

1. DFCCIL was formed with an objective to expand Indian Railway's freight-carrying capacity ahead of demand and meet the requirement of the growing economy. The company was entrusted with building the Eastern and Western Dedicated Freight Corridors (DFCs) with state-of-the-art technology. I am happy to report that the Company has now attained the necessary momentum to accomplish the task.
2. The year 2015-16 has witnessed appreciable progress on multiple fronts. There has been a three-fold increase in capital expenditure from Rs. 2897 crore in 2014-15 to Rs. 8508 crore in 2015-16. The Company has made cumulative capital expenditure of Rs. 21751 crore including the cost of land. Civil contracts for 2473 kms (87%) and Electrical/Signal & Telecommunication contracts for 2188 kms (78%) have been awarded. During the financial year alone contracts worth Rs. 21005 crore were awarded vis-a-vis the contracts worth Rs. 13000 crore during the six-years previously.
3. First Goods train was run on DFC track from Durgawati to Sasaram (56 km) on 30.03.2016.
4. The Company has been able to persuade the state government to consent for sharing the costs of ROBs on 50:50 basis. Consent for 121 ROBs from 9 states have already been received. Considerable progress has been made in land acquisition – approximately land acquired in proportion of land required stood at 90 % and 96 % respectively for Eastern (excluding Sonnagar - Dankuni) and Western DFCs.

   The company has made major strides in strengthening its internal organization and internal systems of working. The company is committed towards ensuring that business ethics and values are adhered to and corporate governance guidelines/ norms are complied with.
5. I must place on record my sincere thanks to Ministry of Railways, Zonal Railways, other Ministries of the Government of India and State Governments, lending agencies, bankers and business associates, for their support for DFCCIL. I would also like to thank all other stakeholders of the company for their support.

I have no doubt that with dedicated teamwork and focused approach, the company would be able to achieve all the targets within the timelines set.

Sd/-

Place:- New Delhi

A.K. Mital

Date:- Sep 26, 2016

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

NOTICE

NOTICE is hereby given that 10th Annual General Meeting of the Members of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (CIN:- U60232DL2006GOI155068) will be held on Monday, 26th day of September 2016 at 12:30 Hrs. in Board Room, 5th Floor Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi – 110001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st March, 2016, together with the Report of the Directors' and Auditors' thereon and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To take note of the appointment of the Statutory Auditor of the Company and to fix the remuneration by adopting the following resolution.

"RESOLVED THAT Members be and hereby took note of appointment of M/s Baweja & Kaul, Chartered Accountants, as Statutory Auditor of the Company for the financial year 2016-2017, by the Comptroller and Auditor General of India, on a remuneration as may be decided, by the Board of Directors on the recommendations of the Audit Committee."

"Resolved further that for future appointments, the "Board" of the Company be and is hereby authorised to fix the remuneration of the Statutory Auditor of the Company on the recommendations of the Audit Committee, as may be appointed, by the Comptroller and Auditor General of India in future."

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 read with Article 81 of Articles of Articles of Association of the Company, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment made by the President of India vide Railway Board's order no. 2008/Infra/6/1 (Pt. 1) dt, 01.04.2016, of Sh. Ravi Mathur, as part time Non-Official Director on the Board of Company with immediate effect, for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

"RESOLVED FURTHER THAT the Director Finance/ Company Secretary be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

4. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 read with Article 81 of Articles of Association of the Company, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment made by the President of India vide Railway Board's order no. 2008/Infra/6/1 (Pt. 1) dt, 01.04.2016, of Smt. Shakti Munshi, as part time Non-Official Director on the Board of Company with immediate effect, for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

"RESOLVED FURTHER THAT the Director Finance/ Company Secretary be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

5. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 read with Article 81 of Articles of Association of the Company, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment made by the President of India vide Railway Board's order no. 2016/PL/61/4 dt, 30.06.2016, of Sh. Y.S. Malik, Additional Secretary, Niti Aayog as part time Government Director on the Board of Company with immediate effect till the holding of the post of Additional Secretary, Niti Aayog or further orders whichever is earlier.

"RESOLVED FURTHER THAT the Director Finance/ Company Secretary be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

6. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 13 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules for the time being in force, the reviewed Memorandum of Association of the Company be and is hereby approved and replaced with the new Memorandum of Association.

"RESOLVED FURTHER THAT the Dir (Fin) /Company Secretary of the Company, be and are hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary, proper, expedient, required or incidental thereto".

7. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules for the time being in force, the reviewed Articles

of Association of the Company be and hereby approved and replaced with the new Articles of Association.RESOLVED FURTHER THAT the Dir (Fin) /Company Secretary of the Company, be and are hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary, proper, expedient, required or incidental thereto".

8. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT in terms of section 13, section 61(1)(a) of the Companies Act, 2013 and subject to approval of the President of India under Article 6 of the Articles of Association of the Company, the consent of the Company be and is hereby accorded to increase the Authorized Share Capital of the Company from Rs. 8000,00,00,000/- (Rupees Eight Thousand Crores) to Rs. 220,00,00,00,000/- (Rupees Twenty Two Thousand Crores) and to make consequent amendments in clause V (Capital Clause) of Memorandum of Association of the Company".

"RESOLVED FURTHER THAT the Dir (Fin) /Company Secretary of the Company, be and are hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary, proper, expedient, required or incidental thereto".

Place:- New Delhi
Date:- 31.08.2016

By Order of Board

Sd/-
Meenu Kapoor
Company Secretary

NOTE:

1) The relative Explanatory Statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the business under Item Nos. 3 to Item 8 of the Notice, are annexed hereto.
2) A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (AGM) is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the proxy, in order to be effective, must be deposited at the Company's Registered Office, duly completed and signed, not less than FORTY EIGHT HOURS before the meeting.
3) The Notice of the AGM along with the Annual Report 2015-16 is being sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company, unless any Member has requested for a physical copy of the same. For Members who have not registered their e-mail addresses, physical copies are being sent by the permitted mode.

Explanatory Statement In Respect Of The Special Business Pursuant To Section 102 Of The Companies Act, 2013

ITEM NO.3

1. Section 152 (2) of the Companies Act, 2013 provides that *"Save as otherwise expressly provided in this Act, every director shall be appointed by the company in general meeting."* Accordingly, it is mandatory to take the appointments made by the President of India for consent of the shareholders.

2. In terms of Article 81 of Articles of Association of the Company -

   (1) The President shall have powers to appoint:

   (a) Full time Chairman or, Part time Chairman, full time Managing Director(s) or a full time Chairman-cum-Managing Director and other full time Directors.

   (b) The Directors representing the Government of India and / or any State Government; and

   (c) Other Directors including Independent Directors in consultation with the Chairman.

The Directors appointed by the President shall hold office until removed by him or until their resignation, retirement, death or otherwise.

3. In terms of Railway Board's order no. 2008/Infra/6/1 (Pt. 1) dt, 01.04.2016, the President of India has appointed Sh. Ravi Mathur, as part time Non-Official Director on the Board of Company with immediate effect, for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

No Director or Key Managerial Personnel of the Company and/or their relatives are concerned or interested financially or otherwise in this item of business except Shri Ravi Mathur.

ITEM NO. 4

1. Section 152 (2) of the Companies Act, 2013 provides that *"Save as otherwise expressly provided in this Act, every director shall be appointed by the company in general meeting."* Accordingly, it is mandatory to take the appointments made by the President of India for consent of the shareholders.

2. In terms of Article 81 of Articles of Association of the Company -

   (1) The President shall have powers to appoint:

   (a) Full time Chairman or, Part time Chairman, full time Managing Director(s) or a full time Chairman-cum-Managing Director and other full time Directors.

   (b) The Directors representing the Government of India and / or any State Government; and

   (c) Other Directors including independent Directors in consultation with the Chairman.

The Directors appointed by the President shall hold office until removed by him or until their resignation, retirement, death or otherwise.

3. In terms of Railway Board's order no. 2008/Infra/6/1 (Pt. 1) dt, 01.04.2016, the President of India has appointed Smt. Shakti Munshi, as part time Non-Official Director on the Board of Company with immediate effect, for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

No Director or Key Managerial Personnel of the Company and/or their relatives are concerned or interested financially or otherwise in this item of business except Smt. Shakti Munshi.

ITEM NO. 5

1. Section 152 (2) of the Companies Act, 2013 provides that *"Save as otherwise expressly provided in this Act, every director shall be appointed by the company in general meeting."* Accordingly, it is mandatory to take the appointments made by the President of India for consent of the shareholders.

2. In terms of Article 81 of Articles of Association of the Company -

   (1) The President shall have powers to appoint:

      (a) Full time Chairman or, Part time Chairman, full time Managing Director(s) or a full time Chairman-cum-Managing Director and other full time Directors.

      (b) The Directors representing the Government of India and / or any State Government; and

      (c) Other Directors including independent Directors in consultation with the Chairman.

The Directors appointed by the President shall hold office until removed by him or until their resignation, retirement, death or otherwise.

3. In terms of Railway Board's order no. 2016/PL/61/4 dt, 30.06.2016, the President of India has appointed Sh. Y.S. Malik, Additional Secretary, Niti Aayog as part time Government Director on the Board of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited with immediate effect till the holding of the post of Additional Secretary, Niti Aayog or further orders whichever is earlier.

No Director or Key Managerial Personnel of the Company and/or their relatives are concerned or interested financially or otherwise in this item of business except Shri Y.S. Malik.

ITEM NO. 6

1. Section 13(1) of the Companies Act, 2013 deals with the alteration of Memorandum of Association – it provides that "Save as provided in section 61, a company may , by a special resolution and after complying with the procedure specified in this section, alter the provisions of its memorandum."

2. The existing Memorandum of Association are based on the Companies Act, 1956 and some clauses of Memorandum in the existing MoA are no longer in conformity with the new Companies Act, 2013.

3. With the enactment of the Companies Act, 2013, few clauses of the Memorandum needed alterations/deletions/modifications, as the case may be, in view of Companies Act, 2013 read with the Rules prescribed therein.

4. The existing MoA was examined by the consultant M/s SGS Associates, Company Secretaries who were hired for the alignment of MoA in line with the provisions of Companies Act, 2013.

5. At 55th Board meeting held on 13.06.2016, vide item no. 55.3.1, the Board considered and approved the proposal for alteration of existing Memorandum of Association of the Company and recommended the adoption of the same in the General Meeting

No Director or Key Managerial Personnel of the Company and/or their relatives are concerned or interested financially or otherwise in this item of business

ITEM NO. 7

1. Section 14(1) of the Companies Act, 2013 deals with alteration of Articles of Association. It provides that subject to the provisions of this Act and the conditions contained in its memorandum, if any, a company may, by a special resolution alter its articles including alterations having the effect of conversion of –

   a) A private company into a public company; or

   b) A public company into a private company:

   Provided that where a company being a private company alters its articles in such a manner that they no longer include the restrictions and limitations which are required to be included in the articles of private company under the Act, the company shall, as from the date of such alteration, cease to be a private company:

   Provided further that any alteration having the effect except with the approval of the Tribunal which shall make such order as it may deem fit.

2. The existing Articles of Association ("AoA") is based on the Companies Act, 1956 and several regulations in the existing Articles of Association contain reference to specific sections of the Companies Act, 1956 and some articles in the existing Articles of Association are no longer in conformity with the Act.

3. With the enactment of the Companies Act, 2013, few regulations of Articles of Association needed alterations/deletions/modifications, as the case may be, in view of Companies Act, 2013 read with the Rules prescribed therein.

4. The existing AoA was examined by the consultant M/s SGS Associates, Company Secretaries who were hired for the alignment of AoA in line with the provisions of Companies Act, 2013.

5. At 55th Board meeting held on 13.06.2016, the Board considered and approved the new set of reviewed Articles of Association of the Company and recommended the adoption in the General Meeting of altered Articles of Association of the Company along with the modifications suggested by Dir(OP&BD) and Director (Finance).

No Director or Key Managerial Personnel of the Company and/or their relatives are concerned or interested financially or otherwise in this item of business.

ITEM NO. 8

1. At present the Authorized Share Capital of the Company is Rs. 8000,00,00,000/- (Rupees Eight Thousand Crores) divided into 800,00,000/- (Eight Crore) Equity Shares of Rs. 1000 (Rupees One Thousand) each.

2. As on 31.03.2016, the paid Share Capital of the Company was Rs. 4802.67 Crores and Share application money pending allotment was Rs. 2855.60 Crore

3. As per Annual Plan approved by MoR for the year 2016-2017, the expected inflow will be Rs. 11722 Crore including land cost of Rs. 2920 Crore. The detail is as below:

Rs in Crores

	Budget Estimate 2016-17			
		EDFC	**WDFC**	**Total**
1	Equity	1321	1388	2709
2	Debt (Through MoR)	919	3972	4891
3	**Total Excluding land (1+2)**	**2240**	**5360**	**7600**
4	Land	1420	1500	2920
5	**Total including Land (3+4)**	**3660**	**6860**	**10520**
6	Add EDFC II Loan (Direct Funding Loan Component)	898		898
7	Add EDFC III Loan (Direct Funding Loan Component)	304		304
8	**Total BE including debt portion of EDFC II/EDFC III to be given by World Bank (5+6+7)**	**4862**	**6860**	**11722**

4. After the issue of shares in respect of share application money pending allotment, (i.e Equity of Rs. 2855.6041 crores received in FY 2015-2016) the issued, subscribed and paid up capital of the company would be Rs. 7658.27 Crore and with inflow of funds (budgeted-Rs. 2709 Crore) towards equity in 2016-17, issued, subscribed and paid up capital of the company would cross the authorized share capital.

5. As per MoR Letter no. 2013/Infra/6/30 dt. 02.07.2015, the revised cost estimate of Rs. 81459/- Crores has been approved, i.e., EDFC - Rs. 26674 Crore, WDFC – Rs. 46718 Crore and Land - Rs. 8067 Crore. Including interest during construction, the equity requirement of the project comes to Rs. 21045 Crores (which includes Rs. 5316 Crore as IDC). Assuming that IDC will be funded as equity contribution by MoR, the Authorized Capital should be increased up to Rs. 21045 Crore.

6. As per the Delhi Stamp Act, the increase in Authorized Capital attracts the stamp duty, payable @ of 0.15% of the amount of increase in authorized Capital subject to maximum of Rs. 25 Lakhs. Every time the Authorized Capital is increased from the present limit of Rs. 8000 crore, the maximum amount of stamp duty is payable. In this scenario, it is advisable to increase the present Authorized Capital to the maximum permissible limit.

7. In view of Clause (3), (4), (5) & (6) above, it is proposed to increase the Authorized Share Capital of the Company from Rs. 8000,00,00,000/- (Rupees Eight Thousand Crores) to Rs. 220,00,00,00,000/- (Rupees Twenty Two Thousand Crores) in terms of the provisions of Companies Act, 2013.

8. Article 6 (a) of Article of Association of the Company provides that – Subject to the approval of the President, the Board may from time to time, with the sanction of the Company in a general meeting, increase the share capital by such sum to be divided into shares of such amounts as the resolution shall prescribe.

9. Following sub-sections of Section 13 of the Companies Act, 2013 provides that –

   (1) Save as provide in section 61, a company may, by a special resolution and after complying with the procedure specified in this section, alter the provisions of its memorandum.

   (2) Save as provided in section 64, a company shall, in relation to any alteration of its memorandum, file with the Registrar –

      (a) the special resolution passed by the company under sub-section (1).

10. Pursuant to Section 61 (1) (a), a limited company having a share capital may, if authorized by its articles, alter its memorandum in its general meeting to increase its authorized share capital by such amount as it thinks expedient.

11. Pursuant to Section 64 (1) (a), where a company alter its share capital in any manner specified in sub-section (1) of section 61, the notice of such alteration or increase shall be filed by the company with the Registrar in Form No. SH -7 along with the fee.

No Director or Key Managerial Personnel of the Company and/or their relatives are concerned or interested financially or otherwise in this item of business.

PROXY FORM

[Pursuant to the provisions of Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19 (3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:

Name of the Member(s):- _____

Registered Address:- _____

E-mail ID:- _____

Folio No./ Client ID:- _____

DP ID:- I/We being the Member(s) of _____ equity shares of Rs. 1000 each of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited hereby appoint:-

1. Name:-
   E-mail Id:-
   Address:-
   Signature:- _____ or failing him
2. Name:
   E-mail Id:-
   Address:-
   Signature:- _____ or failing him
3. Name:-
   E-mail Id:-
   Address:-
   Signature:- _____

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the _____Annual General Meeting/ Extraordinary general meeting of the Company, to be held on _____ at _____ at _____ and at any adjournment(s) thereof, in respect of the resolutions, as indicated below:-

Resolution No.

1.
2.
3.

Signed:- this _____ day of _____

Signature of shareholders:- _____

Signature of the Proxy holder(s):_____

Affix
Revenue
Stamp

Note:

This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

Registered & Corporate Office:- 5th Floor, Pragati Maidan
Metro Station Building Complex, New Delhi-110001
(CIN:- U60232DL2006GOI155068)
Attendance Slip

Registered Folio : _____

Name : _____

Address : _____

_____

_____

I/ we hereby record my/our presence at the 10th Annual General meeting of the Company at its Registered Office at 5th Floor, Pragati Maidan, Metro station Building Complex, New Delhi-110001, on Monday, 26.09.2016 at 12.30 Hrs.

Signature of the Shareholder/ Proxy Present:- _____

DIRECTORS' REPORT

Ladies /Gentlemen,

Your Directors have pleasure in presenting the Tenth Annual Report of the Company along with the Financial Statements for the year ended 31st March 2016.

DFCCIL has done exceedingly well during the financial year 2015-2016 in all domains ranging from incurring Capital Expenditure, Award of Contract to Physical Execution of the Work. Some of the major highlights are:

1. HIGHLIGHTS

i. There was a threefold increase in Capital expenditure from Rs. 2897 Crores in 2014-15 to Rs 8508 Crores in 2015-16. As on 31st March, 2016, the Cumulative expenditure including cost of land is Rs. 21750.52 Crore.

ii. Contracts worth Rs. 21,005 Crores were awarded as against contracts worth Rs. 13000 Crore finalized during last 6 years. Further, contracts worth Rs 7647 Crores have been finalized in the current financial year. With this, Civil Contracts for 2473 kms (87%) and Electrical & S&T contracts for 2188 kms (78%) have been awarded.

iii. Progress of Works:

   a. First Goods train was run on DFC track from Durgauti to Sasaram (56 km) on 30.03.2016.

   b. The progress of Earthwork & Concreting in Rewari- Iqbalgarh section of WDFC and Khurja-Kanpur section of EDFC was further accelerated. Track linking by Mechanized track laying machine was started at 3 locations viz. Bhadan, Maitha & Daudkhan in EDFC and at Bhagega in WDFC. Track linking of 342 km in EDFC & WDFC has been completed till date.

   c. Trials of monitoring the progress of work through Drone was conducted in 42 kms in WDFC & 56 kms in EDFC.

   d. Due to constant persuasion with State Governments, they have agreed to share cost of ROBs on 50:50 basis. This has resulted in consent for 121 ROBs from 9 different states received, leading to savings of Rs. 2400 crores approx. to Ministry of Railways.

iv. Funding arrangements:- Loan amount of US$ 650 Million was sanctioned by World Bank on 30.06.2015.

v. With the intervention of Hon'ble MR & Chief Minister of Maharashtra, the land rate of CIDCO reduced from Rs. 84 Crores/Ha to Rs. 42 Crores/Ha for 14 Ha of land resulting in saving of Rs. 608 Crores.

2.1 FINANCIAL STATEMENTS

Financial Statements for financial year 2015-2016 have been prepared in accordance with the Schedule III of the Companies Act, 2013.The Corporation has incurred the following expenditure during the year 2015-2016:

A) Capital Expenditure on Project Execution was as under

(Rupees in Crore)

Description	As at 31.03.2015	During Financial Year 2015-16	As at 31.03.2016
CAPEX (Without cost of land)			
Tangible assets	11.83	3.13	14.96
Intangible assets	0.41	0.99	1.40
Capital work in Progress	3,272.10	2,505.06	5,777.16
Assets under development	9.31	0.59	9.90
Capital Advances	2836.27	1,653.20	4489.47
Total Capex (Without cost of land)	**6129.92**	**4,162.97**	**10,292.89**
COST OF LAND (Borne by MOR)	**7,112.81**	**4,344.82**	**11,457.63**
Total Capex with cost of land	**13,242.73**	**8,507.79**	**21,750.52**

B) Development Account

During the year the balance of Development Account ₹ 280.59 Crore has been transferred to Capital work in progress.

(Rupees in crore)

Particulars	For year ended 31.03.2016	For year ended 31.03.2015
Employee benefit expenses	88.97	70.00
Finance cost (Including Interest)	153.69	90.65
Depreciation & amortization expenses	4.09	2.77
Administration & Other expenses	66.86	54.13
Sub-Total	**313.61**	**217.55**
Forex variation (Loss/(Gain))	3.27	(2.10)
Less:- Other Income	36.29	26.04
Total Transferred to CWIP	**280.59**	**189.41**

C) Dividend

Your Directors recommend 'No' dividend, as the company is under construction phase.

D) An amount proposed for transfer to reserve:- NIL

2.2 SOURCE OF FUND:- Capital Structure

As on 31st March 2016, the Authorized Share Capital of Company stands at ₹ 8000,00,00,000 (Rupees Eight Thousand Crores) divided into 8,00,00,000 (Eight Crores) Equity shares of ₹ 1,000/- each.

As on 31.03.2016, the Company's paid up Share Capital was ₹ 4802, 66, 88,000 (Rupees Four Eight Zero Two Crore Sixty Six Lac Eighty Eight Thousand only) divided into 480, 26,688 (Four Crore Eighty Lac Twenty Six Thousand Six Hundred Eighty Eight only) Equity Shares of ₹ 1000 each and Share Application Money was ₹ 2855.60 Crore. The Paid up Capital of the Company has been enhanced on account of equity contribution from Ministry of Railways. The capital structure was as under:

(Rupees in crore)

PARTICULARS	As at 31.3.2016	As at 31.3.2015
EQUITY FUNDING		
Shareholder's Fund	4,975.97	3,825.78
Share application money pending allotment	2,855.60	1,087.00
DEBT FUNDING		
JICA	1869.57	912.86
IBRD	1402.60	528.22
Total	**11,103.74**	**6,353.86**

2.2.1 Debt Funding

(i) Western Dedicated Freight Corridor - Phase I (Vadodara – Rewari) 947 km & Phase II (Vadodara – JNPT and Rewari - Dadri) 557 km (JICA) – Consultancy.

The Loan Agreement ID-P205 for Engineering Services Consultancy (Phase-I) for 2.606 Billion Japanese Yen for Vadodara – Rewari section of 947 km was signed with JICA and funds to the tune of ₹120.56 Crore have been utilized up to 31.03.2016.

Another loan Agreement ID-P212 for Engineering Services Consultancy (Phase II) (Vadodara - JNPT and Rewari–Dadri) – 557 km for 1.616 Billion Japanese Yen was signed with JICA and INR 70.92 Crore have been utilized in this loan up to 31.03.2016.

ii) Western Dedicated Freight Corridor - Phase I (Vadodara – Rewari) 947 km (JICA) - Construction

The Loan Agreement ID-P209, first tranche for construction in the Phase I, for 90.262 billion Japanese Yen was signed with JICA and INR 1639.33 Crore have been utilized in this loan up to 31.03.2016.

The loan agreement ID-P253, second tranche for 103.664 billion Japanese Yen was signed with JICA on 31.3.2016. No expenditure is incurred up to 31.03.2016 against ID-P253.

iii) The Loan Agreement for WDFC Phase-II (Main Loan)

The Loan Agreement ID-P229, first tranche for construction in the Phase II, for 136.119 Billion Japanese Yen was signed with JICA and INR 38.76 Crore have been utilized in this loan up to 31.03.2016.

iv) Funding for Mughalsarai-Kanpur-Khurja-Ludhiana section (1131 Kms) and Khurja-Dadri Section of Eastern Dedicated Freight Corridor.

World Bank gave 'in principle' approval to finance Eastern Dedicated Freight Corridor from Mughalsarai – Ludhiana and Khurja – Dadri Section. Total Loan of US$ 2.725 billion was agreed for the project.

- Loan agreement for US$ 975 million for EDFC -1 from Khurja – Bhaupur (343km) vide Loan No. 8066 IN was signed on 27.10.2011 and ₹1115.60 Crores have been utilized in this loan up to 31.03.2016.
- Loan No. 8318 –IN for US$ 1100 Million was sanctioned by the World Bank for EDFC Project – 2 from Bhaupur – Mughalsarai. Loan agreement was signed on 11.12.2014 and ₹210.38 Crore have been utilized in this loan up to 31.03.2016.
- Technical negotiation for Eastern Dedicated Freight Corridor 3 Project from Khurja-Sahnewal section was held on 13.05.15 which was upgraded to negotiation on 27.05.15. Loan amount of US$ 650 million has been sanctioned by the World Bank on 30.06.2015. Advance procurement has already been permitted by the World Bank. Loan Agreement will be signed in October/November 2016.
- Khurja- Dadri Section has been added in EDFC-1 through re-structuring of loan against savings.

3. THE STATE OF THE COMPANY'S AFFAIRS

The following Contracts have been awarded during the Financial Year 2015-2016:

(A) Western Dedicated Freight Corridor (Total 1504 Km Length):- (Works & Consultancy)

- **Civil Contracts:**

1. **Design & Construction of Civil, Building Track Works for double line railway for Vaitarna-Sachin Section (CTP-12):**- The civil & track contract CTP-12 for 186 Km., amounting to INR 2171 Crores, was awarded on 22.05.2015 to M/s Express Freight Consortium. Contract agreement was signed on 18.08.2015. This contract has commenced on 15.10.2015. Completion period of the contract is 208 weeks i.e. 09.10.2019.

2. **Design & Construction of Civil, Building Track Works for double line railway for Sachin-Vadodara Section (CTP-13):**- The civil & track contract CTP-13 for 134 Km., amounting to INR 2158 Crores, was awarded on 22.05.2015 to M/s Express Freight Consortium. Contract agreement was signed on 18.08.2015. This contract has commenced on 15.10.2015. Completion period of the contract is 208 weeks i.e. 09.10.2019.

3. **Design & Construction of 08 Special Steel Bridges over Water Main and Railways and across Creek and Rivers in JNPT-Vadodara Section (CTP-15A):**- The special steel bridges contract CTP-15A, amounting to INR 518 Crores, was awarded on 03.06.2015 to M/s IIS-L&T Consortium. Contract agreement was signed on 06.08.2015. This contract has commenced on 15.10.2015. Completion period of the contract is 208 weeks i.e. 09.10.2019.

4. **Design & Construction of Special Steel Bridge across Narmada River with RUB in JNPT-Vadodara Section (CTP-15B):**- The special steel bridges contract CTP-15B, amounting to INR 331 Crores, was awarded on 03.06.2015 to M/s IIS-L&T Consortium. Contract agreement was signed on 06.08.2015. This contract has commenced on 15.10.2015. Completion period of the contract is 208 weeks i.e. 09.10.2019.

5. **Design & Construction of 03 Special Steel Bridges over existing Railways and across Rivers Yamuna & Hindon in Rewari-Dadri Section (CTP-15C):**- The special steel bridges contract CTP-15C, amounting to INR 214 Crores, was awarded on 03.06.2015 to M/s IIS-L&T Consortium. Contract agreement was signed on 06.08.2015. This contract has commenced on 15.10.2015. Completion period of the contract is 208 weeks i.e. 09.10.2019.

6. **Design & Construction of Civil, Building Track Works for double line railway in Iqbalgarh - Vadodara Section (CTP-3 R):-** The civil contract CTP-3 (R) for 298 Km., amounting to INR 4744 Crores, was awarded on 25.02.2016. The contract is likely to commence in the first quarter of 2016-17.

- **Electrical, Mechanical and Signal & Telecom (S&T) Contracts:**

1. **Design & Construction of Signal & Telecom Works for double line railway in Rewari-Vadodara Section (STP-5):**- The S&T contract STP-5 for 947 Km., amounting to INR 1780 Crores, was awarded on 22.06.2015 to M/s S.A.F.E Consortium. Contract agreement was signed on 10.12.2015. This contract has been commenced on 11.01.2016 the period of contract is 338 weeks.

2. **Design & Construction of Train Protection & Warning System (TPWS) Rewari-JNPT Section i.e. for Phase-I & Phase-II excluding Rewari-Dadri section of 127 Km (STP-5A):-** The system contract (TPWS) STP-5A for 1377 Km., amounting to INR 609 Crores, was awarded on 12.08.2015 to M/s I-N Signal Consortium. The contract is likely to commence in the first quarter of 2016-17.

3. **Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 2x25kV Traction Power Supply System, Traction Sub-Station, Auxiliary Stations, Switching Stations, Auto Transformer Stations and SCADA system in JNPT-Vadodara Section (EMP-16):**- The electrical & mechanical contract EMP-16, for 422 Km., amounting to INR 1213 Crores, was awarded on 21.01.2016 to M/s Sojitz-L&T Consortium. Contract agreement was signed on 31.03.2016. The contract has commenced w.e.f. 02.05.2016.

- **Consultancy Contract of Phase-II**

  PMC Services for Construction of Double line Electrified Railway Track with S&T and related Infrastructure for Dadri-Rewari & Vadodara-JNPT Section (Apprx. 557 Km) of Phase-II (PMC-2R):- The consultancy contract PMC-2R for 557 Km., amounting to INR 555 Crores, was awarded on 15.02.2016. Contract agreement was signed on 21.03.2016. This contract has commenced on 31.03.2016

(B) Eastern Dedicated Freight Corridor:- (Works & Consultancy)

1. Design, Construction, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 2x25kV AC 50 Hz Electrification, Signaling And Telecommunication and Associated Works of Double Track Railways Lines under Construction on a Design Build Lump Sum Basis for Bhaupur- Khurja Section of Eastern Dedicated Freight Corridor Package-104 – Contract awarded to Alstom Consortium on 21.07.2015. Cost of the work is INR 1497.11 Crores. Contract Agreement signed on 30.11.2015.

2. Quality and Safety Audit Consultancy for Mughalsarai – New Bhaupur Section. Contract awarded to GETINSA – S.N. BHOBE (JV) on 06.07.2015. Cost of the Consultancy Contract is USD 1,193826.45 + INR- 134689500. Contract Agreement signed on 18.11.2015.

(C) Operations & Business Development Department

(i) Institutional Strengthening Module of DFCCIL (ISMD)

(ii) Development of Marketing and Commercial Strategies for DFCCIL and its Catchment areas (DMCSD)

(iii) Heavy Haul Rail Capacity Development in India (HHRCDI)

(iv) Consultancy Services for Non-discriminatory Access for DFCCIL (CSNDAD)

3.2 CONTRACTS AWARDED & LIKELY TO BE AWARDED IN THE CURRENT FINANCIAL YEAR 2016-2017

(A) Western Dedicated Freight Corriodor (Works & Consultancy)

Following tenders have been finalised during FY 2016-17 till date:

1. **Civil and Track Package (CTP-11) for the section between Vaitarna to JNPT:**- The civil contract CTP-11 for 102 Kms from Vaitarna – JNPT amounting to Rs. 3949 cores has been awarded on 15.07.2016 to M/s Express Freight Railway Consortium.

2. **Signal & Telecom Package (STP-17) for the section Makarpura-JNPT:-** The Signalling contract STP-17 for the section from Makarpura-JNPT amounting to Rs. 631 crores has been on 13.05.2016 to M/s Sojitz- L&T Consortium.

Following tenders are likely to be finalised during FY 2016-17:

3. **Integrated Contract Package (CTP-14) for section between Rewari-Dadri (127 Km):**- The bids for CTP-14 (Civil & Track, Electrical & Mechanical and S&T integrated package) has been received. It is expected that LOA for this package would be issued by 2nd quarter of FY 2016-17.

(B) Eastern Dedicated Freight Corridor:- (Works & Consultancy)

Following contracts have been finalized during the current financial year

1. Design and Construction of Formation in Embankments /Cuttings including blanketing, Viaducts, Rail Flyover, Bridges (Major, Minor & RUBs), from Howrah end approach of DFC Sone bridge to Chirailapathu station of IR towards Howrah & to New Sonnagar station towards Garhwa and at Delhri-on-Sone yard from Km. 3.16 to Km. 5.38 in connection with Eastern Dedicated Freight Corridor. Cost of work is INR 365.22 crores. Awarded in April-2016.

2. PMC for Design and Construction of Formation in Embankments /Cuttings including blanketing, Viaducts, Rail Flyover, Bridges (Major, Minor & RUBs), from Howrah end approach of DFC Sone bridge to Chirailapathu station of IR towards Howrah & to New Sonnagar station towards Garhwa and at Dehri-on-Sone yard from Km. 3.16 to Km. 5.38 in connection with Eastern Dedicated Freight Corridor. Cost of Consultancy Contract is Rs. 8.6 crores. Awarded in June-2016.

3. Design, Supply, Construction, Signaling, Telecommunication and associated works of double track railway lines under construction on a design build lump sum basis for Mughalsarai - New Bhaupur section of Eastern Dedicated Freight Corridor, Testing and Commissioning of Contract Package CP 203. Awarded on 24.06.2016 to Beijing National Railway Research and Design Institute of Signal and Communication Group Company Ltd. China for Rs. 471 Crores.

4. Design Supply Construction installation, Testing and Commissioning of 2X25KV, 50HZ, AC traction Electrification and associated works of Railways lines on a design build lump- sum basis for Mughalsarai – New Bhaupur (excl.) Section of Eastern Dedicated Freight Corridor Contract Package CP 204. Awarded on 03.06.2016 to L&T – INABENSA JV for Rs. 847 Crores.

5. Design and Construction of Civil, Structures and Track Works for Railway, involving Formation in Embankments/Cuttings, Ballast on Formation, Track Works, Bridges, Structures, Buildings, Yards, Integration with Indian Railways existing Railway System and Testing & Commissioning on Design-Build Lump Sum Basis for Sahnewal-Pilkhani (approximate 175 route km of single line) Sections of Eastern Dedicated Freight Corridor, Contract Package -301. Awarded on 03.06.2016 to GIL – TPL JV for Rs. 1769.4 Crores.

6. Design and Construction of Civil, Structures and Track Works for Railway, involving Formation in Embankments/Cuttings, Ballast on Formation, Track Works, Bridges, Structures, Buildings, Yards, Integration with Indian Railways, Existing Railway System and Testing & Commissioning on Design-Build Lump Sum Basis for Dadri-Khurja (approximate 46 route km of double line) Sections of Eastern Dedicated Freight Corridor. Package no 302. Awarded to GIL – TPL JV for Rs. 511.3 Crores.

Following contracts are likely to be finalized during the current financial year:

7. Project Management Consultancy Services for Pilkhani – Sahnewal Section. **Likely to be awarded by August 2016.**

8. Project Management Consultancy Services for Khurja - Dadri Section. **Likely to be awarded by August 2016.**

9. Quality and Safety Auditing Consultancy Services for Khurja – Sahnewal and Khurja – Dadri Section. **Likely to be awarded by November 2016.**

10. Project Management Consultancy Services for Khurja - Pilkhani Section. **Likely to be awarded by January 2017.**

11. Design and Construction of Civil, Structures and Track Works for Railway, involving Formation in Embankments/Cuttings, Ballast on Formation, Track Works, Bridges, Structures, Buildings, Yards, Integration with Indian Railways, Existing Railway System and Testing & Commissioning on Design-Build Lump Sum Basis for Khurja – Pilkhani Section (approximate 225 route km of single line) of Eastern Dedicated Freight Corridor. Package no 303. **Likely to be awarded by March 2017.**

12. Design and Construction of Track and Track related works between Durgauti – Mughalsarai and New Karwandiya- New Sonnagar/Chirailapathu. **Likely to be awarded by December, 2016.**

13. PMC for Design and Construction of Track and System works between Durgauti – Mughalsarai and New Karwandiya- New Sonnagar/Chirailapathu. **Likely to be awarded by March 2017.**

14. Design, Supply, Construction, Installation of 2X25KV Electrification, Signalling and telecommunication and associated works including testing and commissioning for double track Electrified Railway line on design build lump sum basis from Mughalsarai to New Sonnagar and Chirailapathu Station (excluding New Karwandia – New Durgauti Section) --- **Likely to be awarded by March, 2017.**

3.3 PHYSICAL PROGRESS OF THE CONTRACTS

3.3.1 WESTERN DEDICATED FREIGHT CORRIDOR

A. Works Contracts:- JICA Funded

- **WDFC Phase – I**

1. Civil & Track Package for Rewari-Iqbalgarh section (CTP-1 & 2)

- Contract executed in August 2013 at a value of approx. Rs. 6699/- crore.
- Concrete Sleeper Plant at Bhagega, has been commissioned and approximate 2,00,000 sleepers manufactured.
- About 36.11% physical progress and 26.8% financial progress has been achieved.
- 54 % of total earthwork has been completed.
- Work on 8 important, 71 no. major, 381 minor bridges, 2 RFOs & 147 RUBs in progress. 156 no. minor bridges completed.
- 593.33 TKm (71200MT) EN60E1 1080HH Rails has been procured / imported from Japan.
- 20.4 TKm track has been linked.

CTP-1 & 2 Work at Renwal viaduct in progress

WDFC - Work at Major Bridge no. 203 in progress

Track laying with NTC Machine in progress
(Monitoring through Drone technology)

2. Spl. Steel Bridges across Rivers- Mahi & Sabarmati (CTP-3A(R))

- Letter of Acceptance was issued on 26.08.2014 and work commenced on 20.11.2014. The scope of work includes design and construction of 585 m long bridge over river Mahi and 536 m long bridge over river Sabarmati.
- Soil investigation and Hydrological study has been completed for both bridges.
- Design and drawings are under finalization. Work on sub-structure and fabrication of super structure will commence shortly.
- The construction work has been started on seven wells of each of the bridge. About 7% physical progress and 12% financial progress has been achieved.

3. **Electrical & Mechanical Works of WDFC Phase-I (EMP-4)**

Site investigation and measurement of earth resistivity works are in progress. Basic design, OHE simulation study and finalization of transformer rating are in progress.

4. **Signaling & Telecommunication Works for Rewari-Vadodara (STP-5)**

Documentation & design works are under progress.

- **WDFC Phase – II**

1. **Civil & Track Package for Vaitarna-Sachin section (CTP-12) & Sachin-Vadodara section (CTP-13)**

- Contract executed in August 2015 and work commenced on 15.10.2015. The scope of work includes design and construction of civil & track work of 186 Km long Vaitarna-Sachin & 133 Km long Sachin-Vadodara section.
- Verification of site data including Survey, Soil investigation and Hydrological study work is in progress. The design work is also in progress.

2. **Special Steel Bridges Packages (CTP-15A, CTP-15B & CTP-15C)**

- For all the three contracts Letter of Acceptance was issued on 03.06.2015.
- Contracts executed in August 2015 at a value of approx.:
  - For CTP-15A - Rs. 518 Crore.
  - For CTP-15B - Rs. 331 Crore.
  - For CTP-15C - Rs. 214 Crore
- Work commenced on 15.10.2015 for all three. The scope of work includes design and construction of special steel bridges work of JNPT-Vadodara and Rewari-Dadri section.
- Verification of site data including Soil investigation and Hydrological study work is in progress. The design work is also in progress.

B. **Consultancy Contracts:- JICA Funded**

1. **Project Management Consultancy for WDFC Phase-I (Rewari-Vadodara):**

- PMC contract was awarded to a consortium led by Nippon Koei, Japan in February 2014.
- The scope of work involves supporting DFCCIL in implementation of 920 km long WDFC Phase-I, through stages of design, construction, testing and commissioning. The role of PMC will be that of Engineer in Design-Build Lump Sum contracts of WDFC Phase-I.
- Contract was executed in March 2014 and the work is in progress in managing the contracts of CTP-1&2, CTP-3(R), CTP-3 A(R), EMP-4, STP-5 & STP-5A.

2. **Project Management Consultancy for WDFC Phase-II (Dadri-Rewari and Vadodara-JNPT):**

- PMC contract was awarded to a consortium led by Oriental Consultant Global Company Limited Japan on 15th February 2016.

- The scope of work involves supporting DFCCIL in implementation of 557 km long WDFC Phase-II, through stages of design, construction, testing and commissioning. The role of PMC will be that of Engineer in Design-Build Lump Sum contracts of WDFC Phase-II.
- Contract was executed in March 2016 and the work is in progress in managing the contracts of CTP-11, CTP-12, CTP-13, CTP-14, CTP-15A, CTP-15B, CTP-15C, EMP-16, STP-5A & STP-17.

3. **Engineering Services Consultancy Contract for Phase-I Rewari-Vadodara:-** Contract was awarded to a consortium led by Nippon Koei, Japan. The scope of work includes providing consultancy services for planning, engineering design and procurement for WDFC Phase-I. As procurement process is still underway, completion period has presently been extended up to 30th June 2016. The pending contract packages are:
   - Bids for Procurement of Rolling Stock Package (RS-7), being executed by MoR, have been received on 30th June 2015. Financial bid opened on 06th October 2015.
4. **Engineering Services Consultancy for WDFC Phase-II, Vadodara-JNPT & Rewari-Dadri:-** Contract was awarded to a consortium led by Nippon Koei, Japan. The scope of work includes providing consultancy services for planning, engineering design and procurement for WDFC Phase-II. As the procurement process is still underway, the extension have been granted to the Consultant upto 30th June 2017. At present procurement for only package left i.e. Civil and Track package -14 in the section Rewari-Dadri is in progress

C. Works Contracts:- Equity Funded

1. Design and Construction of Important and Major Bridges (54) between Vaitarna and Utran (approx.200Kms) on Vasai-Bharuch section in the states of Maharashtra and Gujarat, has been awarded on lump sum contract basis. (Contract Agreement No. HQ/EN/WC/Bridges/D&B/1/Soma, dated 17-03-2009).
   - The scope of work involves design and construction of 46 Major and 8 important bridges. 29 bridges are on Pile foundation and 25 bridges on Open foundation.
   - The work of construction of main bridge has already been completed at 26 no. of bridges. Present progress of work is 71%. The work was scheduled to be completed by 15.06.2015 with the revised cost Rs. 667.81 Crore but a dispute has arisen between the parties. The award declared by Arbitration Tribunal has been challenged in the Hon'ble High Court of Delhi. Further action will be taken as per the outcome of the proceedings.

D. Consultancy Contracts:- Equity Funded

Project Management Consultancy for Design and Construction of Important and Major Bridges (54) between Vairarna and Utran (approx.200Kms.):- Contract Agreement (CA No.HQ/EN/WC/Bridges/PMC/1/Span, was executed on 12.06.2009. The Currency of the Contract has been extended upto 14.06.2016 and the work is in progress.

3.3.2 Eastern Dedicated Freight Corridor

A. Works Contracts:- Equity Funded (Mughalsarai-New Sonnagar / Chirailapathu Section)

1. Design and Construction of formation including Blanketing, Major Bridges, Minor Bridges, RUBs, ROBs, from new Karwandiya to New Ganj Khwaja. (Approximate 105 Kms) on Mughalsarai-Sonnagar section.

   - Physical work of Earthwork & Bridges between New Karwandiya to Durgawati stations completed.
   - Earthwork in Durgawati – Ganjkhwaja section is under progress.

Work started in Basa village:- The work in village Basa district Rohtas in stretch of approx 260 m was held up since last five years due to protest of PAP,s and court case. Even after the Court Case was disposed off, the PAPs were not allowing the work to take place. Matter was rigorously taken up with district administration and on 08.06.16, approximately 140 Policemen including 40 ladies Police were deployed and earth work in whole stretch was completed successfully.

2. Design, procurement, **Construction of Track** and track related works and its testing & commissioning **from New Karwandiya (Rly. Km. 564) to Durgawati** (Rly. Km. 630) approx. 66 KMs on Mughalsarai-Sonnagar Section.

   - Track laid through New Track Construction(NTC) machine between Durgawati – Sasaram Section. OHE of both the DFCCIL track was successfully charged on 06.02.2016 with 25 KV AC by taking power from Kudra TSS of IR.
   - First goods train was run on down-line on 30.03.2015 and on up-line on 03.06.2016.
   - Track linking between Sasaram – Karwandiya Section is under progress.

Trial run of goods train on DFC route from Durgauti to Sasaram on 30.03.2016.

Laying of canted turnouts in Mughalsarai-Sonnagar section

Bridge on river Kudra in Mughalsarai-Sonnagar section

Running of first goods train in Durgauti-Sasaram section

3. Design and Construction of Important Bridge across river Sone (approximate length 3.06 Kms), between Sonnagar (Rly.Km.549) and Dehri-on-Sone (Rly.Km.554):- Construction is in advanced stage. Launching of PSC girders is in progress. Overall progress is around 80% upto July' 2016.

Laying of canted turnouts in Mughalsarai-Sonnagar section

Launching of PSC Box Girder on Sone Bridge

4. Design and Construction of Rail Flyover near Ganjkhwaja, Formation in Embankments/ Cuttings including blanketing, Bridges (Major, Minor & RUBs), between Dehri-on-Sone & Mughalsarai:- Earthwork and Bridge work in Karwandiya – Dehri-on-Sone section is in progress.

B. Consultancy Contracts:- Equity Funded (Mughalsarai-Sonnagar Section)

1. **Project Management Consultancy Services** to facilitate Construction of formation etc. from Chainage 14.108 Km **(Near New Karwandiya) to Chainage 119.437 Km (Near New Ganj Khawaja)** (Approx.105 Kms.):- PMC work is in progress for execution of the civil work.

2. **Project Management Consultancy** for Design and Construction of Track, Signaling & Telecom works, traction power supply, SCADA, OHE and General Electrical works from New Karwandiya (Rly. Kms-564) to Durgawati (Rly. Km-630) approx. 66 Kms:- PMC for track and system works is in progress.

3. **Project Management Consultancy** for Design and Construction of **Important Bridge across river Sone** (approximate length 3.06 Kms) & **Rail Flyover near Ganjkhwaja:**- PMC for above works is under progress.

C. Works Contracts:- World Bank Funded (Ludhiana - Mughalsarai & Khurja – Dadri)

1. Civil, Structure & Track Works (CST) for Bhaupur-Khurja Section (LOT-101, 102 & 103)

- Tender was awarded in three packages to Ms. TATA ALDESA (JV) and contract agreements were signed during March, 2013 for an approximate total value of Rs.3267 crore. The works are in progress in all the three contract packages.
- Physical progress of about 59% and financial progress of 47% has been achieved.
- 78% of Earthwork has since been completed. 265 Km of embankment has been constructed to half the height (H/2), 240 Km for full height (H) and 192 Km of blanket has been completed.
- Progress on Rail Flyover is 45% & on Major Bridges 62%. Out of 15 Major Bridges, on 4 Major bridges super structures have been completed and at 9 Major bridges work has come up to the level of sub structure.
- Progress on Minor bridges is 70%. 184 Nos of Minor bridges out of 243 Nos and 81 Nos of Minor RUBs out of 152 Nos have been completed.
- Temporary depots for track linking were set up at Bhadan, Maitha and Daudkhan. New Track laying machines (NTC) are working and 150 Track Kms of linking has been completed.
- Design of 1 in 12 canted tangential layout of turnouts has been approved by PMC, validated by IIT/Chennai and proto- type is under approval.

EDFC-1- Track laying by NTC Machine in progress

EDFC-1- Erection of Steel girders at Hathras Road Bridge in progress

EDFC- 1 -- Work at Major Bridge in progress

2. Civil, Structures & Track Works (CST) for Mughalsarai-New Bhaupur Section (CP 201& 202)

The Contract Packages CP-201 & CP-202 were awarded to M/s GIL-SIL (JV) in March 2015. Contract agreement signed in May 2015.

- Geo Tech Investigations have been completed.
- Handing over of land to the contractor has completed 95% in CP-201 & 96% in CP-202.
- Field laboratories have been set up in both the packages.
- Temporary Depot at Pahara and Ramwa have been established.
- 80% of alignment design has been completed.
- Earthwork is in progress in both the packages.
- Bridge design and drawings are being finalised.
- Work on Minor Bridges and RUBs is in progress.
- Procurement of Sleepers has been started. 25000 sleepers have already been procured.
- General Arrangement of Important Bridges on river Yamuna and Tonse have been finalised. Detailed design in progress.
- Financial progress including mobilisation advance is 12%.

Earthwork in Mirzapur Detour

Compaction of Earthwork

D. Consultancy Contract:- World Bank Funded

1. Project Management Consultancy for EDFC-1 (Bhaupur- Khurja)

- Contract has been awarded to Ms. SAI- TYPSA consortium and contract agreement was signed during Oct-2013.
- The scope of services involve implementation of CST and System contracts through the stages of design, construction, testing and commissioning. The role of PMC will be that of Engineer administering Design- Build Lump sum contract for EDFC-1.
- The services are in progress implementing presently the civil contract awarded to Ms. TATA- ALDESA (JV) and the System Contract.

2. Project Management Consultancy for EDFC-2 (New Bhaupur-Mugalsarai)

- PMC Contract has been awarded to M/s Systra-Mott (JV) and contract agreement signed on 1st June 2015.
- The Consultant started services on 1st July 2015.
- The scope of services include superintendence of CST and System Contractor's performance of the works on day to day basis, particularly with regard to quality of material/construction, execution of works as per approved methodology and work plan, work site safety, compliance to environmental mitigation plan, inspection and acceptance of work, record keeping, testing and commissioning as per provisions of CST and System contracts.
- The PMC team has been established and is closely monitoring the Quality, Environmental and contractual issues of the project and enforcing the stipulated provisions.

3. QSAC Services for EDFC-1 (Bhaupur-Khurja Section)

- QSAC service for EDFC-1 has been awarded to M/s Mott MacDonald Ltd. and Mott MacDonald Pvt. Ltd. (JV).
- The Consultant started service from 06.05.2014.
- The objective of this consultancy contract is to achieve independent monitoring and auditing of the quality of the works and structures constructed under project and implementation of the safety arrangements during construction.
- The QSAC has been bringing out constraints and inefficacies of the system in achieving the desired outcomes and contract implementation.

4. QSAC Services for EDFC-2 (Mughalsarai-New Bhaupur)

- QSAC contract has been awarded to M/s Getinsa-Payma & SNBAPL (JV) and the contract agreement signed in November 2015.
- The QSAC team has been placed by the consultant in the project.

3.3.3 Operation and Business Development

The commissioning of DFC will revolutionise the freight movement scenario facilitating speedier & reliable services, providing enough impetus for industry to grow, profligate and diversify its logistics options. The presence of DFC will help in shifting traffic predominantly moving by road to rail and in increasing share of railways in the overall transportation of freight by offering integrated, efficient and cost effective logistics, support, including warehousing solutions to users. To achieve this, development of appropriate terminals is a primary requisite. The terminals in addition to handling rail traffic should also provide end logistics support to facilitate diversion of road traffic to rail.

To encourage development of Private Freight Terminals on DFC network, a Private Freight Terminal (PFT) policy has been issued .This policy will facilitate development of PFTs (Private Freight Terminals) with world class logistics facilities by opening the area of terminal development with participation of the private entities. The PFT policy of DFCCIL for connectivity is quite comprehensive covering procedures, specific time schedules and levels of authority for approving at various stages, etc. for appropriate guidance to customers. The Private Freight Terminals are also expected to allow multiple users to come together and provide rail connectivity to a group of interested logistics players.

Steps has been taken to actively engage the attention of interested State Govt. /Entities in connection with joint development of Multi Modal Logistics Parks (MMLPs) through their land in respective.

In addition to these the following Consultancy studies has also been engaged under Technical Assistances (TA) components of World Bank for business development , setting up track access charges, Institutional strengthening etc.

(i) Development of Marketing and Commercial Strategies for DFCCIL and its Catchment areas (DMCSD)

The study will be prepare further pathway for devising strategy to attract and develop system for non-conventional traffic. The main objective of the assignment is to develop a long term marketing and commercial strategy and devise step wise plan including policy framework to maximize commercial value of the project and to achieve higher modal share for railways in freight traffic market. This is to be based on, operational strategy, proposed allied infrastructure including freight terminals & logistics parks and induction of special purpose rolling stock for DFCCIL & IR taking into account the traffic in catchment areas along the two corridors being built and on/through the feeder routes of Indian Railways covering mainly:

a) The demand forecast for different horizon years on DFC up to 2030 supported by secondary data as applicable

b) Identify potential of additional freight traffic in catchment areas of DFCCIL for increasing modal share of rail using relevant experiences of international freight market with a view to enhance profitability of DFCCIL

c) Develop costing and pricing strategy for promoting modal shift of traffic in favor of railways

d) Suggest possible heavy haul DFC network including feeder routes embedded with existing IR network taking into account operational feasibility and associated commercial issues

e) Identify need for special purpose wagons for selected commodities and main technical parameters along with financial justification for the same

f) Operational parameters and operational standards covering train length, speed, service quality, enhanced services and improvements in infrastructure.

The Inception Report covering the detailed plan for the deliverables and the areas to be covered has been approved. The Consultants have submitted the main subject reports.

(ii) Heavy Haul Rail Capacity Development in India (HHRCDI)

The overall objective of the Heavy Haul Research & Development Program will be to increase the technical capacity of railways to implement heavy-haul freight initiatives that will improve the safety, transport capacity, quality, competitiveness and share of India's rail freight transport services and to prepare concrete proposals of an effective and cost-efficient heavy-haul freight Research, and capacity Development Program including plans for establishment of a world class Heavy-haul Research Institute (HHRI) in India . This will include detailed program for development and research capabilities identifying the major areas of the heavy haul Cost drivers viz., productivity enhancements through increased axle loads, reduced wagon requirement, higher pay load to tare weight ratio, energy saving technologies, reduced human resource requirement & desired skill enhancements.

The Consultants Inception Report and Draft report covering the various aspects of the program and the steps for setting up HHRI and allied areas have since been approved. The draft Final Report has been finalized.

(iii) Consultancy Services for Non-discriminatory Access for DFCCIL (CSNDAD)

The objectives of the study are to (i) consider options for institutional arrangement for providing non-discriminatory access for rail freight train operations; (ii) analyze international experience with non-discriminatory access for freight train operations and suggest a practical system(s) suitable for application in the Indian context, (iii) establish a detailed methodology for setting track access charges at start up, and (iv) identify how the institutional arrangements for licensing, regulation of traffic, capacity allocation and safety, including the methodology for calculating track access charges, would need to change to accommodate multiple users.

The Consultants have submitted Reports on Regulatory Framework and Non Discriminatory Access systems based upon International best examples followed by the Draft Final Report .

(iv) Institutional Strengthening Module of DFCCIL (ISMD)

The primary objective of this module is to review the management and organizational structure, control system, processes and procedures, HR system, MIS, and make recommendations for DFCCIL

to make it an efficient, commercially oriented provider of infrastructure services. The module will therefore review and recommend, capacity building, skill development, process re-engineering and system improvement in areas such as organization and corporate governance of the company, including management and organization structure, human resource planning and development, staff training/study tours, financial management, social and environmental systems, governance systems etc.

The Inception Report covering the detailed work plan and objectives have been approved.

3.4 Status of Land Acquisition

The DFC alignment is passing through 9 states and 66 districts in the Country. On Eastern Corridor, DFC alignment from Dankuni to Ludhiana passes through the states of West Bengal, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, and Punjab. The Western Corridor will traverse the distance from Dadri in Uttar Pradesh, via Haryana, Rajasthan, and Gujarat to JNPT in Maharashtra.

The alignment in Khurja-Pilkhani section was changed from parallel to detour at Meerut, Muzzafarnagar and Hapur, due to heavily populated areas and structures falling in the alignment. Besides, with increase in requirement of land in WDFC, the overall requirement of land has increased from 11539 to 11672 Hectares spread over more than 3360 Kms. This includes 9760 Hectares of Private land and the rest being Govt. Land. On the Eastern DFC, the land acquisition is spread over a length 1318 Kms with an area of about 4495 hectares (excluding Sonnagar-Dankuni which is spread in a route of 538 Kms covering and an area of 1178 hectares). On Western DFC, it is spread over a length of 1504 Kms, and an area of about 6000 hectares. Being notified as a Special Railway Project, land acquisition for the project is governed by the Railways (Amendment) Act, 2008 (RAA 2008).

As of 31.03.2016, the progress of land acquisition is approximately 89.8% (except Sonnagar-Dankuni section) and 85% on overall basis.

3.5 Dankuni-Sonnagar PPP Project

It has been decided to construct Dedicated Freight Corridor (DFC) section between Dankuni-Sonnagar (540Km) as an Eastern-most leg of Eastern Dedicated Freight Corridor to facilitate connectivity of ports and Industries situated in the Eastern part of the country with DFC network. Further to leverage alternative mode of Financing, this project is planned to be executed through Public Private Partnership using Design, Build, Finance, Maintain and Transfer (DBFMT) model. The project is being developed in in two phases i.e., Dankuni-Gomoh section (282.2 Kms) as Phase-I and Gomoh-Sonnagar section (256.581Kms) as Phase-II. As such, the guidelines issued by erstwhile Planning Commission are being followed for appointment of various Consultants like Technical, Legal, Financial Consultant & Transaction Adviser and Concessionaire. The status of the activities undertaken for the project are summarized as under:

1. Project Estimated Cost

The Cost of Dankuni-Sonnagar section has been estimated at Rs.10, 100 Crs.

2. Land Acquisition

The Phase wise position of Land acquisition is as under

Description		Land Acquisition Section		
		20A	20E	20F
Dankuni – Gomoh Section (282.2 Kms) Phase-I	Total Requirement	522.17 Ha	522.17 Ha	522.17 Ha
	Progress Upto March 2016	522.17 Ha (100%)	492.68 Ha (94.35%)	349.34 Ha (66.90%)
Gomoh – Sonnagar Section (256.58 Kms) Phase-II	Total Requirement	655.43Ha	655.43Ha	655.43Ha
	Progress Upto March 2016	649.96 Ha (99.16%)	318.02 Ha (48.42%)	152.32 Ha (23.23%)

The land acquisition so far have been smooth except at Balarambati mauza of Singur in Hoogly District, Shaktigarh, Mankar, Andal & Kulti in Bardhaman District, West Bengal and Villages falling on Gaya Detour in Bihar where Project Affected People (PAP) are demanding higher compensation package for land acquisition as per New Land Acquisition Act. Despite Maoist activities in Koderma detour (57Km), the stacking of the alignment on the ground has been finally completed. Also, the alignment in Koderma Detour is passing through Gautam Budha wild life sanctuary. Total forest land involved in Koderma Detour is about 392 Ha. Sanctuary portion involves about 144 ha of land. Resumption of land of sanctuary needs approval of SWB, NWB and Supreme Court.

3. Detailed Project Report (DPR)

The DPR of Dankuni- Gomoh section Ph-I and Gomoh- Sonnagar section - Ph-II has been finalized.

4. The Feasibility report & Traffic Study report

The "In-house" Feasibility report and Traffic Study for Dankuni- Gomoh section Ph-I has been prepared. The updation of the Traffic Projection of Sonnagar -Gomoh section is under progress.

5. Financial Modeling

Based on the Terms of Reference (TOR) for Financial Modeling for Dankuni- Gomoh section Ph-I suggested by Railway Board, Preliminary Financial Modeling has been completed. In order to carry out Transaction Advisory services and Technical services with alternate Revenue model/ financial structuring of the project, RFP for appointment of Financial Consultant cum Transaction Advisor for Dankuni- Gomoh section, Ph-I has been floated on 31.03.2016.

6. Manual of Standards and Specifications

The consultancy contract for drafting of Manual of Standards & Specifications has been finalized.

7. Legal Consultant has been engaged for developing Concession Agreement and other documents

8. Tender for EIA & SIA for Dankuni- Gomoh section, Ph-I by CPM/KKK is under process

9. Yard Plan

For Dankuni- Gomoh section (282.2Kms)- Ph-I, yard plans for all 4 Crossing stations namely, New Jaugram, New Rajbandh, New Mugma & New Pradhankanta have been approved. And out of four Junction stations, one junction station at New Dankuni has been finalized. For Gomoh- Sonnagar section (256.581 Kms), Ph-II, out of 6 Crossing stations, yard plans for five crossing stations namely New Keshwari, New Hirodih, New Kastha, New Paharpur & New Rafigunj have been approved. In addition, one junction station, yard of New Chiraila Puthu has been approved.

3.6 Future Dedicated Freight Corridors

Railway Board in the year 2011, has entrusted the work of PETS (Preliminary Engineering and Traffic Survey) of following four future dedicated freight corridors:

1. East – West Corridor (Kolkata – Mumbai) (2328km)
2. North – South Corridor (Delhi – Chennai) (2327Km)
3. East Coast Corridor (Kharagpur – Vijayawada) (1115 Km)
4. Southern Corridor (Chennai – Goa) (890Km)

The work of PETS was awarded to RITES. The work commenced during September 2011 at cost of Rs 68.5 crore (excluding taxes).

Final Preliminary Engineering cum Traffic Study (PETS) report of following three future corridors have been submitted to Railway Board and their details are as under:

1. **East-West Corridor (Kolkata-Mumbai):-** The proposed alignment of 2328 km connect Palghar to Andal/Kamarkundu and corridor passes through 4 Railway Zones (SER, Eastern, SECR and CR) and five states of India (Maharashtra, Chhatisgarh, Odisha, Jharkhand, and West Bengal). The East West Corridor will connect the ports of Haldia, Dhamra and Paradeep on the Eastern Coast with Mumbai and JNPT on the Western Coast. The route caters primarily to steel plant traffic, export ore, thermal coal, in addition to catering transport requirement of over a dozen cement plants.
2. **North-South Corridor (Delhi-Chennai):**- The proposed alignment of 2327 km connects Pirthala to Arakkonam and corridor passes through 5 Railway Zones (NCR, WCR, CR, SCR and SR) and traverse through seven states of India as:- Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The North South route does cater to heavy cross traffic of all the core commodities carried by IR. There are iron & steel, coal, food grains, fertilizers, cement and other general goods, including containers.

3. **East Coast Corridor (Kharagpur-Vijayawada):**- The proposed alignment of 1115 km connects Kharagpur to Vijyawada and passes through 3 Zonal Railways (SER, ECoR and SCR) and traverse through three states of India i.e. West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. This route connects important ports of Haldia, Dhamra, Paradeep Vishakhapatanam Gangavaram and Kakinada. This route will primarily cater heavy traffic including coal, iron ore and steel.

PETS Survey of following Corridor is in progress

Southern Corridor (Chennai-Goa):- The proposed alignment of Southern Corridor of 890 km connects Renigunta to Madgaon via Hubli & Anoka and alignment passes through the four railway zones

(SWR, SCR, SR and Konkan Railway) and traverse through three States of India Andhra Pradesh, Karnataka and Goa. This corridor connects the ports of Goa and Chennai/Ennore on the Western and Eastern coasts of the country. Freight is predominantly iron ore and steel. The Final PETS report is expected in the year 2016-2017.

4 DETAILS OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

During the year under review, there were changes in the composition of the Board of Directors of the Company on account of appointments and cessation, which are as follows:

4.1.1 Directors who have joined the Board during the financial year 2015-2016. – NIL

4.1.2 The following Directors have joined after the closure of financial year 2015-2016

a) In terms of Railway Board's Order no. 2008/Infra/6/1 (Pt.1), dated 01.04.2016, the President of India has appointed Sh. Ravi Mathur and Smt. Shakti Munshi, as part-time non official directors on the Board of DFCCIL, w.e.f. 01.04.2016 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

b) In terms of Railway Board's order no. 2016/PL/61/4 dt, 30.06.2016, the President of India has appointed Sh. Y.S. Malik, Additional Secretary, Niti Aayog as part time Government Director on the Board of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited with immediate effect till the holding of the post of Additional Secretary, Niti Aayog or further orders whichever is earlier.

4.1.3 The following Directors cease to be hold office during the financial year 2015-2016

Vide Railway Board's letter No.2008/Infra/6/1 dated 25.04.2012, Sh. R.S. Sharma, Independent Director completed his tenure of three years on 24.04.2015.

4.1.4 The following Director cease to hold the office after the closure of the financial year 2015-16

Vide resolution no. 53.4.2 of 53rd Board Meeting dated 05.02.2016, the office of Nominee Director, Sh. Gajendra Haldea is technically vacated.

4.1.5 The following Directors are holding office as on the date of this Report

S. No.	Name of the Director	Designation	Date of holding office w.e.f.
1.	Sh. A.K.Mital	Part Time Chairman (Official)	03.02.2015
2.	Sh. Adesh Sharma	Managing Director	20.10.2014
3.	Sh. Anshuman Sharma	Director (Project Planning)	05.04.2011
4.	Sh. H.D. Gujrati	Director (Operations & Business Development)	29.11.2012
5.	Sh. M.K. Mittal	Director (Finance)	16.09.2013
6.	Sh. D. S Rana	Director (Infrastructure)	27.10.2014
7.	Sh. Girish Pillai	Part time Official Director (Government Nominee-MoR)	14.11.2012
8.	Sh. Ravi Mathur	Independent Director	01.04.2016
9.	Smt. Shakti Munshi	Independent Director	01.04.2016
10.	Sh. Y.S. Malik	Part-time Official (Government Nominee-Niti Aayog)	30.06.2016

4.2 Number of meetings of the Board

During the financial year 2015-2016, the Board of Directors met five times to transact the business. The meetings of the Board of Directors were held on following dates:

S.No.	Quarter	Dates
1.	For the quarter ended June 2015	08.05.2015, 08.06.2015
2.	For the quarter ended September 2015	13.08.2015
3.	For the quarter ended December 2015	27.11.2015
4.	For the quarter ended March 2016	05.02.2016

4.3 Directors' Responsibility statement under Section 134 (5) of the Companies Act, 2013

In terms of section 134 (3) (c) of Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company confirms that —

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating- The Board of Directors annually review compliance reports of all laws applicable to the company, prepared by the company as well as steps taken by the company to rectify instances of non-compliances. There is a scope to strengthen the compliance management system commensurate to the size of the Company.

4.4 A Statement on declaration given by independent directors under section (6) of section 149

Smt. Shakti Munshi and Sh. Ravi Mathur, Independent Directors, have submitted their declaration pursuant to sub-section (6) of section 149 of the Companies Act, 2013.

5. AUDITORS

The Comptroller and Auditor General (C&AG) of India had appointed M/s Baweja & Kaul, Chartered Accountants as Statutory Auditor of the Company for the year 2015-2016 and in exercise of powers conferred by the members, the Board of Directors have fixed their remuneration at a fee of Rs. 8,40, 000/- (Eight Lac forty thousand only) plus service tax as per applicable rate and out of pocket expenses to be paid extra."

5.1 Explanations or comments by the Board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the Auditor and Secretarial Auditor

5.1(a) Statutory Auditors' Report

The Auditors' Report submitted by M/s Baweja & Kaul, Chartered Accountants doesn't contain any qualification and hence no explanation or comments are required.

5.1(b) Secretarial Auditor' Report

The Comments of the Secretarial Auditor and Management's reply thereto are annexed to this report as Annexure A.

5.2 Comments of the Comptroller & Auditor General of India

The Office the Comptroller & Auditor General of India has issued "NIL" comments on the accounts of the Company for the year ended 31st March, 2016 and hence no explanation or comments are required.

6. PARTICULARS OF LOANS GIVEN, INVESTMENTS MADE, GUARANTEES GIVEN AND SECURITIES PROVIDED

Particulars of loans, guarantees and investments under section 186 of Companies Act, 2013 are 'NIL' during the year under review.

7. PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER RULE 5(2) OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

During the year under review, the particulars of employees to be disclosed under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 may be treated as NIL as none of the employees and Directors/KMPs was in receipt of remuneration in excess of the limits prescribed therein.

8. CONTRACTS AND ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES

During the year under review, on the basis of the disclosure of interest by the Directors, there were no contracts or arrangements entered into by the company with the related parties as referred in section 188 (1) of the Companies Act, 2013.

9. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT-

There are no reported material changes and commitments, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate i.e 31.03.2016 and the date of the report.

10. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO

With the series of measures taken over past 2 to 3 years, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Government of India has awarded BEE 5 STAR rating to DFCCIL Corporate Office Building in

Nov. 2015. DFCCIL Corporate Office Building is among very few organizations in the country to have BEE 5 STAR rating label with Air-conditioning area of more than 90%.

The Particulars required to be disclosed pursuant to section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules of Companies (Accounts Rules, 2014) are as follows;

(A) Conservation of energy-

(i) The steps taken or impact on conservation of energy

Provision of Energy Efficient LED light fittings, Occupancy Sensor and efficient monitoring & control mechanism for operation of Air-conditioning and lightning services has been made and implemented.

(ii) The steps taken by the company for utilizing alternate source of energy

To encourage green energy on DFCCIL network, solar plants have been planned for various installations along the corridor and its corporate building.

(iii) The capital investment on energy conservation equipment

Approx. Rs. 3.9 Lac has been spent on energy conservation measures during 2015-16. Efforts are 'ON' and significant contribution toward reduction in emission CO_2 is possible in DFCCIL in near future.

(B) Technology absorption-

(i) the efforts made towards technology absorption; - NIL

(ii) the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution; - NIL

(iii) in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) -NIL

(a) the details of technology imported; - N.A.

(b) the year of import; - N.A.

(c) whether the technology been fully absorbed; - N.A.

(d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and

(iv) the expenditure incurred on Research and Development. - N.A.

(C) The Foreign Exchange earnings and outgo during the period under review are

Foreign Exchange Earning	-	Nil
Foreign Exchange Outgo	-	₹422.33 Crore out of which
Interest	-	₹8.53 Crore
Tour & Travelling Expenses	-	₹0.06 Crore
L.C Opening Charges	-	₹0.32 Crore

Bank Charges JICA Loan	-	₹0.33 Crore
Consultancy	-	₹37.57 Crore
Works	-	₹375.52 Crore

11. A STATEMENT INDICATING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A RISK MANAGEMENT POLICY FOR THE COMPANY INCLUDING IDENTIFICATION THEREIN OF ELEMENTS OF RISK, IF ANY, WHICH IN THE OPINION OF THE BOARD MAY THREATEN THE EXISTENCE OF THE COMPANY

The Company has developed the Enterprise Risk Management Framework which has been approved by the Audit Committee and also by the World Bank. The Enterprise Risk Management Framework has been implemented with effect from 1st December 2014. The top 20 risks each perceived at this stage during "Planning & Construction Phase" and "Operation Phase" have been identified and prioritized. Mitigation Plans for these top 20 risks has also been formulated. A Risk Management structure has already been defined, which comprise of a Risk Management Committee (RMC) consisting of Functional as well as Independent Directors, a Chief Risk Management Coordinator (CRMCO) reporting to Risk Management Committee, Heads of various departments such as Civil, S&T, IT, Administration, Electrical, Operation, Finance etc. and Chief Project Managers would act as Risk & Mitigation Plan Owners (RMPOs) and would be responsible for risk identification, its prioritization and for framing the mitigation plan. To ensure that there are appropriate controls in place for the risk management activities a risk monitoring and assurance mechanism through MIS has been provided for as a part of Enterprise Risk Management Framework to assess the effectiveness of mitigation plan for a particular risk.

The status of Risk Management Framework is being regularly coordinated by the GM/Fin./RM (CRMCO) in association with the Risk Management Coordinators (RMCOs) which is further reviewed by the Risk Management Committee (RMC) and the Audit Committee at regular intervals. The summary of review and Risk Management Committee meetings held till date is as under:

a. Five review meetings have been held till date at CRMCO level on 16th September 2015, 16th October 2015, on 21st January 2016, on 27th January 2016 and on 16th March 2016 respectively.

b. Three RMC meetings have been held till date on 6th November 2015, on 16th May 2016 and on 24th May 2016 respectively.

c. To enhance the ability of the Risk and Mitigation Plan Owners (RMPOs) two half days Knowledge Transfer Sessions were held on 09th February 2016 and 26th February 2016 and two full days Knowledge Transfer Sessions conducted on 27th June 2016 and 28th June 2016 for the officials reporting to RMPOs.

d. In the light of Audit Committee's directives vide minutes of the 32nd Audit Committee a review of the progress made till date was presented before the 33rd Audit Committee

meeting held on 18th July 2016 in the form of presentation. Audit Committee further directed to put up the status before the Board and the same was also presented before the Board in the Board of Directors' meeting held on 26th July 2016.

12. THE DETAILS ABOUT THE POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES TAKEN DURING THE YEAR

A report of Corporate Social Responsibility initiatives taken during the year under review annexed at Annexure -B forms the part of Directors' Report.

13. OTHER COMPLIANCES

A. Rajbhasha (Official Language)

In DFCCIL Corporate Office, special emphasis is being given to ensure maximum use of Hindi in Official dealings. During the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 number of activities to promote use of Hindi were initiated.

DFCC Official Language implementation Committee meetings organized in every quarter. A quarterly progress report regarding use of Hindi was submitted to Railway Board for onward submission to Ministry of Home Affairs regularly. The active participation in Town Official Language committee (Public sector) Delhi meeting is being done regularly.

Rajbhasha Pakhwada was organized in DFCCIL from 01.09.2015 to 14.09.2015. During the Pakhwada different competitions were arranged and the prizes were distributed to the first, second and third winners by the Managing Director. On this occasion Managing Director, all Directors, officers were present. Besides this Hindi workshops were organized regularly in an effort to inculcate the habit of doing more and more work in Hindi by the officers and staff of DFCCIL. The Website of DFCCIL is updated from time to time in Hindi. To ensure to compliance of section 3(3) of Official Language Act, all office orders, Land acquisition and Gazette Notifications are issued Hindi-English bilingually.

To more and more use of official language in the DFCCIL, the incentives schemes of Railway Board has been implemented. Hindi Library established in DFCCIL Corporate office. All the officers and employees are taking full advantage of this library. Quarterly Newsletter of DFC is being published in Hindi.

B. Right to Information Act, 2005

1. The enactment of Right to Information Act, 2005 is a historic event in the annals of democracy in India. The Act mandates a legal-institutional framework for setting out the practical regime of right to information for every citizen to secure access to information under the control of Public Authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every Public Authority.

   DFCCIL has been able to fulfil the mandatory requirements as well as its obligations towards the citizens in providing information sought for by them. The Public Information officer

in the corporate office coordinates with the APIOs in the field offices or in the corporate office for obtaining information in desired format and within stipulated time period so that the same is sent to the applicant in time. Under the mandatory requirements the duties and responsibilities of an Appellate Authority have been assigned to the Group General Manager (Administration).

During the year 2015-2016, total 420 applications (including 40 Appeal cases) were received and replied with in the stipulated time period. All the replies have also been uploaded on DFCCIL website (www.dfccil.gov.in). The status of RTI replies are updated regularly on DFCCIL website.

2. Parliament Questions

Dealing with Parliamentary matters calls for utmost accuracy, swiftness and conformation to the prescribed norms and procedures as laid down by the nodal authorities.

An officer has been designated especially for dealing with all Parliamentary matters in coordination with other Directorates in DFCCIL. During the year 2015-2016, total 31 Parliament Questions were received and all were replied in time.

C. MCA 21 E -filing

In terms of Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006 and Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules 2012, the Company has filed all the statutory forms and returns electronically during the year under review.

D. Memorandum of Understanding

During the period under review, the Company has been ranked under the "Very Good" grading of MoU for the year 2014-2015 by the Department of Public Enterprises.

E. Vigilance

Vigilance is an important and integral part of Management and provides important platform for improving performance of the organization. It includes promoting clean business environment, professional integrity, promptness and ethical practices.

The Vigilance organization of DFCCIL is headed by a full time CVO assisted by Dy CVO, three DGMs and three Assistant Manager against the total sanctioned post of 10. During the period under review, the Vigilance gave more emphasis on preventive vigilance and system improvement as compared to punitive vigilance. In order to update the vigilance officials with latest instruction and guidelines on vigilance matters, Nine training programmes were arranged. To increase transparency, all the contracts and purchases made above R. one crore are posted on the DFCCIL website every month on the proforma stipulated by CVC.

Complaints

DFCCIL has well defined complaint handling policy which is available on Vigilance portal of DFCCIL website. It contains detailed procedure for scope and lodging complaints. The opening balance for the number of complaints on 01.01. 2015 was 15. Total 20 complaints were received through CVC/ Railway Board and individuals during the year. Out of which 27 complaints were investigated and finalized. Remaining 08 complaints are at various stages of investigation.

Recommendations after investigation on complaints

In case involving irregularities in execution of a contract Minor penalty against two officers has been recommended.

Preventive checks

A total of 20 Preventive checks were conducted during the year. Total 15 were finalized.

Surprise Checks

A total of 07 Surprise checks were conducted during the year.

Immovable property returns scrutinized

Immovable property returns (IPRs) submitted by 79 officials were scrutinized during the year.

System Improvements

Based on the outcome, recommendations for system improvements were made in different spheres of working related to Tenders and contracts, land acquisition, payment of compensation for land acquisition & HR matters as under.

System improvements Implemented

i) (a) Additional safety measures for payments from SLAO land bank accounts must be taken up by exploring the possibility of making payments only through EFT/RTGS and activation of SMS alerts of each transaction from the bank account.

(b) Provision of obtaining bank statement through Email on daily basis and its reconciliation on daily basis with the cheques issued by SLAO should be adopted.

(c) Team of officers from HQ finance& one representative from field units may be formed to conduct a thorough study of the system of land payments and make recommendation for improvements in existing system with special emphasis on checks to detect frauds before they could be committed.

(d) Conducted of proper monthly bank reconciliation of each land bank account and its monitoring at HQ level.

(e) A detailed and comprehensive audit of all the land accounts should immediately be conducted, if not done, to cover the period up to 31st March, 2014 and regular audit thereafter.

(f) Inspection of land accounts by the corporate finance of regular basis should be conducted.

ii) For selection of key personnel like Track design expert, Track construction expert, Electrical expert(OHE), Electrical expert(Traction supply), Signal construction expert, Telecom construction expert etc, the minimum length of professional experience has been prescribed as 10 years both for degree and diploma holders while it should not be equal for both . The same may be rectified for future contracts.

iii) To establish transparent procedure on investment of surplus fund.

iv) There should be provision in Man power service providing contract that the upper age limit of outsourced staff deployed by the Agency in DFCCIL shall not exceed 65 years. Whenever any outsourced employee attains the age of 65 years, he shall be suitably replaced.

v) Police verification for background check of outsource staff should be mandatory.

Awareness Building & Participative Vigilance

In pursuance of directives issued by the Central Vigilance Commission, the Vigilance awareness week was observed in all the offices of DFCCIL from 26.10.2015 to 31.10.2015. The theme of this year Vigilance Awareness Week was **"Preventive Vigilance as a tool of Good Governance"**. To mark this occasion, a number of public outreach programmes were organised during the week to increase the awareness level among all the officials of DFCCIL and other stake holders such as Pledge taking ceremony at 11.00Hrs followed by address on the vigilance matter by Sh P.S. Bawa, Chairperson Transparency International India, One Day Symposium on Forensic Accounting & investigative Audit" by Sh. Vinod Khurana from IFAIA. An interactive conference on the subject was also organized in the Corporate Office on 30.10.2015 in which Shri T.M. Bhasin, Chief Technical Examiner of CVC was the Guest Speaker. An essay competition on the subject "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance" was also organized and the winners were suitably awarded.

14. CORPORATE GOVERNANCE

In terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises, following forms an integral part of this Board's Report.

a) A "Corporate Governance Report placed at Annexure "C" highlights the philosophy of the Company on the Corporate Governance, composition of Board of Directors as well as their attendance in various meetings, remuneration of directors etc. and other relevant disclosures. It is supplemented by the following compliance certificates.

   i. Certification of financial Statements by Chief Executive Officer and Chief Financial Officer. Annexure "C-1".

   ii. A declaration signed by the Managing Director affirming the compliance with the

code of conduct by the Board Members and Senior Management Personnel during 2015-2016 is placed at Annexure "C-2".

iii. Certificate of compliance of Corporate Governance obtained from practicing Company Secretary is placed at Annexure "C-3."

b) A "Management Discussion and Analysis Report" is placed at Annexure "D."

c) A Secretarial Audit Report from a Company Secretary in Practice Annexure "E".

d) An extract of Annual Return in the prescribed form MGT-9 is appended to the Board Report as Annexure "F".

15. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS

There are no significant material orders passed by the Regulators / Courts which would impact the going concern status of the Company and its future operations.

16. ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their sincere thanks to Ministry of Railways, State Governments, Zonal Railways, the Statutory Authorities and Government agencies for their support and patronage.

The Board would also like to acknowledge with thanks the co-operation extended by C&AG, the Statutory Auditors and the Bankers of the Company.

The Board of Directors acknowledge and wish to place on record their appreciation for the co-operation and support extended by the Associates, the DFCCIL employees and others who have extended their valued co-operation, support and guidance to the Company, from time to time.

For and on behalf of the Board

Sd/-	Sd/-
Adesh Sharma	M. K. Mittal
Managing Director	Director Finance

Place:- New Delhi
Date:- 31.08.2016

Annexure - A

MANAGEMENT'S REPLY TO THE OBSERVATIONS OF THE SECRETARIAL AUDITOR

S.no.	Observations	Management Comments
1.	There was no Independent Director on the Board of the Company;	In terms Article 81 of Articles of Association of the Company- the Full Time Directors including Managing Director, Chairman, Government Nominee Directors and Independent Directors are appointed by the President of India. The Company has already requested the Ministry of Railways to appoint requisite number of Independent Directors & Woman Director on the Board of Company. On 01.04.2016 two Independent Directors have been appointed by the President of India including one Woman Director.
2.	In the absence of Independent Directors, 'Audit Committee', ''Nomination and Remuneration Committee' and 'CSR Committee' were constituted comprising of all Non-Independent Directors	In terms Article 81 of Articles of Association of the Company- the Full Time Directors including Managing Director, Chairman, Government Nominee Directors and Independent Directors are appointed by the President of India. The Company has already requested the Ministry of Railways to appoint requisite number of Independent Directors & Woman Director on the Board of Company. In the absence of the Independent Directors on the Board, the composition of Statutory Committees was not in line with the requirement of the Act.
3.	There was no Woman Director on the Board of the Company:	During the year under review, the Company requested the Ministry of Railways to appoint requisite number of Independent Directors & Woman Director on the Board of Company. On 01.04.2016 two Independent Directors have been appointed by the President of India including one Woman Director.
4.	Shri Gajendra Nath Haldea, the Nominee Director didn't attended any meeting in the financial year.	Shri Gajendra Nath Haldea, the Nominee Director didn't attend any meeting in the financial year and the same was communicated to the Administrative Ministry. The Board in its meeting held on 05.02.2016 took note of his technical vacation of the office of the Director under section 167 of the Companies Act, 2013.

Annexure - B

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT

1. A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs:

VISION

To meet social obligations by playing active role to improve quality of life of communities and stakeholders.

MISSION

To remain a responsiblecorporate entity to all stakeholders and society at large.

Consequent upon introduction of the Companies Act, 2013, a new CSR Policy of DFCCIL was formulated which was approved by the BoD in its 47th Meeting held on 13.11.2014.

Based on the recommendations of CSR Committee in meeting held on 04.08.2015, Board of Directors (BOD) gave approval for CSR activities to be carried out during the year 2015-16, in its 51st Meeting held on 13.08.2015 (Item No 51.3.17) as per details mentioned below:-

(a) Vocational training for total 1000 PAPs/BPLs named "Saksham" at four CPM units namely Tundla, Allahabad (West), Jaipur and Mumbai by associating Confederation of Indian Industry (CII), leading to employment/self – employment; and

(b) Skill Development training for PAPs in two CPM units - one each on Western DFC and Eastern DFC. Each unit was allotted a fund of approx. Rs 15 lakhs for providing Skill Development Training to PAPs under CSR.

2. During the year, the Composition of the CSR Committee:

   i Shri H. D. Gujrati, Director/OP&BD/DFCCIL – Convener

   ii Shri D. S. Rana, Director/Infra/DFCCIL-Member

   iii Shri Girish Pillai, Advisor/Infra, Railway Board – Nominee Director

The CSR Sub Committee was re constituted at 54th BoD meeting held on 02.06.2016. The Committee is as follows:-

   i Shri Ravi Mathur, Independent Director -Chairman

   ii Shri H. D. Gujrati, Director/OP&BD/DFCCIL–Member

   iii Shri D. S. Rana, Director/Infra/DFCCIL– Member

3. Average net profit of the company for last three financial years:- Rs. 4459.48 lakhs

4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above): Rs 89.19 lakhs

5. Details of CSR spent during the financial year.

Total amount to be spent for the financial year:The total expenditure planned for CSR activities for 2015-16 was Rs 1.68 crores including the unspent Rs 3.94 lakh of the previous year 2014-15.

(a) Amount unspent, if any:- Nil

(b) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S.No.	**CSR project or activity identified.**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or programs (1) Local area or other or (2) Specify the state and district where projects or programs was undertaken**	**Amount outlay (budget) project or programs wise (in lakhs)**	**Amount spent on the projects or programs Sub-heads:- (1) Director expenditure on projects or programs. (2) Overheads. (in lakhs)**	**Cumulative expenditure upto the reporting period (in lakhs)**	**Amount spent:- Direct or through implementing agency**
1	Vocational Training to Project Affected Persons/BPLs	Employment Enhancing Vocational Skills	Total 1012 PAPs/BPLs were imparted training in various courses, viz., Hospitality, Data Entry Operator, Retail Sales, Electrician, Fitter, Logistics-Documentation Assistant, Telecom, etc. at Allahabad, Jaipur, Mumbai and Tundla regions.	105	105	105 lakhs	Confederation of Indian Industry (CII)
2	Skill Development Training to Project Affected Persons	Employment Enhancing Vocational Skills	(a) Total 150 PAPs were imparted Skill Development Training in Haryana State.	15	15	15	ITIs at Ambala Cantt., Barara and Sarsawa under Haryana State
			(b) Total 140 PAPs/non-PAPs were imparted Skill Development Trainings in the State of Gujrat	15	15	15	Project Administrator, Tribal Area Sub Plan, Palanpur under Gujrat State.
			(c) 82 PAPs/non-PAPs were imparted Skill Development Trainings in the State of Gujrat				ITIs at Kalol, Sanand and Mehsana under Gujrat State
	TOTAL			**135**	**135**	**135**	

*Give details of implementing agency:

6. In case the company has failed to spend the two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report – Not applicable.

7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.

Sd/- Adesh Sharma (Managing Director)	Sd/- Ravi Mathur (Chairman CSR Committee)	N.A. [Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act] (wherever applicable)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

VISION

To meet social obligations by playing active role to improve quality of life of communities and stakeholders.

MISSION

To remain a responsible corporate entity to all stakeholders and society at large.

As per the CSR policy, based on Companies Act and Government guidelines, funds for CSR activities are to be allotted to at least 2% of the average net profit of the Company, made during 3 immediately preceding financial years or MOU targets.

Average net profit of the company for last three financial years was Rs 4459.48 lakhs. The prescribed CSR expenditure was (two per cent of the amount as in item 3 above) – Rs. 89.19 lakhs.

Based on the recommendations of CSR Committee in meeting held on 04.08.2015, Board of Directors (BOD) gave approval for CSR activities to be carried out during the year 2015-16, in its 51st Meeting held on 13.08.2015 (Item No 51.3.17) as per details mentioned below:-

a. Vocational training for total 1000 PAPs/BPLs named "Saksham" at four CPM units namely Tundla, Allahabad (West), Jaipur and Mumbai by associating CII (Confederation of Indian Industry), leading to employment/self – employment; and

b. Skill Development training for PAPs in two CPM units - Ahmedabad Unit from on Western DFC and Ambala unit on Eastern DFC. Each unit was allotted a fund of approx. Rs 15 lakhs for providing Skill Development Training to PAPs under CSR.

The total expenditure planned for CSR activities for 2015-16 was Rs 1.68 Crores including the unspent Rs 3.94 lakh of the previous year 2014-15.

- As per the MOU signed with CII, the grant provided by DFCCIL for the project was equivalent to INR.10500 per candidate for 1000 candidates.
- The total project cost for Rs 14000 per candidate is Rs 1,40,00,000 (One Crores forty lakhs rupees only). DFCCIL contributed 75% @ Rs 10,500/- per candidate and CII contributed 25% @ Rs 3,500/- per candidate.

The details CSR activities undertaken during the year 2015-16 is as under

A. Status of Vocational Training through CII

1012 trainees have undergone training in 13 centres across Mumbai, Jaipur, Tundla and Allahabad regions. Summary of number of trainees at various CPM units is as indicated below:

Unit	Total trainees	BPL	PAP
Allahabad (West)	241	106	135
Jaipur	260	60	200
Mumbai	250	125	125
Tundla	261	205	56
Total	**1012**	**496**	**516**

Salient features

a. Courses covered included hospitality, data entry operator, retail sales, electrician, fitter, logistics- documentation assistant, telecom etc.

b. Training man days achieved in Vocational training – 44,242

c. Out of total 1012 candidates who were provided employment opportunities, 715 (72%) is the total no of students who accepted the employment offer and joined.

Course List | Location/Center Wise

Location	Center	Courses
Allahabad	Bhagwatpur	Hospitality - Room Attendant
		Retail Sales Associate
	Katra - Roshni Institute	Retail Sales Associate
	Mandari	Hospitality - Room Attendant
		Logistics - Documentation Assistant
		Retail Sales Associate
	Sallahpur	Hospitality - Room Attendant
		Courier & Logistics - Documentation Assistant
		Retail Sales Associate

Tundla	Firozabad	Data Entry Operator
		Electrician
		Fitter
		Retail Sales Associate
	Tundla	Hospitality - Room Attendant
		Fitter
Jaipur	Jaipur	Data Entry Operator
		Retail Sales Associate
	Phulera	Data Entry Operator
		Electrician
	Ringus	Data Entry Operator
		Electrician
Mumbai	Dahanu	Data Entry Operator
		Courier & Logistics - Documentation Assistant
		Retail Sales Associate
		Telecom – In-Store Promoter
	Thane	Hospitality – Meet and Greet
	Vasind	Retail Sales Associate
	Virar	Data Entry Operator

List of Courses	Batches	Trained
Electrician	4	125
Fitter	3	103
Courier Logistics - Documentation Assistant	3	79
Hospitality - Meet and Greet	1	34
Data Entry Operator	8	252
Retail Sales Associate	9	248
Telecom - In Store Promoter	1	30
Hospitality - Room Attendant	5	141
Grand Total	**34**	**1,012**

Of the students enrolled there were 530 students from PAP families and 509 from BPL families.

Course wise breakup of trained students

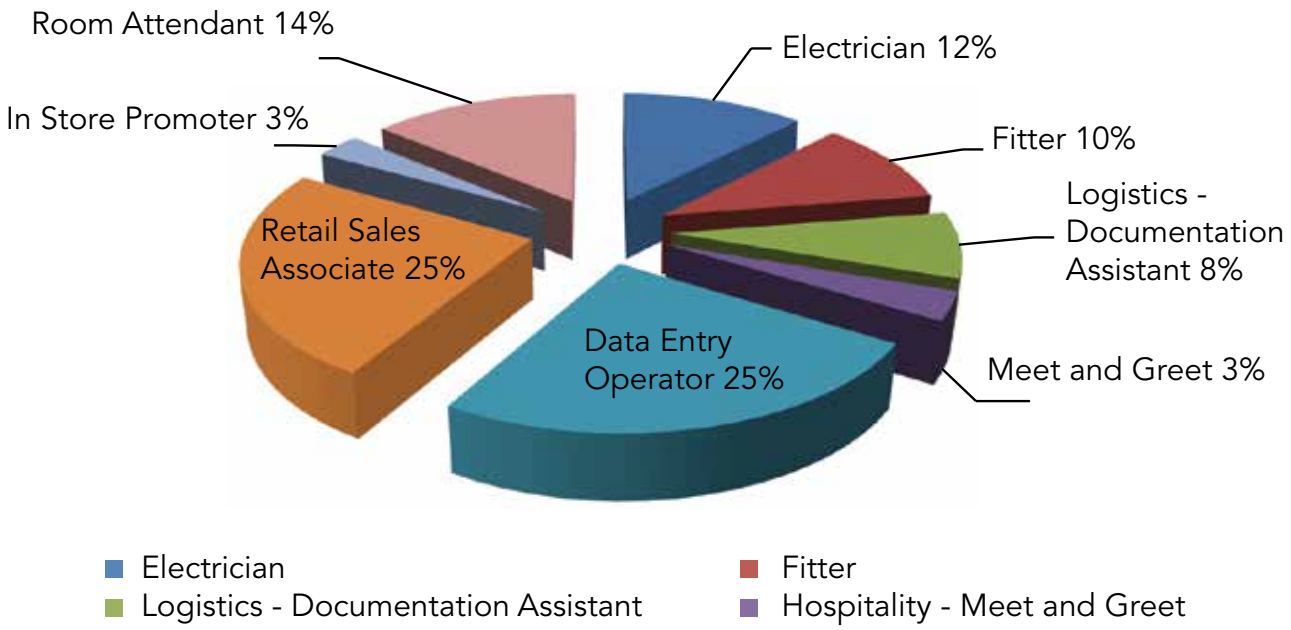

Overall SC, ST and Women Break-Up

Locations	SC	ST	Women
Allahabad	138	0	73
Tundla	28	0	30
Jaipur	0	1	16
Mumbai	107	0	84
Total	**273**	**1**	**203**

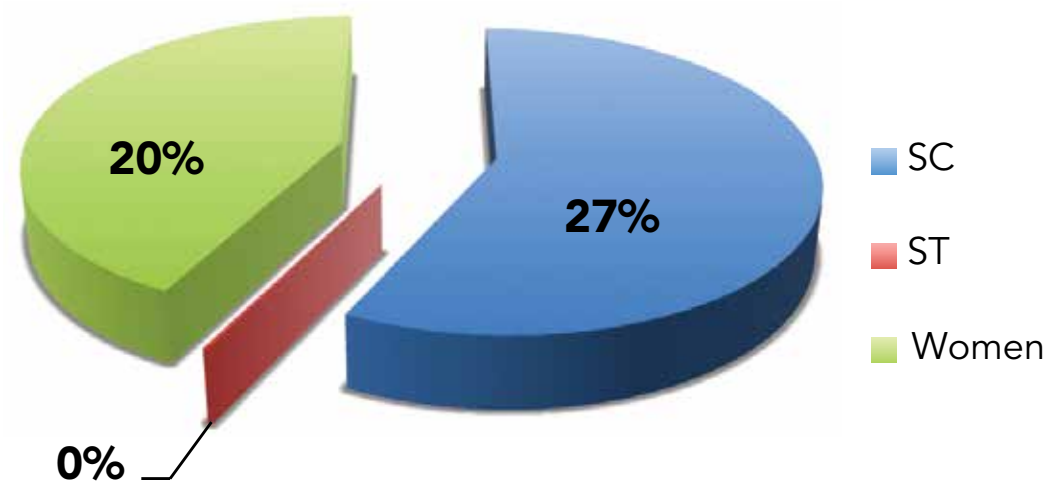

Man Hours & Man Days for training

Man Days
(Student/batch into No. of days of Training)

Man Hours
(Calculation = Total days present x 6 hours/day)

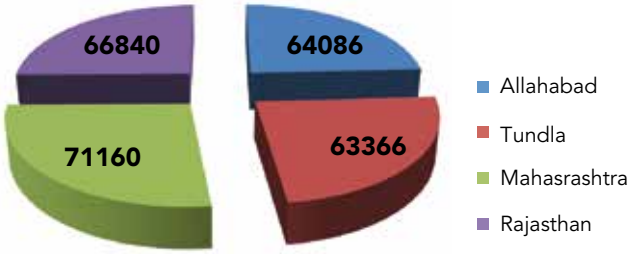

B. Status of Skill Development Training

Ambala

Four batches of skill development training through ITIs for three months have been completed with 150 total participants at Ambala Cantt, Barara, Sarsawa. Rs 15 lakhs allocated to the unit has been spent.

Ahmedabad

Various trainings were organized through Project Administrator, Tribal Area Sub Plan, Palanpur for 140 beneficiaries. Besides, five batches of skill development training have been organized through ITIs at Kalol, Sanand, Mehsana with 82 participants. 25 lakhs allocated to the unit have been spent.

Training man-days achieved in skill development training for Ambala and Ahmedabad:- 21,305

Overall status as per MOU targets is elucidated in the table below:-

As per the MOU targets for 2015-16, 30,000 man days of skill development training was to be imparted under Corporate Social Responsibility and Sustainable Development.

Evaluation Criteria	Unit	Weight (%)	Excellent	VG	Good	Fair	Poor
Corporate Social Responsibility and Sustainable Development							
Skill Development Training	Mandays	3	30000	25000	22000	20000	18000

Details of skill development training imparted and mandays achieved is as given below

Vocational Training through CII	44,242
Skill Development Training for PAPs	
Ambala	13,500
Ahmedabad	7,805
Total Man days achieved	**65,547**

Theory Trainings

Retail Batch Training - Tundla

Practical Trainings

Retail Batch Training - Tundla

Placements

Retail Batch Training - Tundla

Annexure - C

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. A brief statement on Company's philosophy on Corporate Governance

The Company believes in achieving the Company's Goal and objectives through the highest levels of transparency, accountability and equity in all spheres of its operations and in all its dealings. The Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of Laws, rules, regulation and adherence standard to achieve the objects of the Company.

The key value is to believe in "Speed, Sincerity and Success." The cardinal principles such as Accountability, Responsibility, Transparency and Fair Disclosures serve as the means for achieving this.

2. Board of Directors

2.1 Composition of the Board of Directors

In terms of Article 80 of the Articles of Association of the Company, the President of India has determined in writing that there shall be a total of 12 Directors on the Board of DFCCIL. The President of India vide letter no. 2008/Infra/6/1 dated 04.05.2010 has approved the composition of the Board of Directors of DFCCIL as follows:

- Chairman Railway Board (CRB) as Part Time Chairman.
- Five full time Functional Directors including Managing Director.
- One Nominee of Ministry of Railways.
- One Nominee of Planning Commission.
- Four Independent non-official Directors including one from financial institutions depending on requirement.

2.2 Strength of the Board

In terms of Article 81(1) of the Articles of Association of the Company, The President of India has the power to appoint Directors of the Company. On the date of the report, the total strength of the Board of Directors of the Company is Ten comprising of five whole-time Directors, one part time Chairman, One part-time official Directors (nominee) from Ministry of Railways and One Nominee from Niti Aayog and two Independent directors. Out of four sanctioned position of independent Directors, two post are still vacant.

2.2.1 Directors who have joined the Board during the financial year 2015-2016 – NIL

2.2.2 The following Directors have joined after the closure of financial year 2015-2016

a) In terms of Railway Board's Order no. 2008/Infra/6/1 (Pt.1), dated 01.04.2016, the President of India has appointed Sh. Ravi Mathur and Smt. Shakti Munshi, as part-time non official directors on the Board of DFCCIL, w.e.f. 01.04.2016 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

b) In terms of Railway Board's order no. 2016/PL/61/4 dt, 30.06.2016, the President of India has appointed Sh. Y.S. Malik, Additional Secretary, Niti Aayog as part time Government Director on the Board of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited with immediate effect till the holding of the post of Additional Secretary, Niti Aayog or further orders whichever is earlier.

2.2.3 The following Directors cease to be hold office during the financial year 2015-2016

a. Vide Railway Board's letter No.2008/Infra/6/1 dated 25.04.2012, Sh. R.S. Sharma, Independent Director completed his tenure of three years on 24.04.2015.

2.2.4 The following Director cease to hold the office after the closure of the financial year 2015-16

a. Vide resolution no. 53.4.2 of 53rd Board Meeting dated 05.02.2016, the office of Nominee Director, Sh. Gajendra Haldea is technically vacated.

The composition of the Board of Directors, on the date of report, along with Directorships held by them and their attendance in the Board meetings held during the financial year 2015-2016 and the last Annual General Meeting is tabled below:

NOTES:

1. The Directorships being held by the Directors are within the limits laid down under section 165 of the Companies Act, 2013. For reckoning the limit of public companies in which a person can be appointed as director, directorship in private companies that are either holding or subsidiary Company of a public company is included.
2. The term "part–time official" indicates the Government Nominee Directors on the Board of DFCCIL who are the officials of the Ministry of Railways and Planning Commission (Now NITI Aayog).
3. The term "part time non official" means the Independent Directors.
4. For the purpose of considering the limit of the Committees on which a Director can serve, all public limited companies, whether listed or not, is included.
5. For the purpose of reckoning the limit for chairmanship/membership, the Audit Committee, Corporate Social Responsibility Committee and Nomination and Remuneration Committee is taken.
6. The word "NA" denotes "Not Applicable" as either the concerned Directors have joined the Board after the financial year 2015-16.

S . No.	Category of Directors	Name of Directors/ Date of Appointment	Number of Directorships/ Chairmanships in public companies including DFCCIL and excluding private Companies 1 & 5	Total No. of Committee Memberships/ chairmanships in public companies including DFCCIL and excluding private companies (*4 & 5)	No. of Board Meetings held during 2015-2016 (during their respective)	No. Board meetings attended (during their respective tenures)	Last AGM attends
(I) Chairman (Part-time official)							
1.	Chairman/ Railway Board	Sh. A K. Mital (DIN- 07124281) (Held office from 03.02.2015	1	Nil	5	5	Yes
(II) Whole-time Director							
1	Managing Director	Sh. Adesh Sharma (DIN- 07022393) (Held office from 20.10.2014)	1	Nil	5	5	Yes
2	Director (Project Planning)	Sh. Anshuman Sharma (DIN- 03500815) (Held office from 05.04.2011)	1	1-Audit Committee Member	5	5	Yes
3	Director (Operations & Business Development)	Sh. H.D. Gujrati (DIN- 01393052) (Held office from 29.11.2012)	1	2- Nomination and Remuneration Committee & Corporate Social Responsibility Committee	5	5	Yes
4	Director (Finance)	Sh. M.K. Mittal, (DIN- 02889021) (held office from 16.09.2013) (FN)	1	2- Audit Committee (Member) Nomination and Remuneration Committee (Member)	5	5	Yes
5	Director (Infrastructure)	Sh. D.S. Rana (DIN- 07022825) (Held office from 27.10.2014)	1	1- Corporate Social Responsibility Committee (Member)	5	5	Yes

(III) Director (Part-time official)							
1.	Advisor (Infrastructure) /Railway Board	Sh. Girish Pillai (DIN- 00382088) (held office from 14.11.2012)	2	3-Audit Committee/ Member Corporate Social Responsibility Committee/Member Nomination and Remuneration Committee/ Chairman	5	4	Yes (as a Share-holder)
2	Advisor of Deputy Chairman, Planning Commission	Sh. Gajendra Haldea (DIN-02197994) (held office from 02.05.2008)	1	Nil	5	0	No
3.	Additional Secretary Niti Aayog	Sh. Y.S.Malik (DIN-00000555) (held office from 30.06.2016)	NA	NA	NA	NA	NA
(IV) Independent Directors (Part Time non official)							
1	Part Time non-official official	Mrs. Shakti Munshi (held office from 01.04.2016) (DIN-00483546)	NA	NA	NA	NA	NA
2	Part Time non-official	Sh. Ravi Mathur (DIN-02427086) (held office from 01.04.2016)	NA	NA	NA	NA	NA

During the financial year 2015-2016, the Board of Directors met five times to transact the business. The meetings of the Board of Directors of DFCCIL were held on following dates as mentioned below:

S.No.	Quarter	Dates
1.	For the quarter ended June 2015	08.05.2015 and 08.06.2015
2.	For the quarter ended September 2015	13.08.2015
3.	For the quarter ended December 2015	27.11.2015
4.	For the quarter ended March 2016	05.02.2016

Brief Resume of Directors appointed as on the date of report

i) Mrs. Shakti Munshi, Independent Director/DFCCIL, w.e.f. 01.04.2016

Mrs. Shakti Munshi assumed the charge of Independent Director of the Company w.e.f. 01.04.2016. A post graduate (M.Sc.) in Biology from Mumbai University she also holds a Masters in Business Management from Jamnalal Bajaj Institute of Management (Mumbai University).

She has extensive experience in the New Business Development and New Product Launches in major Indian Companies like Reliance Industries & Garware Polyester. She has worked as Divisional Head of Retail Business in Sultanate of Oman and as a Consultant to Norwegian Fisheries Export Promotion Council (Norway). She is sensitive to various environmental and social issues and is involved in encouraging the usage of Solar energy.

Currently she is Director at C-Tech Labs Pvt Ltd, a SINE incubator company of Indian Institute of Technology Powai (Mumbai –India) and Partner Alpha Medicus India LLP.

ii) Sh. Ravi Mathur, Independent Director/DFCCIL, w.e.f. 01.04.2016

Sh. Ravi Mathur assumed the charge of Independent Director of the Company w.e.f. 01.04.2016.He has served in the Indian Administrative Service for 35 years. He has B.Tech. and M.Tech. degrees in Chemical Engineering from Indian Institute of Technology, Kanpur and M.Sc. (Finance) from University of Strathclyde, Glasgow, U.K. He retired as Secretary to the Government of India in the Department of Disinvestment, Ministry of Finance in September 2014. He has served in various capacities in the Central and State Governments. He also has vast experience in the Higher and Technical Education Sectors in the Country having served in the Ministry of Human Resource Development, Government of India for five years. He has also served on the Governing Bodies of a number of technical Institutions in the Country, including IIT's and IIM's.

iii) Sh. Y.S. Malik, Additional Secretary, NITI Aayog as part time Government Director /DFCCIL, w.e.f. 30.06.2016

3. Audit Committee

Composition of the Audit Committee

Audit Committee of the Board of Directors was originally constituted on 14.03.2008 and was reconstituted from time to time. The composition of the Audit Committee as on the date of report is as follows:

S.No.	Member	Position	Date of holding the membership of the Committee
1	Sh. Ravi Mathur Independent Director	Chairman	13.05.2016
2	Sh. M.K. Mittal Director (Finance)	Member	13.06.2014
3	Mrs. Shakti Munshi Independent Director	Member	13.05.2016

The Terms of Reference of the Committee as prescribed by the Board in its meeting held on 14.03.2008.

- To discuss with the auditors periodically about internal control systems.
- To discuss and decide about the scope of audit including the observations of auditors.
- To review the half-yearly and annual financial statements before submission to the Board and ensure compliance of internal control systems.
- To investigate into any matter relating to financial management including the audit report.
- Any other matter brought to the notice of the Audit Committee by Board of Directors.
- To appoint an internal Auditor and to set the terms and conditions of appointment, including the remuneration payable (added vide item no. 4 of 12th Board Meeting held on 16.6.2009)

Additional Terms of Reference for the Audit Committee re-constituted on 25.06.2010;

The role of the Audit Committee shall include the following:-

1. Oversight of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient, and credible.
2. Recommending to the Board the fixation of audit fees.
3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
4. Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval.
5. Matters required to be included in the Directors' Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of clause (2AA) of section 217 of the Companies Act, 1956;
    - Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
    - Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
    - Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
    - Compliance with legal requirements relating to financial statements;
    - Disclosure of any related party transactions; and
    - Qualifications in the draft audit report.
6. Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
7. Reviewing, with the management, performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.
8. Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing, and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.

9. Discussion with internal auditors and/or auditors any significant findings and follow up there on.

10. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/auditors/ agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.

11. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.

12. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non -payment of declared dividends) and creditors.

13. To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.

14. To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit.

15. To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.

16. Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors

17. Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions.

Explanation:- The term "related party transactions" shall have the same meaning as contained in the Accounting Standard 18, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

18. Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.

19. Consider and review the following with the independent auditor and the management:-

    - The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and
    - Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.

20. Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:

    - Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations
    - Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.

21. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit.

Additional Terms of Reference for the Audit Committee re-constituted on 07.08.2012 and are being retained

Chapter-4 of the DPE guidelines on Corporate Governance deals with the Audit Committee. Clause 4.5 of the chapter requires that the following information shall be reviewed by the Audit Committee.

a) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations.

b) Statement of related party transactions submitted by Management.

c) Management letters/letters of internal control weakness issued by the statutory auditors.

d) Internal audit reports relating to internal control weakness.

e) The appointment and removal of the Chief Internal Auditor shall be placed before the Audit Committee; and

f) Certification/declaration of financial statements by the Chief Executive/Chief Finance Officer.

Additional Terms of Reference for the Audit Committee in terms of section 177(4) of the Companies Act, 2013

1. Every Audit Committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the Board which shall, inter alia, include,—

   (i) the recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;

   (ii) view and monitor the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;

   (iii) examination of the financial statement and the auditors' report thereon;

   (iv) approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties;

   (v) scrutiny of inter-corporate loans and investments;

   (vi) valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary;

   (vii) evaluation of internal financial controls and risk management systems;

   (viii) monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.

   (ix) to oversee the vigil mechanism and to provide for adequate safeguards against victimization of employees and directors who avail of the Audit Committee and in case of repeated frivolous complaints by a director or an employee, the Audit Committee may take suitable action against the concerned director or employee including reprimand.

Powers of the Audit Committee

Commensurate with its role, the Audit Committee should be invested by the Board of Directors with sufficient powers, which should include the following:-

(i) To investigate any activity within its terms of reference.

(ii) To seek information on and from any employee.

(iii) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors.

(iv) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

(v) To protect whistle blowers.

(vi) The Audit Committee may call for the comments of the auditors about internal control systems, the scope of audit, including the observations of the auditors and review of financial statement before their submission to the Board and may also discuss any related issues with the internal and statutory auditors and the management of the company.

(vii) All powers, as may be required, for executing the Scope of the Audit Committee.

(viii) The Audit Committee shall have authority to investigate into any matter in relation to the items specified in sub-section (4) of section 177 of the Companies Act, 2013, or referred to it by the Board and for this purpose shall have power to obtain professional advice from external sources and have full access to information contained in the records of the company.

During the year under review, the Committee met 5 times on the following dates:- 08.05.2015, 08.06.2015, 12.08.2015, 18.11.2015 and 26.02.2016. The attendance of the members of the Committee during 2015-16 is produced below:

Member	Position	Meetings held**	Meetings attended ***
Sh. Girish Pillai, Nominee Director	Chairman	5	5
Sh. M.K. Mittal, Dir/Finance	Member	5	5
Sh. Anshuman Sharma, Dir/Project Planning	Member	5	5

** "Meetings held"- denotes the number of meetings held during the tenure of the member of the Committee.

*** "Meetings attended"- denotes the number of meetings attended by the member during the tenure of the member of the Committee.

4. Nomination and Remuneration Committee

The 'HR' and 'Remuneration Committee' of the Board were dissolved and a new Committee called 'Nomination and Remuneration Committee' was constituted vide resolution no. 51.3.7 of 51st Board Meeting held on 13.08.2015.

Terms of Reference:

a) The Nomination and Remuneration Committee shall identify persons who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, recommend to the Board their appointment and removal.

Note:- With reference to clause 2(1.5) of "The Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel duly approved by the Board, the term "Senior Management Personnel' shall mean personnel of the Company who are members of its core management

team excluding Board of Directors and would comprise all members of management one below the whole-time Directors including all functional heads.

b) The Nomination and Remuneration Committee shall recommend to the Board a policy, relating to the remuneration of the Senior Management and other employees.

c) The nomination and Remuneration Committee shall, while formulating the policy under sub- section (3) ensure that

i. Relationship of remuneration to performance is clear and meets appropriate performance benchmarks; and

ii. Remuneration to senior management involves a balance between fixed and incentive pay reflecting short and long-term performance objectives appropriate to the working of the company and its goals

The composition of the nomination and Remuneration Committee as on the date of report is as follows:

S. No.	Member	Position	Date of holding the membership of the Committee
1	Sh. Girish Pillai Government Nominee Director (MoR)	Chairman	13.08.2015
2	Smt. Shakti Munshi Independent Director	Member	13.05.2016
3	Sh. Ravi Mathur Independent Director	Member	13.05.2016
4	Sh. H.D. Gujrati, Director(OP&BD)	Special Invitee	13.08.2015

During the financial year 2015-16, the no. of Nomination and Remuneration Committee meetings are 'Nil'.

A. Remuneration of Directors

DFCCIL, being a wholly owned Government Company under Companies Act, 2013, the whole-time Directors of the Company are appointed by the President of India through Ministry of Railways. The functional Directors so appointed, draw remuneration under Industrial Dearness Allowance (IDA) pattern of pay scale pre-determined by the Government and as per the terms and conditions issued by the Government of India from time to time. The IDA Pay scales (2007) and basket of allowances has been implemented in DFCCIL.

The part-time official (Government Nominee) Directors on the Board of the Company do not draw any remuneration from the Company. They draw remuneration from the Government only as Government officials. The part time non-official Directors (Independent) draws the sitting fee for the Board/Sub-Committee meetings attended during the financial year.

The detail of remuneration paid to the whole time Directors for the year 2015-2016 is detailed below.

S. No	Name of Director	Salary & Allowances (In ₹)	Other Benefits Perks 17(2) (In ₹)	Performance linked incentives (In ₹)	Total (In ₹)
1	Sh. Adesh Sharma (Managing Director)	26,16,800.00	1,53,381.00		27,70,181.00
2	Sh. H. D Gujrati Director (Opn & BD)	24,35,102.00	1,53,462.00		25,88,564.00
3	Sh D.S. Rana	24,17,512.00	92,512.00		25,10,024.00
4	Sh Anshuman Sharma Director (PP)	25,61,335.00	4,14,899.00		29,76,234.00
5	M.K Mittal Director (Finance)	27,33,436.00	1,66,880.00		29,00,316.00
	Total				**1,37,45,319.00**

B. Detail of sitting fee paid to the Part-time non official Directors for the financial year 2015-16 - NIL

As all the posts of Part-time non official Directors remained vacant during financial year 2015-16.

5. Corporate Social Responsibility Committee

The Corporate Social Responsibility Committee of the "Board" was originally constituted on 13.06.2014 and was reconstituted from time to time. The composition of the Corporate Social Responsibility Committee as on the date of report is as follows:

S.No.	Member	Position	Date of holding the membership of the Committee
1	Sh. H.D. Gujrati, Dir/OP&BD	Convener/Member	13.06.2014
2	Sh. Ravi Mathur, Independent Director	Chairman	13.05.2016
3	Sh. D.S. Rana, Dir/Infra	Member	08.05.2015

Terms of Reference:

The Corporate Social Responsibility Committee shall,

(a) Formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company as specified in Schedule VII;

(b) Recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (a); and

(c) Monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the company from time to time.During the financial year 2015-16, the Corporate Social Responsibility met once on 04.08.2015

6. General Meetings

Annual General Meetings

The Annual General meetings of the Company are held at New Delhi, where the registered office of the Company is situated. The details of such meetings held during the last three years are as under:

AGM	Year	Venue	Date	Time
7th	2012-2013	Committee Room, 2nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001	27.09.2013	12:30 Hrs
8th	2013-2014	Committee Room, 2nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001	19.09.2014	16:00 Hrs.
9th	2014-2015	Board Room, 5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi-110001	21.09.2015	12:30 Hrs.

Detail of special resolutions passed in the previous three AGMs.

AGM	Year	Subject Matter of the Special Resolution	Date	Time
7th	2012-2013	Nil	27.09.2013	12:30 Hrs.
8th	2013-2014	Section 180(1) (c) –Power to borrow money in excess of the prescribed limit.	19.09.2014	16:00 Hrs.
9th	2014-2015	Nil	21.09.2015	12:30 Hrs.

7. Disclosures

A. There has not been a reported materially significant related party transaction except the remuneration to key management personnel as disclosed vide note 29 to the financial statements.

B. All the terms of expenditure debited in the books of accounts of DFCCIL are for the purpose of project execution entrusted to DFCCIL and are related to project execution.

C. There are no personal expenses incurred for the Board of Directors.

D. The Net administrative expenses as a percentage of total expenses have decreased from 4.14% in 2014-15 to 3.81 % in 2015-16.

8. Corporate Communication

Corporate communication plays a major role in creating and maintaining the business awareness and branding of any organization. Bi-directional communication strategy while disseminating updated information, creates brand value and reputation for the organization among target audience.

As a public sector corporate entity Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (DFCCIL), engaged in planning, construction and operation of iconic infrastructure, gives proper importance to Corporate Communication and this clearly reflects in its efforts for a good communication. The role of communication is not just speaking and telling people about you, but also listening to people's voices and thus fulfilling their communication needs. Year 2015-16 witnessed many new innovative efforts made by DFCCIL in establishing and further strengthening communication.

With the increasing popularity of social media around the globe, communication strategy of any organization is not complete without using popular social network platforms like- Facebook, Twitter and YouTube etc. Acknowledging the fact, DFCCIL created its official Facebook page for real time and two-way communication. Another popular platform Twitter is also being utilized by DFCCIL for sharing updates, photographs and other important information. To upload latest videos taken from various construction sites, an official YouTube channel was started by DFCCIL during the year 2015-16.

DFCCIL regularly interacts with print and electronic media to provide them complete picture and updated status of the project. In 2015-16 DFCCIL organized two Press Conferences on 07.08.2015 and 16.02.2016 respectively, which got an overwhelming response and coverage from media. Apart from this, DFCCIL issues Press Releases along with photographs on important occasions and events. These Press Release are uploaded on to DFCCIL's website and generated link is posted on DFCCIL's Facebook page and Twitter handle for wider reach. DFCCIL has also started issuing important Press Releases in Hindi too. During the period over 25 Press Releases were issued in English and Hindi.

Apart from regular Press Conferences, Corporate Communication Department also organizes one-to-one interaction of Managing Director of DFCCIL with Press Correspondents of leading news organizations. This includes Interviews published in Business Line, Financial Express, Business Standard & Mail Today. In addition, A media team of Zee Business Channel visited to the construction sites of Western DFC to capture different construction activities. Zee Business produced a story of a duration of 15 minutes, which was broadcasted on 22.02.2016 and repeated in multiple bulletins on 23.02.2016 on Zee Business and other Zee Media channels.

9. Audit Qualifications

The Auditors' Report submitted by M/s Baweja & Kaul, Chartered Accountants doesn't contain any qualification and hence no explanation or comments are required.

10. Training of Board Members

DFCCIL is concerned to take various training programs for its officers/ employees. The detail of training of officers and Employees is being dealt separately in Corporate Governance Report. In order to acquaint the Board Members, presently the Corporation has adopted the practice of furnishing a set of documents/ booklets to a Director on his/ her joining the Board. The set of documents provided includes Annual Reports for the last financial years, Memorandum and Articles of Association, a copy of the Memorandum of Understanding along with MOU targets and its achievements. This provides

the basic information about the Company to the incumbent. Besides that Board Members and Senior Management personnel are nominated for various training programs, from time to time.

11. CEO/CFO Certification

The certificate duly signed by the Chief Executive Officer and CFO as presented to Board of Directors, is annexed as Annexure "C-1" to the report.

12. Code of Business Conduct & Ethics

The Company has in place the Code of Conduct for Board Members and Senior Level Management duly approved by the Board of Directors. At 36th meeting of the Board, the Code of Business Conduct and Ethics for Board members and Senior Management which came into force w.e.f. 1st day of April 2009 was replaced by the Model Code of Conduct as suggested in DPE guidelines. In terms of Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel, the annual affirmation that Code of Conduct has been complied with has been obtained from all the functional Board members and Senior Management Personnel. The Code of Conduct is also posted on the Website of the Company www.dfccil.gov.in. A declaration signed by the Managing Director affirming the compliance with the code of conduct by the Board Members and Senior Management Personnel during 2015-16 is placed at Annexure "C-2".

13. Whistle Blower Policy

DFCCIL believes in conduct of its affairs with highest standards of professionalism, honesty and integrity and is committed to ensure ethical behaviour by all its employees. The company therefore believes in creating a culture where it should be safe for all employees to raise concerns about any unethical practices or misconduct. The Company had formulated a Whistle Blower Policy. This policy provides a framework to enable employees wishing to raise a concern about serious irregularities within the Company without fear of victimisation and covers protected disclosures by employees of DFCCIL including those on deputation.

14. Compliance Certificate

The Certificate from a practicing Company Secretary regarding compliance of the conditions of Corporate Governance in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms the part of the Annual Report. Annexure "C-3".

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

MANAGING DIRECTOR AND DIRECTOR FINANCE CERTIFICATION

We have reviewed the Financial Statements including the Balance sheet, Statement of Profit & Loss, and the Cash Flow Statement for the financial year 2015-16 and to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;

(iii) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year which are fraudulent, illegal or in violation of the Company's code of conduct;

(iv) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the company pertaining to financial reporting. We have disclosed to the Auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls of which we are aware and the steps we have taken or proposed to take to rectify these deficiencies;

(v) We have indicated to Auditors and the Audit Committee changes in Accounting Policies during the year, and that the same have been disclosed in the Notes to the Financial Statements; and

(vi) There was no instance of fraud nor there has been involvement of the Management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting, of which we are aware.

Sd/-
M.K. Mittal
Director Finance

Sd/-
Adesh Sharma
Managing Director

Place:- New Delhi
Dated:- 26.08.2016

Regd. Off:- 5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi – 110001
CIN- U60232DL2006GOI155068, Tel.:- +91-11-23454700, Fax:- +91-11-23454701, Website:- dfccil.gov.in

DECLARATION BY MANAGING DIRECTOR REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF BUSINESS AND ETHICS CONDUCT BY BOARD MEMBERS AND SENIOR MANAGEMENT DURING FINANCIAL YEAR 2015-2016

I, Adesh Sharma, Managing Director, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, do hereby declare that all the functional members of the Board of Directors and the Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Business and Ethics Conduct during 2015-2016.

Sd/-
(Adesh Sharma)
Managing Director

Place:- New Delhi
Date:- 06.05.2016

Balika Sharma And Associates
Company Secretaries

Address:- Flat No. 211 pocket A / 3, Sector-7
Rohini, New Delhi, Pin Code -110085
Mobile:- 9811387946 E-mail Id:- balikasharma@gmail.com

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members of,
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station
Building Complex, Delhi-110001
CIN:- U60232DL2006GOI155068

REG: COMPLIANCE CERTIFICATE WITH REFERENCE TO COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE UNDER GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE FOR CENTRAL PUBLIC SECTOR ENTERPRISES 2010.

1. This Certificate is in accordance with compliance of conditions of Corporate Governance by DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED, (Hereinafter referred to as "Company") for the Financial Year ended on 31st March, 2016 as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprise (DPE), Government of India.
2. The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company to ensure the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.
3. We have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purposes of certification and have been provided with such records, documents, certifications etc., as had been required by us.
4. We certify that in respect of the aforesaid financial year 31st March2016, the company has complied with various provisions of the Guidelines in its Corporate Governance Report except:
   a) Clause No. 3.1 relating to Composition of Board of Directors-Independent Directors.
5. We hereby state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Sd/-
Balika Sharma & Associates
Company Secretaries
FCS No.:- 4816
C P No.:- 3222

Place:- New Delhi
Date:- 08.08.2016

Service Tax No.:- AMAPS 9564 KST 001

Membership No. 4816, C. P. No. 3222

Annexure - D

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Industry Structure and Developments

Infrastructure sector is a key driver for the Indian economy. The sector is highly responsible for propelling India's overall development and enjoys intense focus from Government for initiating policies that would ensure time-bound creation of world class infrastructure in the country. This sector includes developing road infrastructure, railway infrastructure and port connectivity etc.

Rail transportation is the backbone of our country's transportation infrastructure. In his speech, The Hon'ble Railway Minister mentioned that conventional thinking on freight policies to win back Railways share in the transportation sector needs to be changed.

Given the emphasis on rapid expansion of freight business, it is essential to build more dedicated freight corridors for increased traffic with consequent benefits for the economy and environment.

To fulfil the objectives, DFCCIL, a "Special Purpose Vehicle" is aimed to undertake planning and development, construction, maintenance and operation of Dedicated Freight lines. It was proposed to take up the following freight corridors:- North-South connecting Delhi to Chennai, East-West connecting Kharagpur to Mumbai & East Coast connecting Kharagpur to Vijayawada. It is proposed to put these three projects on high priority to ensure structuring, award and implementation in a time-bound manner through innovative financing mechanisms including PPP.

In line with international best practices, we rely on technological solutions for project management and monitoring. Latest drone and Geo Spatial based satellite technology is used for remotely reviewing the physical progress across major projects.

The Vision and the Mission of the Company is as follows

VISION

To create a partnership with IR for retaining and expanding the market share of rail through efficient and reliable service with customer focus.

MISSION

As the dedicated agency to make the vision into reality, DFCCIL's mission is

1) To build a corridor with appropriate technology that enables Indian Railways to regain its market share of freight transport by creating additional capacity and guaranteeing efficient, reliable, safe and cheaper options for mobility to its customers.

2) To support the Government's initiatives towards ecological sustainability by encouraging users to adopt Railways as the most environment friendly mode for their transport requirements.

CAPITAL EXPENDITURE ON PROJECT EXECUTION

As on 31st March, 2016, the Cumulative expenditure on Project Execution is ₹ 10,292.89 Crore which includes Fixed Assets ₹ 16.36 Crore, Capital Work in progress ₹ 5,777.16 Crore, Assets under Development ₹ 9.90 Crore and Capital advances ₹ 4,489.47 Crore. The gross expenditure during the year 2015-16 on project execution is ₹4,162.97 Crore which includes tangible assets ₹ 3.13 Crore, intangible assets ₹ 0.99 Crore, assets under development ₹ 0.59 Crore, Capital Advances ₹ 1,653.20 Crore and Capital Work in Progress ₹ 2,505.06 Crore.

STRENGTHS

Land Acquisition in the project continues to be its hallmark of strength. All concerted efforts are made to expedite the acquisition of remaining land. In order to address the issue of cost sharing of ROB works on level crossings falling in DFC alignment, regular follow up at the Apex level was done including conducting meetings with Chief Secretaries of States and flagging issues on PMG/Pragati Portal. This resulted in consent of cost sharing of ROBs in Maharashtra (19 no.), Gujarat (68 no.), Rajasthan (25 no.), Jharkhand (15 no.), 65 ROBs in U.P & 12 ROBs in Bihar. Consent for all 9 ROBs have been received from Punjab on DFC financing (deferred payment by State) and for 9 ROB in Haryana consent is under active consideration on similar lines. With this physical works have started for ROB Construction, inviting and finalizing tenders.

The Cabinet Committee on Economic Affairs in its meeting held on 24.06.2015, approved the Revised cost estimate (RCE) of Rs. 81,459 crore for the Eastern and the Western Dedicated Freight Corridor projects comprising of construction cost of Rs. 73,392 crore (Eastern DFC – Rs. 26,674 crore and Western DFC-Rs. 46,718 crore) and the acquisition cost of Rs. 8,067 crore. This excludes the construction cost of 538 kms Sonnagar-Dankuni section of Eastern DFC to be implemented through PPP route.

First Goods train (59 BOXNL, Tonnage 5265 T, and Commodity- Clinker) was run on down DFC track from Durgauti to Sasaram (56 km) on 30.03.2016 and up track on 03.06.2016. Engine rolling of section was already done on 30.06.2015 after completion of Track & OHE Work.

Trials of monitoring the progress of work through Drone has been conducted in 42 kms in WDFC & 56 kms in EDFC.

CRISIL has reaffirmed the “CCR AAA” (pronounced Corporate Credit Rating Triple A) rating to DFCCIL.

Agreement has been signed with PGCIL for construction of associated transmission network for supply to 12 Traction sub stations of EDFC. This will facilitate availing economical traction power supply to DFC.

WEAKNESS

Schedule of the implementing agencies has been affected due to the time involved in the obtaining of statutory clearances for the procurement of construction material under the various Rules.

Continuous follow up with the respective Authorities is being maintained to expedite the matter. Delay in obtaining various statutory clearance by the contractor and his subcontractors could lead to risk of delay in the project.

DFC requires 11672 hectares of Land spread over 3360 Kms for both Corridor. On the Eastern Corridor, DFC alignment passes through the States of West Bengal, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, and Punjab. The Western Corridor passes through the State of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra. The Acquisition of Land, being the subject matter of the concerned States, is a biggest challenge faced by the Company. The Land is to be acquired in terms of various guidelines issued by State Governments/Zonal Railways, Central Government, provision of NRRP 2007 and requirement of funding agencies with respect to environmental and social considerations and expectations of project affected parties. With the introduction of "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 followed by the Amendment Ordinance, the provisions of the new act with regard to compensation & R&R are applicable to all acquisition being undertaken by DFCC from 01.01.2015. A new Entitlement Matrix has been issued by Railway Board as per the provisions of the new Act and has come into force from 01.01.2015.

OPPORTUNITY

Implementation of green field DFC project in environment friendly manner encountering reality in the field is an opportunity to replicate the same elsewhere in future DFC project.

DFC project will bring about a drastic rise in rail transport capacity, efficient technology leading to faster movement within guaranteed transit time, and operational efficiency, contributing to national economy both directly and indirectly. Even during the construction phase, this project is a major boost for the national economy and various Industries. Infrastructure sector is pinning its hope on successful and timely execution of the project. The network is expected to provide long awaited total logistics solution to trade utilizing energy efficient rail transportation leading to development of various main Industries and ancillaries. The project will help in developing Industrial hubs i.e. DMICDC on Western Corridor, Special Primary Economic Region (SPER) on Eastern Corridor, development of Industrial Corridor from Amritsar-Dankuni along the Eastern Corridor. It will also result in decongestion of major highways. Most importantly, DFCCIL has a great opportunity to build world class infrastructure that will have the capability of bringing about a paradigm shift in the transportation sector in India.

The DFC will be a game changer in transport logistics. Speedier, Scheduled services is expected to bring down logistics cost significantly. Development of logistics terminals along DFC will provide much awaited end logistic solutions to the Industry. It will help in creating employment not only on regional basis but on national level. The CSR policy of the company is focused towards upgrading the skills of the PAPs by providing the training.

THREATS

Delay in consent and subsequent sanction of cost sharing of all RoB's by the State Government's falling in the DFC alignment i.e Bihar, Uttar Pradesh, Punjab and Haryana threats the timely execution of the RoB's. The disbursement of the compensation in the process of acquiring the remaining land becomes complex with the introduction of new Land Acquisition Act. Besides, the transition from the provisions of one Act to another itself entails a lot of explanations/ clarifications which causes further delay. The Multi Stage clearances from funding agencies sometimes results in delay in the procurement process. In the Western DFC, the Company is facing Limited participation of Japanese Contractors leading to delay in processes. Besides, a number of Court cases and surging arbitration cases as well appear to be a significant threat if not tackled in a systematic manner. To deal with the surging trend of arbitration cases concerned chief Secretaries are continuously being advised to pass necessary instructions down the line to expedite finalization of these cases. For Court cases, all necessary steps are being taken for their early finalization.

In order to ensure delivery of the project on time, coordinated efforts are required among all the stake holders and the parties involved in the projects i.e. Ministry of Railways, Niti Aayog, Ministry of Finance, State Governments, Japan International Co-operation Agency, World Bank - and each must perform its obligations in time to ensure that DFCs get constructed in time and within the estimated completion cost.

STRATEGIES

Land Acquisition in the project shall continue to be a challenge but at the same time hallmark of strength of the organization, and to further enhance the acquired capabilities of the organization learnt over a period of time through trials & tribulations, the Company has adopted and pursued the simple strategy of ensuring compliance with Right to Fair Compensation & Transparency in land acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2015. DFC addresses needs and concerns of the Project Affected Persons (PAPs) by emphasizing their participation and by extending necessary support to them in Resettlement and Rehabilitation process. For redressal of grievances related with Rehabilitation and Resettlement Plan, an Ombudsman has already been appointed. Arbitrators have been appointed in each District to look into the grievances pertaining to compensation for land and structure related issues. District Level Grievance Redressal Committee have also been formed in EDFC-1, EDFC-2 & EDFC-3 and provisions for redressal of grievances at Field as well as Project level have been included in the published RRP for WDFC also.

OUTLOOK

The Company is looking forward to create a state of art world class infrastructure that will have the capability of bringing about a paradigm shift in the transportation sector in India. The Company is committed to ensure the quality as well as safety in the implementation of the project. In this regard, steps are taken to give adequate training to field staff to acquaint them with best international construction practices.

ROAD AHEAD

DFCCIL is committed to its motto of 'SSS' – 'Sincerity, Speed and Success' which would lead to fulfillment of Organization's Mission, Vision and Objectives.

RISKS AND CONCERNS

The Company has developed the Enterprise Risk Management Framework which has been approved by the Audit Committee and also by the World Bank. The Enterprise Risk Management Framework has been implemented with effect from 1st December 2014. The top 20 risks each perceived at this stage during "Planning & Construction Phase" and "Operation Phase" have been identified and prioritized. Mitigation Plans for these top 20 risks has also been formulated. A Risk Management structure has already been defined , which comprise of a Risk Management Committee (RMC) consisting of Functional as well as Independent Directors, a Chief Risk Management Coordinator (CRMCO) reporting to Risk Management Committee, Heads of various departments such as Civil, S&T, IT, Administration, Electrical, Operation, Finance etc. and Chief Project Managers would act as Risk & Mitigation Plan Owners (RMPOs) and would be responsible for risk identification, its prioritization and for framing the mitigation plan. To ensure that there are appropriate controls in place for the risk management activities a risk monitoring and assurance mechanism through MIS has been provided for as a part of Enterprise Risk Management Framework to assess the effectiveness of mitigation plan for a particular risk.

The status of Risk Management Framework is being regularly coordinated by the GM/Fin./RM (CRMCO) in association with the Risk Management Coordinators (RMCOs) which is further reviewed by the Risk Management Committee (RMC) and the Audit Committee at regular intervals. It was also presented before the Board in the Board of Directors' meeting held on 26th July 2016.

The Top Five risk identified as on 30th June 2016, in Construction Phase are as under:

a) Inadequate management of procurement of goods/ services/ works (issues related to Procurement).
b) Possible increase in scope of work of contractors.
c) Delayed construction of corridors.
d) Delay/difficulty in construction of RUBs/ROBs (issues pertaining to construction of RUBs/ROBs).
e) RRP benefit distribution.

INTERNAL CONTROL SYSTEMS

In any organisation, internal control being an integral process, effected by an entity's Management and personnel is designed to address risks and to provide reasonable assurance that in pursuit of entity's mission, the general objectives of executing the operations more orderly, ethically, economically, efficiently and effectively is achieved and the resources are safeguarded against loss, misuse and damage.

The company has internal systems and processes in place, which ensures the execution of operation more orderly, ethically, economically, efficiently, and effectively, which is adequate and commensurate with the size of the Company. However, Internal Control being the ongoing process, the Management is committed towards its continuous improvement. In order to ensure that, all the required internal control systems and processes are in place and are operating effectively and to assess the shortcomings in the existing internal control systems and procedures, steps that have to be taken to strengthen the internal systems and processes, Audit Committee has approved to conduct a study on the adequacy of Internal Control systems in the Company. In order to maintain the independence in the study of Internal Control Systems the work of "study on the adequacy of Internal Control systems in DFCCIL" was entrusted to an outsourced Consultancy Firm. The Firm has submitted its report and the same is under review.The Audit Committee of the Board of Directors also reviews the reports of the Internal Auditor, comments of the Statutory Auditor and the Comptroller and Auditor General of India. The Management reviews the findings and recommendations of the auditors, takes corrective actions wherever necessary, and monitors the implementation of the recommendations.

Statutory Auditor of the Company vide Annexure "C" to the Independent Auditor's Report on the Internal Financial Control in compliannce of Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 have commented that the company has in all material respect an adequate internal financial control sytems over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2016.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year under review, the Industrial relation remained peaceful and harmonious. DFCCIL commemorated its 10th foundation day on 29.10.15 in Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi. The event was celebrated with great fanfare and enthusiasm by officers and staff of organization besides senior Officers from Railway Board, Executives of World Bank, JICA, Members of the Stake Holders and Representatives from Media. International Day of Yoga was observed on 21.06.2015 as per Common Yoga Protocol 2015 issued by Ministry of Aayush under the supervision of Yoga Instructors. The World Environment Day was observed on 05.06.15. All the officers and staff took oath to protect our environment. The Managing Director, Shri Adesh Sharma along with other Directors of DFCCIL planted saplings in DFCCIL premises in observance of the World Environment Day. The Anti-Terrorism Day was observed on 21.05.2015. All the Officers and staff took pledge to stand against the Acts of Terrorism. Sadbhawana Diwas was observed on 20.08.2015. National integration pledge was administered on 19.11.15 to all the officers and staff of the Company.

INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT

DFCCIL is in the process of implementing SAP-ERP System. The Project aims at the centralized implementation of a software solution integrating Financial Management, Human Resource Management, Project Management, Enterprise Asset Management, Land Acquisition Information

Management, Geographical Information Management, Portal and Document Management System. The system would expedite decision making, ensure better planning and co-ordination between different functions, better Data Management, effective reporting, Knowledge Management, etc. Time lost in accessing information will be reduced.

A state of the art Data center has been set up at DFCCIL Corporate Office. This Data Centre has been connected with all the 14 CPM locations by using MPLS (Multi-Protocol Label Switching) based WAN (Wide Area Network) and CPM Sub-Offices are connected through VPN.

To improve Network availability and access speed redundant MPLS connectivity between Corporate Office Data Centre and CPM Offices is under implementation. DFCCIL is considering shifting Data Center to a spacious location along with its capacity augmentation. Also Disaster Recovery Data Center proposal has been initiated.

DFCCIL is now undergoing the final stage of SAP implementation. Almost all the work is being done in the SAP at Corporate Office. In CPM Offices all Modules are being used except for PMS Module which is in the process of being implemented. SAP-ERP System will be fully implemented in DFCCIL during the Financial Year 2016-17.

Operational Acceptance phase is under process. Partial Acceptance has already been issued for four Modules i.e. Land Acquisition Information System Module, Geographical Information System Module, Portal and Document Management System. Operational Acceptance testing of Human Resource Management System Module has been completed by HR Department and they are working regularly through SAP. Finance Module is also under advanced stage of Testing & Development and all the payments (except Major Contracts) are being made through SAP. All accepted applications are now online.

All postings and transfers orders are being generated through SAP. Payroll of the employees are being processed through SAP. Income Tax statement / Form 16s are being generated through SAP.

Almost all DFCCIL employees have been provided SAP License with ESS (Employee Self Service) rights. All employees are applying for leave online through Portal Module, which is sanctioned and accounted for in SAP. Employee's claims including claims for Mobile / Landline, Leave encashment, Brief Case and Lease Accommodation etc. are processed online through Portal Module. Each employee is filing Property Return online in SAP.

The Project Contractors and Project Management Consultants are also accessing the SAP-ERP System through VPN for online submission of bills.

Since SAP implementation is a dynamic process, any future requirements will be taken care with the help of users.

1. Environment Protection and Conservation

Environmentally proactive approach of DFCCIL is reflected from the initiatives taken with DFC

alignments being so selected that land acquisition, forest land diversion and impact to environment is minimum possible, where it can't be avoided. Environment Assessment (EA) studies have been conducted for Eastern and Western Freight Corridor to meet the World Bank & JICA safeguard policies.

Required Statutory Clearances under Taj Trapezium Zone, Sanjay Gandhi National Park, Aravalli Eco-sensitive zone, Coastal Regulation Zone Notification & Forest Diversion have been obtained.

During the year 2015-16, Environmental Assessment (EA) Report including Environmental Management Plan (EMP) of Khurja-Pilkhani sections of EDFC have been prepared and approved from World Bank. The draft final Cumulative Impact Assessment (CIA) of EDFC has been prepared incorporating comments of DFCCIL and World Bank. Final CIA will be submitted to World Bank for approval after conducting workshops and incorporating comments in draft final report. The EA of Eastern & Western Corridors and draft CIA reports have been uploaded on DFCCIL website for wide publicity.

The implementing agencies have prepared their own site specific SHE Plan based on DFCCIL's SHE Manual and Environmental Management Plan (EMP).The contractor for Lot 201 & 202 has applied for ISO-14001 EMS & OHSAS 18000 certification for its construction activities in all Lots of EDFC-2. Regular monitoring of SHE & EMP implementation are carried out by PMC and SESMRC. Site Safety committee meetings are held. All regulatory compliances are also being ensured through the implementing agencies.

2. Social Safeguards Measures

As per section 20-O of the Railway (Amendment) Act, 2008, the 'National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007' was to be adopted. The Ministry of Railways had issued Entitlement Matrix (EM) which covered category wise various entitlements to be given to Project Affected Persons (PAPs) based on the relevant provisions of NRRP-2007. With the passage of "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 (RFCT-LARR) followed by the Amendment Ordinance, the provisions of the new act with regard to compensation & R&R are applicable to all acquisition being undertaken by DFCC from 01.01.2015. A new Entitlement Matrix has been issued by Railway Board as per the provisions of the new Act and has come into force from 01.01.2015. The same has been made available on DFCCIL web site, all the CPM office, and at Public places in affected villages for the public information. Disbursement of ₹407 Crores against resettlement and rehabilitation has also been completed.

Due care has been taken to avoid or minimize land acquisition and involuntary resettlement impacts by exploring all viable alternatives and to ensure adequate rehabilitation package and expeditious implementation of rehabilitation process. DFC has a well formulated Resettlement Policy Framework (RPF)[1] to take appropriate resettlement and rehabilitation measures for persons / household adversely affected due to implementation of DFC project.

[1] Resettlement Policy Framework (RFP) has been revised on 25th May 2015 in line with new RTFCLARR Act, 2013.

Social Impact Assessment (SIA) studies have been conducted for EDFC & WDFC to meet the World Bank & JICA Social safeguard policies. During the year 2015-2016, Resettlement Action Plan (RAP) of EDFC Phase-I of APL-3 (Dadri – Khurja 46 km) and Phase-II of APL-3 (Khurja – Pilkhani, 220.710 km.) have also been finalized in accordance with the provisions of the new Land Acquisition Act, 2013, and uploaded on DFCC's website for public information.

NGOs were appointed for implementation of RAP, preparation of Micro Plan and assist in resolution of various grievances of PAPs. Two NGOs have submitted its completion report. M/s SPS (Study Point Samiti NGO) has submitted its Completion Report in connection with implementation of RAP on Slice- 203 (Fatehpur – New Bhaupur) Section and M/s CRADLE (Consultants for Rural Area Development Linked Economy) has submitted its Completion Report for Slice – 302 (Khurja – Dadri) Section.

Further, External independent Agency for monitoring & review of Social & Environmental Safeguards for EDFC-1 and EDFC-2 are also appointed. The agency role is to monitor & review the progress of land acquisition and R&R, implementation of RAP & EMP and provide suggestions for improving the same. The Social & Environmental Safeguards monitoring & review Consultant (SESMRC) appointed for EDFC-1 and EDFC-2 has been continuously monitoring the implementation plan of the RRP and EMP and has helped DFCCIL in providing the project personnel ensure a quality and safe work environment. Expression of Interest (EOI) for engaging SESMRC for Phase-I of APL-3 (Sahnewal – Pilkhani, 175 km. and Dadri – Khurja 46 km) total 221 kms and Phase-II of APL-3 (Khurja – Pilkhani, 220.710 km.) has been invited;

Needs and concerns of the Project Affected Persons (PAPs) are addressed by emphasizing their participation and by extending necessary support to them in the R&R process. The Grievance Redressal Mechanism provides for addressing legitimate concerns / problems of affected individuals and groups who may consider themselves deprived of resettlement or rehabilitation benefits as available under the Resettlement Policy Framework designed for the implementation of DFC project. For grievance redressal, an Ombudsman has been appointed. Grievance Redressal Committee (GRC) has been constituted for both Khurja-Bhaupur & Bhaupur-Mughalsarai sections at Project level and district level. The Committee constituted at project level is posted at DFCCIL website. Besides Arbitrators have also been appointed in each district to look into the grievances pertaining to compensation of land.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS

Mission and Values

The HR department serves the interests of the organization by supporting, developing, and protecting its most valuable resource - People. It is committed to providing quality services in an environment of continuous change; to achieving business results through development of world class HR core competencies by promoting innovation through continuous learning and employee empowerment;

and by building a collaborative organization characterized by challenging and supportive work environment that offers opportunities for both employee and organizational growth and at the same time being guided by ethical and professional standards.

Manpower Mobilization

For successful functioning of our organization, placement of right manpower at the right place at the right time is of paramount importance. Taking into consideration the long term requirements of the organization, manpower has been inducted from open market through direct recruitment and immediate absorption besides permanent absorption of eligible deputationists. During the year 2015-2016, 67 candidates joined DFCCIL through open market recruitment. In addition to above, 11 posts were filled from amongst serving Government/PSU employees through absorption. All the candidates have been provided the prescribed initial/induction training.

With respect to the needs of DFCCIL, Department of Public Enterprise has periodically granted exemption to DFCCIL for immediate absorption rule. The present exemption is valid till 29.12.2015 with permission to induct 200 gazetted officers and 200 non – gazetted employees on deputation terms. The proposal is under consideration with DPE for exemption beyond 29.12.2015. The normal deputation tenure in DFCCIL for Railway employees is 5 years, as approved by Railway Board in 2012. During the year, 58 employees have joined on deputation basis and deputation extension of 28 officers have been issued by HR.

With new induction, total strength increases to 758 employees, out of which 467 are permanent.

Promotion

Promotion policy in DFCCIL aims to take care of career advancement consistent with merit, suitability and performance while providing for adequate promotional avenues and to provide outstanding human resources support and service with appropriate skills and aptitudes so as to have effective leadership, professional expertise and quality consultation. The promotion policy is transparent and focuses on advancing employees based on their skill and performance. Normally residency period of 4 years is required in one grade for promotion from executive to ED level. During the year, 22 employees, who became eligible have been promoted to next higher grade as per the above promotion policy.

Policy Initiatives

Number of HR policy initiatives have been taken such as introduction of Staff Welfare, Group Insurance scheme for regular employees, amendment in medical rules, Financial assistance in case of death of an employee, Contract appointments, APARs, amendment of policy of Permanent/immediate/ deputation, amendment in recruitment rules in deputation tenure, revision of remuneration of retired employees, creation of posts of secretarial cadre, introduction of E-2 scale, rules for reimbursement towards uniform, perks and allowances below E-0 level etc., besides Updation/ modification in existing human resource policies.

TRAINING

Technical trainings have been planned for professional up gradation of staff and officers of DFCCIL.

Based on the Training need analysis done by HR involving Chief Project Managers (Field Officers) and GGM/GMs of Corporate Office, a detailed Training Plan was prepared which was also approved by World Bank. 422 employees have undergone training for 739 man days.

Major Trainings Organized

A. **Strategic Management – Indian School of Business (ISB)-** Based on pre-diagnostic done through ISB of expectations from the training program of the officers of DFCCIL involving senior level officers and Directors a tailor-made training plan was organized for 35 senior level officers.

B. **Project Management – Management Development Institute (MDI, Gurgaon)-** 6 officers from DFCCIL participated in the training on Project Management held at MDI, Gurgaon. The program covered areas such as project life cycle risk analysis of projects, project cost estimation, project management information systems, use of project management software like Microsoft Project, project monitoring:- time and cost overrun evaluation, contracting for projects – Project cost control Outsourcing/JVs in projects.

C. **Communication & Perception Management – Indian School of Business (ISB)**

D. **Training on Overview of Companies Act.**

E. **Induction Training for Direct Recruits**

- For fresh recruits Induction and specialized technical trainings were organized at various Railway Training Institutes like:- IRISET, IRICEN, ETC/Ghaziabad, ZRTI/Udaipur, IRIEEN
- For officers taken on immediate absorption basis, induction and specialized technical trainings were organized at NAIR, ZRTI/Muzaffarpur.

F. **Trainings Abroad**

- One DFCCIL official participated in the case studies and international experience on port – hinterland connectivity, modern logistics and port centered economic regeneration to the ports of Rotterdam and Duisburg.
- Two batches from DFCCIL (10 participants including MD & Directors) have undergone Counterpart Training Programme for the Technical Assistance Project on Freight Transportation of Dedicated Freight Corridor in India in Japan organized through JICA. Third batch comprising of 8 participants is expected to undergo similar training in Aug – Sep 2016.

G. **Other Important Trainings organized for DFCCIL officials**

- Trainings on:- Effective Leadership – IMI, Delhi, Leadership Development for Women Executives – SCOPE, Project and Contract Management – ASCI, Hyderabad, Land Acquisition, Resettlement, Rehabilitation – RECTLARR Act 2013 – ASCI, Hyderabad,

Training program on Social Impact Assessment - ASCI, Hyderabad, Mitigation & Response to Fire Hazards - organized by Centre for Disaster Management and Training, Risk Management Framework – Ernst and Young, Advanced Course in Project Management, National Productivity Council of India, NPC, Advance tax, TDS and Tax Planning –ICWAI, Service Tax Issues, proposed GST – ICWAI, International Trade Finance-CRISIL, Corporate Taxation–ICWAI, Reservation in Services - NAHRD, HR Audit – NAHRD, Logistics and Supply Chain Management MDI Gurgaon, Training on RTI Act – NAHRD, Condition based online monitoring of Electric assets -SCOPE, Environment and Social Responsibility in Project Financing CSE.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A report of Corporate Social Responsibility initiatives taken during the year under review is annexed at Annexure –B of the Directors Report.

Annexure - E

AKHIL ROHATGI
M.Com. L.L.B. F.C.S.

AKHIL ROHATGI & COMPANY.
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines,
Delhi – 110054.
Phone:- 011-23926504, 9810690633
Email:- rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st March 2016

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited.
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex
New Delhi-110001.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minutes books, eforms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2016 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minutes books, eforms and returns filed and other records maintained by Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the financial year ended on 31st March, 2016 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

(ii) The Securities Contracts (Regulations) Act, 1999 and the rules made thereunder is not applicable as the shares of Company are not listed with any of the Stock Exchanges

(iii) The Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder is not applicable. There were no Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings during the period under review.

(iv) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder are not applicable as the shares of Company are not registered with any of the depository mentioned under the said Act.

(v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') are not applicable as the shares of Company are not listed with any of the Stock Exchanges.

(vi) Other applicable Laws, Rules and Guidelines as mentioned here-in-below:

a. DPE guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the 'Department of Public Enterprises', Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India
b. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Act 2010
c. Micro Small and Medium Enterprises Development Act 2006
d. Forest (Conservation) Act, 1980
e. The Railways (Amendment) Act 2008
f. Wildlife Protection Act 1972
g. The Wetlands (Conservation And Management) Rules 2010
h. Coastal Regulation Zone Act 2011
i. Relevant Provisions And NRRP 2007
j. The Building And Other Construction Workers (Regulation Of Employment And Conditions Of Service) Act, 1996
k. Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996
l. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
m. Right to Information Act 2005
n. Shops and Establishment Act
o. Environmental laws as applicable
p. Labour Laws as Applicable

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India with effect 1st July 2015:

During the period under review, the Company as per explanations and clarifications given to us and representations made by the Management, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above except that

1. there was no Independent Director on the Board of the Company;
2. in the absence of Independent Directors, 'Audit Committee', ''Nomination and Remuneration Committee' and 'CSR Committee' were constituted comprising of all Non-Independent Directors and
3. there was no Woman Director on the Board of the Company:
4. Shri Gajendra Nath Haldea, the Nominee Director didn't attended any meeting in the financial year and the same was communicated to the Administrative Ministry. The Board in its meeting held on 05.02.2016 took note of his technical vacation of the office of the Director under section 167 of the Companies Act, 2013.

We further report that the Board is not duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non Executive Directors and Independent Directors as there was no Independent Director on the Board of Company. Sh. R. S. Sharma, Independent Director ceased to hold office w.e.f 29.04.2015 on completion of his tenure and thereafter no Independent Director was appointed on the Board of the Company.

Adequate notice was given to all directors to schedule the Board Meetings. Agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance.

Further, a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision has been carried through while the dissenting members' views were and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the period under review the Company has issued and allotted 108,70,000 Equity Shares of Rs. 1000/- each aggregating Rs. 1087,00,00,000 to the Ministry of Railways, Government of India.

For Akhil Rohatgi & Co

Sd/-
Akhil Rohatgi
Practicing Company Secretary
FCS No.:- 1600
CP No:- 2317

Place:- New Delhi
Date:- 19th August, 2016

AKHIL ROHATGI
M.Com. L.L.B. F.C.S.

AKHIL ROHATGI & COMPANY.
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines,
Delhi – 110054.
Phone:- 011-23926504, 9810690633
Email:- rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

Date:- 19th August, 2016

To,
The Members,
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited.
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex
New Delhi-110001

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in the secretarial records. We believe that the processes and practices, we follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of the events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable law, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For Akhil Rohatgi & Co

Sd/-
Akhil Rohatgi
Practicing Company Secretary
FCS No.:- 1600
CP No:- 2317

Place:- New Delhi
Date:- 19th August, 2016

Annexure - F

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31.03.2016

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i)	CIN	U60232 DL 2006 G0I 155068
ii)	Registration Date	30.10.2006
iii)	Name of the Company	Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
iv)	Category/Sub-Category of the Company	
v)	Address of the Registered office and contact details	5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi-110001, Tel:- 011-2345480, Fax:- 011-23454701
vi)	Whether listed company	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl.No.	Name and Description of main products/services	NIC Code of the Product/ services	% to Total turnover of the company
1	N.A.		
2			
3			

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S.no	Name And Address Of The Company	CIN/GIN	Holding/ Subsidiay/ Associate	%Of Shares held	Applicable Section
1	N.A.				
2					

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of share-holders	No. of shares held at the beginning of the year				No. of shares held at the end of the year				%Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters (1)Indian	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a) Individual/HUF	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Central Govt		37,156,688	37,156,688	100%	–	48,026,688	48,026,688	100%	29.24%
c) State Govt(s)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d) Bodies Corp.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e) Banks/FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f) Any Other....	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sub-total (A)(1):-		37,156,688	37,156,688	100%	-	48,026,688	48,026,688	100%	29.24%
(2) Foreign	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) NRIs-Individuals	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Other–Individuals	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Bodies Corp.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Banks/FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(e) Any Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sub-total (A)(2):-	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total shareholding of Promoter (A)= (A) (1)+(A) (2)	–	**37,156,688**	**37,156,688**	**100%**	–	**48,026,688**	**48,026,688**	**100%**	**29.24%**
B. Public Shareholding 1. Institutions	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Mutual Funds	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Banks/FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Central Govt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) State Govt(s)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(e) Venture Capital Funds	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(f) Insurance Companies	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(g) FIIs	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(h) Foreign Venture Capital Funds	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(i) Others(specify)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sub-total(B)(1):-	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Non Institutions a) Bodies Corp.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) Indian	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) Overseas	–	–	–	–	–	–	–	–	–

b) Individuals	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs1 lakh	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c) Others (specify)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sub-total (B)(2):-	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grand total(A+B+C)	–	**37,156,688**	**37,156,688**	**100%**	–	**48,026,688**	**48,026,688**	**100%**	**29.24%**

(ii) Shareholding of Promoters

SL. No.	Share-holder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of shares pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1	The President of India	37,156,688	100%	–	48,026,688	100%	–	29.24%
	Total	**37,156,688**	**100%**	**–**	**48,026,688**	**100%**	**–**	**29.24%**

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

SL. NO.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	37,156,688	100%	37,156,688	100%
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equityetc)	08.05.2015 1,08,70,000		1,08,70,000	
	At the End of the Year	**48,026,688**	**100%**	**48,026,688**	**100%**

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

SL. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	Not Applicable			
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/ bonus/sweat equity etc)				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:- None of the Director or KMP hold share in Company.

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	%of total shares of the company	No. of shares	%of total shares of the company
	At the beginning of the year	–	–	–	–
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc)	–	–	–	–
	At the End of the year	–	–	–	–

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total
Indebtedness Indebtedness at the beginning of the financial year (i) Principal Amount	–	–	–	–
(ii) Interest due but not paid	–	–	–	–
(iii) Interest accrued but not due	–	87,01,18,760	–	87,01,18,760
Total (i+ ii+ iii)	–	1528,09,67,342	–	1528,09,67,342
Change in Indebtedness during the financial year	–	–	–	–
• Addition (Int + Loan)	–	1923,49,28,280	–	1923,49,28,280
• Reduction	–	–	–	–
Net Change	–	1923,49,28,280	–	1923,49,28,280
Indebtedness at the end of the financial year	–	–	–	–
(i) Principal Amount	–	3272,17,83,116	–	3272,17,83,116
(ii) Interest due but not paid	–	–	–	–
(iii) Interest accrued but not due	–	179,41,12,506	–	179,41,12,506
Total (i+ ii+ iii)	–	**3451,58,95,622**	–	**3451,58,95,622**

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration			Name of MD/WTD/Manager				Total Amount
		Name	100007 Adesh Sharma	100004 H.D. Gujrati DL42192135	100291 D.S. Rana	100003 Anshuman Sharma DL-42192-007	100005 M. K. Mittal Dir/Fin	
		Designation	M.D.	Dir/OP & BD	Dir/Infra	Dir/PP	Dir/Fin	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions Contained in section 17 (1) of the Income-tax Act,1961	–	26,16,800.00	24,35,102.00	24,17,512.00	25,61,335.00	27,33,436.00	1,27,64,185.00
	(b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income-tax Act, 1961	–	1,53,381.00	1,53,462.00	92,512.00	4,14,899.00	1,66,880.00	9,81,134.00
	(c) Profits in lieu of salary under section 17 (3) Income tax Act, 1961	–	–	–	–	–	–	–
2.	Stock Option	–	–	–	–	–	–	–
3.	Sweat Equity	–	–	–	–	–	–	–
4.	Commission -as% of profit-others, specify...							
5.	Others, please specify	–	–	–	–	–	–	–
	Total(A)		**27,70,181.00**	**25,88,564.00**	**25,10,024.00**	**29,76,234.00**	**29,00,316.00**	**1,37,45,319.00**
	Ceiling as per the Act							

B. Remuneration to other directors:- NIL

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
	3. Independent Directors Fee for attending board/ Committee meetings		–	–		
	Commission	–	–	–	–	–
	Others, please specify	–	–	–	–	–
	Total (1)					
	4. Other Non-Executive Directors Fee for attending board/committee meetings	–	–	–	–	–
	Commission	–	–	–	–	–
	Others, please specify	–	–	–	–	–
	Total (2)	–	–	–	–	–
	Total (B)=(1+2)	–	–	–	–	–
	Total Managerial Remuneration	–	–	–	–	–
	Overall Ceiling as per the Act	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

C. Remuneration To Key Managerial Personnel Other Than Md/Manager/Wtd

S. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section17(1) Of the Income-tax Act,1961	–	10,63,968.00	–	1063968.00
	(b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income-taxAct,1961	–	41416.00	–	41416.00
	(c) Profits in lieu of salary under section17(3) Income-tax Act,1961	–	–	–	–
2	Stock Option	–	0	–	–
3	Sweat Equity	–	0	–	–
4	Commission - as% of profit - others, specify...	–	0	–	–
5	Others, please specify	–	0	–	–
	Total	**–**	**11,05,384.00**	**–**	**11,05,384.00**

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment Compounding fees imposed	Authority [RD/ NCLT/COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. Company					
Penalty	-	Nil	Nil	-	-
Punishment	-	Nil	Nil	-	-
Compounding	-	Nil	Nil	-	-
B. Directors					
Penalty	-	Nil	Nil	-	-
Punishment	-	Nil	Nil	-	-
Compounding	-	Nil	Nil	-	-
C. Other Officers in Default					
Penalty	-	Nil	Nil	-	-
Punishment	-	Nil	Nil	-	-
Compounding	-	Nil	Nil	-	-

Note:

"A Show Cause Notice U/s 162 of the Companies Act, 2013 has been received electronically from the office of the Registrar of Companies in city of Delhi & Haryana regarding a default U/s 149 of the Companies Act read with Rule 3 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules 2014. In this regard, it is apprised that the provisions of the Companies Act relating to the appointment of Women Director and Directors including Nominee and Independent Directors are not being complied with by the Company as the Power to appoint Directors lies with the President of India.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

FINANCIAL STATEMENTS OF DFCCIL FOR THE FINANCIAL YEAR 2015-2016

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

(₹ in Lakh)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
i EQUITY AND LIABILITIES			
(1) Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	3	480,266.88	371,566.88
(b) Reserves and Surplus	4	17,330.45	11,010.62
(2) Share Application Money pending Allotment	5	285,560.41	108,700.00
(3) Non-Current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	6	327,217.83	144,108.49
(b) Other Long Term Liabilities	7	38,299.94	22,888.80
(c) Long Term Provisions	8	1,031.87	557.60
(4) Current Liabilities			
(a) Other Current Liabilities	9	48,397.54	41,258.48
(b) Short Term Provisions	10	196.66	36.69
Total		**1,198,301.58**	**700,127.56**
ii ASSETS			
(1) Non-Current Assets			
(a) Fixed Assets	11		
(i) Tangible Assets		1,496.15	1,182.58
(ii) Intangible Assets		139.86	41.37
(iii) Capital Work in Progress		577,715.86	327,209.88
(iv) Tangible Assets Under Development		-	18.99
(v) Intangible Assets Under Development		989.54	911.88
(b) Long-Term Loans and Advances	12	449,734.25	284,479.12

(2) Current Assets			
(a) Cash and Bank Balances	13	160,607.27	83,484.75
(b) Short-Term Loans and Advances	14	191.93	180.85
(c) Other Current Assets	15	7,426.72	2,618.14
Total		**1,198,301.58**	**700,127.56**
General Information	1		
Significant Accounting Policies	2		
Development Account (Pending Capitalisation)	19		

Note No. 1 to 35 form integral part of the Financial Statements.
This is the Balance Sheet referred to in our report

For Baweja & Kaul
Chartered Accountants
Firm Registration No:- 05834N

For and on Behalf of the Board of Directors

Sd/-
CA Sakshi Kaul Dhar
Partner
M.No. 514325

Sd/-
(Adesh Sharma)
Managing Director
DIN-7022393

Sd/-
(M.K.Mittal)
Director Finance
DIN-2889021

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary
ACS-18954

Place:- New Delhi
Date:- 27/6/2016

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(₹ in Lakh)

Particulars	Note No.	For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
I. Revenue from Operations		-	-
II. Other Income	16	9,957.18	5,699.20
III. Total Revenue (I +II)		9,957.18	5,699.20
EXPENDITURE			
Employee Benefit Expenses	17	-	-
Finance Cost	17A	-	-
Depreciation and Amortization Expense	17B	-	-
Other Expenses (CSR)	17C	167.98	32.27
IV. Total Expenditure		167.98	32.27
V. Profit Before Exceptional and Extraordinary Items and Tax (III-IV)		9,789.20	5,666.93
VI. Exceptional Items		-	-
VII. Profit Before Extraordinary Items and Tax (V - VI)		9,789.20	5,666.93
VIII. Extraordinary Items		-	-
IX. Profit Before Tax (VII - VIII)		9,789.20	5,666.93
X. Tax Expense:			
(1) Current Tax		3,408.33	1,914.25
(2) Income Tax (Earlier Year)		(0.01)	(31.50)
(3) Deferred Tax		-	-
XI. Profit(Loss) for the year from Continuing Operations (IX-X)		6,380.88	3,784.18
(A) Transferred to Development Account		61.04	45.92
XII. Profit from Discontinuing Operations		-	-

XIII. Tax Expenses of Discontinuing Operations		-	-
XIV. Profit/(Loss) for the period from Discontinuing Operations (XII-XIII)		-	-
XV. Profit/(Loss) for the period (XI + XIV - (A))		6,319.84	3,738.26
XVI. Earnings Per Share (Equity Share of ₹ 1000/- each)			
Basic (₹)		13.47	10.64
Diluted (₹)		13.14	10.05
General Information	1		
Significant Accounting Policies	2		
Development Account (Pending Capitalisation)	19		

Note No. 1 to 35 form integral part of the Financial Statements.

For Baweja & Kaul
Chartered Accountants
Firm Registration No:- 05834N

For and on Behalf of the Board of Directors

Sd/-
CA Sakshi Kaul Dhar
Partner
M.No. 514325

Sd/-
(Adesh Sharma)
Managing Director
DIN-7022393

Sd/-
(M.K.Mittal)
Director Finance
DIN-2889021

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary
ACS-18954

Place:- New Delhi
Date:- 27/6/2016

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(₹ in Lakh)

S. N.	Particulars		For the Year Ended March 31, 2016		For the Year Ended March 31, 2015
1	**Cash Flow from Operating Activities:-**				
	Net profit before tax		9,789.20		5,666.94
	Interest Income on Bank Deposits	(9,869.17)		(5,635.78)	
	Adjustment for charge to Development Account	(61.04)		(45.92)	
			(9,930.21)		(5,681.70)
	Operating Profit Before Working Capital Changes Adjustment for:		**(141.01)**		**(14.76)**
	Loan & Advances and Other Current Assets	548.33		3,322.69	
	Trade Payables, Provisions & Other Liabilities	21,760.15	22,308.48	36,451.01	39,773.69
	Cash Generated from/(Used in) Operations		22,167.46		39,758.93
	Income Taxes (Paid)/Received		(3,294.25)		(1,880.91)
	Net Cash generated from / (Used in) Operating Activities (A)		**18,873.21**		**37,878.02**
2	**Cash Flow from Investing Activities:-**				
	Purchase of Fixed Assets Including Capital	(243,329.60)		(169,857.87)	
	Work in Progress (CWIP) & Asset Under Development				
	Sale of Fixed Assets	14.84		10.93	
	Interest Received from Bank Deposits	8,060.85		5,978.29	
	(Increase)/Decrease in Capital Advances	(166,297.80)		(24,591.03)	
	Net Cash Generated from / (Used in) Investing Activities (B)		**(401,551.71)**		**(188,459.68)**
3	**Cash flow from Financing Activities:-**				
	Proceeds from issuance of Share capital	-		-	
	Proceeds from Share Application Money	285,560.41		108,700.00	
	Proceeds from long - term borrowings	175,447.39		42,762.20	

	Interest paid	(1,206.79)		(1,544.83)	
	Net Cash generated from / (used in) Financing Activities (C)		**459,801.01**		**149,917.37**
	Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		77,122.51		(664.29)
	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		83,068.41		83,732.70
	Cash and Cash Equivalents at the closing of the year		**160,190.93**		**83,068.41**
	Cash and Cash Equivalents comprise:				
	Cash and Bank Balances		**160,179.84**		**83,046.45**
	Cheques in Hand		**11.09**		**21.96**
			160,190.93		**83,068.41**

Notes:

1. The Cash and Cash Equivalents includes ₹ 2,683.12 Lakh (Previous Year ₹ 3,382.70 Lakh) in Current/Deposit Account with bank, held on behalf of MOR and not freely available for the business of the company.
2. The Cash Outflow from Operating Activities includes ₹130.42 Lakh (Previous Year ₹ 15.06 Lakhs) incurred for CSR activities.

For Baweja & Kaul
Chartered Accountants
Firm Registration No:- 05834N

For and on Behalf of the Board of Directors

Sd/-
CA Sakshi Kaul Dhar
Partner
M.No. 514325

Sd/-
(Adesh Sharma)
Managing Director
DIN-7022393

Sd/-
(M.K.Mittal)
Director Finance
DIN-2889021

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary
ACS-18954

Place:- New Delhi
Date:- 27/6/2016

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

1. GENERAL INFORMATION

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) is set up under the administrative control of Ministry of Railway for construction, maintenance and operation of the Dedicated Freight Corridors.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 Basis Of Preparation Of Financial Statements

Financial Statements of the Company are prepared under the Historical Cost Convention using the Accrual Method of accounting in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (Indian GAAP) and complying with the mandatory Accounting Standards (AS) as notified under Companies Act, 2013.

2.2 Use Of Estimates

The preparation of Financial Statements, in conformity with Indian GAAP, require management to make estimates and assumptions that effect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statement and the reported amounts of revenues and expenses for the years presented. Actual results could differ from those estimates. Any variation in the estimates and actual are adjusted prospectively in the accounting period of change and future accounting periods respectively.

2.3 Cash Flow Statement

The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard “3” on “Cash Flow Statements” and presents the cash flows from Operating, Investing and Financing Activities of the Company.

2.4 Fixed Assets & Capital Work In Progress

a) Fixed Assets are stated at cost of Acquisition/Construction. In cases where final settlement of bills with contractors is pending, but the asset is complete and ready for use, capitalisation is done on estimated basis subject to necessary adjustment, including those arising out of settlement of arbitration/court cases, in the year(s) of final settlement.

b) Capital Work-in-Progress is carried at Cost. Expenditure during construction net of incidental income is capitalized as part of relevant assets.

c) Capital Stores are valued on Weighted Average Cost.

2.5 Depreciation & Amortisation

a) Depreciation on Additions to /Deductions from Fixed Assets during the year is charged on pro-rata basis from / up to the date on which the Asset is available for use / disposal.

b) Depreciation on Fixed Assets is provided as per Para 219 of Indian Railway Finance Code volume I which specifies the normal life of the various classes of Railway Assets. In case a particular component of Fixed Asset is not available in the said Para 219 of Indian Railway Finance Code, then depreciation on these assets is provided on Straight Line Method using the useful life specified in Schedule II of the Companies Act, 2013

c) Asset valuing ₹ 5000/- or less are fully depreciated in the year of Addition thereof.

d) Cost of software is recognized as Intangible Assets and is amortized on Straight Line Method over a period of legal right to use or three years, whichever is earlier. Other Intangible Assets are amortized on Straight Line Method over the period of legal right to use.

e) Fixed Assets created on Leasehold Land and Leasehold Premises Improvements are depreciated fully over the residual period of lease of respective Land / Leasehold Premises or over the life of respective asset as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, whichever is shorter.

f) Where the cost of Depreciable Assets has undergone a change during the year due to increase/decrease in Long Term Liabilities on account of exchange fluctuation, price adjustment, change in duties or similar factors, the unamortized balance of such assets is depreciated prospectively over the residual life of such assets.

g) Where the life and / or efficiency of an asset is increased due to renovation and modernization, the expenditure thereon along-with its unamortized depreciable amount is charged prospectively over the revised / remaining useful life determined by technical assessment.

2.6 Revenue

a) Revenue is recognized based on the nature of activity when consideration can be reasonably measured and there exists reasonable certainty of its recovery.

b) Interest on Bank Deposits is booked on a time proportion basis.

c) Other items of Income are accounted for as and when the right to receive is established.

d) Service Charges Income is recognized as per the terms of the contracts

2.7 Foreign Currency Transactions

a) Transactions in Foreign Currencies are initially recorded at Exchange Rates prevailing on the date of transaction. At each Balance Sheet date monetary items denominated in Foreign Currency are translated at the Exchange Rate prevailing on the Balance Sheet date.

b) Exchange difference on foreign currency borrowings to the extent regarded as adjustment to interest costs in terms of Para 4(e) of AS-16 on Borrowing Costs is accounted for as borrowing costs in terms of ibid AS and balance is adjusted to the carrying cost of respective Fixed Asset/Capital Work-in-Progress, to which such borrowing pertains.

c) Exchange difference on other monetary items is recognized as income & expenses.

2.8 Employee Benefits

a) All Employee Benefits payable wholly within twelve months of rendering the service are classified as Short Term Employee Benefits. Benefits such as short- term compensated absences, etc. are recognized in the period in which the employee renders the related service.

b) Provision for Post Employment Benefit as defined in AS-15 (2005) on Employee Benefits is made based on Actuarial Valuation at the year-end.

c) Provision for Long term Employees benefits such as Long-term compensated absences, is made in the books on the basis of Actuarial Valuation made at the year end.

d) Provision/Liabilities towards Foreign Service Contribution are made in terms of Government Rules & Regulation for employees on deputation and charged to Development Account.

e) Expenses on Ex-gratia payments & Notice Pay under Voluntary Retirement Scheme are charged to revenue in the year of incurrence.

2.9 Borrowing Cost

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of Qualifying Assets are capitalized as part of the cost of that Asset. Other borrowing costs are recognized as expenses in the period in which these are incurred. Cost of raising borrowings / upfront fees and other similar expenses are capitalized/charged as expense in the year of incurrence itself.

2.10 Taxes On Income

Tax on Income for the current period is determined on the basis of taxable income under the Income Tax Act, 1961.

Deferred Tax is recognized on timing differences between the accounting income and taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date. Deferred Tax Assets are recognized and carried forward to the extent there is a virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

2.11 Provisions, Contingent Liabilities And Contingent Assets

Provisions are recognized in respect of obligations where, based on the evidence available, outflow

of resources is probable and a reliable estimate can be made of the amount of obligation. Contingent Liabilities are determined on the basis of available information. These liabilities are not provided and the same are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

2.12 Miscellaneous

a) Liabilities for Goods in Transit/Capital Works executed but not certified are not provided for, pending inspection and acceptance by the Corporation.

b) Claims including price variation are accounted for on acceptance.

c) Liquidated Damages are recognized at the time of actual recovery.

d) Prepaid expenses and prior period expenses/income of items of ₹ 50,000/- and below are charged to natural heads of accounts.

e) Mobile Instruments are charged off to revenue.

f) Insurance claims are accounted for based on Management best assessment of the quantum of loss & coverage thereof in terms of Insurance Policy. Any shortfall / excess are adjusted on the settlement of claims. Claim towards losses of CWIP, for which Insurance are obtained by Contractors under the provisions of respective contract agreement, are not accounted in the Books of Company.

3. SHARE CAPITAL

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Authorized Share Capital		
8,00,00,000 (Previous Year 8,00,00,000) Equity Shares of ₹ 1000/- each	8,00,00,000.00	8,00,00,000.00
	8,00,00,000.00	**8,00,00,000.00**
Issued, Subscribed & Paid Up Capital		
4,80,26,688 (Previous Year 3,71,56,688) Equity Shares of ₹ 1000/- each	480,266.88	3,71,566.88
	480,266.88	**371,566.88**

3.1 Reconciliation of the Number of Equity Shares

Particulars	As at March 31, 2016		As at March 31, 2015	
	Number of shares	Amount in (₹ in Lakh)	Number of shares	Amount in (₹ in Lakh)
Balance as at the beginning of the year	**37,156,688**	**371,566.88**	**27,077,400**	**270,774.00**
Add:- Equity Shares issued during the Year/ Period	10,870,000	108,700.00	10,079,288	100,792.88
Balance As at the end of the year	**48,026,688**	**480,266.88**	**37,156,688**	**371,566.88**

3.2 Details of Shares held by Shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company

Particulars	As at March 31, 2016		As at March 31, 2015	
	Number of shares	% of Holding	Number of shares	% of Holding
Equity Shares:				
The President of India & his nominees (Ministry of Railways)	**48,026,688**	**100%**	**37,156,688**	**100%**

3.3 Rights, Preferences & Restrictions attached to Equity Shares

The Company has only one class of equity shares referred to as equity shares having par value of ₹ 1000/-each. Each holder of one equity share is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the company, the holders of shares shall be entitled to remaining assets of the company, after distribution of all preferential amounts.

4 RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Surplus:		
Opening Balance	11,010.62	7,272.35
Add:- Profit after Tax (Current Year)	6,319.83	3,738.27
	17,330.45	11,010.62
Less:- Appropriations	-	-
Closing Balance	**17,330.45**	**11,010.62**

5 SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT

(a) Company had opening balance of ₹ 1,08,700.00 Lakh of Share Application Money received from Ministry of Railways as on 31.03.2015. Company has issued Equity shares at par in respect of this outstanding share application money on 08.05.2015.

(b) Company has closing balance of ₹ 2,85,560.41 Lakh of Share Application Money received from Ministry of Railways as on 31.03.2016. 2,85,56,041 number of equity shares are required to be issued at par for said outstanding application money during FY 2016-17. The company has sufficient Authorized Share Capital to cover the allotment against such share application money received. There is no overdue amount of Share Application Money Pending Allotment as on 31.03.2016.

6 LONG TERM BORROWINGS

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Term Loans From Others		
Unsecured Loan		
Loan from Ministry of Railways for EAP Projects JICA - 205	12,055.78	11,645.53
Loan from Ministry of Railways for EAP Projects JICA - 209	163,932.98	73,159.84
Loan from Ministry of Railways for EAP Projects JICA - 212	7,092.48	6,480.99
Loan from Ministry of Railways for EAP Projects JICA - 229	3,876.19	-
Loan from Ministry of Railways for EAP/IBRD Projects - 8066	1,18,219.20	52,665.54
Loan from IBRD for EAP Projects- 8318	22,041.20	156.59
Total	**327,217.83**	**1,44,108.49**

6.1 Terms of Repayment (EAP/JICA LOAN)

Loan by JICA is being given to Ministry of Railways as Externally Aided components of Gross Budgetary Support (GBS) through Ministry of Finance. This is passed on to Loan for DFCCIL on back to back basis. As per clarification received from MOR vide letter number 2009/Infra/3/1/26 Pt-1 dated 06/02/2015, the tenure of loan is 40 years, rate of interest is 7% and moratorium period is 10 years. The accumulated interest accrued during the period of moratorium is payable after completion of 10 years. This interest will accrue on simple interest basis. There is no principal repayment as the Cabinet has approved for the loan to be extended to MOR as GBS.

6.2 Terms of Repayment (EAP/IBRD LOAN)

6.2.1 The Government of India (GOI) through the Ministry of Finance has entered into a Loan Agreement dated:- 27/10/2011 to avail a loan of USD 975 Million with Loan ID-8066 IN with the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) which shall be utilized towards Institutional Development Activities and Design, Construction and Commissioning of 343 Kms of double track electrified railway on the Khurja-Bhaupur Section of the Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC).

In terms of the Loan Agreement, DFCCIL has been identified as the Project Implementing Entity for implementation of the project. Further, to facilitate the carrying out of the project by DFCCIL, GOI through the MoR is required to make the proceeds of the Loan available to DFCCIL by way of MOR Loan under a Subsidiary Loan Agreement between the GOI through MOR and DFCCIL, under terms and conditions satisfactory to the Bank.

The repayment of IBRD Loan ID-8066 IN along with interest will be made by DFCCIL to MOR in Rupee equivalent of the USD Loan/Interest amount.

The DFCCIL has entered into another Loan Agreement with the IBRD dated 11/12/2014 to avail a loan of USD 1100 Million with Loan ID-8318 IN. This Loan shall be utilized towards Institutional Development Activities and Design, Construction and Commissioning of 393 Kms of double track electrified railway on the Kanpur-Mughal Sarai section of the EDFC. In this agreement the Government of India (GOI) has given Sovereign Guarantee.

The repayment of IBRD Loan ID-8318 along with interest will be made by DFCCIL to World Bank directly in the designated amount in USD.

6.2.2 Principal Repayment Terms & Details

Loan No.	Commencement of Repayment	Repayment Term	Repayment Period
IBRD Loan (EDFC) - 8066	From Nov. 2018	Half Yearly	In 30 Installments
IBRD Loan (EDFC) - 8318	From May 2021	Half Yearly	In 30 Installments

7 OTHER LONG TERM LIABILITIES

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Trade Payables	-	-
Others		
(i) Interest Accrued but not Due on Loan from MoR on EAP/JICA	17,521.77	8,574.76
(ii) Deposits/ Retention Money (Received from Supplier & Service Providers)	14,845.31	8,562.62
(iii) Income Received in Advance	187.59	189.90
(iv) Advance Received from customers against Deposit Work	5,561.52	5,561.52
(iv) Other Advances Received	183.75	-
Total	**38,299.94**	**22,888.80**

8 LONG TERM PROVISIONS

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
(A) Provision for Employees Benefits		
Gratuity	302.92	205.20
Leave Encashment	600.96	263.36
Leave Travel Concession	127.99	89.04
(B) Other Provisions	-	-
Total (A)+(B)	**1,031.87**	**557.60**

8.1 Employees Benefits

a) Gratuity

Provision for Gratuity liability for the period has been made as per Actuarial Valuation as on 31-03-2016.

Gratuity Benefit is payable to employees on separation from the Corporation. The amount of Gratuity payable is based on past service and salary at the time of separation as per Payment of Gratuity Act, 1972. There is a vesting period of 5 years on the benefit.

A Reconciliation of Opening & Closing Balances of the present value of the retirement benefit (Gratuity) obligation and the effects during the year attributable to each are the following:

Change in Present Value of Obligation

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Opening Balance	**213.38**	**109.93**
Interest Cost	17.07	9.34
Current Service Cost	86.33	63.86
Benefit Paid	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss on Obligation	7.35	30.25
Closing Balance	**324.13**	**213.38**

Expenses Recognized

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Interest Cost	17.07	9.34
Current Service Cost	86.33	63.86
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	7.35	30.25
Expenses recognized and transferred to Development Account	**110.75**	**103.45**

Movement in the Liability recognized in the Balance sheet

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Opening Net Liability	**213.38**	**109.93**
Expenses as Above	110.75	103.45
Benefit Paid	-	-
Actual Return on Plan Assets	-	-
Acquisition Adjustment	-	-
Closing Net Liability	**324.13**	**213.38**
Recognized as under:		**-**
Long Term Provision	302.92	205.20
Short Term Provision	21.21	8.19
Total	**324.13**	**213.38**

Actuarial Assumptions

	Year ended March 31, 2016	Year ended March 31, 2015
Method Of Valuation :	**Project Unit Credit Method**	**Project Unit Credit Method**
Discount Rate :	8.00%	8.00%
Salary Escalation Rate:	6.00%	6.00%
Mortality Rate	**IALM (2006-08)**	**IALM (2006-08)**

b) Leave Encashment

Provision for Leave Encashment Liability for the period has been made as per Actuarial Valuation as on 31-03-2016.

Employees are entitled to encashment of Earned Leaves (LAP)/ Half Pay Leave (LHAP) subject to certain limits and other conditions specified for the same.

A Reconciliation of Opening & Closing Balances of the present value of obligation and the effects during theyear attributable to each are the following:

Change in Present Value of Obligation

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Opening Balance	**286.94**	**160.09**
Acqusition Adjustment	-	17.24
Interest Cost	22.96	12.81
Current Service Cost	218.57	117.66
Past Service Cost	125.51	-
Benefit paid	(14.00)	(23.07)
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	16.97	2.21
Closing Balance	**656.95**	**286.94**

Expenses Recognized

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Interest Cost	22.96	12.81
Past Service Cost	125.51	-
Current Service Cost	218.57	117.66
Actuarial Loss / (Gain) on obligation	16.97	2.21
Expenses recognized and transferred to Development Account	**384.01**	**132.68**

Movement in the Liability recognized in the Balance sheet

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Opening Net Liability	**286.94**	**160.09**
Expenses as Above	384.00	132.68
Benefit Paid	(14.00)	(23.07)
Actual Return on Plan Assets	-	-

Acquisition Adjustment	-	17.24
Closing net liability	**656.94**	**286.94**
Recognized as under:		
Long Term Provision	600.96	263.36
Short Term Provision	55.98	23.58
Total	**656.94**	**286.94**

Actuarial Assumptions

	Year ended March 31, 2016	Year ended March 31, 2015
Method Of Valuation:	**Project Unit Credit Method**	**Project Unit Credit Method**
Discount Rate:	8.00%	8.00%
Salary Escalation Rate:	6.00%	6.00%
Mortality Rate	**IALM (2006-08)**	**IALM (2006-08)**

c) Leave Travel Concession

Provision for Leave Travel Concession for the period has been made as per Actuarial Valuation as on 31-03-2016.

Employees are entitled to leave travel concession subject to certain limits and other conditions specified for the same.

A Reconciliation of Opening & Closing Balances of the present value of obligation and the effects during the year attributable to each are the following:

Change in Present Value of Obligation

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Opening Balance	**92.12**	**79.68**
Acqusition Adjustment	-	-
Interest Cost	7.37	6.77

Current Service Cost	83.89	53.24
Benefit paid	(7.65)	(4.83)
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	(42.33)	(42.74)
Closing Balance	**133.40**	**92.12**

Expenses Recognized

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Interest Cost	7.37	6.77
Current Service Cost	83.89	53.24
Actuarial Loss / (Gain) on obligation	(42.33)	(42.74)
Expenses recognized and transferred to Development Account	**48.93**	**17.27**

Movement in the Liability recognized in the Balance sheet

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
Opening Net Liability	**92.12**	**79.68**
Expenses as Above	48.92	17.27
Benefit Paid	(7.65)	(4.83)
Actual Return on Plan Assets	-	-
Acquisition Adjustment	-	-
Closing net liability	**133.39**	**92.12**
Recognized as under:		
Long Term Provision	127.99	89.04
Short Term Provision	5.40	3.08
Total	**133.39**	**92.12**

Actuarial Assumptions

	Year ended March 31, 2016	Year ended March 31, 2015
Method Of Valuation:	**Project Unit Credit Method**	**Project Unit Credit Method**
Discount Rate:	8.00%	8.00%
Salary Escalation Rate:	6.00%	6.00%
Mortality Rate	IALM (2006-08)	IALM (2006-08)

9 OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
(i) Earnest Money Deposit	216.74	138.24
(ii) Fund received from MOR towards Land (Pending transfer to SLAO A/c)	2,683.12	3,382.70
(iii) Advance Received from Customers Against Deposit Work	6.48	6.48
(iv) Statutory Dues Payable	4,373.56	2,054.18
(v) Others Payables	37,911.19	31,718.04
(vi) Deposits/ Retention Money (Received from Supplier & Service Providers)	2,576.54	1,033.77
(vii) Income Received in Advance	5.55	5.55
(viii) Funds Received from MOR pending adjustment	-	2,793.10
(ix) Interest Accrued but not due on Loan from MoR on IBRD	419.36	126.42
(x) Other Advances Received	205.00	-
Total	**48,397.54**	**41,258.48**

10 SHORT TERM PROVISIONS

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
(A) Provision for Employees Benefits		-
Gratuity	21.21	8.19
Leave Encashment	55.98	23.58
Leave Travel Concession	5.40	3.08
(B) Other Provisions	-	-
Income Tax 2015-16 (Net of TDS & Advance Tax)	114.07	1.84
Total (A)+(B)	**196.66**	**36.69**

10.1 Provision for Income Tax has been made in respect of Income from Interest on Fixed Deposits and Service Charges recovered. However no provision has been made on Interest on Mobilization Advance given to Contractors, Liquidated damages (LDA) recovered, Interest on Advance Consumption Deposit, D&G and Supervision charges recovered as the same has been considered as Capital Receipts. No adjustment has been made for Deferred Taxes on Income as per AS 22, as the Company is in construction stage.

11 FIXED ASSETS

(₹ in Lakh)

	Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		As at 1st April 2015	Additions during the Period	Deletions / Adjustments during the Period	As at March 31, 2016	As at 1st April 2015	Charge for the Period	Deletions/ Adjustments during the Period	As at March 31, 2016	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
A)	**Tangible Assets**										
	(i) Flat (Leasehold)	160.00	160.00	-	320.00	10.66	6.82	-	17.48	302.52	149.34
	(ii) Leasehold Premises Improvement	1,427.56	53.23		1,480.79	1,099.72	79.18	-	1,178.90	301.89	327.84
	(iii) EDP Assets	634.22	294.24	50.09	878.37	363.02	172.89	42.80	493.11	385.26	271.20
	(iv) Office equipment	562.74	90.98	0.93	652.79	399.45	43.65	1.29	441.81	210.98	163.29
	(v) Furniture and fixtures	387.31	87.60	7.46	467.45	119.42	55.68	0.41	174.69	292.76	267.90
	(vi) Machinary	3.07	-	-	3.07	0.06	0.28	-	0.34	2.73	3.01
	Total (A)	**3,174.90**	**686.05**	**58.48**	**3,802.47**	**1,992.33**	**358.50**	**44.50**	**2,306.33**	**1,496.15**	**1,182.58**
(B)	**Intangible Assets**	-									
	(i) Computer software	182.29	153.25	0.29	335.25	140.92	54.58	0.11	195.39	139.86	41.37
	Total (B)	**182.29**	**153.25**	**0.29**	**335.25**	**140.92**	**54.58**	**0.11**	**195.39**	**139.86**	**41.37**
	Total (A) + (B)	**3,357.19**	**839.30**	**58.77**	**4,137.72**	**2,133.25**	**413.08**	**44.61**	**2,501.72**	**1,636.01**	**1,223.95**
	Previous Year	**2,862.39**	**606.14**	**111.34**	**3,357.19**	**1,924.08**	**277.36**	**68.20**	**2,133.24**	**1,223.95**	

Notes:

1. Company has taken leashold premises at various locations for offices for varying lease period. Improvements on such leasehold assets is depreciated/amortized as per accounting policy at 2.5(e).
2. Keeping in view the amount and nature of Fixed Assets, during the construction phase, Physical Verification of assets is done once in three years.
3. Considering the size of company and materiality of financial impact, assets having individual value of ₹ 5,000/- or less are depreciated fully in the year of purchase .
4. Lease Deed in respect of Flat amouting to ₹ 320.00 Lakh (Previous Year-₹ 160.00 Lakh) is yet to be executed in favour of the Company

(C) Capital Work In Progress

(₹ in Lakh)

Particulars	Opening Balance As at March 31, 2015	Additions during the Period	Capitalized during the Period	Deletions / adjustments during the Period	Closing Balance As at March 31, 2016
(i) Earthwork	25,780.66	2,793.59	-	-	28,574.25
(ii) Bridges Under Progress	141,906.83	33,614.51	-	839.44	174,681.90
(iii) Tracks	38,031.53	168,024.12	-	1,136.26	204,919.39
(iv) Other Project Expenditure	55,683.60	20,642.67	-	652.87	75,673.40
(v) Formation	170.72	17.67	-	12.50	175.89
(vi) Overhead Electric Equipment	81.11	2,131.06	-	-	2,212.17
(vii) Compensatory Afforestation Expenses	2,185.69	8,298.28	-	37.79	10,446.18
(viii) Material Issued to Contractors	10,396.39	165.46		10,561.85	-
(ix) Expenditure During Construction Period Note 19 (Development A/c Pending Capitalisation)	52,973.35	28,059.35	-	-	81,032.70
Total (C)	**327,209.88**	**263,746.71**	**-**	**13,240.71**	**577,715.86**

(D) Assets Under Development

(₹ in Lakh)

	Particulars	Opening Balance As at March 31, 015	Additions during the Period	Capitalized during the Period	Deletions / adjustments during the Period	Closing Balance As at March 31, 2016
(i)	**Tangible**					
	(i) Leashold Improvements Under Progress	8.18	88.59	96.77	-	-
	(ii) Office Equipments under Installation	10.81	-	10.81	-	-
	Total (i)	**18.99**	**88.59**	**107.58**	-	-
(ii)	**Intangible**					
	(ii) Software Under Progress IT	911.88	84.26	-	6.60	989.54
	Total (ii)	**911.88**	**84.26**	**-**	**6.60**	**989.54**
	Total (D)	**930.87**	**172.85**	**107.58**	**6.60**	**989.54**

12 LONG TERM LOANS & ADVANCES

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
A. Capital Advance		
a) Secured Considered Good		
i Mobilisation Advance		
(Secured against Hypothecation of Plant & Machinery in favour of DFCCIL)	3,080.79	3,734.84
b) Unsecured Considered Good		
i Advance for Shifting of Utilities	228,583.39	179,047.00
ii Advance for ROB/RUB	36,152.20	-
iii Advance for Capital Works- Others	27,190.77	1,876.44
iv Mobilisation Advance	153,939.91	98,969.29
Total (A)	**448,947.06**	**283,627.57**
B. Security Deposit		
Unsecured Considered Good		
i Security Deposit-.Electricity	32.95	32.60
ii Security Deposit - Lease Rent	86.18	75.58
iii Security Deposit Against-Telephone & Others	1.52	1.36
iv Security Deposit Against-Cutting of Trees	55.49	36.08
v Other Deposits including Interest	287.83	265.43
Total (B)	**463.97**	**411.05**
C. Others		
Advance to Employees (Unsecured Considered Good)	18.14	-
Advance Income Tax & TDS #	305.08	440.50
Total (C)	**323.22**	**440.50**
Total (A+B+C)	**449,734.25**	**284,479.12**

This represents Advance Income Tax & TDS (Net of provision for Income Tax) of ₹ 305.08 lakh (Previous Year ₹ 440.50 lakh) for earlier years Pending Asessement/Refund.

12.1 The Company has given advances to various parties for various capital works and for shifting of utilities along the Freight Corridors under construction. The total amount of such advances (Note No. 12.A b (i) (ii) (iii) as on 31.03.2016 is ₹ 2,91,926.35 Lakh (Previous Year ₹ 1,80,923.44 Lakh). The works are under various stages of progress and the same will be accounted for as CWIP on completion of respective works by the concerned parties.

13 CASH AND BANK BALANCES

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
(a) Cash and Cash Equivalents		
Bank Balances		
- Current Accounts & Flexi	17,479.84	17,046.45
- Deposit Accounts with maturity of 3 months or less	142,700.00	66,000.00
- Cheque in Hand	11.09	21.96
(b) Other Bank Balances		
- Deposit Accounts with maturity beyond 3 months	-	-
- Fixed Deposit Accounts Pledged as Security	416.34	416.34
Total (a) + (b)	**160,607.27**	**83,484.75**

13.1 Bank Balances includes ₹ 2,683.12 Lakh (Previous Year Rs. 3,382.70 Lakh) in Current Accounts & Flexi held on behalf of Ministry of Railways.

14 SHORT TERM LOANS & ADVANCES

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
(a) Other Loans & Advances (Unsecured Considered Good)		
(i) Employee advances	12.34	15.16
(ii) Prepaid Expense	19.65	12.26
(iii) Service Tax Input Credit & Advance Paid	91.26	113.15
(iv) Security Deposit - NDMC	9.98	10.33
(v) Others	58.70	29.95
Total	**191.93**	**180.85**

14.1 Advance to Directors outstanding as on 31.03.2016-NIL (Previous Year-NIL)

15 OTHER CURRENT ASSETS

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
(a) Interest Accrued on Fixed Deposit, Mobilization Advances & Others		
On Deposit Accounts with Banks	2,193.71	385.39
On Mobilisation Advances	1,588.46	664.09
(b) Expenditure on Land Acquisition -Recoverable from MOR	2,084.26	355.41
(c) Expenditure on Pets Survey -Recoverable from MOR	1,355.30	974.47
(d) Recoverable from Staff	3.45	3.38
(e) Recoverable from Contractors/Consultants	16.83	5.10
(f) Other Recoverable (Represents Rent & Facility Management Charges etc. receivable on account of sub-lease)	184.47	228.61
(g) Gold/Silver Medallian in hand	0.24	1.69
Total	**7,426.72**	**2,618.14**

15.1 Expenditure on Land Acquisition

(a) As per the directions of Ministry of Railways (MOR), Land for the project shall be acquired in the name of MOR under The Railways Act, 1989 as modified by The Railways (Amendment) Act, 2008 and the Land so acquired shall be leased to the Company at lease rent of 6% per annum of the Cost of Land on the date of handing over to DFCCIL. Lease rent shall commence from the date of commissioning. Funds for acquisition of land are being provided by MOR to separate bank accounts, being operated jointly by the State Land Acquisition Officer, being the Competent Authority under the above Act and a nominated official of the Company. Such Bank Accounts do not form part of the Company's Accounts.

(b) In addition to the compensation payments for Land acquisition, for which funds are given by MOR in separate account as explained in (a) above, Company is incurring facilitation & Administrative Expenditure in connection with acquisition of land, which are reimbursable by MOR on actual basis.

16. OTHER INCOME

(₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
(A) Interest Income		
Interest on Flexi/FDR	9,869.17	5,635.78
Total (A)	**9,869.17**	**5,635.78**
(B) Other Non Operating Income		
Misc. Income	6.86	2.02
Rent Recovery on Sub Lease (See note No. 16.1)	274.24	499.17
Housekeeping Exp. Recovered from Sub-Lessee	15.45	25.28
Office Security Exp. Recovered from Sub-Lessee	20.01	40.60
Electricity Exp. Recovered from Sub-Lessee	25.57	55.26
Annual Maintenance Charges Recovered from Sub-Lessee	6.03	14.75
Composite Rent & Facility Management Charges	236.17	182.35
Total (B)	**584.33**	**819.43**
(C) Less:- Direct Expenses		
Housekeeping Expenses	13.73	21.38
Rent	274.24	499.17
Composite Rent & Facility Management Exp	162.47	141.91
Office Security Expenses	17.78	34.33
Electricity Exp. Office	22.73	46.73
Annual Maintenance Charges	5.37	12.49
Total (C)	**496.32**	**756.01**
(D) Net Other Non Operating Income [(B) - (C)]	**88.01**	**63.42**
Net Other Income [(A) + (D)]	**9,957.18**	**5,699.20**
Less:Transferred to Development Account (Note 19)	**-**	**-**
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	**9,957.18**	**5,699.20**

16.1 Sub Lease

Rent Receivables on account of Sub-Lease recognised in the Statement of Profit & Loss for the period ended 31.03.2016 is ₹ 274.24 Lakh (Previous Period ₹ 499.17 Lakh)

17 EMPLOYEES BENEFITS EXPENSE

(₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
Salary, Wages & Allowances	7,683.45	6,028.39
Leave Salary & Pension Contribution	319.75	293.22
Gratuity, Contribution to PF & Pension Scheme (including. Admin fee)	417.43	322.50
Staff Welfare Exp.	476.34	356.00
Total	**8,896.97**	**7,000.11**
Less:Transferred to Development Account (Note 19)	**8,896.97**	**7,000.11**
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	**-**	**-**

17.1 Disclosure in respect of Defined Contribution Plan in terms of AS - 15 is as under

Contribution to Defined Contribution Plan recognized as development expenses are as under:

- Employer's Contribution to Provident Fund (Rs. in Lakh)	283.40	199.80

17 A Finance Cost

(₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
Interest Expenses on:		
EAP/JICA Loan	8,947.00	5,767.60
IBRD Loan	856.46	264.33
Interest on Income Tax	-	16.32
Upfront Fee	376.33	1,332.06
Guarantee Fee	266.94	-
Other Borrowing Costs:	**-**	**-**
Exchange Differences regarded as Adjustment to Interest Cost	4,922.52	1,684.16
Total	**15,369.25**	**9,064.47**
Less:Transferred to Development Account (Note 19)	**15,369.25**	**9,064.47**
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	**-**	**-**

Note:

In terms of para 4(e) of Accounting Standard 16 on Borrowing Cost, Borrowing Cost shall includes exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as adjustment to interest. To determine the same interest on borrowings has been computed @ 7%, which is the interest rate at which local currency borrowings to DFCCIL has been made available from MOR.

17 B Depreciation & Amortization Expenses

(₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
Depreciation - EDP Assets	217.35	90.49
Depreciation - Office Equipment	49.71	157.72
Depreciation - Furniture & Fixture	55.68	(33.51)
Depreciation - Leasehold Improvement	79.18	57.28
Depreciation - Leasehold Flat	6.82	5.33
Depreciation - Plant & Machinery	0.28	0.06
Total	**409.02**	**277.37**
Less:Transferred to Development Account (Note 19)	**409.02**	**277.37**
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	**-**	**-**

17 C Other Expenses

(₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
	-	
Advertisement Expenses	341.18	220.68
Communication Expenses	105.79	93.09
Printing & Stationary	135.89	122.59
Misc. Expenses	70.18	43.81
Books & Periodicals	2.57	2.41
Legal & Professional Charges	158.63	104.25
Directors Sitting Fee	-	2.02
Consultancy Fees to Consultants	134.15	127.83
Cost of Outsourced Staff (Placement)	415.77	260.95

Recruitment Expenses	1.10	470.23
Electricity Expenses	117.89	83.18
Power & Fuel	3.54	7.13
Housekeeping Expenses	321.26	303.15
Payment to Statutory Auditors *	16.72	13.79
Corporate Social Responsibility	167.98	32.27
Meeting & Conference	51.71	43.96
Rates & Taxes	112.03	102.04
Rent **	1,590.38	1,324.94
Tours ,Travels and Conveyance	2,172.11	1,659.96
Seminar & Training Expenses	380.81	230.95
Repair & Maintenance-others	118.61	86.98
Annual Subscription Fees-IT Consultancy & Software	6.92	1.94
Office Expenses	41.71	14.76
Hospitality Expenses	17.68	13.22
Office Security Expenses	215.08	68.32
Interest on Duties & Taxes	-	2.37
Foreign Currency Expenditure	7.57	2.25
Total	**6,707.26**	**5,439.07**
Less:- Transferred to Development Account (Note 19)	**6,539.28**	**5,406.80**
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	**167.98**	**32.27**
*** Payment to Statutory Auditors includes:**		
Statutory Audit Fee	9.78	9.22
Tax Audit Fee	2.26	2.19
Reimbursement of Expenses (paid during the period)	1.02	0.08
Provision towards out of Pocket Expense	1.41	0.37
Other Audit Fee (EDFC-I Audit)	1.96	1.93
Other Audit Fee (EDFC-II Audit)	0.29	-
	16.72	**13.79**

****Lease Rent:**

The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating leases of premises for offices & guesthouses. These leasing arrangements, which are not non-cancellable, are usually renewable on mutually agreeable terms. Lease payments in respect of premises for offices, guest house are shown in Rent.

Lease payments recognised in the Accounts for the period ended 31.03.2016 is ₹ 1590.38 Lakh (Previous Period ₹ 1324.94 Lakh)

17C-1 Details of Recovery from Sub-Lease and Composite Rent Towards Expenses:

(₹ in Lakh)

Nature of Expenditure	Gross Expenditure	Recovery from Sub-Lease (Refer point C of Note 16)	Recovery from Composite Rent (Refer point C of Note 16)	Net Expenditure (Refer Note 17C)
Rent	2,002.10	274.24	137.48	1,590.38
Electricity Expenses	147.64	22.73	7.02	117.89
Housekeeping Expenses	343.77	13.73	8.78	321.26
Repair & Maintenance	125.93	5.37	1.95	118.61
Office Security Expenses	240.10	17.78	7.24	215.08
Total	**2,859.54**	**333.85**	**162.47**	**2,363.22**

18 PRIOR PERIOD ADJUSTMENT

(₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
Consultancy Charges	0.75	7.93
Meeting Exp.	3.06	-
Electricity Exp.	-	0.29
Vehicle Hiring Charges	1.03	4.14
Misc. Prior Period Adjustments	-	2.94
Prior Period Consultancy-IT	7.26	-
Placement Consultancy Exp.	0.55	22.83
Tours ,Travels and Conveyance	6.07	1.63
Seminar & Training Exp.	-	(29.45)
Professional Charges	-	5.31
Salary, Wages & Allowances	125.51	(1.02)
Foreign Service Contribution	-	12.99
Security Charges	-	(0.97)
Rent	(1.39)	0.59

Interest on Loan	-	(4.63)
Interest on Consumption Deposit	-	(16.23)
Depreciation	3.64	-
Total	**146.48**	**6.35**
Less:Transferred to Development Account (Note 19)	**146.48**	**6.35**
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	**-**	**-**

19 DEVELOPMENT ACCOUNT (PENDING CAPITALISATION)

(₹ in Lakh)

Particulars	Note No.	For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
Employees Benefit Expense	17	8,896.97	7,000.11
Finance cost	17 A	15,369.25	9,064.47
Depreciation and Amortization Expense	17 B	409.02	277.37
Other Expenses	17 C	6,539.28	5,406.80
Prior Period Adjustment	18	146.48	6.35
Total (A)		**31,361.00**	**21,755.10**
Less:			
Liquidated Damage (LDA)		1,918.30	302.67
Interest on Mobilization Advance		1,385.50	1,838.90
Interest on Advance Consumption Deposit		22.40	29.21
Interest on Advances-Employees		0.93	-
Cash Discount from Contractors		0.72	233.95
Recruitment Fees Received		186.28	77.17
Profit on Sale of Fixed Assets		0.69	32.21
Foreign Currency Fluctuation Gain / (Loss)		(326.52)	209.62
Security Deposit/EMD Forfeited		6.06	14.70
D&G ,Supervision & Plant Estimation Charges Received		5.85	7.44
Sale of Tender		40.40	22.61
Total (B)		**3,240.61**	**2,768.48**
Net Expenditure (A-B)		**28,120.39**	**18,986.62**
Profit Transferred From Statement of Profit And Loss		**61.04**	**45.92**
Total Transferred To Capital Work In Progress (CWIP)		**28,059.35**	**18,940.70**

20.

a) Contingent Liabilities as on:-

(₹ in Lakh)

Description	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
Claims against the Company not acknowledged as debts in respect of Capital Works	34,805.54	31,796.38
Disputed Taxation Demands	119.08	705.87
Total	**34,924.62**	**32,502.25**

b) The above Contingent Liabilities do not include Contingent Liabilities on account of pending cases in respect of service matters & others where the amount cannot be quantified.

c) It is not practicable to disclose the uncertainties relating to any outflow.

d) A number of cases are lying for adjudication at different forums pertaining to Land Compensation. Since Land Acquisition is being done by the Company as a facilitator for Ministry of Railways, company is not subject to any liability that may arise pursuant to the decision of aforesaid adjudicating authorities.

21. In accordance with Accounting Standard – 29, particulars of Provisions are as under:-

(₹ In Lakh)

Particulars	Gratuity	Leave Encashment	Leave Travel Concession	Income Tax
Opening Balance	213.38	286.94	92.12	1.84
Additions during the Year	110.75	384.00	48.92	3,408.33
Amount Used/Incurred	-	14.00	7.65	3,296.10
Unused Amount Reversed	-	-	-	-
Closing Balance	**324.13**	**656.94**	**133.39**	**114.07**

22. Capital Commitments:- Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for ₹ 24,70,940.11 Lakh (Previous Year ₹ 10,00,720.72 Lakh).

23. Balances shown under Material issued to Contractors, Claims Recoverable, Advance for Capital Expenditure, Advances to Contractors, Recoverable/Payable from/to MOR, Sundry Creditors and Deposits/Earnest money from contractors are subject to Reconciliation/ Confirmation and respective consequential adjustments.

24. In the opinion of the management, the value of Current Assets, Loans and Advances on realisation in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the Balance Sheet.

25. The effect of Foreign Exchange Fluctuation during the period ended 31st March, 2016 is as under:

(₹ in Lakh)

S.No	Particulars	Year ended March 31, 2016	Year ended March 31, 2015
(i)	Amount charged to Development Account as Borrowing Cost	4922.52	1684.16
(ii)	Amount charged to Development Account as FERV	326.52	(209.62)

26. The amount of borrowing cost capitalised by transfer to 'Development Account' during the current year is ₹ **15,369.25** Lakh (Previous Year ₹ 9,048.15 Lakh).

27. During the financial year ended 31.03.2016, following Significant Accounting Policies have been reworded / modified / introduced:

Significant Accounting Policy	Description	Impact on Accounts
Policy No. 2.5(b)	Policy is reworded to disclose the fact of using the useful life indicated in Para 219 of Indian Railway Finance Code for the purpose of depreciation of Railway Assets.	Depreciation for the current year has been decreased by ₹ 20.71 Lakh.

28.

(a) The Company is in construction stage for the work relating to construction of Eastern and Western Freight Corridors. Operations are yet to be started. Statement of Profit & Loss is being drawn only for non-operational income i.e. interest on Bank deposit & service charges income on Facility Management Services provided on sub- lease and these do not form a reportable segment as per Accounting Standard - 17 on Segment Reporting notified by The Companies Accounting Standard Rules, 2006.

(b) Since the Company is constructing freight corridor within the country, geographical segments is also not applicable.

29. In compliance of Accounting Standard – 18 on Related Party Disclosures, the required information is as under:-

a) Key Management Personnel

Shri Adesh Sharma	Managing Director
Shri H.D. Gujrati	Director (OPR & BD)
Shri Anshuman Sharma	Director (PP)
Shri M. K. Mittal	Director (Finance)
Shri D.S.Rana	Director (INFRA)
Ms. Meenu Kapoor	Company Secretary

b) Transactions carried out with the Related Parties

Remuneration to Key Management Personnel is ₹ 148.51 Lakh (Previous Year ₹ 136.32 Lakh) and amount of dues outstanding to the Company as on 31.03.2016 is Nil (Previous Year – Nil).

30. Earnings Per Share:- The elements considered for calculation of Earnings Per Share (Basic and Diluted) are as under

Particulars	Year Ended March 31, 2016	Year Ended March 31, 2015
Net Profit After Tax used as Numerator (₹ in Lakh)	6,319.84	3,738.26
Weighted Average number of Equity Shares used as Denominator – Basic – Diluted	4,69,27,808 4,81,04,710	3,51,40,830 3,71,86,469
Earnings Per Share (₹) – Basic – Diluted	13.47 13.14	10.64 10.05
Face Value Per Share (₹)	1,000	1,000

31. INCOME / EXPENDITURE IN FOREIGN CURRENCIES

(₹ In Lakh)

Particulars	Year ended March 31, 2016	Year ended March 31, 2015
Income:	**Nil**	**Nil**
Expenditure:		
Interest	853.34	264.32
Professional & Consultation Fee	3,757.63	5,611.34
Contractual Payments	37,552.20	8,195.40
Others	69.81	60.68

32. The Board of Directors has approved a sum of ₹ **135.00 Lakh** to be incurred for Corporate Social Responsibility (CSR) during the year 2015-16. During the year, company has incurred ₹ 167.98 Lakh on CSR Activities.

(₹ in Lakh)

Particulars	In Cash	Yet to be Paid in Cash	Total
Construction/Acquisition of any Asset	NIL	NIL	NIL
On purpose other than above	130.42	37.56	167.98
Total	**130.42**	**37.56**	**167.98**

33. Disclosure as required under Section 22 of The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is as follows:-

(₹ in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Year ended March 31, 2016	Year ended March 31, 2015
(i)	Principal amount remaining unpaid to Micro, small & medium enterprise.	NIL	NIL
(ii)	Interest accrued on principal amount remaining unpaid as (i) above	NIL	NIL
(iii)	Amount of Interest paid during the FY along with the payment of principal amount made beyond 15 days or agreed time from the date of delivery/rendering of services.	NIL	NIL
(iv)	Interest due but yet to be paid on principal paid during the FY	NIL	NIL
(v)	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding period, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as deductible expenditure.	NIL	NIL

34. Pending approval of superannuation scheme by MOR in terms of Para 2(iii) of DPE OM no 2(70)/08-DPE (WC)-GL-VII/09 dated 02.04.2009, no provision has been made in the accounts towards Pension & Post Superannuation medical benefits since the approval of MOR is considered as obligating event in term of AS-29 for creation of provision in terms of ibid AS.

35. The figures in the Financial Statements have been rounded off to ₹ Lakh. Previous year figures / Opening balances have been regrouped/re-arranged/re-cast wherever necessary.

These are the Notes referred to in our report of even date.

For Baweja & Kaul
Chartered Accountants
Firm Registration No:- 05834N

For and on Behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Sakshi Kaul Dhar	(Adesh Sharma)	(M.K.Mittal)
Partner	Managing Director	Director Finance
M.No. 514325	DIN-7022393	DIN-2889021

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary
ACS-18954

Place:- New Delhi
Date:- 27/6/2016

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the accompanying financial statements of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2016, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134 (5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the Accounting and Auditing Standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143 (10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

OPINION

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2016, and its Profit and its Cash Flows for the year ended on that date.

EMPHASIS OF MATTER

We draw attention to the matter in the Notes to the financial statements:

Note No 23 wherein, it has been stated that the Balances shown under Material issued to Contractors, Claims recoverable, Advance for Capital Expenditure, Advances to Contractors, Recoverable/Payable from/to Ministry of Railways, Sundry Creditors and Deposits/Earnest Money from Contractors are subject to Reconciliation/Confirmation and respective consequential adjustments.

Our opinion is not modified in respect of matter stated under Emphasis of Matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. The Comptroller and Auditor General of India has issued directions indicating the areas to be examined in terms of sub section (5) of Section 143 of the Companies Act 2013, the compliance of which is set out in "Annexure B".
3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
   (a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
   (b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

(c) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

(d) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014,

(e) in terms of Notification No. G.S.R. No. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of directors, are not applicable to the Company;

(f) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C"; and

(g) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. Refer Note 20 to the financial statements;

ii. The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;

iii. The provision of transferring the amount to the Investor Education and Protection Fund is not applicable to the company.

For BAWEJA & KAUL
Chartered Accountants
FRN:- 005834N

Sd/
CA Sakshi Kaul Dhar
Partner
M.No. 514325

Place:- New Delhi
Dated:- 27.06.16

Annexure A to the Independent Auditor's Report referred to in paragraph 1 under the heading 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date to the members of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the financial year ended on 31st March 2016

i. (a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

(b) The company has a regular program of physical verification of its fixed assets once in three years. However, during the year the company has conducted Physical Verification of those Fixed Assets for which Physical Verification was not conducted in the financial year 2014-15. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regard to the nature of its assets and the size of the company. According to the information and explanations given to us by the management, no material discrepancies as compared to book records were noticed in respect of fixed assets physically verified during the year.

(c) According to the information and explanations given to us by the management and on the basis of our examination of the records of the company,

The company does not have any immovable properties in its name except two flats on leasehold basis amounting to Rs 320 Lakh, as disclosed in the Note no. 11 to the financial statements, in respect of which leasehold deed is yet to be executed.

ii. The company has been incorporated for running and maintaining dedicated freight corridor. Since the railway freight corridors are under construction, it does not hold any physical inventories. Therefore, clause 3(ii) of the Order is not applicable.

iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured to the companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. In view of this, sub clauses (a), (b), and (c) of clause 3(iii) of the Order are not applicable.

iv. According to the information and explanation given to us by the management, the Company has not given any loans, investments, guarantees and securities as per section 185 and 186 of the Companies Ac,t 2013, Accordingly, clause 3(iv) of the Order is not applicable.

v. The Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013, and the rules framed there under. consequently the directives issued by the Reserve Bank of India and provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed there under are not applicable.

vi. According to the information and explanations given to us by the management, the Central Government has not prescribed for the maintenance of cost records under sub section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 in respect of any of the activities of the company.

vii. (a) According to the information and explanations given to us by the management and on the basis of our examination of the records of the company, amounts deducted / accrued in the books of accounts in respect of undisputed statutory dues including

provident fund, employee's state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of customs , duty of excise, Value added tax, Cess and any other material statutory dues have generally been regularly deposited during the year by the Company, with the appropriate authorities.

(b) According to the information and explanation given to us by the management and as per the records of the Company, the following dues of income tax & Sales Tax/VAT have not been deposited on account of dispute.

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount (Rs. in Lakhs)	Year to Which it pertains	Forum at which case is pending
Sales Tax Act	Sales Tax/VAT	2.97	2013-14	VATO (Ward 2) New Delhi
Income Tax Act, 1961	Income Tax	7.03	2009-10	CIT (Appeals), New Delhi
Income Tax Act, 1961	Income Tax	15.23	201 1-12	ITAT, New Delhi
Income Tax Act, 1961	TDS	0.04	2007-08	AC1T, New Delhi
Income Tax Act, 1961	TDS	2.13	2008-09	ACIT, New Delhi
Income Tax Act, 1961	TDS	45.57	2009-10	ACIT, New Delhi
Income Tax Act, 1961	TDS	8.04	2010-11	ACIT, New Delhi
Income Tax Act, 1961	TDS	0.04	2011-12	ACIT, New Delhi
Income Tax Act, 1961	TDS	23.06	2012-13	ACIT New Delhi
Income Tax Act, 1961	TDS	14.97	2013-14	ACIT New Delhi

viii. Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us by the management, the company has not defaulted in repayment of loans & borrowings to any financial institution, bank, government and dues to debenture holders.

ix. Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us by the management, the company has not raised any funds by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). However, the company has raised the term loans during the financial year ending 31st March, 2016 and the same were applied for the purpose for which those were raised.

x. Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us by the management, no fraud by the company or any fraud on the company, by any person including its officers/employees, has been noticed or reported during the year.

xi. In view of the exemption given in terms of Notification No. G.S.R. No. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section 197 read with schedule V to the Companies Act, 2013 regarding managerial remuneration are not applicable to the company.

xii. According to the information and explanations given to us by the management, the company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 3(xii) of the Order are not applicable to the company.

xiii. According to the information and explanations given to us by the management and on the basis of our examination of the records of the Company, transactions with related parties are in compliance with the provisions of section 177 and 188 of the Companies Act, 2013, wherever applicable and the details of such transactions have been disclosed in the notes to the financial statements as required by the applicable accounting standards.

xiv. Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Therefore, the provisions of clause 3(xiv) of the Order are not applicable to the company.

xv. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them. Therefore the provisions of clause 3(xv) of the Order are not applicable to the company.

xvi. The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1931. Therefore the provisions of clause 3(xvi) of the Order are not applicable to the company.

For BAWEJA & KAUL
Chartered Accountants
FRN:- 005834N

Sd/-
CA Sakshi Kaul Dhar
Partner
M.No. 514325

Place:- New Delhi
Dated:- 27.06.16

Annexure B to the Independent Auditor's Report referred to in paragraph 2 under the heading 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date to the members of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the financial year ended on 31st March 2016

S. No.	Directions	Our Report
1	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available.	According to information and explanations given to us by the management, the Company does not own any land either on freehold or leasehold basis. However, the company has leasehold rights of two flats of 199.5 sqm. each, in respect of which leasehold deed is yet to be executed.
2	Whether there are any cases of waiver/write off of debts/ loans/interest etc., if yes, the reasons therefore and the amount involved.	According to information and explanations given to us, there are no cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities?	The company does not maintain any inventories. According to information and explanations given to us, the company has not received any assets as gifts/grant(s) from government or other authorities.

For BAWEJA & KAUL
Chartered Accountants
FRN:- 005834N

Sd/-
CA Sakshi Kaul Dhar
Partner
M.No. 514325

Place:- New Delhi
Dated:- 27.06.16

Annexure C to the Independent Auditor's Report referred to in paragraph 3(f) under the heading 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date to the members of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the financial year ended on 31st March 2016

Report on the Internal Financial Control under Clause (i) of Sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited** ("the Company") as on 31st March 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan. and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2016, based on the internal control over financial reporting

criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For BAWEJA & KAUL
Chartered Accountants
FRN:- 005834N

Sd/-
CA Sakshi Kaul Dhar
Partner
M.No. 514325

Place:- New Delhi
Dated:- 27.06.16

CONFIDENTIAL

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT, RLY-COMMERCIAL
COFMOW, INDIAN RAILWAYS, TILAK BRIDGE, NEW DELHI-110002

NO.PDA/RC/RPSU/32-31/DFCCIL/2015-16/172 Dt- 13-07-2016

To,
Managing Director
Dedicated Freight Corridor Corporation of India
New Delhi

Subject:- Comments of Comptroller of Auditor General Of India under section 143 (6)(B) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the year 31st March, 2016.

Sir,
I, forwarding Comments of Comptroller of Auditor General of India under section 143 (6)(B) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the year 31st March, 2016.

Receipt of the letter may please be acknowledged.

Yoursfaithfully

Sd/-
(DineshBhargav)
Principal Director of Audit
(Railway Commercial)

Encls:- As Above

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016.

The preparation of financial statements of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on Independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27 June 2016.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Dinesh Bhargav)
Director General of Audit
Railway Commercial, New Delhi

Place:- New Delhi
Dated:- 13 July, 2016

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार
(रेल मंत्रालय) का उपक्रम

वार्षिक रिपोर्ट
2015-2016

सामान्य सूचना

पंजीकृत कार्यालय /कॉर्पोरेट कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय
5वां तल, प्रगाति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर,
नई दिल्ली–110001

सांविधिक लेखा परीक्षक
बावेजा एंड कौल, चार्टड एकाउन्टेंट
306, कॉर्पोरेट टॉवर्स
85 ए, जमरूदमुर ग्रेटर कैलाश–1
नई दिल्ली–110048

आंतरिक लेखा परीक्षक
मेसर्स ग्यानेन्द्र एंड एसोसियेट्स
चार्टड एकाउन्टेंट
प्लॉट नं. 6, साइट नं. 21
गीता मंदिर मार्ग
न्यू राजिन्दर नगर
दिल्ली–110060

बैंकर्स
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एच डी एफ सी बैंक
आई सी आई सी आई बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स
कोटक महिन्द्रा बैंक

इस रिपोर्ट की तारीख तक कार्य कर रहे निदेशकों की सूची

क्रसं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण की तिथि
1.	श्री ए.के.मित्तल	अंशकालिक अध्यक्ष सरकारी	03.02.2015
2.	श्री आदेश शर्मा	प्रबंध निदेशक	20.10.2014
3.	श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक / परि.नियोजन	05.04.2011
4.	श्री एच.डी.गुजराती	निदेशक / परि.एवं व्य.विकास	29.11.2012
5.	श्री एम. के. मित्तल	निदेशक / वित्त	16.09.2013
6.	श्री डी. एस. राणा	निदेशक / अवसंरचना	27.10.2014
7.	श्री गिरीश पिल्लई	अंशकालिक निदेशक / (सरकारी)	14.11.2012
8.	श्री रवि माथुर	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2016
9.	श्रीमती शक्ति मुंशी	स्वतत्र निदेशक	01.04.2016
10.	श्री वाई.एस मलिक	अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित नीति आयोग)	30.06.2016

विषय सूची

1.	अध्यक्ष का संदेश	165
2.	सूचना	167–174
3.	प्राक्सी फार्म	175–176
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	177–206
5.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी और प्रबंधन का उत्तर (अनुलग्नक ''ए'')	207
6.	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की रिपोर्ट उत्तर (अनुलग्नक ''बी'')	209–217
7.	कॉर्पोरेट शासन (गवर्नेस) रिपोर्ट (अनुलग्नक ''सी'')	219–232
8.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकार द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाण पत्र (''सी–1')	233
9.	प्रबंध निदेशक की घोषणा (अनुलग्नक ''सी–2'')	234
10.	पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन का प्रमाण पत्र (''सी–3'')	235
11.	प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक ''डी'')	237–247
12.	व्यवसायिक कंपनी सचिव से एक सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट (अनुलग्नक ''ई'')	249–252
13.	वार्षिक रिपोर्ट के सार का बोर्ड रिपोर्ट में संलग्न फार्म नं एमजीटी–9 (अनुलग्नक''एफ'')	253–262
14.	वित्तीय विवरण	263–305
15.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	307–315
16.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	317–319

अध्यक्ष का संदेश

डीएफसीसीआईएल की दसवीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा परिक्षित कंपनी के खाते और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो पहले से ही आपको भेजी जा चुकी है।

1. डीएफसीसीआईएल का निर्माण बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यक्ताओं को पूरा करने और रेलवे की मालभाड़ा क्षमता को बढाने के उद्देश्य से की गई है। कंपनी को राज्य की अत्याधुनिक प्रोद्योगिकी के साथ पूर्वी एवं पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (डीएफसी) के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने द्रुत गति से कार्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं हैं।

2. वर्ष 2015–16 में कई मोर्चों पर सराहनीय प्रगति इसका प्रमाण है। कंपनी के पूंजीगत खर्च में वर्ष 2014–15 में रू. 2897 करोड़ से वर्ष 2015–16 रू. 8508 करोड़ की तीनगुना वृद्धि हुई है। कंपनी ने भूमि की लागत सहित संचयी पूंजीगत खर्च रू. 21751 करोड़ किया है। 2473 किमी. (87%) के लिए सिविल ठेके और 2188 किमी. (78%) के लिए इलेक्ट्रीकल/सिगनल एवं टेलीकम्यूनिकेशन ठेकों को प्रदान किया गया है। छह वर्ष पूर्व रू. 13000 करोड़ के ठेकों की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान अकेले रू. 21005 करोड़ के ठेके प्रदान किए गए।

3. दिनांक 30.03.2016 को डीएफसी ट्रैक पर दुर्गावती से सासाराम (56 किमी.) पहली मालगाड़ी चलाई गई।

4. कंपनी ने राज्य सरकार से 50:50 आधार पर आरओबी की लागत को साझा करने के लिए सहमति बना ली है। 09 राज्यों में 121 आरओबी के लिए सहमति प्राप्त हो गई है। भूमि अधिग्रहण में अनुमानित प्रगति पूर्वी कोरीडोर (सोननगर–दानकुनी को छोड़कर) और पश्चिमी डीएफसी के लिए 90% और 96% अपेक्षित प्रगति हुई है। कंपनी ने कार्य करने की अपनी आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक संगठन को मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। कंपनी व्यवसायिक नैतिकता और मूल्यों के पालन करने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा निर्देशों/मानकों के पालन करने के लिए वचनवद्ध हैं।

5. मैं रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय रेलों, अन्य भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों, भूमि एजेन्सीयों, बैंकर्स और व्यापारिक संबंधियों को उनके द्वारा डीएफसीसीआईएल के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

   मुझे कोई संदेह नहीं है कि समर्पित टीम के एक साथ काम करने और केंद्रित दृष्टिकोण से कंपनी समय सीमा के अंदर लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो पाएगा।

ह/–

(ए.के.मित्तल)

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 26.09.2016

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईएन–यू60232डीएल2006जीओआई155068) के सदस्यों की 10वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 26 सितबंर, 2016 को दोपहर 12.30 बजे सभा कक्ष, 5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर, नई दिल्ली–110001 में आयोजित होगी।

साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ–साथ 31 मार्च, 2016 के अनुसार लेखा परीक्षित विवरण, लेखा परीक्षित संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते का विवरण को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और स्वीकार करना।

2. कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं निर्धारित पारिश्रमिक के द्वारा निम्नलिखित संकल्प अपनाकर की जाती है।

   ''संकल्प किया जाता है कि सदस्यों, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए मेसर्स बवेजा और कौल, चार्टर्ड एकाउंटेंट को कंपनी के संविधिक लेखा परीक्षक के रूप में निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षक की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है''।

   ''संकल्प किया जाता है कि आगे भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण कमेटी के सिफारिशों पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक को निर्धारित पारिश्रमिक पर कंपनी के ''बोर्ड'' द्वारा नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

विशेष कार्य

3. **विचार करने और यदि सही, जारी करना संशोधन के साथ या बिना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में:**

   ''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में यदि कोई हो, तो संबंधित कंपनी के एसोसियेशन के संबंधित अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाए, कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा तद्नुसार सहमति दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति ने रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2008/इन्फ्रा/6/1/भाग–1 दिनांक 01.04.2016 के द्वारा श्री रवि माथुर को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष अथवा आगे के आदेशों तक जो भी पहले हो कंपनी का अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया है।

   ''आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक/वित्त/कंपनी सचिव को सभी कार्यों का जो भी आवश्यक दस्तावेज हो, पर हस्ताक्षर करने, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन कार्य करने के लिए उससे संबंधित अनुषंगिक हो सकते हैं, को अधिकृत किया जाता है।

4. **विचार करने और यदि सही, जारी करना संशोधन के साथ या बिना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में:**

   ''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2), के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों

के अनुसरण में यदि कोई हो, तो संबंधित कंपनी के एसोसीएशन के संबंधित अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाए, कंपनी की सहमति से भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2008/इन्फ्रा/6/1 (भाग–1) दिनांक 01.04.2016 के अंतर्गत श्रीमती शक्ति मुंशी को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष अथवा आगे आदेशों तक जो भी पहले हो कंपनी का गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया है।

''आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक/वित्त/कंपनी सचिव को सभी कार्यों का जो भी आवश्यक दस्तावेज हो, पर हस्ताक्षर करने, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन कार्य करने के लिए उससे संबंधित अनुषंगिक हो सकते हैं, को अधिकृत किया जाता है।

5. **विचार करने और यदि सही, जारी करना संशोधन के साथ या बिना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में:**

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2), के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में यदि कोई हो, को संबंधित कंपनी के एसोसीएशन के संबंधित अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाए, कंपनी की सहमति से भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2016/पीएल/61/4 दिनांक 30.06.2016 के अंतर्गत श्री वाई एस. मलिक, अपर सचिव, नीति आयोग को तत्काल प्रभाव से अपर सचिव, नीति आयोग के पद पर कार्यरत रहते हुए, और आगे आदेशों तक जो भी पहले हो कंपनी का अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया है।

''आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक/वित्त/कंपनी सचिव को सभी कार्यों का जो भी आवश्यक दस्तावेज हो, पर हस्ताक्षर करने, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन कार्य करने के लिए उससे संबंधित अनुषंगिक हो सकते हैं, को अधिकृत किया जाता है।

6. **विचार करने और यदि सही, जारी करना संशोधन के साथ या बिना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में:**

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में यदि कोई हो, को प्रभावी, कंपनी के एसोसियेशन के ज्ञापन की समीक्षा को अनुमोदत किया जाता है और नए एसोसियेशन के ज्ञापन के साथ बदला जाता है, के साथ पढ़ा जाए।

''आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक/वित्त/कंपनी सचिव को सभी कार्यों का जो भी आवश्यक दस्तावेज हो, पर हस्ताक्षर करने, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन कार्य करने के लिए उससे संबंधित अनुषंगिक हो सकते हैं, को अधिकृत किया जाता है।

7. **विचार करने और यदि सही, जारी करना संशोधन के साथ या बिना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में:**

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में यदि कोई हो, को प्रभावी, कंपनी के एसोसियेशन के ज्ञापन की समीक्षा को अनुमोदत किया जाता है और नए एसोसियेशन के ज्ञापन के साथ बदला जाता है, के साथ पढ़ा जाए।

''आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक/वित्त/कंपनी सचिव को सभी कार्यों का जो भी आवश्यक दस्तावेज हो, पर हस्ताक्षर करने, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन कार्य करने के लिए उससे संबंधित अनुषंगिक हो सकते हैं, को अधिकृत किया जाता है।

8. **विचार करने और यदि सही, जारी करना संशोधन के साथ या बिना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में:**

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13, धारा 61 (1) (ए) और कंपनी के एसोसीएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुमोदन, कंपनी की सहमति के अनुसार कंपनी के अधिकृत शेयर पूंजी रू. 8000,00,00,000/– (रू. आठ हजार करोड़) से रू. 220,00,00,00.000/– (रू. बाईस हजार करोड़) बढाई जाती है और कंपनी के एसोसीएशन के ज्ञापन धारा (V) (कैपीटल क्लॉज) में तद्नुसार संशोधन किया जाता है।

''आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक/वित्त/कंपनी सचिव को सभी कार्यों का जो भी आवश्यक दस्तावेज हो, पर हस्ताक्षर करने, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन कार्य करने के लिए उससे संबंधित अनुषंगिक हो सकते हैं, को अधिकृत किया जाता है

बोर्ड के आदेश से

ह/–
मीनू कपूर
कपंनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनाकः 31.08.2016

टिप्पणी

1. कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 102 के अनुसरण में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण के व्यापार के संबंध में सूचना की मद संख्या 3 से 8 तक निम्नानुसार संलग्न है।
2. वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) में भाग लेने और मत देने का हकदार कोई सदस्य अपने एवज में भाग लेने और मत देने के लिए एक परोक्षी नियुक्त करने के लिए हकदार है और परोक्षी के लिए कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। परोक्षी नियुक्त करने का प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले जमा करा दिया जाना चाहिए।
3. वार्षिक आम सभा की सूचना वार्षिक रिपोर्ट 2015–2016 के साथ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई मेल पते कंपनी के पास पंजीकृत हैं, जब तक किसी सदस्य द्वारा भौतिक रूप से उक्त प्रति के लिए अनुरोध न किया जाए। वह सदस्यगण जिनके ई मेल पते पंजीकृत नहीं है, उन्हें अनुमति माध्यम से भौतिक प्रति भेजी जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में विदेश व्यापार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या–3

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) में यह व्यवस्था की गई है कि अन्यथा स्पष्ट रूप से अधिनियम में प्रदत्त कंपनी द्वारा प्रत्येक निदेशक को वार्षिक बैठक में नियुक्त किया जाएगा। तद्नुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियों के लिए शेयरधारकों की सहमति लेना आवश्यक है।

2. कंपनी के एसोसीएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 81 प्रदान करता है–

   1. राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति होगीः

   क) पूर्णकालिक अध्यक्ष, अंशकालिक अध्यक्ष, पूर्ण कालिक प्रबंध निदेशक अथवा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ओर अन्य पूर्णकालिक निदेशक।

   ख) निदेशकगण भारत सरकार और अथवा अन्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे और

   ग) अन्य निदेशकगण अध्यक्ष की सलाह से स्वतंत्र निदेशकगण सहित। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशकगण कार्यालय में तब तक कार्य करेंगे जब तक कि उन्हें हटाया, त्यागपत्र, सेवानिवृति, मृत्यु अथवा अन्य कारण न हो।

3. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2008/इन्फ्रा/6/1 (भाग–1) दिनांक 01.04.2016 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति ने श्री रवि माथुर, को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, कंपनी का गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया है।

   कंपनी के कोई निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और/अथवा उनके रिश्तेदार इससे संबंधित वित्तीय अथवा अन्यथा श्री रवि माथुर के अतिरिक्त उनके व्यापार से संबंधित हैं।

मद संख्या–4

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) में यह व्यवस्था की गई है कि अन्यथा स्पष्ट रूप से अधिनियम में प्रदत्त कंपनी द्वारा प्रत्येक निदेशक को वार्षिक बैठक में नियुक्त किया जाएगा। तद्नुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियों के लिए शेयरधारकों की सहमति लेना आवश्यक हैं

2. कंपनी के एसोसीएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 81 के अंतर्गतः– (अध्यक्ष, अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, निदेशकों और उनके कार्यालय) की नियुक्ति अनुच्छेद 81 प्रदान करता है–

   1. राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति होगीः

   क) पूर्णकालिक अध्यक्ष, अंशकालिक अध्यक्ष, पूर्ण कालिक प्रबंध निदेशक अथवा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक।

   ख) निदेशकगण भारत सरकार और अथवा अन्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे और

   ग) स्वतंत्र निदेशकों सहित अन्य निदेशकगण अध्यक्ष की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशकगण कार्यालय में तब तक कार्य करेंगे जब तक कि उन्हें हटाया, त्यागपत्र, सेवानिवृति, मृत्यु अथवा अन्य कारण न हो।

3. भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2008/इन्फ्रा/6/1 (भाग–1) दिनांक 01.04.2016 के अंतर्गत श्रीमती शक्ति मुंशी को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष अथवा आगे आदेशों तक जो भी पहले हो कंपनी का गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया है।

कंपनी का न कोई निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और /अथवा उनके रिश्तेदार इससे संबंधित वित्तीय अथवा अन्यथा श्रीमती शक्ति मुंशी के अतिरिक्त उनके व्यापार से संबंधित हैं।

मद संख्या–5

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) में यह व्यवस्था की गई है कि अन्यथा स्पष्ट रूप से अधिनियम में प्रदत्त कंपनी द्वारा प्रत्येक निदेशक को वार्षिक बैठक में नियुक्त किया जाएगा। तद्नुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियों के लिए शेयरधारकों की सहमति लेना आवश्यक हैं।
2. कंपनी के एसोसीएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत–
   1. राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति होगीः
      - क) पूर्णकालिक अध्यक्ष, अंशकालिक अध्यक्ष, पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक अथवा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक।
      - ख) निदेशकगण भारत सरकार और अथवा अन्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे और
      - ग) अन्य निदेशकगण अध्यक्ष की सलाह से स्वतंत्र निदेशकगण सहित। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशकगण कार्यालय में तब तक कार्य करेंगे जब तक कि उन्हें हटाया, त्यागपत्र, सेवानिवृति, मृत्यु अथवा अन्य कारण न हो।
3. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2016/पीएल/61/4 दिनांक 30.06.2016 के अंतर्गत श्री वाई. एस. मलिक, अपर सचिव, नीति आयोग को तत्काल प्रभाव से अपर सचिव, नीति आयोग के पद पर कार्यरत रहते हुए, और आगे आदेशों तक जो भी पहले हो कंपनी का अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया है।

   कंपनी का न कोई निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और/अथवा उनके रिश्तेदार इससे संबंधित वित्तीय अथवा अन्यथा श्री वाई.एस.मलिक के अतिरिक्त उनके व्यापार से संबंधित हैं।

मद संख्या–6

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(1) एसोसीएशन के ज्ञापन के परिवर्तन से सम्बन्ध है– अपने ज्ञापन के प्रावधानों के परिवर्तन, इस सेक्शन विशिष्ट प्रक्रियाओं के अनुपालन के बाद और विशेष संकल्प के द्वारा एक कंपनी धारा 61 में प्रदत्त को बचाव को प्रदान करता है।
2. वर्तमान एसोसीएशन का ज्ञापन कंपनी अधिनियम 1956 पर आधारित है और नए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में वर्तमान एसोसीएशन का ज्ञापन में कुछ खंडो का कोई अस्तित्व नहीं है।
3. कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के साथ, ज्ञापन के कुछ खण्डों का कंपनी अधिनियम 2013 को ध्यान में रखते हुए उसमें नियमों को पढ़ने के साथ जो भी मामले हो, परिवर्तन/हटाने/नवीनीकरण करने की आवश्यकता है।
4. वर्तमान एसोसीएशन के ज्ञापन का कंसलटेंट मेसर्स एस जी एस एसोसियेट, कंपनी सचिव द्वारा परीक्षण किया गया है। कंपनी सचिव ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ एसोसीएशन के ज्ञापन के संरेखण के लिए नियुक्त किया था।

5. दिनांक 13.06.2016 को आयोजित 55वीं बोर्ड बैठक में मद संख्या 55.3.1 के अंतर्गत बोर्ड ने विचार किया और वर्तमान एसोसीएशन के ज्ञापन में परिवर्तन को अनुमोदन प्रदान किया और इसे सामान्य बैठक में अपनाने की सिफारिश की।

कंपनी का न कोई निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और /अथवा उनके रिश्तेदार इससे संबंधित वित्तीय अथवा अन्यथा उनके व्यापार से संबंधित हैं।

मद संख्या–7

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14(1) एसोसीएशन के अनुच्छेद के परिवर्तन से संबंधित है। इसमें व्यवस्था की गई है कि ज्ञापन में वर्णित शर्तों और अधिनियम के प्रावधानों यदि कोई हो, कंपनी एक विशेष संकल्प को परिवर्तन के प्रभावी होने के साथ बदलाव कर सकती है–

   क) पब्लिक कंपनी के अंदर एक प्राईवेट कंपनी अथवा

   ख) प्राईवेट कपंनी के अंदर एक पब्लिक कंपनी बशर्ते कि जहां एक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते एक तरीके से प्रतिबंध और सीमाएं जो अधिनियम के अंतर्गत एक प्राइवेट कंपनी के लिए आवश्यक हैं, कंपनी इस तरह के बदलाव की तारीख से करेगा और वह एक प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। आगे इस तरह के किसी भी परिवर्तन के लिए न्यायाधिकरण से अनुमोदन लिया जाएगा जो इन आदेशों के अंर्तगत उचित होगा।

2. वर्तमान एसोसीएशन के अनुच्छेद ''एओए'' कंपनी अधिनियम 1956 पर आधारित है, और बहुत से विनियम कंपनी अधिनियम 1956 के विशिष्ट सेक्शनों में वर्णित वर्तमान एसोसीएशन के अनुच्छेदों से संबंद्व हैं और कुछ अनुच्छेद वर्तमान एसोसीएशन के अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है।

3. कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के साथ, एसोसीएशन के अनुच्छेदों के कुछ विनियमों के बदलने/हटाने/संशोधनों की आवश्यकता थी, जैसी स्थिति हो, कंपनी अधिनियम 2013 को ध्यान में रखते हुए निर्धारित नियमों के साथ पढ़ा जाए।

4. वर्तमान एसोसीएशन के ज्ञापन का कंसलटेंट मेसर्स एस जी एस एसोसियेट द्वारा परीक्षण किया गया, कंपनी सचिव ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ एसोसीएशन के ज्ञापन के संरेखण के लिए नियुक्त किया था।

5. दिनांक 13.06.2016 को बोर्ड की 55वीं बैंठक आयोजित की गई, बोर्ड ने कंपनी के एसोसीएशन के अनुच्छेदों के नए सेट के रिव्यू का अनुमोदित कर विचार किया और निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकास और निदेशक/वित्त द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ कंपनी के एसोसीएशन के अनुच्छेदों को सामान्य बैठक में स्वीकार करने की सिफारिश की।

   कंपनी का न कोई निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और /अथवा उनके रिश्तेदार इससे संबंधित वित्तीय अथवा अन्यथा उनके व्यापार से संबंधित हैं।

मद संख्या–8

1. वर्तमान में कपंनी की अधिकृत शेयर पूंजी रू. 8,000,00,00,000/(आठ हजार करोड़ है) जो रू. 1000 (एक हजार) प्रत्येक के इक्विटी शेयर में 800,00,000/–(आठ करोड़) में विभाजित है।

2. दिनांक 31.03.2016 को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रू. 4802.67 करोड़ था और शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन के लिए रू. 2855.60 करोड़ थी।

3. वर्ष 2016–2017 के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार, भूमि लागत रू. 2920 करोड़ सहित इनफ्लो रू. 11722 करोड़ रहने की आशा है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

	बजट प्राक्कलंन 2016–17	पूर्वी डीएफसी	पश्चिमी डीएफसी	कुल योग
1.	इक्विटी	1321	1388	2709
2.	(रेल मंत्रालय के माध्यम से) ऋण	919	3972	4891
3.	**कुल भूमि को छोड़कर (1+2)**	**2240**	**5360**	**7600**
4.	भूमि	1420	1500	2920
5.	**कुल भूमि सहित (3+4)**	**3660**	**6860**	**10520**
6.	पूर्वी डीएफसी।। ऋण जोड़ (प्रत्यक्ष वित्त पोषण ऋण)	898		898
7.	पूर्वी डीएफसी।।। ऋण जोड (प्रत्यक्ष वित्त पोषण ऋण)	304		304
8.	**पूर्वी डीएफसी।।/ डीएफसी।।। के ऋण हिस्से सहित विश्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला कुल हिस्सा (5+6+7)**	**4862**	**6860**	**11722**

4. लंबित आबंटन राशि शेयर आवेदन के संबंध में शेयरों के जारी होने के बाद (इक्विटी शेयर) वित्तीय वर्ष 2015–2016 में रू. 2855.6041 प्राप्त/जारी हुए, कंपनी की अभिदत्त और चुकता पूंजी इनफ्लों वित्त के साथ 2016–17 में इक्विटी में जारी रू. 7658.27 करोड़ होगी। (बजट रू. 2709 करोड़), कपंनी की अभिदत्त और चुकता पूंजी अधिकृत शेयर पूंजी को पार कर जाएगी।

5. रेल मंत्रालय के पत्र सं. 2013/इन्फ्रा/6/30 दिनांक 02.07.2015 के अनुसार, संशोधित लागत प्राक्कंलन रू. 81459/–करोड़ अनुमोदित कर दिया गया जिसमें पूर्वीडीएफसी–रू. 26674 करोड, पश्चिमी डीएफसी–रू. 46718 करोड़ और भूमि के लिए रू. 8067 करोड़ हैं इसमें निर्माण के दौरान ब्याज सम्मिलित है, परियोजना के आवश्यकता के लिए इक्विटी रू. 21045 करोड़ (जिसमें आईडीसी के रूप में रू. 5316 करोड़ सम्मिलित है) यह मानते हुए आईडीसी को रेल मंत्रालय द्वारा इक्विटी योगदान के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा, अधिकृत पूंजी रू. 21045 करोड़ हो जाएगी।

6. दिल्ली स्टाम्प अधिनियम के अनुसार वृद्वि हुई अधिकृत पूंजी स्टाम्प ड्यूटी को आकर्षित करती है, देय 0.15 प्रतिशत की दर से अधिकृत पूंजी में अधिकतम 25 लाख रूपये तक बढोत्तरी की गई है। प्रत्येक वार वर्तमान रू. 8000 करोड़ की वर्तमान सीमा से अधिकृत पूंजी में बढोत्तरी होने पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम राशि देय होती है। इस परिदृश्य में यह सलाह दी जाती है कि अधिकतम अनुमेय सीमा तक वर्तमान अधिकृत पूंजी को बढाया जाए।

7. उपयुक्त खंड (3), (4), (5) एवं (6) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत रू. 8000,00,00,000/–(रू. आठ हजार करोड़) से बढ़ाकर रू. 220,00,00,00,000/– (रू. बाईस हजार करोड़) की जाए।

8. कंपनी के एसोसीएशन के अनुच्छेद 6(ए) प्रदान करता है– राष्ट्रपति के समय–समय पर अनुमोदन से कंपनी की साधारण बैठक की स्वीकृति, इस तरह के प्रयोग से शेयर पूंजी बढ़ाने और ऐसी मात्रा को शेयरों में विभाजित करने के लिए संकल्प निर्धारित करेगा।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धाराएं प्रदान करती हैं–

   1. धारा 61 के बचाव के अतंर्गत, कंपनी इस सेक्शन में विशिष्ट प्रक्रियाओं के अनुपालन के बाद और ज्ञापन के प्रावधानों के बदलने के लिए विशेष संकल्प का पालन कर सकती है।

   2. धारा 64 में बचाव के अंतर्गत, कंपनी अपने ज्ञापन, फाइल में रजिस्ट्रार के साथ कोई बदलाव से संबंधित–

      क) उप धारा (1) के अंर्तगत कंपनी द्वारा विशेष संकल्प पास किया गया।

10. धारा 61 (1) (क) के अनुसार, एक लिमिटेड कंपनी अपनी शेयर पूंजी एक लेख द्वारा साधारण बैठक में ऐसी अधिकृत राशि को बढ़ाने के लिए ज्ञापन के बाद विचार कर सकती है।

11. धारा 64 (1) (क) के अनुसार, धारा 61 की उप धारा (1) में वर्णित जहां कंपनी अपनी शेयर पूंजी को किसी भी रूप में बदलती है, तो इस तरह कंपनी द्वारा बदलाव/बढ़ोत्तरी दायर करने की सूचना फार्म नं एसएच–7 में शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को देनी होगी।

    कंपनी का न कोई निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और /अथवा उनके रिश्तेदार इससे संबंधित वित्तीय अथवा अन्यथा उनके व्यापार से संबंधित हैं।

परोक्षी प्रपत्र

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की नियम 19(3) के प्रावधानों के अनुसरण में)

सीआईएनः
सदस्य(यों) का नाम.....
पंजीकृत पताः.....
ईमेल आईडीः.....
फोलियों सं./ग्राहक आईडीः.....

डीपी आईडीः मैं/हमें डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्य होने के नाते प्रति इक्विटी शेयर रू. 1000 का दिया जा रहा है, नियुक्त करते हैंः

1. नाम
   ईमेल आईडीः
   पताः
   हस्ताक्षर.....अथवा नाकाम रहने
2. नाम
   ईमेल आईडीः
   पताः
   हस्ताक्षर.....अथवा नाकाम रहने
3. नाम
   ईमेल आईडीः
   पताः
   हस्ताक्षर.....अथवा नाकाम रहने

कंपनी की .....दिनांक.....पर .....होने वाली वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में और उसके किसी स्थान पर मेरी ओर से भाग लेने और मेरा मत देने के लिए परोक्ष प्रतिनिधि प्रोक्सी नियुक्त करता हूं और किसी स्थगन, निम्नलिखित संकल्प के सबंध मेंः

संकल्प संख्या

1. .....
2. .....
3. .....

हस्ताक्षर.....दिनांक.....

राजस्व
टिकट
लगाएं

शेयर धारक के हस्ताक्षर.....

प्रोक्सी धारक के हस्ताक्षर.....

नोटः

कारगर सिद्ध होने के लिए परोक्षी प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले प्राप्त होनी चाहिए।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः 5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर
नई दिल्ली–110001
(सीआईएनःयू60232डीएल2006जीओआई155068)

उपस्थिति स्लिप

पंजीकृत फोलियो : .....

नाम : .....

पता : .....

.....

.....

मैं/हम कंपनी की दिनांक 26.09.2016 को सोमवार 12.30 बजे पंजीकृत कार्यालय, 5वां तल प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर, नई दिल्ली–110001 में होने वाली 10वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति दर्ज कराते हैं।

शेयर धारक/उपस्थित प्रोक्सी के हस्ताक्षर.....

निदेशकों की रिपोर्ट

देवियों/सज्जनों

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा सहित कंपनी की 10वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

डीएफसीसीआईएल ने वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान सभी क्षेत्रों में जैसे पूंजीगत खर्च, कार्य के भौतिक निष्पादन में ठेका को प्रदान करने में बहुत ही अच्छी तरह से कार्य किया है। कुछ मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः

1. मुख्य बिन्दु

i पूंजीगत खर्च में वर्ष 2014–15 में रू. 2897 करोड़ से वर्ष 2015–16 में रू. 8508 करोड़ की तीन गुना वृद्धि हुई थी। 31 मार्च 2016 को भूमि की लागत रू. 21750.52 करोड़ सहित संचयी खर्च हुआ है।

ii पिछले 6 वर्षों के दौरान अंतिम रूप दिए गए रू. 13000 करोड़ के ठेकों के विरूद्व रू. 21,005 करोड़ के ठेके अवार्ड किए गए। आगे चालू वित्त वर्ष में रू. 7647 करोड़ के ठेकों को अंतिम रूप दिया गया इसी के साथ 2473 किमी. (87%) के सिविल ठेके और 2188 किमी. (78%) के विद्युत और एस एंड टी ठेकों को अवार्ड किया गया है।

iii कार्य प्रगति परः

क) दिनांक 30.03.2016 को दुर्गावती–सासाराम (56 किमी.) के बीच पहली डीएफसी ट्रैक पर पहली मालगाड़ी चलाई गई।

ख) पश्चिमी डीएफसी के रेवाड़ी–इकबालगढ़ सेक्शन और पूर्वी डीएफसी के खुर्जा–कानपुर सेक्शन में मिटटी और कंक्रीटिंग कार्य आगे प्रगति पर है। पूर्वी डीएफसी में भदान, मैधा और दाउदखान में तीन लोकेशनों पर और पश्चिमी डीएफसी पर भगेगा में मेकेनाइज्ड ट्रैक लेइंग मशीन द्वारा ट्रैक लिन्किंग का कार्य किया गया था। पूर्वी डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी में 342 किमी. का ट्रैक लिन्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

ग) पश्चिमी डीएफसी में 42 किमी. और पूर्वी डीएफसी में 56 किमी कार्य की प्रगति की निगरानी की मॉनीटंरिग का परीक्षण ड्रोन के माध्यम से किया गया।

घ) राज्य सरकार के साथ सतत् संपर्क के कारण आरओबी की शेयर लागत का 50:50 आधार पर अपने हिस्से को देने की सहमति हो गई है। परिणामस्वरूप 9 विभिन्न राज्यों से 121 आरओबी के लिए सहमति प्राप्त हो गई है इससे रेल मंत्रालय को अनुमानित रू. 2400 करोड़ की बचत होगी।

iv धन की व्यवस्थाः दिनांक 30.06.2015 को विश्व बैंक द्वारा ऋण राशि 650 यूएस मिलियन को स्वीकृत किया गया।

v माननीय रेल मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से सीडको की 14 हेक्टेयर भूमि दर रू. 84 करोड़/हेक्टेयर से रू. 42 करोड़/हेक्टेयर कम किया गया है, परिणामस्वरूप रू. 608 करोड़ की बचत हुई है।

2.1. वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार तैयार किए गए हैं। वर्ष 2015–2016 के दौरान कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित खर्चे किए हैं।

क) परियोजना निष्पादन पर पूंजीगत खर्च निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2015 को	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान	31.03.2016 को
सीएपीईएक्स (बिना भूमि की लागत के)			
मूर्त परिसंपत्तियां	11.83	3.13	14.96
अमूर्त परिसंपत्तियां	0.41	0.99	1.40
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3,272.10	2,505.06	5,777.16
विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियां	9.31	0.59	9.90
पूंजी अग्रिम	2,836.27	1,653.20	4,489.47
कुल पूंजीगत खर्च (बिना भूमि की लागत के)	**6,129.92**	**4,162.97**	**10,292.89**
भूमि की लागत (रेल मंत्रालय द्वारा वहन)	**7,112.81**	**4,344.82**	**11,457.63**
कुल सीएपीईएक्स भूमि की लागत सहित	**13,242.73**	**8,507.79**	**21,750.52**

ख) विकास लेखा

वर्ष के दौरान विकास लेखे के रू. 280.59 करोड़ को पूंजीगत प्रगति कार्य में स्थानान्तरित किया गया, विवरण निम्नानुसार है:–

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी लाभ खर्चे	88.97	70.00
वित्तीय लागत(वित्तीय खर्च)	153.69	90.65
मूल्य ह्रास और परिशोधन खर्चे	4.09	2.77
प्रशासनिक और अन्य खर्चे	66.86	54.13
उप– कुल योग	**313.61**	**217.55**
विदेशी मुद्रा भिन्नता (हानि/लाभ)	3.27	2.10
घटाना: अन्य आय	36.29	26.04
सीडब्लयूआईपी में कुल स्थानान्तरित	**280.59**	**189.41**

ग) **लाभांश**

आपके निदेशकों ने कंपनी के अभी निर्माण अवस्था के अंतर्गत होने से ''कोई लाभांश'' की सिफारिश नहीं की है।

घ) **स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित राशि– कुछ नहीं**

2.2 धन की व्यवस्थाः पूंजीगत ढांचा

31 मार्च 2016 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रू. 8,000,00,00,000 (रू. आठ हजार करोड़) थी जो कि रू. 8,00,00,000 (रू. आठ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है और प्रत्येक शेयर की कीमत 1000/–रू. है।

दिनांक 31.03.2016 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त पूंजी रू. 48026688000 (रू. चार आठ शून्य दो करोड़ छियासठ लाख अठ्ठासी हजार केवल) जो कि 480,26,688 (रू. चार करोड़ अस्सी लाख छब्बीस हजार छः सौ अठठासी केवल) और प्रत्येक शेयर की कीमत 1000/– रू. थी और शेयर आवेदन पूंजी रू. 2855.60 करोड़ थी। रेल मंत्रालय द्वारा इक्विटी के योगदान के कारण कंपनी की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि हुई है। पूंजी ढांचा निम्नानुसार हैः

(रू. करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
इक्विटी वित्त पोषण		
शेयर धारकों का फंड	4,975.97	3,825.78
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन पूंजी	2,855.60	1,087.00
डेबिट वित्त पोषण		
जायका	1,869.57	912.86
आईबीआरडी	1,402.60	528.22
कुल योग	**11,103.74**	**6,353.86**

2.2.1. वित्त पोषण

i **पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर–चरण। (वडोदरा–रेवाड़ी) 947 किमी. चरण–2 (वडोदरा–जेएनपीटी और रेवाड़ी–दादरी) 557 किमी. (जायका) परामर्श।** इंजीनियरिंग सर्विस कंसल्टैंसी (चरण–1) के लिए 2,606 (दो बिलियन छह सौ छह मिलियन जापानी येन) का ऋण का जायका के साथ करार पर आई डी– पी 205 के तहत हस्ताक्षर हुए और दिनांक 31.03.2016 तक हमने इस ऋण में से रू. 120.56 करोड़ का उपयोग किया है।

अन्य इंजीनियरिंग सर्विस कंसलटैंसी (चरण–2) (वडोदरा–जेएनपीटी और रेवाड़ी–दादरी) 557 किमी. का जायका के साथ करार 1,616 (एक बिलियन छह सौ सोलह मिलियन) जपानी येन का हुआ इसमें से दिनांक 31.03.2016 तक रू. 70.92 करोड का उपयोग किया है।

ii **पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर–चरण। (वडोदरा–रेवाड़ी) 947 किमी. (जायका) निर्माण चरण।** के निर्माण के लिए 90.262 (नब्बे बिलियन दो सौ बासठ मिलियन) जापानी येन का ऋण करार आईडी–पी–209 पर जायका के साथ हस्ताक्षर हो गए है और इसमें से दिनांक 31.3.2016 तक रू. 1639.33 करोड़ का उपयोग किया गया है।

ऋण करार आईडी–पी 253 पर जायका के साथ दूसरी किश्त 103.664 बिलियन जापानी येन के लिए दिनांक 31.03.2016 को हस्ताक्षर हो गए। आईडी–पी 253 का दिनांक 31.03.2016 तक इस राशि में से कोई खर्च नहीं किया गया है।

iii **पश्चिम डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर चरण–2 के लिए ऋण करार (मुख्य ऋण)।**

चरण–।। में निर्माण के लिए जायका के साथ 136.119 विलियन जापानी येन का आईडी–पी 229 ऋण जायका के साथ हस्ताक्षर हो गए हैं। इस ऋण में से दिनांक 31.3.2016 तक इसमें से रू. 38.76 करोड़ उपयोग किया गया है।

iv **पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय–कानपुर–खुर्जा–लुधियाना सेक्शन 1131 किमी. और खुर्जा–दादरी सेक्शन के लिए धन की व्यवस्था।**

विश्व बैंक पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय–लुधियाना और खुर्जा–दादरी सेक्शन की फंडिग के लिए पहले ही सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। परियोजना के लिए कुल यूएस $ 2.725 बिलियन के ऋण पर सहमति हुई थी।

- जिसमें पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खुर्जा–भाऊपुर (343 किमी.) सेक्शन के चरण–1 परियोजना के लिए ऋण सं. 8066 आई एन द्वारा यूएस $ 975 मिलियन के ऋण के लिए दिनांक 27.10.2011 को हस्ताक्षर किए गए और दिनांक 31.03.2016 तक इस ऋण में से रू. 1,115.60 करोड़ का उपयोग किया गया है।
- भाऊपुर–मुगलसराय (पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर–2 परियोजना के लिए यूएस $ 1100 मिलियन के ऋण को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है और ऋण करार पर दिनांक 11.12.2014 को हस्ताक्षर किए गए और दिनांक 31.03.2016 तक रू. 210.38 करोड़ का उपयोग किया गया है।
- पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर–3 परियोजना खुर्जा–साहनेवाल सेक्शन के लिए तकनीकी बातचीत दिनांक 13.05.2015 को हुई थी जिसमें बातचीत को दिनांक 27.05.2015 को आगे बढ़ाया गया। विश्व बैंक द्वारा दिनांक 30.06.2015 को ऋण राशि यूएस $ 650 मिलियन स्वीकृत किया गया है। विश्व बैंक द्वारा अग्रिम प्रापण की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। ऋण करार पर अक्टूबर/नवम्बर 2016 में हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- बजट के विरूद्व ऋण की पुनः संरचना के माध्यम से पूर्वी डीएफसी–1 में खुर्जा–दादरी सेक्शन को जोड़ा गया है।

3. कंपनी के कार्यकलाप की अवस्था

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में निम्नलिखित ठेके अवार्ड किए गए हैं:

क) पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोरः (कुल 1504 किमी. लम्बाई) (कार्य एवं परामर्श)

सिविल ठेके:

1. **वैतरणा–सचिन सेक्शन (सीटीपी–12) के लिए दोहरी रेलवे लाइन के सिविल, बिल्डिंग ट्रैक कार्यो के डिजायन और निर्माणः** 186 किमी. सिविल एवं ट्रैक ठेके सीटीपी–12 के लिए रू. 2171 करोड़ की राशि के ठेके को दिनांक 22.05.2015 को मेसर्स एक्सप्रेस फ्रेट कान्सोरटियम को अवार्ड कर दिया गया था। ठेका करार पर दिनांक 18.08.2015 को हस्ताक्षर किए गए। ठेका दिनांक 15.10.2015 से प्रभावी हुआ था और ठेके को पूरा करने की तारीख 09.10.2019 अर्थात 208 सप्ताह है।
2. **वैतरणा–वड़ोदरा सेक्शन (सीटीपी–13) के लिए दोहरी रेलवे लाइन के सिविल, बिल्डिंग ट्रैक कार्यो**

के डिजायन और निर्माणः 134 किमी. सिविल एवं ट्रैक ठेके सीटीपी–13 के लिए रू. 2158 करोड़ की राशि के ठेके को दिनांक 22.05.2015 को मेसर्स एक्सप्रेस फ्रेट संघ को अवार्ड कर दिया गया था। ठेका करार पर दिनांक 18.08.2015 को हस्ताक्षर किए गए। ठेका दिनांक 22.05.2015 से प्रभावी हुआ था और ठेके को पूरा करने की तारीख 09.10.2019 अर्थात 208 सप्ताह है।

3. **जेएनपीटी–वड़ोदरा सेक्शन (सीटीपी–15) में क्रीक और नदियों के पार एवं रेलवे और वाटर मेन पर 08 विशेष स्टील पुलों की डिजायन एवं निर्माणः** विशेष स्टील पुलों सीटीपी–15ए, के लिए रू. 518 करोड़ के ठेके को दिनांक 03.06.2015 को मेसर्स आईआईएस–एलएंडटी संघ को अवार्ड किया गया था। ठेका करार पर दिनांक 06.08.2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। ठेका दिनांक 15.10.2015 से प्रभावी हुआ था और ठेके को पूरा करने की तारीख 09.10.2019 अर्थात 208 सप्ताह है।

4. **जेएनपीटी–वड़ोदरा सेक्शन (सीटीपी–15बी) में आरयूबी के साथ नर्मदा नदी के पार विशेष स्टील पुल की डिजायन एवं निर्माणः** विशेष स्टील पुल सीटीपी–15बी के लिए रू. 331 करोड़ के ठेके को दिनांक 03.06.2015 को मेसर्स आईआईएस–एलएंडटी संघ को अवार्ड किया गया था। ठेका करार पर दिनांक 06.08.2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। ठेका दिनांक 15.10.2015 से प्रभावी हुआ था और ठेके को पूरा करने की तारीख 09.10.2019 अर्थात 208 सप्ताह है।

5. **रेवाड़ी–दादरी सेक्शन (सीटीपी–15सी) में हिण्डन और यमुना नदी के पार और वर्तमान रेलवे पर 03 विशेष स्टील पुलों की डिजायन एवं निर्माणः** विशेष स्टील पुल सीटीपी–15सी के लिए रू. 214 करोड़ के ठेके को दिनांक 06.08.2015 को मेसर्स आईआईएस–एलएंडटी संघ को अवार्ड किया गया था। ठेका करार पर दिनांक 03.06.2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। ठेका दिनांक 15.10.2015 से प्रभावी हुआ था और ठेके को पूरा करने की तारीख 09.10.2019 अर्थात 208 सप्ताह है।

6. **इकबालगढ़–वडोदरा सेक्शन (सीटीपी–3 आर) में दोहरी रेलवे लाइन के लिए सिविल, बिल्डिंग ट्रैक कार्यों की डिजायन एवं निर्माणः** 298 किमी. के लिए सिविल ठेका सीटीपी–3 (आर) को दिनांक 25.02.2016 को रू. 4744 करोड़ में अवार्ड किया गया था। यह ठेका 2016–17 की प्रथम तिमाही में प्रारंभ होने की आशा है।

विद्युत, यांत्रिक और सिगनल एवं टेलीकॉम (एस एंड टी) ठेके

1. **रेवाड़ी–वडोदरा सेक्शन (एसटीपी–5) में दोहरी रेलवे लाइन के लिए सिगनल एवं टेलीकॉम कार्यों की डिजायन एवं निर्माणः** 947 किमी.एसटीपी–5 एस एंड टी ठेका रू. 1780 करोड़ में दिनांक 22.06.2015 को मेसर्स एस ए एफ ई संघ को अवार्ड किया गया था। ठेका करार पर दिनांक 10.12.2015 को हस्ताक्षर किए गए। ठेका दिनांक 11.01.2016 से प्रभावी हुआ था और ठेके को पूरा करने की अवधि 338 सप्ताह है।

2. **रेवाड़ी–दादरी सेक्शन (एसटीपी–5ए) 127 किमी. को छोड़कर चरण–1 एवं चरण–2 के लिए रेवाड़ी–जेएनपीटी में गाड़ी सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली की डिजायन एवं निर्माणः** 1377 किमी.एसटीपी–5ए के लिए प्रणाली ठेका रू. 609 करोड़ में दिनांक 12.08.2015 को मेसर्स आई–एन सिगनल संघ को अवार्ड किया गया था। ठेके की वर्ष 2016–17 की प्रथम तिमाही में शुरू होने की संभावना है।

3. **जेएनपीटी–वडोदरा सेक्शन (ईएमपी–16) एससीएडीए प्रणाली और ऑटो ट्रांसफॉरमर स्टेशनों, स्विचिंग स्टेशनों, आक्जीलरी स्टेशनों, ट्रैक्शन सब स्टेशन, 2X25 केवी ट्रैक्शन पावर सप्लाई प्रणाली की डिजायन, सप्लाई, इन्सटॉलेशन, टेस्टिंग और चालू करनाः** 422 किमी. ईएमपी–16 के लिए इलेक्ट्रीकल एवं यांत्रिक ठेका रू. 1213 करोड़ में दिनांक 21.01.2016 को मेसर्स सोजिट–एल एंड टी संघ को अवार्ड किया गया था। ठेका करार पर दिनांक 31.03.2016 को हस्ताक्षर किए गए। ठेका दिनांक 02.05.2016 से प्रभावी हुआ था।

चरण–।। के लिए परामर्श ठेकाः

क) **(पीएमसी–2आर) चरण– ।। (अनुमानित 557 किमी.) दादरी–रेवाड़ी एवं वडोदरा–जेएनपीटी सेक्शन के लिए अवसंरचना से संबंधित और एस एंड टी के साथ दोहरी लाइन विद्युतीकृत ट्रैक के निर्माण के लिए पीएमसी सेवाएंः**

557 किमी. के लिए पीएमसी–2आर परामर्श ठेका रू. 555 करोड़, में दिनांक 15.02.2016 को अवार्ड कर दिया गया था। ठेका करार पर दिनांक 21.03.2016 को हस्ताक्षर किए गए। ठेका दिनांक 31.03.2016 से प्रभावी हुआ था।

ख) **पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोरः (कार्य एवं परामर्श)**

1. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पैकेज–104 के भाऊपुर–खुर्जा के लिए एक डिजायन बिल्ड एक मुश्त आधार पर निर्माण के अंतर्गत दोहरी लाइन ट्रैक के संबंधित कार्यों, और 2X25 केवी ए सी 50 एचजेड विद्युतीकरण टेस्टिंग एवं चालू करना, सिगलनिंग और टेलीकम्यूनिकेशन की डिजायन, निर्माण, सप्लाई, इन्सटॉलेशन, करना। ठेका मेसर्स अल्सटॉम कान्सोरटियम को दिनांक 21.07.2015 को रू. 1497.11 करोड़ में अवार्ड कर दिया गया था। ठेका करार पर दिनांक 30.11.2015 को हस्ताक्षर किए गए।
2. मुगलसराय–न्यू भाऊपुर सेक्शन के लिए क्वालिटी और संरक्षा ऑडिट परामर्श। ठेका जेटिनसा–एस. एन. भोबे (जेवी) को दिनांक 06.07.2015 को अवार्ड कर दिया गया। परामर्श ठेका की लागत यूएसडी 1,193826.45 + रू. 134689500 है। ठेका करार पर दिनांक 18.11.2015 को हस्ताक्षर किए गए।

ग) **परिचालन एवं व्यवसाय विकास विभाग।**

1. डीएफसीसीआईएल का संस्थागत सुदृढ़ीकरण मॉडयूल (आईएसएमडी)
2 डीएफसीसीआईएल और उसके जलग्रहण क्षेत्रों (डीएमसीएसडी) के लिए मार्केटिंग और वाणिज्यिक रणनीतियों का विकास
3 भारत में हेवी हॉल क्षमता विकास (एचएचआरसीडीआई)
4 डीएफसीसीआईएल के लिए भेदभाव रहित अभिगमन के लिए परामर्श सेवाएं। (सीएसएनडीएडी)

3.2 चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 में अवार्ड किए गए और अवार्ड किए जाने वाले ठेकेः

क) **पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (कार्य एवं परामर्श)**

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान अभी तक निम्नलिखित निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया।

1. **वैतरणा से जेएनपीटी सेक्शन के बीच के लिए सिविल और ट्रैक पैकेज (सीटीपी–11):** वैतरणा से जेएनपीटी तक 102 किमी. के लिए सिविल ठेका सीटीपी–11 को रू. 3949 करोड़ में दिनांक 15.07.2016 को मेसर्स एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कान्सोरिटियम को अवार्ड किया गया।
2. **मकरपुरा–जेएनपीटी के लिए सिगनल एवं टेलीकॉम पैकेज (एसटीपी–17):** मकरपुरा से जेएनपीटी के लिए सिगनलिंग ठेका एसटीपी–17 को रू. 631 करोड़ में दिनांक 13.05.2016 को मेसर्स सोजीटिजेड–एल एंड टी संघ को अवार्ड किया गया है।

   वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना हैः
3. **रेवाड़ी–दादरी (127 किमी.) सेक्शन के बीच इन्टीग्रेटेड ठेका पैकेज (सीटीपी–14):** सीटीपी–14 (सिविल एवं ट्रैक, इलेक्ट्रीकल एवं यांत्रिक और एस एंड टी इन्टीग्रेटेड पैकेज) के लिए बोलियां प्राप्त हो गई हैं। यह आशा की जाती है कि इस पैकेज के लिए एलओए को वित्तीय वर्ष 2016–17 के द्वितीय तिमाही में जारी कर दिया जाएगा।

ख) पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोरः (कार्य एवं परामर्श)

चालू वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित ठेकों को अंतिम रूप दिया गयाः

1. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के साथ गरवा और डेहरी ऑन सोन यार्ड किमी. 3.16 से किमी. 5.38 तक हावड़ा से सोननगर स्टेशन की ओर भारतीय रेल के सोन ब्रिज से चिरेलापाथू डीएफसी के समीप हावड़ा सिरे पर ब्लेन्किंटिग सहित एमबैंकमेंट में फॉर्मेशन, वायाडक्ट, रेल फ्लाईओवर, पुलों (बड़े, छोटे और आरयूबी) की डिजायन और निर्माण। कार्य की लागत रू. 365.22 करोड़ है। अप्रैल 2016 में अवार्ड किया गया।
2. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के साथ गरवा और डेहरी ऑन सोन यार्ड किमी. 3.16 से किमी. 5.38 तक हावड़ा से सोननगर स्टेशन की ओर भारतीय रेल के सोन ब्रिज से चिरेलापाथू डीएफसी के समीप हावड़ा सिरे पर ब्लेन्किंटिग सहित एमबैंकमेंट में फॉर्मेशन, वायाडक्ट, रेल फ्लाईओवर, पुलों (बड़, छोटे और आरयूबी) की डिजायन और निर्माण के लिए पीएमसी। परामर्श की लागत रू. 8.6 करोड़ है। जून, 2016 में अवार्ड किया गया।
3. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के न्यू भाऊपुर–मुगलसराय के लिए डिजायन बिल्ड एक मुश्त पर निर्माण के अंतर्गत दोहरी ट्रैक रेलवे लाइन से सबंद्व कार्यों और डिजायन, सप्लाई, निर्माण, सिगलनिंग, टेलीकम्यूनिकेशन, सीपी 203 पैकेज ठेका की टेंस्टिंग एवं चालू करना। दिनांक 24.06.2016 को बिजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एवं डिज़ायन इंसट्टीयूट ऑफ सिगनल एंड कम्यूनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चायना को रू. 471 करोड़ में अवार्ड किया गया।
4. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर ठेका पैकेज सीपी 204 मुगलसराय–न्यू भाऊपुर (छोड़कर) सेक्शन के लिए डिजायन बिल्ड एक मुश्त आधार पर रेलवे लाइनों से संबंद्ध कार्यों और एसी संबंध ट्रैक्शन विद्युतीकरण, 2.25 केवी, 50 एचजेड को चालू करने और टेस्टिंग, डिजायन, सप्लाई निर्माण इन्सटॉलेशन दिनांक 03.06.2016 को एल एंड टी– इनाबेनसा जेवी को रू. 847 करोड़ में अवार्ड किया गया।
5. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर ठेका पैकेज 301 के साहनेवाल–पिलखनी (सिंगल लाइन के 175 रूट किमी. अनुमानित) के लिए डिजायन–बिल्ड एक मुश्त आधार पर भारतीय रेलवे के साथ वर्तमान रेलवे प्रणाली इन्टीग्रेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, यार्ड, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, पुल, ट्रैक कार्यों, फॉर्मेशन पर बैलास्ट, एमबेंकमेट/कटिंग में फॉर्मेशन सहित रेलवे के लिए ट्रैक कार्यों और स्ट्रक्चर, सिविल का डिजायन और निर्माण। दिनांक 03.06.2016 को जीआईएल–टीपीएल जेवी को रू. 1769.04 करोड़ में ठेका अवार्ड किया गया।
6. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर ठेका पैकेज 301 के दादरी–खुर्जा (दोहरी लाइन के 46 रूट किमी. अनुमानित) के लिए डिजायन–बिल्ड एक मुश्त आधार पर भारतीय रेलवे के साथ वर्तमान रेलवे प्रणाली इन्टीग्रेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, यार्ड, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, पुल, ट्रैक कार्यों, फॉर्मेशन पर बैलास्ट, एमबेंकमेट/कटिंग में फॉर्मेशन सहित रेलवे के लिए ट्रैक कार्यों और स्ट्रक्चर, सिविल का डिजायन और निर्माण। जीआईएल–टीपीएल जेवी को रू. 511.3 करोड़ में ठेका अवार्ड किया गया।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित ठेकों को अंतिम रूप दिया जाना हैः

7. पिलखनी–साहनेवाल सेक्शन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं, **अगस्त, 2016 में अवार्ड किए जाने की संभावना है।**
8. खुर्जा–दादरी सेक्शन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवांए। **अगस्त, 2016 में अवार्ड किए जाने की संभावना है।**

9. खुर्जा–साहनेवाल और खुर्जा –दादरी सेक्शन के लिए क्वालिटी और सुरक्षा ऑडिट परामर्श सेवाएं। **नवम्वर, 2016 में अवार्ड किए जाने की संभावना है।**

10. खुर्जा–पिलखनी सेक्शन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं। **जनवरी, 2017 में अवार्ड किए जाने की संभावना है।**

11. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर ठेका पैकेज 303 के खुर्जा–पिलखनी (दोहरी लाइन के 225 रूट किमी. अनुमानित) के लिए डिजायन–बिल्ड एक मुश्त आधार पर भारतीय रेलवे के साथ वर्तमान रेलवे प्रणाली इन्टीग्रेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, यार्ड, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, पुल, ट्रैक कार्यों, फॉर्मेशन पर बैलास्ट, एमबेंकमेट/कटिंग में फॉर्मेशन सहित रेलवे के लिए ट्रैक कार्यों और स्ट्रक्चर, सिविल का डिजायन और निर्माण। **मार्च 2017 में अवार्ड किए जाने की संभावना है।**

12. दुर्गावती–मुगलसराय और न्यू करवन्दिया–न्यू सोननगर/चिरेलापाथू के बीच ट्रैक संबंधित कार्यों और ट्रैक का निर्माण और डिजायन। **दिसबर, 2016 में अवार्ड किए जाने की संभावना है।**

13. दुर्गावती–मुगलसराय और न्यू करवन्दिया–न्यू सोननगर/चिरेलापाथू के बीच प्रणाली कार्यों और ट्रैक का निर्माण और डिजायन के लिए पीएमसी। **मार्च, 2017 में अवार्ड किए जाने की संभावना है।**

14. मुगलसराय से न्यू सोननगर और चिरेलापाथू स्टेशन (न्यू करवन्दिया–न्यू दुर्गावती सेक्शन को छोड़कर) डिजायन बिल्ड एक मुश्त आधार पर दोहरी ट्रैक विद्युतीकृत रेलवे लाइन के लिए टेस्टिंग और कमीशनिंग सहित संबंद्व कार्यों और सिगनल एवं टेलीकम्यूनिकेशन, 2X25 केवी विद्युतीकरण का इन्सटॉलेशन, निर्माण सप्लाई, डिजायन। **मार्च, 2017 में अवार्ड किए जाने की संभावना है।**

3.3 ठेकों की भौतिक प्रगति

3.3.1. पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

क) कार्य ठेकेः जायका के द्वारा वित्त पोषित

- **पश्चिमी डीएफसी चरण–I**

1. रेवाड़ी–इकबालगढ़ सेक्शन (सीटीपी–1 एवं 2) के लिए सिविल ट्रैक पैकेजः

- अगस्त, 2013 में ठेका अनुमानितक मूल्य रू. 6699/– करोड़ में निष्पादित किया गया।
- भगेगा में कन्क्रीट स्लीपर प्लान्ट चालू किया गया और अनुमानित 2,00,000 स्लीपरों का निर्माण किया गया।
- लगभग 36.11 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 26.8 वित्तीय प्रगति प्राप्त की गई।
- 54 प्रतिशत मिटट्ी का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- 8 महत्वपूर्ण, 71 बड़े, 381 छोटे पुलों, 2 आर एफ ओ एवं 147 आर यू बी का कार्य प्रगति पर है। 156 छोटे पुलों को पूरा कर लिया गया है।
- जापान से 593.33 टीकेएम (71200एमटी) ईएन60ई1 1080 एचएच रेलों को आयात/प्रापण किया गया है।
- 20.4 टीकेएम ट्रैक को लिंक किया गया है।

रेनवाल वायाडक्ट पर सीटीपी–1 एवं 2 का कार्य प्रगति पर है।

पश्चिमी डीएफसी– बड़ा पुला नं.203 का कार्य प्रगति पर है।

एनटीसी मशीन के साथ ट्रैक बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

2. माही एवं साबरमती (सीटीपी–3ए (आर) नदियों पर विशेष स्टील पुल

- स्वीकृत पत्र दिनांक 26.08.2014 को जारी कर दिया गया था और दिनांक 20.11.2014 को कार्य प्रांरभ कर दिया गया। कार्य में माही नदी पर 585 मीटर लंबे पुलों और साबरमती नदी पर 536 मीटर लंबे पुलों का निर्माण और डिजायन शामिल है।
- दोनों पुलों के लिए मिट्टी की जांच और हाइड्रोलोजीकल अध्ययन पूरा कर लिया गया हैं।
- डिजायन और ड्राइंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उप–ढांचा और सुपर स्ट्रक्चर के फेब्रीकेशन का कार्य शीघ्र प्रांरभ किया जाएगा।
- प्रत्येक पुल के सात कुंओ पर निर्माण कार्य प्रांरभ कर दिया गया है। लगभग 7% भौतिक प्रगति और 12% प्रतिशत वित्तीय प्रगति प्राप्त कर ली गई है।

3. पश्चिमी डीएफसी चरण–1 (ईएमपी–4) के विद्युत और यांत्रिक कार्यः

जमीन प्रतिरोधकता कार्यों की साइट की जांच और माप का कार्य प्रगति पर है। प्रारंभिक डिजायन, ओएचई सिमूलेशन अध्ययन ट्रांसफर रेंटिंग को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य प्रगति पर है।

4. रेवाड़ी–वडोदरा(एस टी पी–5) के लिए सिगनलिंग और टेलीकम्यूनिकेशन कार्यः

डॉक्यूमेंन्टेशन और डिजायन कार्य प्रगति पर हैं।

- **पश्चिमी डीएफसी चरण–II**

1. **वैतरणा–सचिन सेक्शन (सीटीपी–12) और सचिन–वडोदरा सेक्शन (सीटीपी–13) के लिए सिविल और ट्रैक पेकेजः**
   - ठेका अगस्त, 2015 पर निष्पादित किया गया और कार्य 15.10.2015 को प्रांरभ किया गया। कार्य में 186 किमी. लम्बे वैतरणा–सचिन और 133 किमी. लम्बे सचिन–वडोदरा सेक्शन का सिविल और ट्रैक का निर्माण और डिजायन सम्मिलित है।
   - सर्वेक्षण सहित डाटा साइट का सत्यापन, मिट्टी की जांच और हाइड्रोलोजिकल अध्ययन का कार्य प्रगति पर है। डिजायन का कार्य भी प्रगति पर है।

2. **विशेष स्टील पुल पैकेज (सीटीपी–15ए, सीटीपी–15बी और सीटीपी–15 सी)**
   - सभी तीन ठेकों की स्वीकृति के पत्र दिनांक 03.06.2015 को जारी कर दिए गए थे।
   - अगस्त, 2015 में ठेको को अनुमानित मूल्य पर निष्पादित किया गयाः
   - सीटीपी– 15 ए के लिए– रू. 518 करोड़
   - सीटीपी–15 बी के लिए– रू. 331 करोड़
   - सीटीपी–15 सी के लिए – रू. 214 करोड़
   - सभी तीनों पर कार्य 15.10.2015 से प्रांरभ किया गया। जेएनपीटी–वडोदरा और रेवाड़ी–दादरी सेक्शन के विशेष स्टील पुल कार्य का निर्माण और डिजायन कार्य सम्मिलित है।
   - मिट्टी जांच सहित साइट डाटा के सत्यापन और हाइड्रोलोजिकल अध्ययन का कार्य प्रगति पर है। डिजायन का कार्य भी प्रगति पर है।

ख) परामर्श ठेकेः जायका के द्वारा वित्त पोषित

1. **पश्चिमी डीएफसी चरण–1 के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (रेवाड़ी–वड़ोदरा)**
   - फरवरी 2014 में निप्पन कोएई, जापान के नेतृत्व वाले संघ को पीएमसी ठेका दे दिया गया है।
   - इस कार्य के क्षेत्र में डिजायन, निर्माण और चालू के चरण के द्वारा 920 किमी.लम्बे पश्चिमी डीएफसी चरण–1 के कार्यान्वयन में डीएफसीसीआईएल का सहयोग करना शामिल है। पश्चिमी डीएफसी चरण–1 के ठेकों में डिजायन–लम्प–सम में इंजीनियर के रूप में पीएमसी की भूमिका होगी।
   - मार्च 2014 में ठेका निष्पादित किया गया और सीटीपी–1 एवं 2, सीटीपी–3(आर), सीटीपी–3ए (आर), ईएमपी–4 एवं एसटीपी–5, एसटीपी–5ए के ठेकों के कार्य प्रगति पर है।

2. **पश्चिमी डीएफसी चरण–2 के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (दादरी–रेवाड़ी और वडोदरा– जेएनपीटी):**
   - 15 फरवरी 2016 में ओरियेन्टल कंसलटेंट ग्लोबल कंपनी लिमिटेड जापान के नेतृत्व वाले संघ को ठेका दे दिया गया था।
   - इस कार्य के क्षेत्र में डिजायन, निर्माण और चालू के चरण के द्वारा 557 किमी. लम्बे पश्चिमी डीएफसी चरण–2 के कार्यान्वयन में डीएफसीसीआईएल का सहयोग करना शामिल है। पश्चिमी डीएफसी चरण–2 के ठेकों में डिजायन–एक मुश्त में इंजीनियर के रूप में पीएमसी की भूमिका होगी।
   - मार्च 2016 में ठेका निष्पादित किया गया और सीटीपी–11 सीटीपी–12, सीटीपी–13, सीटीपी–14, सीटीपी–15ए, सीटीपी–15बी, सीटीपी–15सी, ईएमपी–16 एवं एसटीपी–5ए और एसटीपी–17 के ठेकों के कार्य प्रगति पर है।

3. **रेवाड़ी–वडोदरा सेक्शन चरण–1 के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं परामर्श**

जापान के नेतृत्व वाले निप्पन कोएई, संघ को ठेका दिया गया था। कार्य में योजना, इंजीनियरिंग डिजायन और पश्चिमी डीएफसी चरण– । के लिए प्रापण के लिए परामर्श शामिल है। जैसे प्रापण प्रक्रिया अभी तक चल रही है, अवधि को 30 जून, 2016 तक बढ़ा दिया गया है। लंबित ठेका हैं:

- रेल मंत्रालय द्वारा निष्पादित रोलिंग स्टॉक पैकेज (आरएस–7) के प्रापण के लिए बोलियों को 30 जून, 2015 तक प्राप्त किया गया है। वित्तीय बोली को 6 अक्टूबर, 2015 को खोला गया।

4. **वडोदरा–जेएनपीटी और रेवाड़ी–दादरी पश्चिमी डीएफसी चरण–2 के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं परामर्श**

जापान के नेतृत्व वाले निप्पन कोएई संघ को ठेका दिया गया था। कार्य में योजना, इंजीनियरिंग डिजायन और पश्चिमी डीएफसी चरण–II के लिए प्रापण के लिए परामर्श शामिल है। जैसे प्रापण प्रक्रिया अभी तक चल रही है, अवधि को 30 जून, 2017 तक बढ़ा दिया गया है। रेवाड़ी–दादरी सेक्शन में सिविल और ट्रैक पैकेज –14 का कार्य प्रगति पर है, अर्थात केवल पैकेज के लिए प्रापण को छोड़ा गया है।

ग) कार्य ठेके: इक्विटी फंडड

1. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में वसई–भरूच सेक्शन पर वैतरणा और उतरन (अनुमानित 200 किमी.) के बीच 54 बड़े और महत्वपूर्ण पुलों के डिजायन और निर्माण के लिए लम्प सम आधार पर ठेका अवार्ड कर दिया गया है। (ठेका करार सं.एचक्यू/ईएन/डल्लयूसी/ब्रिज/डीएंडबी/1/सोमा दिनांक 17.03.2009)

- कार्य में 46 बड़े और 8 महत्वपूर्ण पुलों, पाइल फाउन्डेशन पर 29 पुलों और ओपन फाउन्डेशन पर 25 पुलों की डिजायन एवं निर्माण शामिल है।
- 26 मुख्य पुलों का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है। वर्तमान प्रगति 71% है। कार्य को संशोधित लागत रू. 667.81 करोड़ के साथ दिनांक 15.06.2015 को पूरा किया जाना था लेकिन पार्टीयों के साथ विवाद उत्पन्न हो गया था। आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल द्वारा घोषित अवार्ड को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में चुनौती दी गई है। आगे परिणाम के आने पर कार्रवाई की जाएगी।

घ) परामर्श ठेके: इक्विटी फंडड

वैतरणा और उतरन (अनुमानित 200 किमी.) के बीच (54 बड़े और महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण और डिजायन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श): ठेका करार (ठेका करार सं.एचक्यू/ईएन/डल्लयूसी/ब्रिज/पीएमसी/1/स्पान दिनांक 12.06.2009 निष्पादित किया गया था) ठेके की करेंशी को दिनांक 14.06.2016 तक बढाया गया है और कार्य प्रगति पर है।

3.3.2 पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

क) कार्य ठेके: इंक्विटी फंडड (मुगलसराय–न्यू सोननगर/चिरेलापाथू सेक्शन)

1. मुगलसराय–सोननगर सेक्शन पर (अनुमानित 105 किमी.) न्यू करवन्दिया से न्यू गंज ख्वाजा तक आरयूबी, आरओबी, छोटे पुलों, बड़े पुलों ब्लैन्किटिंग सहित **फॉर्मेशन की डिजायन एवं निर्माण।**

- न्यू करवन्दिया से दुर्गावती स्टेशनों के बीच मिट्टी का कार्य एवं पुलों का भौतिक कार्य पूरा कर लिया गया है।
- दुर्गावती–गंजख्वाजा सेक्शन में मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।

बासा गांव में कार्य का प्रांरभ किया गया है: रोहताश जिले के बासा गांव में पिछले पांच वर्षों से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं कोर्ट केस के कारण अनुमानित 260 मीटर के स्ट्रेच में कार्य रूका हुआ था। कोर्ट

केस के बंद होने के बाद भी, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं दी थी। मामले को जिला प्रशासन के समक्ष उठाया गया, अनुमानित 60 महिला पुलिस सहित 140 पुलिसवालों को तैनात कर संपूर्ण स्ट्रेच में मिट्टी के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

2. मुगलसराय–सोननगर सेक्शन पर अनुमानित 66 किमी. न्यू करवन्दिया से (रेलवे किमी. 564) से दुर्गावती तक (रेलवे किमी. 630) को चालू करना और उसकी जांच और ट्रैक का निर्माण और ट्रैक संबधित कार्यों की डिजायन, प्रापण।

- दुर्गावती–सासाराम के बीच न्यू ट्रैक निर्माण (एनटीसी) मशीन के द्वारा ट्रैक बिछा कर तैयार कर दिया गया है। दोनों डीएफसीसीआईएल ट्रैक के ओएचई दिनांक 06.02.2016 को आईआर के कुद्रा टीएसएस से 25 केवी एसी बिजली द्वारा सफलतापूर्वक चार्ज किये गये।
- प्रथम मालगाड़ी दिनांक 30.03.2015 को डाउन–लाइन पर तथा दिनांक 03.06.2016 को अप–लाइन पर ट्रायल के रूप में चलाया गया।
- सासाराम–करवन्दिया सेक्शन के बीच ट्रैक लिंकिग का कार्य प्रगति पर है।

मुगलसराय–सोननगर सेक्शन में कंटेट टर्नआउट बिछाने का कार्य

मुगलसराय–सोननगर सेक्शन में कुद्रा नदी पर पुल

दुर्गावती–सासाराम सेक्शन में प्रथम मालगाड़ी का परिचालन

3. **सोन नदी पर महत्वपूर्ण पुल** (अनुमानित लंबाई 3.06 किमी.), सोननगर (549 किमी. रेलवे) ओर डेहरी–ऑन–सोन (किमी. 554 रेलवे) के बीच डिजायन और निर्माण उन्नत चरण में है। पीएससी गर्डरस की लांचिग प्रगति पर है। जुलाई 2016 तक कुल प्रगति लगभग 80% है।

4. **गंजख्वाजा के निकट रेल फ्लाईओवर का निर्माण और डिजायन,** डेहरी–ऑन–सोन मुगलसराय के बीच ब्लैन्किटिंग सहित एमबैकमेन्ट/कटिंग, (बड़े, छोटे एवं आरयूबी) पुलों में फॉर्मेशनः करवन्दिया–डेहरी–ऑन–सोन सेक्शन में मिट्टी का कार्य ओर पुलों का कार्य प्रगति पर है।

ख) परामर्श ठेकेः इक्विटी फंडड (मुगलसराय–सोननगर सेक्शन)

1. फार्मेशन के निर्माण की सुविधा के लिए चैनेज 14.108 किमी. (न्यू करवन्दिया के निकट) से चैनेज 119.437 किमी. (गंजख्वाजा के निकट) (अनुमानित 105 किमी): **परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएंः** सिविल कार्य के निष्पादन के लिए पीएमसी कार्य प्रगति पर है।
2. न्यू करवन्दिया (रेलवे किमी. 564) से दुर्गावती (रेलवे किमी.630) अनुमानित 66 किमी. के लिए ट्रैक, सिगनल और टेलीकॉम कार्यो, ट्रैक्शन पावर सप्लाई, एससीएडीए, ओएचई और सामान्य विद्युत कार्यों डिजायन एवं निर्माण के लिए **परियोजना प्रबंधन परामर्शः** ट्रैक और सिस्टम कार्यों के लिए कार्य प्रगति पर है।
3. **सोन नदी के ऊपर महत्वपूर्ण पुल (अनुमानित लंबाई 3.06 किमी.) और गंजख्वाजा के निकट रेल फ्लाई ओवर के** निर्माण और डिजायन के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएंः उपरोक्त के लिए पीएमसी कार्य प्रगति पर है।

ग) कार्य ठेकेः विश्व बैंक फंडड (लुधियाना–मुगलसराय एवं खुर्जा–दादरी)

1. **भाऊपुर–खुर्जा सेक्शन (एलओटी–101,102 और 103) के लिए सिविल, ढांचागत और ट्रैक कार्य (सीएसटी)**
   - मेसर्स टाटा एल्डेसा (जेवी) को तीन पैकेज में निविदा दी गई और मार्च 2013 के दौरान अनुमानित कुल लागत रू. 3267.00 करोड़ के ठेका करार पर हस्ताक्षर किए गए। सभी तीन ठेका पैकेज में कार्य प्रगति पर है।
   - लगभग 59% भौतिक प्रगति और 47% वित्तीय प्रगति हासिल की गई।
   - अभी तक 78% मिट्टी का कार्य पूरा किया गया है। 265 किमी. के एमबैंकमेंट का आधी ऊंचाई (एच/2), 240 किमी. पूरी ऊंचाई और 192 किमी. के ब्लेन्कट का निर्माण कर पूरा किया गया है।
   - रेल फ्लाई ओवर की प्रगति 45% और बड़े पुलों की 62% थी। 15 बड़े पुलों में से 04 बड़े पुलों का सुपर स्ट्रक्चर पूरा हो गया है और 9 बड़े पुल कार्यों सब स्ट्रक्चर स्तर तक आ गया है।

- छोटे पुलों की प्रगति 70% रही है और 152 में से 81 छोटे आयूबी और 243 छोटे पुलों का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- भदान, मैधा और दाउदखान में अस्थाई डिपों को स्थापित किया गया है। नई ट्रैक बिछाने की मशीन कार्य कर रही है ओर 150 किमी का ट्रैक लिकिंग का कार्य पूरा हो गया है।
- पीएमसी द्वारा टर्नआउट की लेआउट केंटेड टेनजेन्टीयल 12 में 1 की डिजायन अनुमोदित कर दी गई है, आईआईटी चेन्नई द्वारा मान्य और प्रोटो टाइप का अनुमोदन किया जाना है।

पूर्वी डीएफसी–1 एनटीसी मशीन द्वारा ट्रैक विछाने का कार्य प्रगति पर है।

पूर्वी डीएफसी–1 हाथरस रोड ब्रिज पर स्टील ग्राईडर के इरेक्षन का कार्य प्रगति पर है।

पूर्वी डीएफसी–1 बड़े पुल का कार्य प्रगति पर है।

आरओबी चैनेज–618

2. **मुगलसराय–न्यू भाऊपुर सेक्शन (सीपी 201 एवं 202) के लिए सिविल, ढांचागत और ट्रैक कार्यः** मार्च 2015 में मेसर्स जीएमआर–एसईएल (जेवी) को ठेका एवार्ड किया गया और मई 2015 के दौरान ठेका प्रांरभ हो गया है। ठेकेदार ने श्रमशक्ति और मशीनरी जुटा दिए हैं।
   - जियोटेक्नीकल जांचों का कार्य पूरा कर लिया गया है।
   - ठेकेदार को सीपी–201 तक 95% और सीपी–202 में 96% भूमि को सौंपने का कार्य पूरा कर दिया गया है।
   - दोनों पैकेजों में फील्ड लेबोरेटरीज स्थापित की गई हैं।
   - पहारा और रामवा पर अस्थायी डिपो स्थापित किया गया है।
   - 80% संरेखण डिजायन को पूरा कर लिया गया है।

- दोनों पैकेज में मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।
- पुल की डिजायन और ड्राइंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- छोटे पुलों और आरयूबी का कार्य प्रगति पर है।
- स्लीपरों का प्रापण शुरू कर दिया गया है। 25000 स्लीपरों को प्रापण कर लिया गया है।
- यमुना और टोन्स नदी पर महत्वपूर्ण पुलों का सामान्य करार को अंतिम रूप दे दिया गया है। विस्तृत डिजायन प्रगति पर है।
- मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित वित्तीय प्रगति 12% है।

मिर्जापुर डिटूर पर मिटटी का कार्य

मिटटी का संघनन

घ) परामर्श ठेका: विश्व बैंक फंडड

1. पूर्वी डीएफसी–1 के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (भाऊपुर–खुर्जा)

- मेसर्स साई–टिपसा संघ को ठेका एवार्ड कर दिया गया है और अक्टूबर 2013 के दौरान ठेके पर हस्ताक्षर हो गए थे।
- इन सेवाओं में डिजायन, निर्माण, जांच और चालू करने के स्तरों के माध्यम से प्रणाली ठेके और सीएसटी कार्यान्वयन शामिल है। पूर्वी डीएफसी–1 के लिए ठेके का डिजायन–बिल्ड–लम्प सम के प्रबंध में पीएमसी इंजीनियर की भूमिका रहेगी।
- वर्तमान में एवार्ड किए गए सिविल ठेका मेसर्स टाटा–एल्डेसा(जेवी) और प्रणाली ठेका के कार्यान्वयन की सेवाएं प्रगति पर है।

2. पूर्वी डीएफसी–2 के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (न्यू भाऊपुर– मुगलसराय)

- मेसर्स सिस्ट्र–मोट संघ को ठेका एवार्ड किया गया और ठेका करार पर जून– 2015 के दौरान हस्ताक्षर हुए।
- परामर्श सेवाएं 01 जुलाई 2015 से प्रांरभ हो गई हैं।
- इन सेवाओं में दिन प्रतिदिन आधार पर ठेकेदार की निष्पादन प्रणाली और सीएसटी के सुप्रीनटेंडेस सहित विशेष रूप से सामग्री/निर्माण की गुणवत्ता, कार्ययोजना और अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य का निष्पादन, कार्य स्थल सुरक्षा, पर्यावरणीय कमी की योजना का कार्यान्वयन, कार्य का निरीक्षण एवं स्वीकृति, रिकार्ड कीपिंग, सीएसटी और प्रणाली ठेकों के अनुसार टेस्टिंग ओर चालू करना शामिल है।

- निर्धारित प्रावधानों को लागू करने ओर परियोजना के संविदात्मक मुद्दों और पर्यावरणीय, गुणवत्ता की सतत निगरानी के लिए पीएमसी टीम को स्थापित किया गया है।

3. **पूर्वी डीएफसी–1 के लिए क्यूएसएसी सेवाएं (भाऊपुर–खुर्जा सेक्शन)**

- पूर्वी डीएफसी–1 के लिए क्यूएसएसी सेवा मेसर्स मॉट मेकडोनाल्ड लिमिटेड और मॉट मेकेडोनाल्ड प्रा.लि. (जेवी) का अवार्ड कर दी गई है।
- परामर्श सेवा दिनांक 06.05.2014 से प्रांरभ हो गई है।
- इस परामर्श ठेके का उद्देश्य है कि निर्माण के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन और परियोजना के अंतर्गत ढांचागत निर्माण और कार्य की गुणवत्ता की आडिटिंग और स्वतंत्र निगरानी को प्राप्त करना है।
- ठेका कार्यान्वयन और वांछित परिणाम और कार्यान्वयन को प्राप्त करने में कमी और जटिलताओं को बाहर लाने के लिए क्यूएसएसी को लाया गया।

4. **पूर्वी डीएफसी–2 के लिए क्यूएसएसी सेवाएं (मुगलसराय–न्यू भाऊपुर)**

- क्यूएसएसी ठेका मेसर्स जेटिनसा–पायमा एंड एसएनबीएपीएल (जेवी) को अवार्ड किया गया है और ठेका करार पर नवम्बर 2015 में हस्ताक्षर किए गए।
- परियोजना में परामर्शदाता द्वारा क्यूएसएसी टीम को लगाया गया है।

3.3.3 परिचालन एवं व्यवसाय विकास विभाग

डीएफसी के चालू होने से त्वरित और विश्वसनीय सेवाओं की सुविधाएं, उद्योगों के विकास के लिए अपव्ययी रसद विकल्प को प्रोत्साहन देकर मालभाड़ा के परिदृश्य में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। डीएफसी के उपस्थिति मुख्य रूप से सड़क द्वारा जाने वाले यातायात को रेल में स्थानान्तरित करना और उपयोगकर्ताओं को वेयरहाउस सुविधाओं सहित सहयोग देकर कुशल और प्रभावी लागत से संपूर्ण मालभाड़ा परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त टर्मिनलों का प्राथमिक विकास अपेक्षित है। टर्मिनल रेल यातायात को हेंडल करने के साथ उन्हें सड़क यातायात को रेल की ओर डायवर्जन के लिए लोजिस्टिक सहयोग उपलब्ध कराना होगा।

डीएफसी नेटवर्क पर प्राइवेट फ्रेट टर्मिनलों के विकास को बढ़ाने के के लिए एक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) नीति को जारी किया गया हे। यह नीति पीएफसी (प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल) के विकास को सुविधानजक बनाने के लिए प्राइवेट संस्थाओं की सहभागिता के साथ टर्मिनल विकास के क्षेत्र को खोलकर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगी। डीएफसीसीआईएल की पीएफटी नीति ग्राहकों को उचित दिशा निर्देश के लिए विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन कर विशिष्ट समय शिड्यूल्ड, व्यापक प्रक्रियाओ आदि को जोड़ने का कार्य करेगी। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल से यह भी आशा की जाती है कि इच्छुक लोजिस्टिक प्लेयर्स विविध उपयोगकर्ताओं के समूह से रेल से जुड़ेगें।

उनकी संबंधित भूमि के माध्यम से मल्टी मॉडल लोजिस्टिग पार्क्स (एमएमएलपीएस) के संयुक्त विकास के संबंध में इच्छुक राज्य सरकार/संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए कदम उठाएं गए हैं।

इसके अतिरिक्त व्यापार विकास के लिए, ट्रैक एक्सेस प्रभारों को निर्धारित करने, संस्थागत सुदृढ़ आदि करने के लिए विश्व बैंक के तकनीकी सहायता (टीए) के अंतर्गत निम्नलिखित परामर्श अध्ययन को भी लगाया गया है।

i **डीएफसीसीआईएल और उसके जल भराव क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक रणनीतियों और मार्केटिंग विकास (डीएमसीएसडी)**

नॉन–कॉन्वेशनल यातायात के लिए प्रणाली विकास और आगे की रणनीति का अध्ययन कर तैयार

किया जाएगा। मालभाड़ा यातायात मार्केट में रेलवे के लिए उच्च मॉडल हिस्सेदारी को प्राप्त करके और परियोजना के लिए अधिकाशतः वाणिज्यिक मूल्य का ढांचा नीति को शामिल कर वाणिज्यिक रणनीतियों और दीर्घकालीन अवधि की मार्केटिंग का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह परिचालनिक रणनीति, लोजिस्टिक पार्क और फ्रेट टर्मिनलों, प्रस्तावित अवसंरचना सहित भारतीय रेलवे और डीएफसीसीआईएल के रौलिंग स्टॉक के विशेष उद्देश्य के अधिश्ठापन को ध्यान में रखकर दोनों कोरीडोर्स में जलभराव में यातायात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के रूटों को मुख्य रूप से कवर करते हुए बनाया जा रहा है। क) 2030 तक डीएफसी पर विभिन्न होरीजन वर्षों के लिए पूर्वानुमान मांग जो कि सेकेण्डरी डॉटा द्वारा समर्पित है जैसा लागू हो, ख) डीएफसीसीआईएल की लाभप्रदता को बढ़ाने को ध्यान रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मालभाड़ा बाजार के अनुभवों का प्रयोग करते हुए रेल के मॉडल हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए डीएफसीसीआईएल के जलभराव क्षेत्रों में अतिरिक्त मालभाड़ा की क्षमता की पहचान करना, ग) रेलवे के पक्ष में यातायात को स्थानान्तरित कर मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य रणनीति ओर लागत का विकास करना, घ) सम्बन्ध वाणिज्यिक मुद्दों अैर परिचालनिक व्यावहार्यता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान रेलवे नेटवर्क को ऐम्बीडेडेट फीडर रूटों को शामिल करते हुए संभावित हेवी हॉल डीएफसी नेटवर्क, ड) इसी के लिए वित्तीय औचित्य के साथ मुख्य तकनीकी पैरामीटरों और चयनित पदार्थों के लिए विशेष उद्देश्य वेगन की आवश्यकता की पहचान च) अवसंरचना और सेवाओं में बढोत्तरी, सेवा गुणवत्ता, गति, गाड़ियों की लंबाई को शामिल करते हुए परिचालनिक मानकों और परिचालिक पैरामीटर में सुधार करना। कवर किए जाने वाले क्षेत्रों और प्रदेय के विस्तृत योजना को शामिल करने की स्थापना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। परामर्शदाताओं ने मुख्य विषय रिपोर्टों को सौंप दिया है।

ii भारत में हेवी हॉल रेल क्षमता विकास (एचएचआरसीडीआई)

हेवी हॉल रिसर्च एवं विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेलवे की तकनीकी क्षमता में बढोत्तरी कर हेवी हॉल मालभाड़ा कार्यान्वयन में की सुरक्षा में सुधार, परिवहन क्षमता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और भारत की रेल भाड़ा परिवहन सेवाओं में हिस्सेदारी और भारत में विश्व स्तरीय हेवी हॉल रिसर्च संस्थान (एचएचआरआई) की स्थापना के लिए योजना सहित क्षमता विकास कार्यक्रम और प्रभावी और कम लागत हेवी हॉल मालभाड़ा रिसर्च के ठोस प्रस्ताव को तैयार करना होगा। इसमें हेवीहॉल ड्राइवर लागत के मुख्य क्षेत्रों की पहचान करके जैसे वेगन आवश्यक्ताओं को कम कर एक्सल लोड बढाकर उत्पादकता को बढ़ाना, धढ़ा बजन अनुपात को उच्चत्म पे, लोड, ऊर्जा बचत तकनीक, मानव संसाधन आवश्यक्ताओं में कमी ओर अपेक्षित स्किल की बढोत्तरी रिसर्च क्षमताओं ओर विकास के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाना शामिल होगा।

परामर्श आरंभ रिपोर्ट और ड्राफ्ट रिपोर्ट एचएचआरआई और उसके संबंधित क्षेत्रों की स्थापना के लिए किए जा रहे उपायों ओर कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए इसे अनुमोदित किया गया है। अंतिम मसौदा रिपोर्ट को तैयार कर दिया गया है।

iii डीएफसीसीआईएल के लिए भेदभावरहित अभिगमन के लिए परामर्श सेवाएं (सीएसएनडीएडी)

इस अध्यन का उद्देश्य (I) रेल मालभाड़ा गाड़ी आपरेटरों के लिए भेदभावरहित अभिगमन उपलब्ध कराने के लिए सांस्थानिक व्यवस्था के लिए विकल्पों पर विचार (II) मालभाड़ा गाड़ी आपरेटरों के लिए भेदभावरहित अभिगमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का विश्लेषण करना और प्रेक्टिकल प्रणाली (यों) के लिए सुझाव देना जो भारतीय परिदृश्य में आवेदन के लिए उपयुक्त हो (III) प्रारंभ में ट्रैक अभिगमन प्रभारों की स्थापना के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली बनाना, और (IV) लाईसेंसिंग के लिए सांस्थानिक व्यवस्थाऐं, यातायात के नियम, क्षमता एलोकेशन और संरक्षा, ट्रैक अभिगमन प्रभारों की गणना के लिए कार्यप्रणाली सहित, को बदलने की आवश्यकता होगी।

परामर्शदाताओं ने मसौदा अंतिम रिपोर्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण पर आधारित गैर भेदभावरहित अभिगमन प्रणालियों और नियामक ढांचा पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

iv डीएफसीसीआईएल का संस्थागत सुदृढ़ीकरण मॉडयूल (आईएसएमडी)

इस मॉडयूल का प्रारंभिक उद्देश्य एमआईएस, एचआर प्रणालियों, कार्यविधि और प्रक्रियाओं, कन्ट्रोल प्रणाली, संगठनात्मक ढांचा और प्रबंधन की समीक्षा और ढांचागत सेवाओं को वाणिज्यिक उन्मुख प्रदाता बनाने के लिए डीएफसीसीआईएल को सिफारिशों को देना है। मॉडयूल क्षमता निर्माण, स्किल विकास, संगठन के ऐसे क्षेत्रों में प्रणाली सुधार और रि–इंजीनियरिंग प्रक्रिया ओर कंपनी के कॉर्पोरेट गवरनेंस प्रबंधन और संगठन ढांचा, मानव संसाधन योजना और विकास, कर्मचारी प्रशिक्षण/अध्यन दौरे, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणालियों, गवरनेंस प्रणालियों आदि की समीक्षा और सिफारिश करेगा।

विस्तृत कार्य योजना और उद्देश्यों को समाहित करते हुए आरंभिक रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया गया है।

3.4 भूमि अधिग्रहण की स्थिति

डीएफसी संरेखण 09 राज्यों और 66 जिलों से होकर निकलेगा। पूर्वी कोरीडोर पर, डीएफसी संरेखण दानकुनी से लुधियाना तक पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब राज्यों से गुजरेगा। पश्चिमी कोरीडोर उत्तर प्रदेश में दादरी से वाया हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से जेएनपीटी महाराष्ट्र तक दूरी तय करेगा।

संरेखण में अधिक जनसंख्या क्षेत्र और ढांचागत गिरने को ध्यान में रखते हुए, खुर्जा–पिलखनी सेक्शन में मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड पर समान्तर से डिटूर तक संरेखण में बदलाव किया गया था। पश्चिमी डीएफसी में भूमि की आवश्यकता में बढ़ोत्तरी के कारण, 3360 किमी. से अधिक के लिए भूमि की कुल आवश्यकता बढ़कर 11539 से 11672 हेक्टेयर हो गयी है। इसमें 9760 हेक्टेयर प्राइवेट भूमि है तथा शेष सरकारी भूमि है। पूर्वी डीएफसी पर, (सोननगर–दानकुनी में 1002 हेक्टेयर के क्षेत्र को शामिल करते हुए 538 किमी के रूट को छोड़कर) लगभग 4495 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 1318 किमी लंबाई में फैले क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए है। (सोननगर–दानकुनी को छोड़कर जो कि 538 किमी. रूट को कवर करते हुए 1178 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है) पश्चिमी डीएफसी, यह लगभग 6000 हेक्टेयर के क्षेत्र में 1504 किमी. लंबाई में फैला हुआ है। विशेष रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण रेल संशोधन अधिनियम 2008 (आरएए 2008) द्वारा शासित है।

(सोननगर–दानकुनी सेक्शन को छोड़कर) दिनांक 31.03.2016 तक भूमि अधिग्रहण की प्रगति लगभग 89.8% और कुल प्रगति 85% हो चुकी है।

3.5 दानकुनी–सोननगर पीपीपी परियोजना

डीएफसी नेटवर्क के साथ देश के पूर्वी भाग में स्थित उद्योगों और बन्द्रगाहों को सुविधाजनक रूप से जोड़ने के लिए पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के महत्वपूर्ण पूर्वी छोर के रूप में दानकुनी–सोननगर (540 किमी.) सेक्शन डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (डीएफसी) के निर्माण का निर्णय लिया गया है। आगे वित्त पोषण के वैकल्पिक मोड के लाभ के लिए, इस परियोजना को डिजायन, बिल्ड, वित्त, अनुरक्षण और स्थानान्तरण (डीबीएफएमटी) मॉडल का प्रयोग कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निष्पादन करने की योजना बनाई गई है। यह परियोजना दो चरणों में विकसित की जा रही है

जो हैं, दानकुनी–गोमोह सेक्शन (282.2 किमी.) चरण–1 के रूप में और गोमोह–सोननगर सेक्शन (256.58 किमी.) चरण–2 के रूप में। योजना आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार विभिन्न सलाहकारों जैसे तकनीकी, लीगल, वित्तीय सलाहकार एवं लेनदेन सलाहकार और रियायत सलाहकार की नियुक्ति की गई है। परियोजना के लिए की गई गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:

1. परियोजना अनुमानित लागत

दानकुनी–सोननगर सेक्शन की लागत रू. 10,100 करोड़ अनुमानित की गई हैं।

2. भूमि अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण की चरणवार स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण		भूमि अधिग्रहण सेक्शन		
		20 ए	20 ई	20 एफ
दानकुनी–गोमोह सेक्शन (282.2 किमी.) चरण–1	कुल आवश्यकता	522.17 हेक्टेयर	522.17 हेक्टेयर	522.17 हेक्टेयर
	मार्च–2016 तक प्रगति	522.17 हेक्टेयर (100%)	492.68 हेक्टेयर (94.35%)	349.34 हेक्टेयर (66.90%)
गोमोह–सोननगर सेक्शन (256.58 किमी.) चरण–2	कुल आवश्यकता	655.43 हेक्टेयर	655.43 हेक्टेयर	655.43 हेक्टेयर
	मार्च–2016 तक प्रगति	649.96 हेक्टेयर (99.16%)	318.02 हेक्टेयर (48.42%)	152.32 हेक्टेयर (23.23%)

हुगली जिले के सिंगूर के बलरामवती मौजा, वर्धमान जिले के शक्तिगढ़, मंकर, अंदल और कुल्टी, पश्चिम बंगाल और बिहार में गया डिटूर ग्रामों को छोड़कर जहां परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार मुआवजा की मांग की जा रही है। कोडरमा डिटूर (57 किमी.) में माओवादी गतिविधियों के कारण, जमीन पर सरेंखण की स्टेकिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। गौतम बुद्ध विल्ड लाइफ सेंचूरी से गुजरने वाले कोडरमा डिटूर को भी पूरा कर लिया गया है। कोडरमा डिटूर में लगभग 392 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है। भूमि का 144 हेक्टेयर लगभग सेंचुरी का हिस्सा है। सेंचुरी की भूमि की बहाली के लिए एसडब्लयूबी, एनडब्लयूबी और उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता है।

3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

दानकुनी–गोमोह सेक्शन चरण–1 और गोमोह–दानकुनी सेक्शन चरण–2 की डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया।

4. व्यवहार्यता रिपोर्ट और यातायात अध्ययन रिपोर्ट

दानकुनी–गोमोह सेक्शन चरण–1 के लिए ''इन हाउस'' व्यवहार्यता रिपोर्ट और यातायत अध्ययन रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है।सोननगर–गोमोह का यातायात प्रोजेक्षन के अपडेषन का कार्य प्रगति पर है।

5. वित्तीय मॉडलिंग

रेलवे बोर्ड द्वारा सुझाए गए दानकुनी–गोमोह सेक्शन चरण–1 के लिए वित्तीय मॉडलिंग के लिए सदंर्भ शर्तों के

आधार पर प्राथमिक वित्तीय मॉडलिंग को पूरा कर लिया गया है। आदेशों की अनुपालन के क्रम में परियोजना की वैकल्पिक राजस्व मॉडल/वित्तीय स्ट्रक्चरिंग के साथ तकनीकी सेवाएं और लेनदेन सलाहकार सेवाओं, दानकुनी–गोमोह सेक्शन, चरण–1 के लिए वित्तीय परामर्शदाता कम लेनदेन सलाहकार कि नियुक्ति हेतु आर.एफ.पी. को दिनांक 31.03.2016 को फ्लोट कर दिया गया है।

6. मानकों और विशिष्टीकरणों के मेनुअल

मानकों और विशिष्टीकरणों के मसौदे के ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है।

7. रियायती करार और अन्य दस्तावेजों को विकसित करने के लिए कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की गई है।

8. मुख्य परियोजना प्रबंधक/कोलकाता द्वारा दानकुनी–गोमोह सेक्शन चरण–1 के लिए ईआईए और एसआईए के ठेका कार्य की प्रक्रिया की जा रही है।

9. यार्ड प्लान

दानकुनी–गोमोह सेक्शन (282.2 किमी.)–चरण–1 के लिए, सभी चार स्टेशनों न्यू जौग्राम, न्यू राजबंध, न्यू मुगमा एवं न्यू प्रधानकांटा के लिए यार्ड प्लान अनुमोदित कर दिया गया है। चार जंक्शन स्टेशनों मे से एक जंक्शन न्यू दानकुनी को अंतिम रूप दिया गया। गोमोह–सोननगर सेक्शन (256.581 किमी.), चरण–2, के लिए 6 स्टेंशनो में से, पांच क्रांसिग स्टेशन न्यू केशवारी, न्यू हिरोधि, न्यू कास्था, न्यू पहाड़पुर एवं न्यू रफीगंज के यार्ड प्लान को अनुमोदित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, एक जंक्शन स्टेशन, न्यू चिरेलापाथू के यार्ड को अनुमोदित कर दिया है।

3.6 भविष्य के फ्रेट कोरीडोर

रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2011 में, भविष्य के चार कोरीडोर के लिए पी ई टी एस (प्रीमीनिलरी इंजीनियरिंग एंड ट्राफिक सर्वे) का कार्य सौंपा हैं:

1. पूर्व–पश्चिम कोरीडोर (कोलकाता–मुम्बई) (2328 किमी.)
2. उत्तर –दक्षिण कोरीडोर (दिल्ली–चैन्नै) (2327 किमी.)
3. पूर्व तटीय कोरीडोर (खड़गपुर–विजयवाड़ा) (1115 किमी.)
4. दक्षिण कोरीडोर (चैन्ने–गोवा) (890 किमी.)

पीटीईएस का कार्य राइट्स को अवार्ड किया गया था। सितबंर 2011 के दौरान कार्य प्रारंभ किया गया और बिना टैक्स के लागत रू. 68.5 करोड़ है।

भविष्य के निम्नलिखित तीन कोरीडोरर्स की अंतिम प्रीलिमीनरी इंजीनियरिंग कम ट्राफिक अध्ययन (पीईटीएस) को रेलवे बोर्ड को भेजा गया है और उनका विवरण निम्नानुसार है:

1. **पूर्व–पश्चिमी कोरीडोर (कोलकाता–मुम्बई):** 2328 किमी. का प्रस्तावित संरेखण पालघर से अंदल/कमरकुंडू को जोड़ता है और कोरीडोर चार जोनों (एस ई आर, पूर्व, एस ई सी आर और सीआर) ये गुजरता है और भारत के पांच राज्यों (महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिसा, झारंखड और पश्चिम बंगाल) को पार करता है। पूर्व पश्चिम कोरीडोर हल्दिया पूर्व तटीय पर धमरा और पारादीप, पूर्व पश्चिम तटीय पर मुम्बई और जेएनपीटी को जोड़ेगा। प्रांरभ में स्टील संयंत्र यातायात, अयस्क निर्यात, थर्मल कोयला को मार्ग को पूरा करेगा, इसके अतिरिक्त दर्जन सीमेन्ट संयंत्रों की यातायात आवश्यक्ताओं को पूरा करता है।
2. **उत्तर–दक्षिण कोरीडोर (दिल्ली–चेन्नई):** प्रस्तावित 2327 किमी. का संरेखण पृथला से अरकोनाम को जोड़ता

है और पांच रेलवे जोनों (एन सी आर, डब्ल्यू सी आर, सी आर, एस सी आर और एस आर) से गुजरता है और भारत के सात राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को पार करता है। उत्तर दक्षिण रूट पर भारतीय रेल द्वारा सभी कोर वस्तुओं के उच्च क्रास यातायात की मांग को पूरा किया जाता है। इनमें लोहा एवं स्टील, कोयला, फूट ग्रेन, फर्टिलाइजर, सीमेन्ट और अन्य सामान्य माल सहित कंटेनर शामिल होते हैं।

3. **पूर्व तटीय कोरीडोर (खड़गपुर–विजयवाड़ा)** प्रस्तावित 1115 किमी. का संरेखण खड़गपुर से विजयवाड़ा को जोड़ता है और तीन रेलवे जोनों (एस ई आर, ईस्ट कोस्ट रेलवे और एस सी आर) से गुजरता है और भारत के तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिसा और आंध्र प्रदेश को पार करता है। यह रूट महत्वपूर्ण हल्दिया, धमरा, पारादीप, विशाखापट्टनम गंगावरम और काकीनाड़ा बंदरगाहों को जोड़ता है। यह रूट प्रांरभिक रूप से कोयला, लोहा अयस्क और स्टील सहित हेवी यातायात की मांग को पूरा करेगा।

निम्नलिखित कोरीडोर का पीईटीएस सर्वेक्षण प्रगति पर है

दक्षिण कोरीडोर (चैन्नई–गोवा): प्रस्तावित 890 किमी. दक्षिण कोरीडोर का संरेखण रेनूगुंटा से मडगांव वाया हुबली एवं अनोका को जोड़ता है और संरेखण चार रेलवे जोनों (एस डब्ल्यू आर, एस सी आर और कोंकण रेलवे) से गुजरता है और भारत के तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा को पार करता है। यह कोरीडोर देश के पश्चिम पर गोवा और चैन्नई/इन्नौर पूर्व तटीय बंदरगाहों को जोड़ता है। मालभाड़ा मुख्य रूप से लोहा अयस्क और स्टील का है। अंतिम पी ई टी एस रिपोर्ट के वर्ष 2016–2017 में आने की संभावना है।

4.1. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिको का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्तियों एवं पदावधि समाप्ति के कारण कुछ परिवर्तन हुए हैं जो निम्नानुसार हैः

4.1.1. वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान बोर्ड में ज्वाइन करने वाले निदेशकगण–निल

4.1.2 निम्नलिखित निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2015–2016 की समाप्ति के बाद के ज्वाइन किया

क) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2008/इंफ्रा/6/1(पार्ट–1) दिनांक 01.04.2016 अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने श्री रवि माथुर और श्रीमती शक्ति मुंशी, को डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में तीन वर्ष के लिए दिनांक 01.04.2016 से अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्ति किया है।

ख) रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र सं.2016/पीएल/61/4 दिनांक 30.06.2016 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने श्री वाई.एस. मलिक, अपर सचिव, नीति आयोग को डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से अपर सचिव नीति आयोग के पद पर रहने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो सरकारी निदेशक नियुक्ति किया है।

4.1.3 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है

क) रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2008/इन्फ्रा/6/1 दिनांक 25.04.2012, के अनुसार श्री आर.एस.शर्मा, स्वतंत्र निदेशक का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 24.04.2015 को समाप्त हो गया है।

4.1.4 वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर निम्नलिखित निदेशक का कार्यभार समाप्त हो गया है

क) दिनांक 05.02.2016 को आयोजित 53वी बोर्ड बैठक के संकल्प संख्या 53.4.2, के द्वारा कार्यालय के नामित निदेशक श्री गजेन्द्र हल्दिया का पद तकनीकी रूप से रिक्त हो गया है।

4.1.5 इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित निदेशक कार्यभार देख रहें है

क्रसं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण की तिथि
1.	श्री ए.के.मित्तल	अंशकालिक अध्यक्ष सरकारी	03.02.2015
2.	श्री आदेश शर्मा	प्रबंध निदेशक	20.10.2014
3.	श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक/परि.नियोजन	05.04.2011
4.	श्री एच.डी.गुजराती	निदेशक/परि.एवं व्य.विकास	29.11.2012
5.	श्री एम. के. मित्तल	निदेशक/वित्त	16.09.2013
6.	श्री डी. एस. राणा	निदेशक/अवसंरचना	27.10.2014
7.	श्री गिरीश पिल्लई	अंशकालिक निदेशक/(सरकारी)	14.11.2012
8.	श्री रवि माथुर	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2016
9.	श्रीमती शक्ति मुंशी	स्वतत्र निदेशक	01.04.2016
10.	श्री वाई.एस मलिक	अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित नीति आयोग)	30.06.2016

4.2 बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान, व्यवसाय के संबंध में निदेशक मंडल की पांच बैठकें हुई। निदेशक मंडल की बैठकों की तिथियां निम्नानुसार है:

क्रसं.	तिमाही	तिथि
1.	जून 2015 को समाप्त तिमाही	08.05.2015, 08.06.2015
2.	सितबंर 2015 को समाप्त तिमाही	13.08.2015
3.	दिसबंर 2015 को समाप्त तिमाही	27.11.2015
4.	मार्च 2016 को समाप्त तिमाही	05.02.2016

4.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरणः

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 134 (3) (सी)के संदर्भ में कंपनी के निदेशक मंडल सुनिश्चित करते हैं किः–

क) वार्षिक लेखा को तैयार करने, लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है और तात्विक विसंगतियों के लिए समुचित स्पष्टीकरण दिए गए है।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों, उन्हें सतत् लागू किया है और निर्णय लिए है कि किए गए आंकलन विवेक पूर्ण और उपयुक्त हैं जो वित्तीय वर्ष पर और उस अवधि के लाभ हानि खाते में कंपनी के मामलों की सही स्थिति को दर्शाता हैं।

ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखेबाजी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए निदेशकों ने समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखा एक कार्यरत कंपनी के आधार पर तैयार किया हैः और।

ड़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के साथ उचित सिस्टम के कार्यान्वयन का सुनिश्चय किया है और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त और प्रचलन में हैं। निदेशक मंडल कंपनी पर लागू सभी कानूनों, कंपनी द्वारा तैयार किए गए के साथ गैर अनुपालन में किए गए कंपनी के प्रयासों की वार्षिक समीक्षा करेंगे। इससे कंपनी के आकार के अनुरूप प्रबंधन प्रणाली के अनुपालन को बल मिलता है।

4.4 धारा (149) की धारा (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा का विवरण

श्रीमती शक्ति मुंशी और श्री रवि माथुर, स्वतंत्र निदेशक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अनुसरण में घोषणा कर दी गई है।

5. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) ने मेसर्स बावेजा एंव कौल, चार्टर्ड एकाउन्टेंन्टस को वर्ष 2015–2016 के लिए कंपनी का संविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है और सदस्यों द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मंडल ने उनका लागू दर के अनुसार पारिश्रमिक रू. 8,40,000/–(आठ लाख चालीस हजार केवल) सेवा कर अलग से निर्धारित किया है और पाकेट खर्च अतिरिक्त होगा।

5.1. लेखा परीक्षक और सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अस्वीकार और प्रतिकूल टिप्पणी अथवा आरक्षण, प्रत्येक योग्यता पर बोर्ड द्वारा टिप्पणियां अथवा स्पष्टीकरण।

5.1क) सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट

मेसर्स बावेजा एंव कॉल, चार्टड एकाउंटेट द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कोई अर्हता नही है और अतः कोई स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणीयों की आवश्यकता नहीं है।

5.1ख) सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सचिवीय लेखा परीक्षक और प्रबंधन के उत्तर की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुलग्न्क ''क'' में है।

5.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में कंपनी के लेखा पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी निल है और इसमें किसी स्पष्टीकरण और टिप्पणीयों की आवश्यकता नहीं है।

6. दिए गए ऋण, किए गए निवेश, दी गई गांरटी और उपलब्ध प्रतिभूमियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी और निवेदन ''निल'' हैं।

7. (नियुक्तियां और प्रबंधन कार्मिकों की परिलब्धियां) नियम 2014 के अंतर्गत कंपनी के नियम 5(2) के तहत् कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी (नियुक्तियां और प्रबंधन कार्मिको के परिलब्धियां) नियम 5(2) के अंतर्गत दी गई सूचना निल है क्योंकि कोई भी कर्मचारी और निदेशक/केएमपी निर्धारति सीमा से अधिक परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहा था।

8. संबंधित पक्षों के साथ ठेके और करार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशकों द्वारा रूचि को प्रकट करने के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में वर्णित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा कोई भी ठेका अथवा व्यवस्थाओं में प्रवेश नहीं किया था।

9. रिपोर्ट की तिथि और वित्तीय विवरण यदि कोई जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के बीच में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं

दिनांक 31.03.2016 को और रिपोर्ट की तिथि पर सामग्री बदलाव और प्रतिबद्धताओं की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है, वित्तीय विवरण यदि कोई जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के बीच में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं।

10. ऊर्जा का संरक्षण, प्रोद्योगिकी विलयन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम

पिछले 2 से 3 वर्षों तक किए गए उपायों के साथ नवम्बर–2015 में डीएफसीसीआईएल, कॉर्पोरेट बिल्डिंग को भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ ऊर्जा दक्षता द्वारा बीईई 5 स्टार रेंटिग से पुरस्कृत किया है। डीएफसीसीआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय बिल्डिंग भारत के कुल संगठनों में से एक है जिसे 90% से अधिक एयर कंडीशिनिंग क्षेत्र के साथ बीईई 5 स्टार रेंटिग लेबल दिया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 134 (3)एम के अनुसरण में अपेक्षित विवरणों को कंपनी नियम (लेखा नियम, 2014) के साथ लागू को पढ़ा जाएगा जो निम्न हैं:

क) ऊर्जा का संरक्षणः–

i **ऊर्जा संरक्षण पर की गई कार्रवाई और प्रभाव–** ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों फिटिंग, एयर कंडीशिनिंग परिचालन और लाइटिंग सेवाएं बनाना और कार्यान्वयन के लिए ओक्यूपेंसीं सेन्सर और कुशल मॉनीटरिंग एवं कन्ट्रोल मेकेन्जिम।

ii **ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपायः** डीएफसीसीआईएल नेटवर्क पर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, कोरीडोर और उनकी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में सोलर प्लान्टस के लगाने की योजना बनाई गई है।

iii **ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश।** वर्ष 2015–2016 के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपायों पर अनुमानित रू. 3.9 लाख खर्च किए गए। निकट भविष्य में डीएफसीसीआईएल में उत्सर्जन सीओ2 में कमी और महत्वपूर्ण योगदान और ऑन प्रयास संभव है।

ख) तकनीकी समावेशन

i तकनीकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास–निल

ii जैसे उत्पादन सुधार, लागत कम करना, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन से उत्पन्न लाभ;–निल

iii आयातित तकनीक के मामलें में (वित्तीय वर्ष के प्रांरभ से तीन वर्ष के अंदर आयात की गई)–निल

क)	आयातित की गई तकनीक का विवरण;	–	लागू नहीं
ख)	आयातित वर्ष;	–	लागू नही
ग)	क्या तकनीक को पूर्ण रूप से अवशोषित किया गया;	–	लागू नहीं
घ)	यदि पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं किया गया तो किस क्षेत्र में नहीं किया गया और उसका कारणः और		

iv अनुसंधान और विकास पर किए गए खर्च; – लागू नहीं

ग) समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

विदेशी मुद्रा अर्जन	–	निल
विदेशी मुद्रा का निर्गम	–	रू. 422.33 करोड़ जिसमें से
ब्याज	–	रू. 8.53 करोड़
टूर एवं यात्रा व्यय	–	रू. 0.06 करोड़
एल सी खोलने का प्रभार	–	रू. 0.32 करोड़
जायका ऋण पर बैंक प्रभार	–	रू. 0.33 करोड़
परामर्श	–	रू. 37.57 करोड़
कार्य	–	रू. 357.52 करोड़

11. बोर्ड की राय में यदि यह पाया जाता है कि कंपनी के अस्तित्व को जोखिम हो सकता है, जिसमें उसकी पहचान और तत्व शामिल हो, के लिए जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन और विकास को दर्शाने वाला विवरण

कंपनी उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया गया है जो कि लेखा परीक्षण समिति विश्व बैंक द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा की शुरू आत दिनांक 01 दिसबंर 2014 से की गई। ''योजना और निर्माण के चरण'' और ''परिचालन चरण'' स्तर पर मुख्य प्रत्येक 20 जोखिमों की पहचान कर प्राथमिकता दी गई है। इन 20 जोखिमों को कम करने के लिए योजना बनाई गई है। पहचान की गई (आरएमसी) जोखिमों और न्यूनतम योजना की समीक्षा की जाएगी। जोखिम प्रबंधन ढांचा को पहले से ही बनाया गया है जिसमें जोखिम प्रबंधन समिति में स्वतंत्र निदेशक, मुख्य जोखिम प्रबंधन समन्वयक (आर एम सी ओ) हैं जो जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करते हैं इसमें विभिन्न विभागों जैसे सिविल, एस एंड टी, आईटी, प्रशासन, विद्युत, परिचालन, वित्त आदि के प्रमुख होते है। और मुख्य परियोजना प्रबंधक जोखिम और न्यूनतम मालिक के रूप में कार्य करेंगे और जोखिम पहचान, उसकी प्राथमिकताओं और न्यूनतम योजना बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। जोखिम प्रबंधन गतिविधियों पर उचित रूप से नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए एम आई एस के माध्यम से जोखिम मॉनीटरिंग और आश्वासन मेकेन्जिम को एन्टरप्राईजेज जोखिम प्रबंधन के रूप में उपलब्ध करवाया गया है जो कि विशिष्ट जोखिम को न्यूनतम योजना को प्रभावशाली रूप से मूल्यांकन करेगा।

जोखिम प्रबंधन कोआरडीनेटरों (आर एम सी ओ) के सहयोग से जोखिम प्रबंधन ढांचे के स्तर को नियमित रूप से महाप्रबंधक/वित्त/आर एम (सी आर एम सी ओ) द्वारा कोआरडीनेट किया जा रहा है जिसका नियमित अंतराल पर लेखा परीक्षण समिति और जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। समीक्षा ओर जोखिम प्रबंधन समिति की अभी तक आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है।

क) सी आर एम सी ओ स्तर पर आज की तारीख तक क्रमशः दिनांक 16 सितंबर 2015, 16 अक्टूबर 2015, 21 जनवरी 2016, 27 जनवरी 2016 और 16 मार्च 2016 को पांच समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया।

ख) आज की तारीख तक तीन आर एम सी बैठकों का क्रमशः 06 नवम्बर, 2015, 16 मई, 2016 और 24 मई, 2016 को आयोजन किया गया।

ग) जोखिम और शमन योजना मालिकों (आर एम पी ओ) की योग्यता को बढ़ाने के लिए दो आधे दिन का ज्ञान ट्रांसफर सत्रों का दिनांक 09 फरवरी 2016 ओर 26 फरवरी 2016 को और आर एम पी ओ को रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों के लिए दो पूरे दिन का ज्ञान ट्रांसफर सत्रों का दिनांक 27 जून 2016 और 28 जून 2016 आयोजन किया गया।

घ) लेखा परीक्षण दिशा निर्देशों के आलोक में 32वीं लेखा परीक्षण समिति की आज की तारीख तक समीक्षा बैठक का 33वीं लेखा परीक्षण समिति के समक्ष 18 जुलाई 2016 को प्रजेन्टेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेखा परीक्षण समिति आगे बोर्ड को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं और इसे दिनांक 26 जुलाई 2016 को निदेशक मंडल की बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

12. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए कार्यान्वयन और विकसित नीति का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट दायित्व के लिए किए गए प्रयासों की रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट के रूप में अनुलग्नक–बी फार्म संलग्न है।

13. अन्य अनुपालन

क) राजभाषा (आफीशियल लेग्वेज)

डीएफसीसीआईएल, कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यालय में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। 01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की गई।

डीएफसीसी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में बैठकें आयोजित की गई। राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के साथ–साथ गृह मंत्रालय को तिमाही रिपोर्ट का नियमित रूप से प्रेषण किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) दिल्ली की बैठकों में नियमित रूप से सक्रिय भागीदारी की जा रही है।

दिनांक 01.09.2015 से 14.09.2015 तक डीएफसीसीआईएल में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को प्रबंध निदेशक के कर कमलों से पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर सभी निदेशक और अधिकारीगण उपस्थित थे। इसके अलावा डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी में कार्य करने की झिझक को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट को नियमित रूप से समय समय पर अपडेट किया जाता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय आदेश, भूमि अधिग्रहण और गजट अधिसूचनाओं को हिंदी–अंग्रेजी द्विभाषी में जारी किया जाता है।

डीएफसीसीआईएल में राजभाषा के प्रयोग प्रसार को बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड की प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया गया है। डीएफसीसीआईएल, कॉर्पोरेट कार्यालय मे हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की गई है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण पुस्तकालय का पूरा लाभ उठा रहे हैं। डीएफसी का तिमाही न्यूज पत्र हिंदी में प्रकाशित किया जा रहा है।

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1. सूचना का अधिकार 2005 का लागू होना भारत में लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक घटना है। सूचना का अधिकार नागरिकों को व्यवहारिक दृष्टि से शासन प्रणाली से सूचना प्रदान करने का प्रयास है जिसके तहत सार्वजनिक प्राधिकार के नियंत्रण के अंतर्गत नियम, सूचना प्राप्त कर सकते हैं ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को प्रोत्साहन मिल सके।

   डीएफसीसीआईएल ने अनिवार्य आवश्यक्ताओं को पूरा करने के साथ–साथ नागरिकों द्वारा मांगी गई जानकारी को उपलब्ध कराना का दायित्व लिया है। कॉर्पोरेट कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी फील्ड कार्यालय अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय में उनकी सहायता के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो कि अपेक्षित जानकारी को प्राप्त कर निर्धारित समय में आवेदक को इसे भेजते हैं। डयूटी और जिम्मेदारियों के अनिवार्य आवश्यक्ताओं के अंतर्गत समूह महाप्रबधक/प्रशासन को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

   वर्ष 2015–2016 के दौरान कुल 420 आवेदन (40 अपीलीय मामलों सहित) प्राप्त हुए और सभी मामलों का निपटान निर्धारित समय में किया गया। सभी जवाब कंपनी की वेबसाइट www.dfccil.gov.in पर उपलब्ध हैं जो कि पाक्षिक आधार पर अपडेट की जाती है।

2. **संसदीय प्रश्नः** संसदीय मामलों की अत्यन्त सटीकता, तेजी और निर्धारित मानदंडो और प्रक्रियाओं को पूरा करने का कार्य नोडल अधिकारी द्वारा किया जाता है।

   डीएफसीसीआईएल में अन्य निदेशालयों के साथ समन्वय रखकर सभी संसदीय मामलों को विशेष रूप से डील करने के लिए एक अधिकारी को लगाया गया है। वर्ष 2015–2016 के दौरान, कुल 31 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए और सभी का समय से जवाब दिया गया।

ग) एम सी ए 21 ई–फाइलिंग

कंपनी नियमों–2006 (इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग एंड आथन्टीकेशन ऑफ डाक्यूमेंटस) और कंपनी (कंपनी फाइलिंग ऑफ डाक्यूमेंटस एंड फार्म व एक्सेटंन्सिबल बिजनेस रिपोटिंग लेग्योगेज) संशोधन नियम 2012 की शर्तो के अनुसार कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी संवैधानिक प्रपत्र और विवरणियां इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भरी हैं।

घ) समझौता ज्ञापन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2014–2015 के लिए कंपनी को एम ओ यू के लिए ''अच्छी श्रेणी'' श्रेणी प्रदान की गई।

ङ) सर्तकता

सर्तकता विभाग किसी संगठन के प्रबंधन का एक जागरूक भाव और अभिन्न अंग होता है जो कि संगठन के निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

सर्तकता विभाग में एक पूर्णकालिक मुख्य सर्तकता अधिकारी है जिसे स्वीकृत 10 पदों के विरूद्व तीन उपमहाप्रबंधकों, तीन सहायक प्रबंधकों की टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निरोधक सर्तकता दंडात्मक सर्तकता की तुलना में निवारक सर्तकता और सुधार के लिए अधिक जोर दिया है। सतर्कता मामलों पर सतर्कता अतिधकारियों को अद्यतन निर्देशों और दिशानिर्देशों को अपडेट करने के क्रम में नौ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से रू. 01 करोड़ से अधिक के सभी ठेके और खरीदारी को डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर सीवीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में पोस्ट किया जाता है।

शिकायतें

डीएफसीसीआईएल ने शिकायत करने की नीति को अच्छी तरह से परिभाषित किया है जो कि डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर सतर्कता पोर्टल पर उपलब्ध है। दिनांक 01.01.2015 को शिकायतों की अधिशेष संख्या 15 थी। वर्ष के दौरान सीवीसी/रेलवे और अन्य व्यक्तियों से कुल 20 शिकायतें प्राप्त हुई इनमें से 27 शिकायतों का निपटारा किया गया है शेष 08 शिकायतों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है।

शिकायतों पर जांच के बाद सिफारिशें

ठेके के निष्पादन में शामिल अनियमितताओं के मामलों में दो अधिकारियों के विरूद्व छोटी शास्ति की सिफारिश की गई।

निरोधक जांचे

वर्ष के दौरान 20 निरोधक जांच आयोजित की गई इनमें से 15 का निपटारा कर दिया गया है।

औचक जांच

वर्ष के दौरान कुल 07 औचक जाचें की गई।

अचल संपत्तियों रिटर्न की छानबीन

वर्ष के दौरान 79 अधिकारियों द्वारा दिए गए अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) की छानबीन की गई।

प्रणाली सुधार

प्रणाली सुधारों के लिए प्राप्त सिफारिशों के परिणाम के आधार पर कार्य से संबंधित निविदा और ठेके, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान और मानव संसाधन मामलों के विभिन्न क्षेत्रों मे किए गए का विवरण निम्नानुसार है।

विभाग द्वारा प्रणाली सुधार का कार्यान्वयन

1. वेबसाइट पर निविदाओं को अपलोड करना।
2. अधिकारियों के रोटेशनल स्थानान्तरण।
3. कार्यकारी और वित्त अधिकारियों द्वारा स्टोर का संयुक्त निरीक्षण।

प्रणाली सुधार का कार्यान्वयन

i क) एस एल ए ओ लेंड बैंक खाते से भुगतान के लिए केवल ईएफटी/आर टी जी एस के माध्यम से और बैक खाते से प्रत्येक लेनदेन के लिए एस एम एस अलर्ट की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए।

ख) प्रतिदिन के आधार पर ईमेल के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट का प्राप्त करना और एस एल ए ओ द्वारा जारी चेकों का प्रतिदिन मिलान की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए।

ग) भूमि भुगतान की प्रणाली का अध्ययन कर मुख्यालय वित से और फील्ड यूनिट से एक प्रतिनिधि अधिकारी की टीम का गठन किया जा सकता है और वर्तमान प्रणाली मे धोखाधड़ी का पता लगने पूर्व उन पर सुधार के लिए सिफारिश कर विशेष जोर देकर प्रतिबद्व किया जा सकता हे।

घ) प्रत्येक लेंड बैंक खाता का उचित मासिक बैंक मिलान और मुख्यालय स्तर पर मॉनीटरिंग करनी चाहिए।

ड़) सभी लेंड खातों का एक विस्तृत और व्यापाक लेखा परीक्षण तत्काल किया जाना चाहिए, यदि नही किया गया है, तो 31 मार्च, 2014 तक की अवधि को कवर करते हुए उसके बाद नियमित लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए।

च) कॉर्पोरेट कार्यालय वित्त द्वारा लेंड खातों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए।

ii मुख्य कार्मिक जैसे ट्रैक डिजायन विशेषज्ञ, ट्रैक निर्माण विशेषज्ञ, विद्युत विशेषज्ञ, (ओएचई), विद्युत विशेषज्ञ (ट्रैक्शन सप्लाई), सिगनल निर्माण विशेषज्ञ, टेलीकॉम निर्माण विशेषज्ञ आदि के चयन के लिए डिग्री और डिप्लोमा धारियों के लिए कम से कम व्यावसायिक अनुभव 10 वर्ष का निर्धारित किया गया है जबकि दोनों के लिए समान नहीं होना चाहिए। भविष्य के ठेकों के लिए इसे संशोधित किया जा सकता है।

iii सरप्लस निधि के निवेश के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

iv मानव शक्ति सेवा प्रदाता ठेका में डीएफसीसीआईएल में एजेन्सी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए। जब कोई आउटसोर्स कर्मचारी 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे बदला जाएगा।

v आउटसोर्स कर्मचारियों की पिछली पृष्ठभूमि की जांच के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए।

जागरूकता और भागीदारी सर्तकता

केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसरण मे दिनांक 26.10.2015 से 31.10.2015 तक डीएफसीसीआईएल के सभी कार्यालयों में सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष के सर्तकता सप्ताह का विषय था''सुशासन के प्रभावी उपाय के रूप में निवारक सतर्कता''। इस अवसर पर, सप्ताह के दौरान डीएफसीसीआईएल के सभी अधिकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए जैसे 11.00 बजे शपथ समारोह के साथ सतर्कता मामलों पर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल इंडिया के अध्यक्ष श्री पी.एस.बावा, द्वारा संबोधित किया गया। आई एफ ए आई ए से श्री विनोद खुराना द्वारा फॉरेंसिक लेखा और लेखा परीक्षा जांच पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30.10.2015 को कॉर्पोरेट कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया जिसमें सीवीसी के श्री टी.एम. भसीन, मुख्य तकनीकी परीक्षक, मुख्य वक्ता थे। ''सुंशासन के प्रभावी उपाय के रूप में निवारक सतर्कता'' विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए गए।

14. कॉर्पोरेट शासन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर दिशा निर्देशों के साथ कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित फार्म बोर्ड रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंग है।

क) कॉर्पोरेट शासन, निदेशक मंडल का संयोजन के साथ–साथ उनकी विभिन्न बैठकों में उपस्थिति, निदेशकों आदि के पारिश्रमिक और अन्य संबंधित प्रकटनों पर कंपनी के दर्शन के मुख्य बिन्दुओं को कॉर्पोरेट शासन

रिपोर्ट के अनुलग्नक 'सी'' में रखा गया है। यह निम्न अनुपालन प्रमाण पत्रों के पूरक हैं।

i मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाण पत्र अनुलग्नक ''सी–1'' पर है।

ii वर्ष 2015–2016 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक और बोर्ड सदस्यों द्वारा कोड ऑफ कन्डेक्ट के अनुपालन के साथ प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा अनुलग्नक ''सी–2'' पर प्रस्तुत है।

iii कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त कॉर्पोरेट शासन के अनुपालन की प्रमाण पत्र अनुलग्नक ''सी–3'' पर प्रस्तुत है।

ख) एक ''प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट'' अनुलग्नक ''डी'' पर प्रस्तुत है।

ग) कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट अनुलग्नक ''ई'' पर प्रस्तुत है।

घ) एमजीटी–9 बोर्ड रिपोर्ट से निर्धारित फार्म में वार्षिक रिटर्न का सार अनुलग्नक ''एफ'' में है।

15. रेगुलेटर अथवा न्यायालय द्वारा परित सार्थक और सामग्री आदेश

रेगुलेटर/न्यायालय द्वारा कोई सार्थक सामग्री आदेश पारित नही किए गए है जो कि कंपनी से संबंधित और उनके भविष्य के परिचालन को प्रभावित कर सकते हों।

16. आभार

निदेशक, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों, क्षेत्रीय रेलों, सांविधिक अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के प्रति उनके सहयोग और संरक्षण के लिए आभार प्रकट करते हैं।ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और बैंको द्वारा कंपनी को निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए बोर्ड धन्यवाद के साथ उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल और डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों तथा अन्य के प्रति कंपनी को समय–समय पर दिए गए निरंतर बहुमूल्य सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/–	ह/–
(आदेश शर्मा)	(ए.के.मित्तल)
प्रबंध निदेशक	निदेशक/वित्त

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31.8.2016

अनुलग्नक – ए

सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्रसं.	टिप्पणियां	प्रबंधन की टिप्पणीयां
1.	कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।	कंपनी के एसोसीएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 81 की शर्तों के अनुसार, पूर्ण कालिक निदेशकों सहित प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय से पूर्व में ही अनुरोध किया जा चुका है कि अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक को कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया जाए और इसकी रेल मंत्रालय से पुष्टि होना शेष है। भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 01.04.2016 ने एक महिला निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया है।
2.	भारत सरकार द्वारा निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, ''लेखा परीक्षण समिति,'' ''परिलब्धि समिति'' और ''कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति'' के गठन में सभी गैर स्वतंत्र निदेशकों को शामिल किया गया।	कंपनी के एसोसीएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 81 की शर्तों के अनुसार, पूर्ण कालिक निदेशकों सहित प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय से पूर्व में ही अनुरोध किया जा चुका है कि अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक को कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया जाए। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, अधिनियम की आवश्यकतानुसार सांविधिक समितियों का गठन नहीं किया जा सका है।
3.	कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने रेल मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक को नियुक्त करने का अनुरोध किया है। भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 01.04.2016 ने एक महिला निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया है।
4.	श्री गजेन्द्र नाथ हल्दिया, नामित निदेशक ने वित्तीय वर्ष में कोई बैठक में उपस्थित नहीं हुए।	श्री गजेन्द्र नाथ हल्दिया, नामित निदेशक ने वित्तीय वर्ष में किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए ओर इससे प्रशासनिक मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है। बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 167 के अंतर्गत कार्यालय में निदेशक की तकनीकी रिक्त के नोट को दिनांक 05.02.2016 को आयोजित बैठक में लिया है।

अनुलग्नक – बी

बोर्ड रिपोर्ट में शामिल सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रारूप

1. कंपनी की सीएसआर नीति, परियोजना का पर्यावलोकन अथवा प्रस्तावित कार्यक्रमों आयोजित किए जाने की संक्षिप्त रिपोर्ट और सीएसआर नीति और परियोजनाऐं अथवा कार्यक्रमों के संदर्भ में वेबलिंक।

विजन

समुदाय और हितधारकों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने एवं उन्हें पूरा करने के लिए सामाजिक दायित्वों की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन।

मिशन

बड़े स्तर पर सभी हितधारकों और समाज के लिए जिम्मेदार कॉर्पोरेट ईकाई बनाना।

कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के साथ, डीएफसीसीआईएल के लिए एक नई सीएसआर नीति बनाई गई जिसका दिनांक 13.11.2014 को निदेशकमंडल की 47वीं बैठक में अनुमोदन किया गया था।

दिनांक 04.08.2015 को सीएसआर समिति की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर निदेशक मंडल ने 2015–2016 के दौरान की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों के लिए दिनांक 13.08.2015 को 51वीं बैठक (मद सं 51.3.17) का निम्न विवरण के अनुसार अनुमोदन प्रदान कर दिया है:

क) रोजगार/स्वरोजगार के लिए अग्रणी भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 1000 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/गरीबी की रेखा से नीचे व्यक्तियों के लिए ''सक्षम'' नाम एक वोकेशनल प्रशिक्षण चार सीपीएम यूनिटों टूंडला, इलाहाबाद (पश्चिम) जयपुर और मुम्बई आयोजित किया गया: और

ख) पश्चिमी डीएफसी और पूर्वी डीएफसी प्रत्येक एक सीपीएम यूनिट में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। सीएसआर के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए अनुमानित रू. 15 लाख का फंड आबंटित किया गया।

2. वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति का संयोजन:

श्री एच.डी.गुजराती, निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकास/डीएफसीसीआईएल– संयोजक

श्री डी.एस.राणा, निदेशक/अवसंरचना/डीएफसीसीआईएल– सदस्य

श्री गिरीश पिल्लई, सलाहकार/अवसंरचना, रेलवे बोर्ड– नामित निदेशक

54वीं निदेशक मंडल की दिनांक 02.06.2016 में सीएसआर उप समिति का पुर्नगठन किया गया। समिति निम्नानुसार है।

क) श्री रवि माथुर, स्वतंत्र निदेशक– अध्यक्ष

ख) श्री एच.डी.गुजराती, निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकास/डीएफसीसीआईएल–सदस्य

ग) श्री डी.एस.राणा, निदेशक/अवसंरचना/डीएफसीसीआईएल–सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत नेट लाभः रू. 4459.48 लाख।

4. निर्धारित सीएसआर खर्च (उपर्युक्त मद सं. 3में राशि का 2 प्रतिशत): रू. 89.19 लाख।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च का विवरणः वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशिः पिछले वर्ष खर्च नहीं की गई राशि रू. 3.94 लाख सहित सीएसआर गतिविधियों पर वर्ष 2015–16 के लिए कुल खर्च की गई राशि रू. 1.68 करोड़।

   क) खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई होः–निल

ख) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की राशि का विस्तृत विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रसं.	**सीएसआर परियोजना अथवा की जाने वाली गतिविधियां**	**परियोजना को शामिल किए जाने वाला सेक्टर**	**परियोजना अथवा कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2. राज्य एवं जिला का उल्लेख जहां योजना अथवा कार्यक्रम किया जाना है**	**योजना में खर्च की जाने वाली राशि (बजट) अथवा कार्यक्रम के अनुसार (लाख रूपये में)**	**योजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च राशि उप शीर्षः 1 योजनाओं पर अथवा कार्यक्रमों: 2 पर प्रत्यक्ष खर्च (लाख रूपये में)**	**रिर्पोटिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रूपये में)**	**खर्च राशि–** प्रत्यक्ष अथवा किसी कार्यान्वयन एजेन्सी के माध्यम से
1.	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी)/ बीपीएल परिवारों को वोकेशनल प्रशिक्षण	रोजगार बढ़ाने के लिए वोकेशनल स्किल्स	इलाहाबाद, जयपुर, मुम्बई और टूंडला क्षेत्रों पर कुल 1012 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/ बीपीएल परिवारों ने सत्कार, डाटा एन्ट्री आपरेटर, रिटेल सेल्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, लोजिस्टिक डाक्यूमेंटेशन सहायक, टेलीकॉम आदि के प्रशिक्षण में भाग लिया।	105	105	105	भारतीय औद्योगिक परिसंघ (सी आई आई)
2.	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण	रोजगार को बढ़ाने के लिए वोकेशनल स्किल	(क) स्किल विकास में कुल 150 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने भाग लिया। (ख) गुजरात राज्य में परियोजना प्रभावित/गैर परियोजना प्रभावित 140 व्यक्तियों ने स्किल विकास प्रशिक्षण में भाग लिया। (ग) गुजरात राज्य में परियोजना प्रभावित/गैर परियोजना प्रभावित 82 व्यक्तियों ने स्किल विकास प्रशिक्षण में भाग लिया।	15 15	15 15	15 15	हरियाणा सरकार के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अंबाला केंट, बरारा और सरसाबा। गुजरात राज्य के अंतर्गत परियोजना प्रशासक, ट्राईबल क्षेत्र सब प्लान, पालनपुर। गुजरात राज्य के अंतर्गत आईटीआई कलोल, सांनद और मेहसाणा।
	कुल			**135**	**135**	**135**	

- **कार्यान्वयन एजेन्सी का विवरण दें**

6. यदि कंपनी पिछले तीन वर्षों में अथवा कोई अन्य कारण से कुल औसत लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रहती है तो बोर्ड रिपोर्ट में खर्च न करने के कारणों को कंपनी को उपलब्ध करवाना होगा–लागू नहीं

7. सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग कंपनी की नीति और सीएसआर गतिविधियों के अनुपालन सीएसआर कमेटी की जिम्मेदारी का विवरण।

		लागू नहीं
आदेश शर्मा (प्रबंध निदेशक)	रवि माथुर (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)	(अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (डी) में वर्णित व्यक्ति)

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

विजन

समुदाय और हितधारकों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने एवं उन्हें पूरा करने के लिए सामाजिक दायित्वों की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन।

मिशन

बड़े स्तर पर सभी हितधारकों और समाज के लिए जिम्मेदार कॉर्पोरेट ईकाई बनाना।

कंपनी अधिनियम और सरकार के दिशानिर्देशों पर अधारित सीएसआर नीति के अनुसार, एमओयू लक्ष्यों अथवा पिछली तीन वर्षों के दौरान तत्काल किए अनुसार कंपनी का शुद्व लाभ का औसत कम से कम 2% की राशि सीएसआर गतिविधियों के लिए आबंटित की जाती हैं।

पिछली तीन वित्तीय वर्षों का कंपनी का औसत शुद्व लाभ रू. 4459.48 लाख था। निर्धारित सीएसआर खर्च (उपर्युक्त मद सं. 3 में राशि का 2%) रू. 89.19 लाख।

दिनांक 04.08.2015 को सीएसआर समिति की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर निदेशक मंडल ने 2015–2016 के दौरान की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों के लिए दिनांक 13.08.2015 51वी बैठक (मद सं 51.3.17) का निम्न विवरण के अनुसार अनुमोदन प्रदान कर दिया है:

क) रोजगार/स्वरोजगार के लिए अग्रणी भारतीय उद्योग परिसंद्य के साथ मिलकर 1000 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/गरीबी की रेखा से नीचे व्यक्तियों के लिए ''सक्षम'' नाम एक वोकेशनल प्रशिक्षण चार सीपीएम यूनिटों टूंडला, इलाहाबाद (पश्चिम) जयपुर और मुम्बई आयोजित किया गयाःऔर

ख) पश्चिमी डीएफसी और पूर्वी डीएफसी प्रत्येक एक सीपीएम यूनिट में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। सीएसआर के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए अनुमानित रू. 15 लाख का फंड आबंटित किया गया।

पिछले वर्ष 2014–15 की 3.94 रू. खर्च नहीं किए गई राशि सहित वर्ष 2015–16 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर कुल रू. 1.68 करोड़ खर्च किए।

- सीआईआई के साथ समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर के अनुसार, डीएफसीसीआईएल द्वारा परियोजना के लिए रू. 10500/– प्रति अभ्यर्थी 1000 अभ्यर्थियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

- डीएफसीसीआईएल द्वारा रू. 14000 प्रति अभ्यर्थी के लिए कुल परियोजना लागत रू. 1,40,00,000 (एक करोड़ चालीस लाख रूपये केवल) डीएफसीसीआईएल ने रू. 10500/– प्रति अभ्यर्थी का योगदान दिया और सीआईआई ने 25 प्रतिशत की दर से रू. 3,500/– प्रति अभ्यर्थी का योगदान दिया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियां निम्नानुसार है:

क) **सी आई आई के माध्यम से वोकेशनल प्रशिक्षण की स्थिति:** मुम्बई, जयपुर, टूंडला और इलाहाबाद क्षेत्रों के 13 केन्द्रों में 1012 प्रशिक्षणर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न मुख्य परियोजना प्रबंधक यूनिटों में प्रशिक्षणर्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

यूनिट	कुल प्रशिक्षणार्थी	बीपीएल	पीएपी
इलाहाबाद (पश्चिम)	241	106	135
जयपुर	260	60	200
मुम्बई	250	125	125
टूंडला	261	205	56
कुल	**1012**	**496**	**516**

मुख्य बिन्दु:

क) हॉस्पीटेलिटी, डाटा एन्ट्री आपरेटर, रिटेल सेल्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, लोजिस्टिक–डाक्यूमेंटेशन सहायक आदि पाठ्यक्रमों को कवर किया गया।

ख) 44,242 वोकेशनल प्रशिक्षण में कार्य दिवस का प्रशिक्षण दिया गया।

ग) कुल 1012 अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे, कुल में से 715 (72%) छात्रों ने रोजगार को स्वीकार किया और ज्वाइन किया।

पाठ्यक्रम सूची/लोकेशन/केन्द्रवार

लोकेशन	केन्द्र	पाठ्यक्रम
इलाहाबाद	भागवतपुर	हॉस्पीटेलिटी–रूम अटेंनडेंट
		रिटेल सेल्स एसोसियेट
	कटरा–रोशनी संस्थान	रिटेल सेल्स एसोसियेट
	मांडरी	हॉस्पीटेलिटी– रूम अटेंडेंट
		लोजिस्टिक–डॉक्यूमेंटेशन सहायक
		रिटेल सेल्स एसोसियेट
	सलाहपुर	हॉस्पीटेलिटी–रूम अंटेडेंट
		कोरियर एंड लोजिस्टिक–डॉक्यूमेंटेशन सहायक
		रिटेल सेल्स एसोसियेट

टूंडला	फिरोजाबाद	डाटा एन्ट्री आपरेटर
		इलेक्ट्रीशियन
		फिटर
		रिटेल सेल्स एसोसियेट
	टूंडला	हॉस्पीटेलिटी–रूम सहायक
		फिटर
जयपुर	जयपुर	डाटा एन्ट्री आपरेटर
		रिटेल सेल्स एसोसियेट
	फुलेरा	डाटा एन्ट्री आपरेटर
		इलेक्ट्रीशियन
	रिंगस	डाटा एन्ट्री आपरेटर
		इलेक्ट्रीशियन
मुम्बई	दाहानू	डाटा एन्ट्री आपरेटर
		कोरियर एंड लोजिस्टिक–डॉक्यूमेंटेशन सहायक
		रिटेल सेल्स एसोसियेट
		टेलीकॉम– इन स्टोर प्रोमोटर
	थाणे	हॉस्पीटेलिटी–मीट एंड ग्रीट
	वासिन्द	रिटेल सेल्स एसोसियेट
	विरार	डाटा एन्ट्री आपरेटर

पाठ्यक्रम	बैच	प्रशिक्षित
इलेक्ट्रीशियन	4	125
फिटर	3	103
कोरियर एंड लोजिस्टिक–डॉक्यूमेंटेशन सहायक	3	79
हॉस्पीटेलिटी–मीट एंड ग्रीट	1	34
डाटा एन्ट्री आपरेटर	8	252
रिटेल सेल्स एसोसियेट	9	248
टेलीकॉम– इन स्टोर प्रोमोटर	1	30
हॉस्पीटेलिटी–रूम सहायक	5	141
कुल योग	**34**	**1,012**

नमांकित किए गए छात्रों में से परियोजना प्रभावित परिवारों से 530 छात्र और बीपीएल परिवारों से 509 छात्र।

प्रशिक्षित छात्रों की पाठ्यक्रवार ब्यौरा

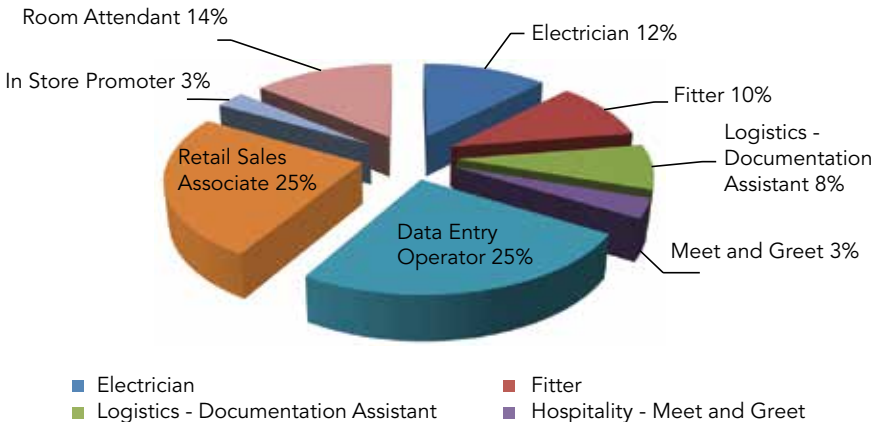

कुल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का ब्यौरा

लोकेशन	एस सी	एस टी	महिला
इलाहाबाद	138	0	73
टूंडला	28	0	30
जयपुर	0	1	16
मुम्बई	107	0	84
कुल	**273**	**1**	**203**

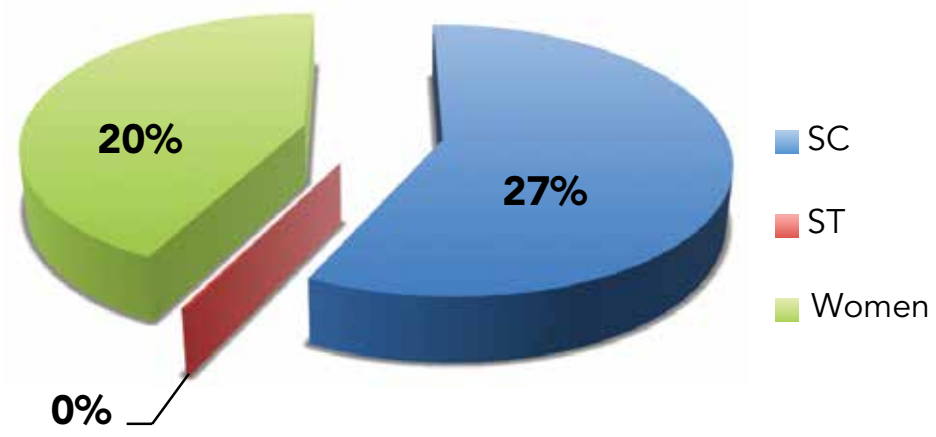

प्रशिक्षण के लिए कार्य दिवस और कार्य घंटे

कार्य दिवस
(प्रशिक्षण की दिनों की छात्र/बैच की संख्या)

कार्य घंटे
(गणना– कुल दिनों की उपस्थित 6 घंटे/दिन)

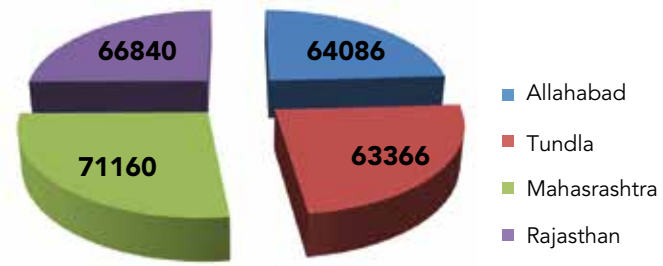

ख) स्किल विकास प्रशिक्षण का स्तरः–

अंबाला

आईटीआई अंबाला के माध्यम से तीन माह के लिए चार बैचों में स्किल विकास प्रशिक्षण को पूरा किया गया। इसमें 150 अंबाला केंट, सरसावा और बरारा के 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यूनिट को आबंटित रू. 15 लाख खर्च किए गए।

अहमदाबाद

140 लाभार्थियों के लिए पालनपुर, ट्राइबल सब क्षेत्र, परियोजना प्रशासक के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इसके अलावा आईटीआई कलोल, सानंद, मेहसाणा के माध्यम से स्किल विकास प्रशिक्षण के पांच बैचों का आयोजन किया गया इसमें 82 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यूनिट को आबंटित 25 लाख रूपये खर्च किए गए।

अंबाला और अहमदाबाद के लिए स्किल विकास प्रशिक्षण में प्रशिक्षण कार्य दिवस हासिल किएः समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के अनुसार 21,305 की कुल हासिल प्रगति को निम्नानुसार दर्शाया गया हैः–

2015–16 के लिए समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास के अंतर्गत 30,000 कार्य दिवसों में स्किल विकास प्रशिक्षण दिया गया।

मूल्यांकन मानदंड	यूनिट	वजन%	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	फेयर	पुअर
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास							
स्किल विकास प्रशिक्षण	कार्य दिवस	3	30000	25000	22000	20000	18000

दिए गए स्किल विकास प्रशिक्षण का विवरण और प्राप्त किए गए कार्य दिवस निम्नानुसार हैः–

सी आई आई के माध्यम से वोकेशनल प्रशिक्षण	44,242
परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्किल विकास प्रशिक्षण	
अंबाला	13,500
अहमदाबाद	7,805
कुल कार्य दिवस प्राप्त किए गए	**65,547**

थियोरी प्रशिक्षण

रिटेल बैंच प्रशिक्षण–टूंडला

प्रेक्टीकल प्रशिक्षण

हॉस्पीटेलिटी प्रशिक्षण– मुम्बई

रोजगार

रोजगार ड्राइव– मुम्बई

अनुलग्नक – सी

कॉपोरेट शासन रिपोर्ट

1. कार्पोरेट शासन पर कंपनी के दर्शन का सक्षिप्त विवरण

कंपनी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को उच्च श्रेणी की पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिचालन और व्यवहारों के सभी क्षेत्रों में समानता के माध्यम से प्राप्त करने में विश्वास रखती है। कॉर्पोरेट शासन सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रणालियों, कानूनों, नियमों विनियमों का अनुपालन और कंपनी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानकों के अनुसरण का अनुप्रयोग है।

''गति, ईमानदारी और सफलता'' में विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसको प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व, जवाबदेही, कर्तव्यपालन, पारदर्शिता तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण मुख्य माध्यम है।

2. निदेशक मंडल

2.1. निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 80 के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति ने लिखित में निर्धारित किया है कि डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल में कुल 12 निदेशक होंगे। भारत के राष्ट्रपति ने दिः 04.05.2010 के पत्र सं. 2008/इंफ्रा/6/1 द्वारा डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार अनुमोदित की गई हैः–

- अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड (सी आर बी)
- प्रबंध निदेशक सहित पांच पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशक
- रेल मंत्रालय द्वारा नामित एक
- योजना आयोग द्वारा नामित एक
- आवश्यकता के अनुसार वित्तीय संस्था से एक निदेशक सहित चार स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक

2.2 बोर्ड की संख्या

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 81 (1) के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे कंपनी के निदेशकों को नियुक्त कर सकते हैं। रिपोर्ट की तारीख पर कंपनी के निदेशक मंडल की कुल मौजूद संख्या दस है जिसमें पांच पूर्णकालिक निदेशक, एक अंशकालिक अध्यक्ष, रेल मंत्रालय से एक अंशकालिक सरकारी निदेशक (नामित) और एक नीति आयोग से नामित और दो स्वतंत्र निदेशक हैं। वित्तीय संस्थान के लिए आरक्षित एक पद सहित चार स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति में एक पद रिक्त है। स्वीकृत चार स्वतंत्र निदेशकों में दो पद अभी तक रिक्त हैं

2.2.1. वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने बोर्ड को ज्वाइन किया–निल

2.2.2 वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बंद होने के बाद निम्नलिखित निदेशकों ने ज्वाइन किया

क) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2008/इन्फ्रा/6/1(भाग–1), दिनांक 01.04.2016 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री रवि माथुर और श्रीमती शक्ति मुंशी को डीएफसीसीआइएल बोर्ड में दिनांक 01.04.2016 से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया है।

ख) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2016/पीएल/61/4 दिनांक 30.06.2016 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री वाई.एस.मलिक, अपर सचिव, नीति आयोग को डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में तत्काल प्रभाव से अपर सचिव नीति आयोग के पद पर रहने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया है।

2.2.3 वित्त वर्ष 2015–2016 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्यभार समाप्त हो गया है

क) रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.04.2012 के पत्र सं. 2008/इन्फ्रा/6/1 के अनुसार श्री आर.एस.शर्मा, स्वतंत्र निदेशक का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 24.04.2015 समाप्त हो गया है।

2.2.4 वित्तीय वर्ष 2015–16 के बंद होने के बाद निम्नलिखित निदेशकों ने कार्यभार छोड़ दिया है

क) दिनांक 05.02.2016 को 53वीं बोर्ड बैठक की संकल्प संख्या 53.4.2 के द्वारा, कार्यालय नामित निदेशक, श्री गजेन्द्र हल्दिया का पद तकनीकी रूप से रिक्त हो गया है।

वित्त वर्ष 2015–2016 के दौरान डीएफसीसीआईएल की बोर्ड की संरचना में उनके द्वारा लिया गया निदेशक पद तथा गत वार्षिक आम बैठक के दौरान बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रकार है।

नोटः–

1. निदेशकों द्वारा निदेशक का पद तथा कमेटियों में सदस्यता उन सीमाओं के भीतर है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। सार्वजनिक कंपनियों की गणना के लिए जहां एक व्यक्ति निदेशक, प्राईवेट कंपनी में निदेशक पद या तो होल्ड करता है अथवा कंपनी की सहायक कंपनी इसमें शामिल होती है।
2. ''अंशकालिक अधिकारी'' उन निदेशकों के विषय में कहा गया है जिन्हें सरकार ने डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में मनोनीत किया है और जो रेल मंत्रालय तथा योजना आयोग (अब नीति आयोग) के अधिकारी है।
3. ''अंशकालिक गैर सरकारी'' शब्द का अर्थ है स्वतंत्र निदेशक।
4. समितियां जिन पर एक निदेशक सेवा कर सकता है, की सीमा पर विचार के उद्देश्य के लिए सभी सार्वजनिक कंपनियां चाहे वे सूचीबद्ध हों या न हों, में शामिल किया गया है।
5. अध्यक्ष/सदस्यता के लिए सीमा की पहचान के उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षा समिति और हितधारक शिकायत समिति को केवल लिया गया है।
6. ''लागू नहीं'' का अर्थ है कि या तो इन निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के बाद निदेशक का पद संभाला हो या संबंधित प्राचल में इनके कार्यालय के दौरान कमी न आई हो।

क्र.सं.	निदेशकों की श्रेणी	निदेशकों के नाम/ नियुक्ति की तारीख	डीएफसीसीआईएल सहित सरकारी कंपनी में निदेशक/अध्यक्ष के रूप में कुल पद, निजी कंपनियों को छोड़कर 1 और 5	डीएफसीसीआईएल सहित सरकारी कंपनी में समिति की सदस्यता/अध्यक्षता के रूप में कुल पद, निजी कंपनियों को छोड़कर (4 और 5)	2015–16 में (अपने कार्यकाल के दौरान) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (अपने कार्यकाल के दौरान)	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
क) अध्यक्ष (अंशकालिक सरकारी)							
1.	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड	श्री ए.के.मित्तल (डीआईएन– 07124281) (03.02.2015 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	5	5	हां
ख) पूर्णकालिक निदेशक							
1.	प्रबंध निदेशक	श्री आदेश शर्मा (डीआईएन– 07022393) दिनांक 20.10.2014 से कार्यभार संभाला।	1	कोई नहीं	5	5	हां
2.	निदेशक (परियोजना नियोजन)	श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएन 03500815) दिनांक 05.04.2011 से कार्यभार संभाला।	1	1–लेखा परीक्षण समिति सदस्य	5	5	हां
3.	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	श्री एच.डी.गुजराती डीआईएन 01393052) दिनांक 29.11.2012.से कार्यभार संभाला	1	2–परिलब्धि समिति ओर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति में नामित	5	5	हाँ
4.	निदेशक (वित्त)	श्री एम.के.मित्तल (डीआईएन 02889021) (16.09.2013 पूर्वान्ह से कार्यभार संभाला)	1	2–लेखा परीक्षक समिति (सदस्य)नामित और परिलब्धि समिति (सदस्य)	5	5	हाँ

5.	निदेशक (अवसरंचना)	श्री डी.एस.राणा (डीआईएन–07022825) दिनांक 27.10.2014 से कार्यभार संभाला।	1	1–कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति (सदस्य)	5	5	हां
ग) निदेशक (अंशकालिक सरकारी)							
1.	सलाहकार (अवसंरचना)/ रेलवे बोर्ड	श्री गिरीश पिल्लई (डीआईएन– 00382088) (14.11.2012 से कार्यभार संभाला)	2	3 लेखा परीक्षण समिति सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति सदस्य नामित और परिलब्धि समिति/अध्यक्ष	5	4	हां (एक शेयर धारक के रूप में)
2.	योजना आयोग के उपसभापति के सलाहकार	श्री गजेंद्र हल्दिया (डीआईएन– 02197994) (02.05.2008 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	5	0	नहीं
3.	अपर सचिव, नीति आयोग	श्री वाई.एस.मलिक (डीआईएन– 00000555) दिनांक 30.06.2016 से कार्यभार संभाला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
घ) स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर सरकारी)							
1.	अंशकालिक गैर सरकारी	श्रीमती शक्ति मुंशी (01.04.2016 से कार्यभार संभाला) (डीआईएन–(00483546)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	अंशकालिक गैर सरकारी	श्री रवि माथुर डीआईएन–(02427086) (01.04.2016 से कार्यभार संभाला)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, निदेशक मंडल व्यापार हेतु पाँच बार मिले। डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की तिथियां निम्नानुसार है:

क्रमांक	तिमाही	तारीखें
1.	जून, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए	08.05.2015 और 08.06.2015
2.	सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए	13.08.2015
3.	दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए	27.11.2015
4.	मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए	05.02.2016

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:–

i श्रीमती शक्ति मुंशी/ स्वतंत्र निदेशक, डीएफसीसीआईएल, 01.04.2016 से

श्रीमती शक्ति मुंशी ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप दिनांक 01.04.2016 को कार्यभार ग्रहण किया। मुम्बई विश्वविद्यालय से बायोलॉजी में स्नातकोत्तर (एम. एस. सी.) ने जमनालाल बजाज विश्वविद्यालय (मुम्बई विश्वविद्यालय) से बिजनेस प्रबंधन में स्नातकोत्तर भी किया है।

श्रीमती मुंशी को नई व्यापार विकास का गहन अनुभव है और रिलायंस इन्डस्ट्रीज एवं गरवारे पोलिस्टर जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों के नए उत्पाद को लांच किया है। उन्होंने ओमान की सल्तनत में रिटेल बिजनेस के डिवीजन हेड के रूप में और नोरवेजियन फिशरिज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल (नोर्वे) में सलाहकार के रूप में कार्य किया है। वह विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशील हैं और सोलर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहती हैं।

वर्तमान में वह सी–टेक लेब्स प्राइवेट लि., इंडियन इंसटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पवई (मुम्बई–भारत) और अल्फा मेडीकस इंडिया लि. की पार्टनर साइन इनक्यूवेटर की एक कंपनी में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

ii श्री रवि माथुर, स्वतंत्र निदेशक /डीएफसीसीआइएल, 01.04.2016 से

श्री रवि माथुर ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 01.04.2016 को कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 35 वर्षों तक सेवा की हैं। उन्होंने बी.टेक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपरु से केमीकल में स्नातकोत्तर डिग्री और यूके, ग्लासगो, स्ट्राथस्लाईड यूनिवर्सिटी से एम एस सी/वित्त की डिग्री प्राप्त की है। वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के विनिवेश विभाग से सचिव के पद से सितबंर 2014 में सेवा निवृत हुए हैं। उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्हें भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय में उच्च और तकनीकी शिक्षा सेक्टरों में कार्य करने का पांच वर्ष का गहन अनुभव है। उन्होंने आईआईटी और आईआईएम सहित देश के तकनीकी संस्थानों में गवरनिंग निकायों का भी काफी अनुभव है।

iii श्री वाई.एस.मलिक अपर सचिव नीति आयोग/डीएफसीसीआईएल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 30.06.2016 से

3. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का संयोजन

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति 14.03.2008 को गठित की गई है और समय समय पर पुनर्गठित की जाती है। वर्तमान में लेखा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

क्रसं.	सदस्य	पद	समिति की सदस्यता ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री रवि माथुर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	13.05.2016
2.	श्री एम.के.मित्तल निदेशक / वित्त	सदस्य	13.06.2014
3.	श्रीमती शक्ति मुंशी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	13.05.2016

दिनांक 14.03.2008 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा निर्धारित संदर्भ में कार्य किया जाएगा जो हैं:

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में आवधिक रूप से लेखा परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श।
- लेखा परीक्षकों के अवलोकन समिति लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र के बारे में विचार–विमर्श तथा निर्णय।
- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले में जांच पड़ताल।
- निदेशक मंडल द्वारा किसी अन्य मामले को लेखा परीक्षा समिति की जानकारी में लाना।
- आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना तथा देय परिलब्धियों सहित नियुक्ति की शर्तों को तय करना। (16.06.2009 को आयोजित बोर्ड की 12वीं बैठक मं मद सं.4 में जोड़ा गया)

दिनांक 25.06.2010 को पुनर्गठित लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ में।

लेखा परीक्षा समिति में शामिल निम्नलिखित की भूमिका होगी।

1. कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग प्रक्रिया का निरीक्षण तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिशें।
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. अनुमोदन हेतु बोर्ड के प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2एए) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले निदेशक की जिम्मेदारी के विवरण के अपेक्षित मुद्दे;
   - यदि लेखा तथा कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन है तो इसके लिए कारण दें;
   - प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर प्राक्कलन सहित प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;
   - लेखा परीक्षा जांच परिणामों में पाए गए वित्तीय विवरणों को उचित समायोजन;
   - वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यक्ताओं का अनुपालन;

- किसी संबंधित पार्टी के लेन–देन का प्रकटन; तथा
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें।

6. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
7. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्त समीक्षा।
8. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्ष अधिकारियों की स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की पर्याप्त समीक्षा, यदि कोई हो तो।
9. किसी विशेष जांच पड़ताल के लिए आंतरिक लेखापरिक्षकों तथा/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श तथा उसका अनुपालन।
10. ऐसे मामलों की जहां धोखाधड़ी या अनियमितता या सामग्री के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता की संभावना की आंतरिक जांच आंतरिक लेखापरीक्षकों/एजेंसी द्वारा की जाएगी तथा निष्कर्ष की समीक्षा और मामले के बारे में बोर्ड को सूचित करना।
11. लेखा परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षा के साथ विचार–विमर्श तथा साथ ही साथ किसी संबंधित क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा उपरांत विचार–विमर्श।
12. जमाकर्ता, ऋणपत्र धारकों, अंशधारकों (घोषित लाभांश के गैर भुगतान के मामले में) तथा क्रेडिटरों को भुगतान में वास्तविक चूककर्ताओं के लिए कारण का पता लगाना।
13. व्हीसल ब्लोअर (मुखविर) मैकेनिज़म की कार्यप्रणाली की समीक्षा।
14. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
15. संसद की सार्वजनिक उपक्रम (सीओपीयू) की समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
16. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा निदेशक मंडल के बीच संवाद का मार्ग प्रशस्त करना।
17. कंपनी में पार्टी से संबंधित सभी लेन–देन की समीक्षा। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो पार्टी संबंधी लेन देन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।

व्याख्याः– "संबंधित पार्टी लेन–देन" कथन का वही अर्थ है जोकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 18 में निहित है।

18. लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा के साथ समीक्षा ताकि कवरेज की पूर्णता, अत्यधिक प्रयासों की कमी तथा सभी लेखापरीक्षा स्रोतों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना।
19. स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्न पर विचार एवं समीक्षाः
    - कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता, और
    - प्रबंधन के प्रत्युतर के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक की जांच पड़ताल तथा सिफारिशों से संबंध।
20. निम्न का प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार विमर्श तथा समीक्षा।
    - पूर्व लेखापरीक्षा की सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान के वास्तविक निष्कर्ष।
    - लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आई कोई दिक्कत तथा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध या अपेक्षित सूचना की प्राप्ति।
21. कोई अन्य कार्य करना जैसा कि लेखापरीक्षा के विचारार्थ विषय में उल्लिखित है।

दिनांक 07.08.2012 को पुनर्गठित लेखा परीक्षा समिति के लिए अतिरिक्त विचारार्थ विषय जिसे जारी रखा जा रहा है

कॉर्पोरेट संचालन पर डीपीई के दिशा निर्देश का अध्याय–4 लेखा परीक्षा समिति के साथ व्यवहार करता है। अध्याय का खंड 4.5 में अपेक्षित है कि निम्नलिखित सूचना की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाएगी।

क) प्रबंधकीय विचार विमर्श और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण तथा ऑपरेशन का परिणाम,

ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण,

ग) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंध पत्र/आंतरिक नियंत्रण निर्बलता,

घ) आंतरिक नियंत्रण निर्बलता से संबंधित सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट,

ड़) लेखा परीक्षा समिति से पूर्व मुख्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति या निष्कासन और

च) मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(4) के अतिरिक्त संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति

1. अन्य बातों के साथ–साथ प्रत्येक लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड द्वारा लिखित विशिष्ट संदर्भ के अनुसार कार्य करेगी जिसमें सम्मिलित है–

   i कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति की शर्तें और परिलब्धियां, नियुक्ति के लिए सिफारिश;

   ii लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र और निष्पादन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए रिव्यू और मॉनीटर करना;

   iii लेखा परीक्षक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण की जांच;

   iv सबंधित पार्टीयों के साथ कंपनी के लेनदेन, बाद में कोई भी संशोधन अथवा अनुमोदन;

   v आंतरिक कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशो की जांच

   vi जहां भी आवश्यक हो अंडरटेकिंग अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

   vii जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मूल्यांकन;

   viii पब्लिक ऑफर और संबंधित मदों के माध्यम से उत्पन्न फंड का उपयोग और मॉनीटरिंग;

   ix तंत्र की निगरानी और जो लेखा परीक्षा समिति निदेशक और कर्मचारी जिनके विरूद्व जुल्म हुए हैं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना और यदि किसी कर्मचारी अथवा निदेशक द्वारा बार बार तुच्छ शिकायतों के मामलें में, लेखा परीक्षा समिति, संबंधित निदेशक अथवा कर्मचारी के विरूद्व फटकार सहित उचित कार्रवाई कर सकती है।

लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां

पर्याप्त शक्तियों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अपनी भूमिका के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति को निवेश किया जाना चाहिए जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

i अपनी शर्तों के संदर्भ में किसी भी गतिविधि की जांच।

ii किसी कर्मचारी की किसी भी रूप में सूचना की तलाश।

iii निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन बाहर से कानूनी अथवा व्यावसायिक परामर्श लेना।

iv यदि आवश्यक हो, संबंधित विशेषज्ञों के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति को सुरक्षित करना।

v मुखविर की सुरक्षा करना।

vi आंतरिक कन्ट्रोल प्रणाली के बारे में लेखा परीक्षक की टिप्पणीयों को लेखा परीक्षा समिति कॉल कर सकती है, लेखा परीक्षा का क्षेत्र, लेखा परीक्षकों की टिप्पणीयों और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण की जांच और अन्य कोई मुद्दों को आंतरिक और संविधिक लेखा परीक्षकों ओर कंपनी के प्रबंधन पर चर्चा कर सकती हैं।

vii लेखा परीक्षा समिति के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी शक्तियां।

viii कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 177 की उप धारा (4) में वर्णित मदों से संबंधित किसी भी मामलें अथवा बोर्ड द्वारा भेजे गए मामलों की लेखा परीक्षा समिति जांच करने के लिए प्राधिकारी होगी और इस उद्देश्य के लिए उसे बाहरी स्रोतों से पेशेवर को परामर्श प्राप्त करने की शक्ति होगी और उसे कंपनी के रिकार्ड में वार्णित सूचना को उपयोग करने का पूरा अधिकार होगा।

समीक्षावधि के दौरान समिति ने निम्न तिथियों को 5 बार बैठक की – 08.05.2015, 08.06.2015, 12.08.2015, 18.11.2015 एवं 26.02.2016।

वर्ष 2015–16 के दौरान समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार हैः–

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें**	बैठकों में उपस्थिति***
श्री गिरिश पिल्लई, नामित निदेशक	अध्यक्ष	5	5
श्री एम.के.मित्तल, निदेशक/वित्त	सदस्य	5	5
श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/परियोजना नियोजन	सदस्य	5	5

** ''आयोजित बैठकें'' दर्शाती है कि समिति के सदस्यों की अवधि के दौरान बैठकों की संख्या।

*** ''बैठकों में उपस्थिति'' दर्शाती है कि अपने कार्यकाल के दौरान सदस्यों ने कितनी बैठकों में भाग लिया।

4. नामित और पारिश्रमिक समिति

बोर्ड की ''एच आर'' और पारिश्रमिक समिति को भंग कर दिया गया है और दिनांक 13.08.2015 को आयोजित बोर्ड की 51वीं बैठक के संकल्प संख्या 51.3.7 द्वारा नई समिति '' नामित और पारिश्रमिक समिति'' नाम से एक नई समिति का गठन किया गया है।

संदर्भ की शर्ते

क) नामित और पारिश्रमिक समिति निर्धारित मानदंड के अनुसार नियुक्ति के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की पहचान कर, बोर्ड को उनके नियुक्ति और रिमूवल की सिफारिश करेगी।

नोटः

बोर्ड द्वारा अनुमोदित वरिष्ठ प्रबंधन व्यक्ति और बोर्ड सदस्यों के लिए ''कोड ऑफ कन्डेक्ट'' की खंड 2(1.5) के संदर्भ के साथ, ''वरिष्ठ प्रबंधन व्यक्ति'' का अर्थ कंपनी का वह व्यक्ति निदेशक मंडल को छोड़कर कोर प्रबंधन टीम का सदस्य और सभी कार्यात्मक प्रमुखों सहित पूर्ण कालिक निदेशकों से नीचे प्रबंधन का सदस्य होगा।

ख) अन्य कर्मचारियों और वरिष्ठ प्रबंधन का पारिश्रमिक, बोर्ड की नीति के अनुसार नामन और पारिश्रमिक समिति द्वारा देने की सिफारिश की जाएगी।

ग) नामन और पारिश्रमिक समिति नीति को तैयार करते समय उप सेक्शन (3) को सुनिश्चित करेगी कि–

1. पारिश्रमिक का निष्पादन संबंध स्पष्ट हो और उचित निष्पादन को पूरा करती हो और
2. कंपनी के कार्यो और उसके लक्ष्यों के लिए लघु और दीर्घकालीन निष्पादन उद्देश्यों को दर्शाते हुए फिक्सड और प्रोत्साहन भुगतान में शामिल वरिष्ठ प्रबंधन का परिश्रमिक।

नामित और पारिश्रमिक समिति का संयोजन निम्नानुसार है:

क्रसं.	सदस्य	स्थिति	समिति की सदस्यता ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री गिरीश पिल्लई, सरकार नामित निदेशक (रेल मंत्रालय)	अध्यक्ष	13.08.2015
2.	श्रीमती शक्ति मुंशी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	13.05.2016
3.	श्री रवि माथुर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	13.05.2016
4.	श्री एच.डी.गुजराती, निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	विशेष आमंत्रित	13.08.2015

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, नामित और पारिश्रमिक समिति की बैठकें: निल

क) निदेशकों की पारिश्रमिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार नियुक्त क्रियाशील निदेशक सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) नमूने के अंतर्गत तथा समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन व शर्तों के अनुरूप मेहनताना लेते है। आई डी ए वेतनमान (2007) और भत्तों का बास्केट डीएफसीसीआईएल में कार्यान्वित है।

कंपनी बोर्ड के अंशकालिक सरकारी (सरकार द्वारा नामित) निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। वे सरकार से केवल सरकारी अधिकारी के रूप में पारिश्रमिक लेते हैं। अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए फीस लेते है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पूर्णकालिक क्रियाशील गैर सरकारी निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वेतन एवं भत्ते (रुपये में)	अन्य लाभ एवं पर्क्स (रुपये में)	निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (रुपये में)	कुल (रुपये में)
1.	श्री आदेश शर्मा (प्रबंध निदेशक)	26,16,800.00	1,53,381.00		27,70,181.00
2.	श्री एच.डी.गुजराती, निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	24,35,102.00	1,53,462.00		25,88,564.00
3.	श्री डी.एस.राणा निदेशक (अवसंरचना)	24,17,512.00	92,512.00		25,10,024.00
4.	श्री अंशुमान शर्मा निदेशक (पीपी)	25,61,335.00	4,14,899.00		29,76,234.00
5.	श्री एम.के.मित्तल निदेशक (वित्त)	27,33,436.00	1,66,880.00		29,00,316.00
	कुल योग				**1,37,45,319.00**

ख) वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को सीटिंग फीस के भुगतान का विवरणः–निल

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों के सभी पद रिक्त हैं।

5. कॉर्पोरेट सामजिक जिम्मेदारी समिति

''बोर्ड'' की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति का मूल रूप से 13.06.2014 को गठन किया गया था और समय समय पर पुर्नगठन किया गया था। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति का तारीख पर संयोजन निम्नानुसार हैः

क्रसं.	सदस्य	स्थिति	समिति में सदस्यता ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री एच.डी.गुजराती, निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकस	संयोजक/सदस्य	13.06.2014
2.	श्री रवि माथुर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	13.05.2016
3.	श्री डी.एस.राणा, निदेशक/अवसंरचना	सदस्य	08.05.2015

संदर्भ शर्तेंः

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति करेगीः

क) सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जा रही गतिविधियों को दर्शाते हुए बोर्ड कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति की तैयार करेगी और सिफारिश करेगी।

ख) खंड (क) में वर्णित गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि की सिफारिश।

ग) समय समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति को मॉनीटर करना।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की दिनांक 04.08.2015 को बैठक हुई थी।

6. सामान्य बैठकें

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की वार्षिक आम बैठको को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई, बैठकों का विवरण नीचे है:

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	स्थान	तारीख	समय
सातवीं	2012–2013	कमेटी रूम, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड नई दिल्ली–110001	27.09.2013	12.30 बजे
आठवीं	2013–2014	कमेटी रूम, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड नई दिल्ली–110001	19.09.2014	16.00 बजे
नवमीं	2014–2015	बोर्ड रूम, पांचवा तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर, नई दिल्ली–110001	21.09.2015	12.30 बजे

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पास किए गए विशेष संकल्पों का विवरण

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	स्थान	तारीख	समय
सातवीं	2012–2013	कोई नही	27.09.2013	12.30 बजे
आठवीं	2013–2014	धारा 180(1) (सी) में निर्धारित सीमा से अधिक राशि के ऋण की शक्ति	19.09.2014	16.00 बजे
नवमीं	2014–2015	कोई नही	21.09.2015	12.30 बजे

7. प्रकटन

क) वित्तीय विवरणों की नोट सं. 29 में प्रकट किए गए प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के अलावा कंपनी का भौतिक रूप से किसी पार्टी से लेन–देन नही किया गया है।

ख) परियोजना निष्पादन डीएफसीसीआईएल को सौंपने के उद्देश्य से व्यय के सभी मदों को डीएफसीसीआईएल के लेखा में नामे किया गया है और वह परियोजना निष्पादन से संबंधित है।

ग) निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत व्यय नहीं किया गया।

घ) प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय का कुल व्यय जो वर्ष 2014–2015 में 4.14% था वर्ष 2015–2016 में घटकर 3.81% हो गया है।

8. कॉर्पोरेट संचार

किसी भी संगठन की ब्राडिंग और व्यापार जागरूकता को बनाने और बनाए रखने में कॉर्पोरेट संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वि–दिशात्मक संचार रणनीति की अद्यतन सूचना, ब्रांड मूल्य का सृजन और दर्शकों के बीच संगठन की प्रतिष्ठा को बढाना होता है।

एक सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व वाली डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) योजना, निर्माण और प्रतिष्ठित अवसंरचना के संचालन में संलग्न होने के कारण अच्छा संचार उसके किए जा रहे प्रयासो को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। संचार का कार्य आपके बारे में बोलना और कहना नही है बल्कि जनता की आवाज को सुनकर उनकी संचार आवश्यक्ताओं को पूरा करना है। वर्ष 2015–16 इसका साक्षी है कि संचार को मजबूत और स्थापित करने में डीएफसीसीआईएल द्वारा विभिन्न नए अभिनव प्रयासों को किया गया।

दुनिया में सामाजिक मीडिया की लोकप्रियता बढ़ने के साथ, किसी भी संगठन की संचार रणनीति को लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और यू टयूब आदि के प्रयोग के बिना पूरा नहीं हो पाता है। इस तरह के तथ्यों को स्वीकार करते हुए डीएफसीसीआईएल ने दो तरह के संचार के लिए अधिकारिक फेसबुक पेज बनाया। अन्य लोकप्रिय प्लेटफार्म के रूप में डीएफसीसीआईएल द्वारा अपडेट, फोटोग्राफ और अन्य महत्वपूर्ण सूचना को साझा करने के लिए ट्विटर का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान डीएफसीसीआईएल द्वारा एक आधिकारिक यू ट्यूब चैनल, विभिन्न निर्माण साइटों से लिए गए लेटेस्ट वीडियों को भी अपलोड किया गया है।

डीएफसीसीआईएल नियमित रूप से परियोजना की अपलोड की गई अद्यतन स्थिति और पूरी तस्वीर को प्रचारित करने के लिए प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से सूचना का आदान प्रदान करती है। वर्ष 2015–16 में डीएफसीसीआईएल ने क्रमशः दिनांक 07.08.2015 और 16.02.2016 को दो प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मीडिया से कवरेज और अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसके अलावा डीएफसीसीआईएल द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों और घटनाओं की फोटोग्राफ सहित प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। इस प्रेस विज्ञप्ति को डीएफसीसआईएल की वेबसाइट पर अपरलोड किया जाता है और व्यापक पहुंच के लिए डीएफसीसीआईएल के फेसबुक और ट्विटर हेंडल से लिंक किया जाता है। डीएफसीसीआईएल द्वारा महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्तियों को हिंदी में भी जारी करना आंरभ कर दिया गया है। अवधि के दौरान 25 प्रेस विज्ञप्तियों को अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया गया।

नियमित प्रेस सम्मेलन के अलावा, कॉर्पोरेट संचार विभाग प्रतिष्ठित समाचार पत्र संगठनों के प्रेस संवाददाताओं के साथ डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक के साथ बातचीत सत्र का आयोजन करता है। इसमें बिजनेस लाइन, फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टेण्डर्ड एंड मेल टूडे में प्रकाशित साक्षात्कार शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त जी बिजनेस चैनल की मीडिया टीम द्वारा पश्चिम डीएफसी की विभिन्न निर्माण गतिविधियों को केप्चर करने के लिए साइटों का दौरा किया गया। जी बिजनेस ने 15 मिनट अवधि की एक कहानी प्रस्तुत की है जिसे दिनांक 22.02.2016 को प्रसारित किया गया और दिनांक 23.02.2016 को जी बिजनेस और अन्य जी मीडिया चैनलों पर कई बार प्रसारित किया गया।

9. लेखा परीक्षा अर्हता

मेसर्स बावेजा एंड कौल, चार्टड एकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई भी अर्हता शामिल नहीं है और अतः कोई टिप्पणी अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

10. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

डीएफसीसीआईएल ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम दिलवाने के लिए चिंतित है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में अलग से दिखाया गया है। बोर्ड सदस्यों के परिचय के क्रम में, वर्तमान में उनके बोर्ड में शामिल होने पर निदेशक को एक सेट दस्तावेज/बुकलेट देने की परम्परा रही है। कागजातों के सेट में पिछले वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन और एसोसिएशन के अनुच्छेद, एमओयू के साथ समझौता ज्ञापन, लक्ष्य और उपलब्धियां सम्मिलित हैं। यह पदधारी को मूल सूचनाएं उपलब्ध करवाता

है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है।

11. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

निदेशक मंडल को प्रस्तुत मुख्य कार्यकारी और सीएफओ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र रिपोर्ट के अनुलग्नक सी–1 में संलग्न है।

12. व्यापार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र

कंपनी ने बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ स्तर प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार की है जोकि निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। बोर्ड की 36वीं बैठक में निर्देश के द्वारा बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र जो 1 अप्रैल 2009 से लागू है, को डीपीई के दिशा निर्देश में सुझाये गए मॉडल कोड ऑफ कन्डेक्ट के द्वारा बदला गया। निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के निबंधन में, आचार संहिता का पालन किया गया है और वार्षिक अभिवचन सभी बोर्ड के क्रियात्मक सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त किया गया है। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.dfccil.gov.in पर भी उपलब्ध है। 2015–16 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि को प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा को अनुबंध ''सी–2'' में दिया गया है।

13. सचेतक (व्हीसल ब्लोअर) नीति

डीएफसीसीआईएल अपने कार्यों को ऊँचे पेशेवर अंदाज, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करने में विश्वास रखती है और अपने सभी कर्मचारियों के नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए कंपनी एक ऐसी संस्कृति के निर्माण में विश्वास रखती है जहां सभी कर्मचारियों के लिए उनकी चिंताओं को अनीतिपरक प्रथाओं या कदाचार के संबंध में उठाना सुरक्षित रहेगा। कंपनी ने एक व्हीसल ब्लोअर नीति बनाई है। यह नीति समर्थ कर्मचारियों को समर्थ बनाने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है जो कंपनी के अंदर गंभीर अनियमितताओं से संबंधित चिंताओं को बिना किसी डर के उठाना चाहते हैं और जो प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों सहित डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों द्वारा संरक्षित प्रकटन शामिल करते है।

14. अनुपालन प्रमाण–पत्र

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरुप में निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंश है। वार्षिक रिपोर्ट के भाग का फार्म अनुलग्नक '('सी–3'') पर है।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम

प्रबंध निदेशक और निदेशक/वित्त का प्रमाणन

हमने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसारः

i) इन विवरणों में कोई भी हकीकत में असत्य विवरण या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है अथवा विवरणों में गुमराह नहीं किया गया है।

ii) कंपनी के मामलों को ध्यान में रखते हुए इन विवरणों के साथ प्रस्तुत सभी सत्य और स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

iii) जहां तक हमारे ज्ञान एवं विश्वास में है, वर्ष के दौरान कंपनी में किसी भी धोखाधड़ी और गैरकानूनी अथवा कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन नहीं किया गया है।

iv) हम वित्तीय रिर्पोटिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों के स्थापित और रखरखाव करने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिर्पोटिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण के संचालन और डिजायन की कमियों लेखा परीक्षको और लेखापरीक्षण समिति के समक्ष खुलासा किया है, कमियों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदम अथवा इन कमियों को दूर करने का प्रस्ताव किया है।

v) वर्ष के दौरान हमने लेखा नीतियों में बदलाव के बारे में लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षण समिति को सूचित कर दिया है, और इसका खुलासा भी वित्तीय विवरणों में कर दिया गया है और,

vi) हम इसके लिए सजग है कि कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कुल वित्तीय रिर्पोटिंग कर्मचारी अथवा प्रबंधन का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है और न ही कोई धोखाधड़ी की गई है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/–	ह/–
(आदेश शर्मा)	(ए.के.मित्तल)
प्रबंध निदेशक	निदेशक/वित्त

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक 26.8.2016

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संचालित व्यवसाय और नीतिशास्त्र संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

मैं, आदेश शर्मा, प्रबंध निदेशक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारीगणों ने 2015–16 के दौरान संचालित व्यवसाय और नीतिशास्त्र संहिता का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया है।

ह./–
(आदेश शर्मा)
प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06.05.2016

बालिका शर्मा एंड एसोसियेटस
कंपनी सचिव

पताः फ्लेट नं.211, पॉकेट ए/3, सेक्टर 7,
रोहिणी, नई दिल्ली पिनकोड–110085
मोबाइलः 9811387946
ई–मेलः balikasharma@gmail.com

सदस्य

मेसर्स, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय, 5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर नई दिल्ली–110001

सीआईएनः यू60232डीएल2006जीओआई155068

विषयः–

केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम 2010 के लिए कॉर्पोरेट संचालन से संबंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कॉर्पोरेट संचालन की स्थितियों के अनुपालन के प्रसंग में अनुपालन प्रमाणपत्र।

1. यह प्रमाणपत्र डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यहां कंपनी के रूप में परिभाषित) द्वारा कॉर्पोरेट संचालन की नीतियों के वित्तीय वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2016 में भारत सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) के तहत निर्धारित दिशानिर्देश के रूप में परिभाषित अनुपालन के संबंध में जारी किया गया है।

2. कॉर्पोरेट संचालन की नीतियों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच उन प्रणालियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित है जिनका कंपनी ने कॉर्पोरेट संचालन के लिए अनुपालन किया है जो दिशानिर्देशों के अनुसार है। न तो यह लेखा परीक्षा का भाग है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण (फायनेंशियल स्टेटमैंट) से संबंधित कोई टिप्पणी है।

3. हमने प्रमाणपत्र के जारी करने के उद्देश्य के लिए जिन सूचनाओं और स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, हमारे अनुमान के अनुसार वे सब हमने एकत्र कर लिए हैं और आवश्यकता के अनुसार हमें संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र तथा अभिलेख उपलब्ध कराए गए।

4. हम प्रमाणित करते है। कि पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2016 में कंपनी ने निम्न के अतिरिक्त अपनी कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट में विभिन्न दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

   क) खंड सं. 3.1 जो निदेशक मंडल संयोजन–स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित है।

5. हम यहां पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह अनुपालन इस बात का आश्वासन नहीं देता कि जिस प्रकार से प्रबंधन ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया, भविष्य में भी इस प्रकार की दक्षता तथा कार्य कुशलता के साथ कार्य करता रहेगा।

ह/–
बालिका शर्मा एंड एसोसियेटस
कंपनी सचिव
एफसीएस–4816, सीपीः 3222

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08.08.2016

अनुलग्नक – डी

प्रबंधकीय विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक ढांचा एवं विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अवसंरचना क्षेत्र एक प्रमुख चालक है। भारत के समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए सेक्टर प्रमुख रूप से जिम्मेदार है और देश की विश्व स्तरीय अवसंरचना के समयबद्व सृजन के लिए सरकार का विशेष ध्यान केन्द्रित कर नीतियों की शुरूआत को सुनिश्चित करना होगा।यह सेक्टर रेलवे अवसंरचना, सड़क अवसंरचना सहित पोर्ट आदि को जोड़ने के विकास का कार्य कर रहा है।

रेल परिवहन हमारे देश के परिवहन ढाचें में रीढ़ की हड्डी के समान है। माननीय रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि मालभाड़ा नीतियों पर पारंपरिक सोच को जीतना है, परिवहन सेक्टर में रेलवे की हिस्सेदारी की वापसी को बदलने की जरूरत है।

मालभाड़ा व्यापार के त्वरित विस्तार पर जोर देकर, यह आवश्यक है कि आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए अनुवर्ती लाभों के साथ और अधिक डेडीकेटड फ्रेट कोरीडोर्स का निर्माण किया जाए।

उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, डीएफसीसीआईएल ने एक ''विशेष उद्देश्य व्हीकल'' को ध्यान में रखकर डेडीकेटेड फ्रेट लाइनों के लिए योजना एवं विकास, निर्माण, रखरखाव और परिचालन का उत्तरदायित्व लिया है। यह प्रस्ताव किया गया है निम्नलिखित फ्रेट कोरीडोर्स को दिल्ली से चैन्नई को जोड़ने के लिए उत्तर–दक्षिण, खड़गपुर से मुम्बई को जोड़ने के लिए पूर्व–पश्चिम और खड़गपुर से विजयवाडा जोड़ने के लिए पूर्व तटीय को बनाने का कार्य किया जाए। यह प्रस्ताव किया गया है कि इन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता पर रखकर संरचना, पीपीपी सहित अभिनव वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से समयबद्ध ढंग से अवार्ड और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

अंतराष्ट्रीय उत्तम प्रथाओं के साथ, हम परियोजना प्रबंधन के लिए तकनीकी समाधान कर मॉनीटरिंग करते हैं। प्रमुख परियोजनाओं की भौतिक प्रगति को देखने के लिए उपग्रह प्रोद्योगिकी आधारिक भू–स्थानिक स्थानों और नवीनतम् ड्रोन का प्रयोग करते हैं।

कंपनी की दृष्टि और मिशन निम्नानुसार है

विजन

भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी को बनाने और ग्राहक की तरफ ध्यान देते हुए विश्वसनीय सेवाओं के माध्यम से रेल के शेयर का बाजार विस्तार करना है।

मिशन

समर्पित एजेन्सी के रूप में मिशन को वास्तविकता में करने के लिए डीएफसीसीआईएल का मिशन है:

1. उचित तकनीक के साथ कोरीडोर को बनाना ताकि ग्राहकों को सस्ते विकल्पों को प्रदान किए जा सकें और अतिरिक्त क्षमता और सुनिश्चित कार्यकुशलता जवाबदेही, सुरक्षा प्रदान कर मालभाड़ा के बाजार के शेयर को भारतीय रेलवे द्वारा प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना।

2. सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए एवं परिवहन की आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर अनुकूल पर्यावरण माध्यम के रूप में उपयोगकर्ताओं को बढ़ावा देकर रेलवे को अपनाना।

परियोजना निष्पादन पर पूंजीगत खर्च

31, मार्च 2016 को परियोजना निष्पादन पर संचयी खर्च रू. 10,292.89 करोड़ हुआ जिसमें स्थायी परिसंपत्तियों पर रू. 16.36 करोड़, प्रगति में पूंजी कार्य पर रू. 5,777.15 करोड़, विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर रू. 9.90 करोड़ और पूंजी अग्रिम पर रू. 4,489.47 करोड़ खर्च शामिल है। वर्ष 2015–16 में परियोजना निष्पादन पर कुल खर्च रू. 4,162.97 करोड़ जिसमें मूर्त परिसंपत्तियों पर रू. 3.13 करोड़ और अमूर्त परिसंपत्तियों पर रू. 0.99 करोड़ विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर रू. 0.59 करोड़, पूंजी अग्रिम पर रू. 1,653.20 करोड़ और प्रगति में पूंजी कार्य पर रू. 2,505.06 करोड़ शामिल है।

ताकत

परियोजना में भूमि अधिग्रहण ताकत की कसौटी होती है। शेष भूमि के अधिग्रहण के लिए सभी ठोस उपाय किए जा रहे हैं। डीएफसी संरेखण में समपार फाटकों पर आर ओ बी कार्यों की हिस्सेदारी लागत की मुददे के क्रम में, उच्च स्तर पर राज्य के मुख्य सचिवों के साथ और पीएमजी/प्रगति फुटपाथ मुददों सहित बैठकें कर नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की गई। परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में (19), गुजरात (68), राजस्थान में (25), झारखंड में (15), उत्तर प्रदेश में 65 और बिहार में 12 आर ओ बी लागत का हिस्सा देने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। डीएफसी वित्तीय (राज्य द्वारा भुगतान स्थगित) पर पंजाब से सभी 09 आर ओ बी के लिए सहमति प्राप्त हो गई है और इसी तरह हरियाणा से 09 आ आर बी के लिए सक्रिय विचार चल रहा है। इसी के साथ अतिम निविदाओं और आमंत्रण, कर आर ओ बी के निर्माण के लिए भौतिक कार्य प्रांरभ कर दिया गया है।

दिनांक 24.06.2015 को आयोजित आर्थिक मामलों पर केबिनेट कमेटी ने, (पूर्वी डीएफसी– रू. 26,674 करोड़ और पश्चिमी डीएफसी के लिए रू. 46,718 करोड़) और अधिग्रहण लागत रू. 8,067 करोड़ कुल निर्माण लागत रू. 73,392 करोड़ के संयोजन से पूर्वी और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमानित लागत (आर सी ई) रू. 81,459 करोड़ का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसमें पूर्वी डीएफसी की सोननगर–दानकुनी 538 किमी. सेक्शन की निर्माण लागत शामिल है जिसे पीपीपी रूट के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है।

डीएफसी डाउन ट्रैक पर (59 बाक्सएनएल, 5265 टन और क्लींकर वस्तुएं) को लेकर दुर्गावती से सासाराम (56 किमी) तक दिनांक 30.03.2016 को और अप ट्रैक पर दिनांक 03.06.2016 को प्रथम मालगाड़ी चलाई गई। ट्रैक और ओएचई कार्य के पूरा होने के बाद सेक्शन का इंजन रोलिग पूर्व में ही किया गया था।

पश्चिमी डीएफसी में 42 किमी. और पूर्वी डीएफसी में 56 किमी. में कार्य की प्रगति की मॉनिटरिंग का ट्रायल ड्रोन के माध्यम से किया गया है।

क्रिसिल ने डीएफसीसीआईएल को ''सीसीआर एएए (प्रोनाउन्सड कॉर्पोरेट क्रेडिट रेंटिंग ट्रिपल ए) की पुष्टि की है।

पूर्वी डीएफसी के 12 ट्रैक्शन सब स्टेशनों को सप्लाई के लिए संबंद्व ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण के लिए पीजीसीआईएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए।

निर्बलता

विभिन्न नियमों के अंतर्गत निर्माण सामग्री को प्राप्त करने के लिए सांविधिक क्लीयरेंस को प्राप्त करने की देरी के कारण कार्यान्वयन एजेन्सीयों का कार्य प्रभावित हुआ है। इस कार्य को शीघ्र करने के लिए अधिकारियों से निरन्तर संपर्क किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा विभिन्न सांविधिक मंजूरी को प्राप्त करने में देरी और उसके उप ठेकेदार से परियोजना मे देरी का जोखिम हो सकता है।

डीएफसी को दोनों कोरीडोर के लिए 3360 किमी. में फैली 11672 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। पूर्वी कोरीडोर में डीएफसी संरेखण पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से होकर गुजरता है। पश्चिमी कोरीडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरता है। भूमि अधिग्रहण संबंधित राज्यों का विषय होने के कारण कंपनी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकारो/ क्षेत्रीय रेलों, केन्द्रीय सरकार, एनआरआरपी 2007 के प्रावधानों द्वारा विभिन्न दिशा निर्देशों के अपनाते हुए पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों के संबंध में फंडिग एजेन्सी की आवश्यकता और परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की आशाओं को पूरा करते हुए किया जाएगा। ''स्वच्छ मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता और उचित मुआवजा, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 संसोधित विधेयक द्वारा पारित, नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा एवं आर एंड आर को डीएफसीसी द्वारा दिनांक 01.01.2015 से दिया जा रहा है। नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा एक नया पात्रता मैट्रिक जारी किया गया है और इसे दिनांक 01.01.2015 से लागू कर दिया गया है। नए अधिनिमय के प्रावधानों के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा एक नया पात्रता मैट्रिक्स जारी किया गया है और इसे 01.01.2015 से लागू कर दिया गया है।

सुअवसर

पर्यावरण अनुकूल तरीके से ग्रीन फील्ड डीएफसी परियोजना के क्षेत्र में भविष्य की डीएफसी परियोजना में वास्तविकता को दोहराने का अवसर प्रदान करना है।

डीएफसी परियोजना सीधे और परोक्ष रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने, रेल परिवहन क्षमता में भारी वृद्वि में एक लंबी छलांग, गारंटीशुदा समय में ट्रांजिट और संचालन क्षमता को लाना होगा। यहां तक कि निर्माण चरण के दौरान, यह परियोजना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रमुख बढ़ावा देने वाली जो कि वर्तमान उद्योगों में प्रमुख है। परियोजना के सफल और समय पर निष्पादन की आशा है। इस नेटवर्क द्वारा विभिन्न उद्योगों के व्यापार के लिए कुशल रेल परिवहन के विकास की बहुप्रतिक्षित कुल लॉजिस्टिक समाधान की आशा है। परियोजना से पश्चिमी कोरीडोर के औद्योगिक हब जैसे डीएमआईसीडीसी, पूर्वी कोरीडोर पर विशेष प्राइमरी आर्थिक क्षेत्र (एपीईआर) के विकास, पूर्वी कोरीडोर सहित अमृतसर से दानकुनी तक औद्योगिक कोरीडोर का विकास करने में सहायता मिलेगी। इसका परिणाम यह होगा कि बड़े राजमार्गों पर भीड़ कम होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, डीएफसीसीआईएल भारत में परिवहन के क्षेत्र में एक बदलाव को लाने की क्षमता पैदा करेगी जो कि विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए महान अवसर होगा।

डीएफसी परिवहन प्रचालन तंत्र में खेल परिवर्तक हो जाएगा त्वरित अनुसूचित सेवाओं के प्रचालन तंत्र की लागत नीचे आने की आशा है। डीएफसी द्वारा बहुप्रतिक्षित प्रचालन तंत्र टर्मिनलों का विकास करके उद्योगों का समाधान हो जाएगा। इसके क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सीएसआर का मुख्य उद्देश्य है कि परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नत किया जाए।

आशंका

बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में डीएफसी संरेखण में राज्य सरकारों द्वारा आर. ओ. बी. के लागत हिस्सेदारी की स्वीकृत और सहमति में देरी के कारण आर ओ बी के समय से निष्पादन की आशंका है। नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आने के साथ शेष भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा को देने की प्रक्रिया जटिल हो गई है। इसके अतिरिक्त एक अधिनियम से दूसरे अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में काफी स्पष्टीकरण/व्याख्यायें देने के कारण आगे देरी होती है। क्रियात्मक एजेन्सीयों से विविध स्तर पर क्लीयरेंश के परिणामस्वरूप प्रापण प्रक्रियाओं में देरी होती है। पश्चिमी डीएफसी में कंपनी को जापानी ठेकेदारों के सीमित भागीदारी से प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में कोर्ट मामलें और आर्बीट्रेशनल मामलों में को यदि उचित ढंग से डील नहीं किया जाता है तो एक आशंका बनी रहती है। आर्बीट्रेशनल के बढ़ते मामलों को देखते हुए संबंधित मुख्य सचिवों से निरन्तर इन मामलों को शीघ्र निपटारें का अनुरोध किया जा रहा है। कोर्ट मामलों के लिए, उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

समय पर परियोजना की डिलीवरी को सुनिश्चित करने के क्रम में, परियोजना में शामिल रेल मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारें, जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी, विश्व बैंक सहित सभी स्टेक होल्डर्स और पक्षों से अपेक्षित समन्वित प्रयासों को किया जाता है और प्रत्येक को यह प्रयास करना सुनिश्चित करना चाहिए कि डीएफसी का निर्माण अनुमानित पूर्ण लागात में समय से पूरा किया जाए।

रणनीतियां

परियोजना में भूमि अधिग्रहण एक चुनौती होती जा रही है लेकिन संगठन की ताकत का एक ही समय कसौटी, और आगे के परीक्षणों और मुसीबतों के माध्यम से समय सीमा में संगठन की अधिग्रहीत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, कंपनी ने उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण पुर्नस्थापना एवं पुर्नस्थापन अधिनियम 2015 को अपनाया है। डीएफसी ने उनकी भागीदारी पर बल देकर पुनर्वास और पुनर्वास प्रक्रिया में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करके परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की जरुरतों को पूरा किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पुनर्वास और पुनर्वास योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया गया। पूर्वीडीएफसी–1 एवं पूर्वी डीएफसी–2 में भी भूमि का मुआवजा और ढांचागत संबंधित मुद्दों की शिकायतों को दूर करने के लिए जिला स्तर और फील्ड के साथ–साथ परियोजना स्तर पर शिकायत निवारण के लिए प्रावधानों को पश्चिमी डीएफसी के लिए आरआरपी प्रकाशन को भी शामिल कर शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

दृष्टिकोण

कंपनी परिवहन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय अवसंरचना के द्वारा भारत के परिवहन के क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित करने तथा क्षमता को बढ़ाने की ओर अग्रसर होगी। कंपनी परियोजना के कार्यान्वयन में संरक्षा के साथ–साथ गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बचनबद्ध है। इस सबंध में फील्ड कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए उत्तम अर्तराष्ट्रीय निर्माण अभ्यास के उपाय किए गए हैं।

आगे की राह

डीएफसीसी अपने तीन ''एस'' ''ईमानदारी (Sincerity), तीव्र गति (Speed) और सफलता (Success)'' के आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद्ध है जो संगठन के मिशन, विजन और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

जोखिम और चिंताएं

कंपनी ने उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना की है जो कि लेखा परीक्षा समिति एवं विश्व बैंक द्वारा भी अनुमोदित है। उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे को दिनांक 01 दिसबंर 2014 से कार्यान्वयन किया गया है। ''योजना और निर्माण चरण'' एवं ''परिचालन चरण''के दौरान मुख्य 20 जोखिमों की प्राथमिकता और पहचान की गई। इन 20 मुख्य जोखिमों के लिए मिटीगेशन योजना भी तैयार की गई है। जोखिम की पहचान और कम करने की योजना को इस तरह बनाया गया है कि उसे जोखिम पहचान और प्राथमिक कार्यशालाओं द्वारा आवधिक आधार पर अपडेट एवं रिव्यू किया जा सकता है। जोखिम प्रबंधन ढांचे को परिभाषित किया गया है है जिसमें जोखिम प्रबंधक समिति के साथ–साथ कार्यों को करने के लिए एक मुख्य जोखिम प्रबंधक कोऑरडीनेटर जोखिम प्रबंधक समिति को रिपोर्ट करते है, इसमें विभिन्न विभागों जैसे सिविल, एसएंडटी, आईटी, प्रशासन, विद्युत, परिचालन, वित्त आदि के प्रमुख और मुख्य परियोजना प्रबंधकगण रहते हैं जो कि जोखिम कम करने की योजना की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और प्राथमिकता के आधार पर कम करने के लिए ढांचा तैयार करते हैं। जोखिम प्रबंधन की गतिविधियों को जोखिम को मॉनीटरिंग के लिए उचित नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाता है और विशिष्ट जोखिम के लिए मिटीगेशन योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन कार्यों के रूप में एमआईएस के माध्यम से मेकेन्जिम एश्योरेंस को सुनिश्चित किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोखिम प्रबंधक समन्वयन (आरएमसीओ) के साथ मिलकर महाप्रबंधक/वित्त/आरएम द्वारा नियमित रूप से समन्वित किया जा रहा है जिसकी आगे नियमित अंतराल पर लेखा परीक्षण समिति और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा समीक्षा की जाती है। इसे दिनांक 26 जुलाई, 2016 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया।

निर्माण चरण में दिनांक 30 जून, 2016 को पहचान किए गए पांच प्रमुख जोखिम का विवरण निम्नानुसार है:

क) माल/सेवाओं के प्रापण का अपर्याप्त प्रबंधन (प्रामण से संबंधित मुददे है)

ख) ठेकेदारों के कार्यो के विस्तार में संभावित बढ़ोत्तरी

ग) कोरीडोरों के निर्माण में देरी

घ) आर यू बी/आर ओ बी के निर्माण में देरी/कठिनाई (आरयूवी/आरओबी के निर्माण से संबंधित मुददे)

ड़) आर आर पी लाभ वितरण

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

किसी भी संगठन में, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, जो इकाई प्रबंधन और कार्मिको को जोखिम से प्रभावित करती है और लक्ष्य को प्राप्त करने, अधिक तेजी से परिचालनों को और अधिक व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वयन के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है और हानि, दुरूपयोग और नुकसान के विरूद्ध संसाधनों की सुरक्षा की जाती है।

कंपनी की आंतरिक प्रणालियां और पद्धतियां हैं जो परिचालन के कार्यान्वयन को और अधिक व्यवस्थित, नीतिपरक, मितव्ययी कुशल और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करती है, जो कंपनी के आकार के साथ पर्याप्त और समरूप हो। यद्यपि आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है, प्रबंधन निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चत करने के क्रम में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं को किया जाता है और वर्तमान प्रक्रियाओं और आतंरिक नियंत्रण प्रणालियों में आने वाली कमियों का आंकलन किया जाता है, प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों

को मजबूत करने के उपाय किये जाते हैं। तद्नुसार, कंपनी में आंतरिक नियत्रंण प्रणालियो के लिए लेखा परीक्षण समिति ने एक अध्ययन संचालित किया है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षक रिर्पोटो सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की भी समीक्षा की जाती है। प्रबंधन लेखा परीक्षक की सिफारिशों एवं निष्कर्षों की समीक्षा करता है, जहां आवश्यक होता है उचित कार्रवाई की जाती है और सिफारिशों के कार्यान्वयन को मॉनीटर किया जाता है।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध शांति एवं सोहाद्रपूर्ण रही डीएफसीसीआईएल ने दिनांक 29.10.2015 को अपना 10वां स्थापना दिवस एयरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रातो पार्क, नई दिल्ली में मनाया। समारोह के आयोजन में संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा रेलवे बोर्ड से वरिष्ठ अधिकारी गण, विश्व बैंक से कार्यकारीगण, जायका, स्टेक होल्डर्स सदस्य और मीडिया से प्रतिनिधियों के साथ बड़ी धूमधाम एवं उत्साह से मनाया गया। योग पर्यावेक्षक के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा जारी कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार दिनांक 21.06.2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। दिनांक 05.06.2015 को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण पर शपथ ली। प्रबंध निदेशक श्री आदेश शर्मा सहित डीएफसीसीआईएल के अन्य निदेशकों ने डीएफसीसीआईएल परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया। दिनांक 21.05.2015 को आतंकवाद विरोध दिवस का आयोजन किया गया। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आतंकवाद के विरूद्व शपथ ग्रहण की। सद्भावना दिवस का आयोजन दिनांक 20.08.2015 को किया गया। दिनांक 19.11.2015 का कंपनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रीय अंखडता की शपथ ली गई।

सूचना तकनीक और विकास

डीएफसीसीआईएल सैप–ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन प्रक्रिया में है। परियोजना का उद्देश्य सोफ्टवेयर समाधान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, उद्यम परिसंपत्ति प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण सूचना प्रबंधन, जियोग्राफीकल सूचना प्रबंधन, पोर्टल और डाक्यूमेंट प्रबंधन प्रणाली को केन्द्रीयकृत कर कार्यान्वयन करना है। इस प्रणाली से विभिन्न कार्यो के बीच बेहतर योजना और समन्वय, बेहतर डाटा प्रबंधन, प्रभावी रिर्पोटिंग, ज्ञान प्रबंधन आदि में शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकेंगे। सूचना को प्राप्त करने में कम समय लगेगा।

डीएफसीसीआईएल, कॉर्पोरेट कार्यालय में डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। इस डाटा सेंटर को डब्लयूएएन (वाइड़ एरिया नेटवर्क) अधिारित वीपीएन अथवा एमपीएलएस (मल्टी–प्रोटोकाल लेवल स्विचिंग) के प्रयोग द्वारा सभी 14 मुख्य परियोजना प्रबंधकों से जोड़ा गया है।

कॉर्पोरेट कार्यालय डाटा सेंटर और मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालयों के बीच एमपीएलएस कनेक्टिविटी गति और नेटवर्क उपलब्धता में सुधार के लिए कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है। डीएफसीसीआईएल डाटा सेन्टर की क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक जगह लेने पर विचार कर रहा है। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेन्टर का भी प्रस्ताव शुरू किया गया है। डीएफसीसीआईएल में सैप के कार्यान्वयन का कार्य अंतिम चरण मे है। कॉर्पोरेट कार्यालय में लगभग सभी कार्य सैप मे किए जा रहे हैं। मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालयों में पीएमएस मोड्यूल के प्रयोग को छोड़कर जिसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया की जा रही है, सभी मोड्यूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के वित्तीय वर्ष के दौरान डीएफसीसीआईएल में सैप–ईआरपी प्रणाली पूरी तरह से लागू हो जाएगी। परिचालन स्वीकृति चरण प्रगति पर है। चार मॉड्यूल भूमि अधिग्रहण सूचना प्रणाली मॉडयूल, जियोग्राफीकल सूचना प्रणाली मॉडयूल, पोर्टल और डाक्यूमेंट प्रबंधन प्रणाली के लिए आंशिक स्वीकृति पहले से ही दे दी गई है। मानव संसाधन विभाग द्वारा मानव

संसाधन प्रबंधन प्रणाली मॉडयूल को पूरा कर दिया गया है और वे सैप पर नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। वित्त मॉडयूल टेंस्टिंग और विकास के उन्नत चरण में है और सभी भुगतान (बड़े ठेकों को छोड़कर) सैप के माध्यम से किए जा रहे हैं। सभी स्वीकृत आवेदन अब ऑनलाइन हैं।

सभी पोस्टिंग और स्थानान्तरण आदेश सैप द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं। कर्मचारियों का पेरोल की प्रक्रिया सैप के माध्यम से की जा रही है। आयकर विवरणी/फार्म 16 को सैप के माध्यम से जनरेट किया जा रहा है।

लगभग डीएफसीसीआईएल के सभी कर्मचारियों को ईएसएस के साथ (कर्मचारी स्वयं सेवा) लाइसेंस उपलब्ध करवा दिया गया है। सभी कर्मचारीगण पोर्टल मॉडयूल के माध्यम से छुटटी का आवेदन कर रहे हैं जिसे सैप से स्वीकृत और गणना की जाती है। कर्मचारियों के दावे जिसमें मोबाइल/लैंडलाइन का दावा, छुट्टी नकदीकरण, ब्रीफ़केस और लीज आवास आदि शमिल को पोर्टल मॉडयूल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारी द्वारा सैप पर ऑन लाइन प्रापर्टी रिटर्न भरे जा रहे हैं।

परियोजना ठेकेदार और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता भी वीपीएन के माध्यम से सैप–ईआरपी प्रणाली का प्रयोग कर ऑनलाइन बिलों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण

डीएफसीसीआईएल का पर्यावरणीय अनुकूल दृष्टिकोण डीएफसी संरेखण के साथ लिए गए कदमों से झलकता है, भूमि अधिग्रहण का चयन, वन भूमि डायवर्जन और कम से कम पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी कर, किया जा सका है। विश्व बैंक ओर जायका सुरक्षात्मक नीतियों को पूरा करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कोरीडोर के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आंकलन (ईए) आयोजित किया गया है।

ताज त्रिपेजियम जोन, संजय गांधी नेशनल पार्क, अरावली ईको–संवेदनशील जोन, कोस्टल रेगूलेशन जोन अधिसूचना और वन डायवर्जन के अंतर्गत अपेक्षित सांविधिक क्लीयरेंश प्राप्त कर ली गई हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान, पूर्वी डीएफसी के खुर्जा–पिलखनी सेक्शनों के पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) सहित पर्यावरणीय आंकलन (ईए) रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और विश्व बैंक द्वारा अनुमोदन हो गया है। विश्व बैंक और डीएफसीसीआईएल की टिप्पणियों को शमिल करते हुए पूर्वी डीएफसी की संचयी प्रभाव आंकलन (सीआईए) रिपोर्ट तैयार हो गई है। अंतिम मसौदा रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियों और कार्यशालाओं के आयोजन के बाद अंतिम सीआईए के अनुमोदन के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की जाएगी। पूर्वी और पश्चिम कोरीडोर की ईए और ड्राफ्ट सीआईए रिपोर्ट को विस्तृत प्रचार के लिए डीएफसीसीआईएल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

कार्यान्वित एजेन्सीयों ने डीएफसीसीआईएल की एसएचई मेनुअल और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना पर आधारित अपनी साइट पर एसएचई योजना तैयार की है। ठेकेदार ने पूर्वी डीएफसी–2 के सभी लोट्स में निर्माण गतिविधियों के लिए आईएसओ–14001 ईएमएस एवं ओएचएसएएस 18000 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एसएचई और ईएमपी की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती हैं और रिपोर्ट तैयार की जाती है। पूर्वीडीएफसी के डीएफसीसीआईएल के अधिकारीगण, पीएमसी और एसईएसएमआरसी द्वारा कार्यान्वित किया गया है। साइट सुरक्षा बैठक आयोजित की जाती है। कार्यान्वित एजेन्सीयों के माध्यम से सभी रेगुलेटरी का अनुपालन का सुनिश्चित किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा उपाय

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 के सेक्शन 20–0 के अनुसार, ''राष्ट्रीय पुर्नवास और पुर्नस्थापन नीति, 2007 को अपनाया जा रहा था। रेल मंत्रालय एन आर आर पी–2007 के संबंधित प्रावधानों पर आधारित परियोजना प्रभावित

व्यक्तियों को दी गई कोटिवार विभिन्न पात्रताओं को कवर करते हुए पात्रता मैट्रिक्स (ईएम) को जारी किया है। संशोधित अधिनियम द्वारा'' स्वच्छ मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 (आर एफ सी टी–एल ए आर आर) के लागू होने के साथ, नए अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित मुआवजा और लागू आर एंड आर को सभी अधिग्रहण पर डीएफसीसी द्वारा दिनांक 01.01.2015 से किया जा रहा है। नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रेलवे बोर्ड ने एक नया पात्रता मैट्रिक्स जारी किया है और इसे 01.01.2015 से लागू कर दिया गया है। इसे डीएफसीसीआईएल वेबसाइट, सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालयों और जनता के सूचनार्थ सभी प्रभावित गांवो के सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध करवा दिया गया है। पुर्नवास और पुर्नस्थापन के विरूद्व रू. 407 करोड़ का वितरण कर दिया गया है।

पुर्नस्थापन प्रक्रिया के त्वरित कार्यान्वयन और पर्याप्त पुर्नवास पैकेज को सुनिश्चित करने और सभी व्यवहार्य विकल्पों की तलाशते हुए अनैच्छिक पुर्नवास प्रभावों और कम से कम भूमि अधिग्रहण अथवा उनकी अनदेखी करने के लिए सावधानी बरती गई है। डीएफसी परियोजना के कार्यान्वयन के कारण बुरी तरह प्रभावित व्यक्तियों/घरों के लिए पुर्नस्थापन और पुर्नवास के उचित उपाय करने के लिए डीएफसी ने अच्छी पुर्नवास नीति (आरएफपी) को तैयार किया है।

जायका सामाजिक बचाव और विश्व बैंक नीतियों को पूरा करने के लिए पूर्वी डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) अध्ययन आयोजित किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान, (दादरी–खुर्जा 46 किमी), एपीएल–3 की चरण–1 पूर्वीडीएफसी और एपीएल–3 के चरण–2 (खुर्जा–पिलखनी, 220.710 किमी.) की पुर्नवास कार्य योजना (आर ए पी) को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे सार्वजनिक सूचना के लिए डीएफसीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

आर ए पी के कार्यान्वयन, माईक्रो योजना को तैयार करने और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की विभिन्न शिकायतों को समाधान में सहायता के लिए एनजीओ को नियुक्त किया गया है। दो एनजीओ अपनी समापन रिर्पोर्ट को मेसर्स एस पी एस (स्टडी पांइट समिति एनजीओ) को, (फतेहपुर–न्यू भाऊपुर) सेक्शन स्लाइस–203 पर आरएपी के कार्यान्वयन के सबंध में समापन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और (खुर्जा–दादरी सेक्शन स्लाइस–302 के लिए समापन रिपोर्ट मेससे क्रेडल (कंसलटेंट फार रूरल एरिया डेवलपमेंट लिंक एकनॉमी) को प्रस्तुत कर दी है।

आगे पूर्वी डीएफसी–1 और पूर्वीडीएफसी–2 के लिए सामाजिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपयों की समीक्षा और मॉनीटरिंग के लिए वाह्य स्वतंत्र एजेन्सी को भी नियुक्त किया गया है। एजेन्सी भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर और आर ए पी एंड ईएमपी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और मॉनीटर की भूमिका निभाती है और इसमें सुधार के लिए अपनी सुझावों को देती है। सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा मॉनीटरिग एवं समीक्षा परामर्शदाता (एसईएसएमआरसी) को पूर्वी डीएफसी–1 और पूर्वी डीएफसी–2 के लिए नियुक्त किया है जो कि निरन्तर आरआरपी और ईएमपी की योजना के कार्यान्वयन को मॉनीटर करती है जिससे डीएफसीसीआईएल को परियोजना व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक कार्य का वातावरण पैदा हुआ है। (साहनेवाल–पिलखनी, 175 किमी और दादरी–खुर्जा 46 किमी.) कुल 221 किमी एपीएल–3 चरण –1 और (खुर्जा–पिलखनी, 220.710) के लिए एसईएसएमआरसी को नियुक्त करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रित किया है।

आर एंड आर प्रक्रिया मे उनकी भागीदारी को बढ़ोत्तरी द्वारा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं में आवश्यक सहयोग की जरूरत होती है। डीएफसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई पुर्नवास नीति के अंतर्गत उपलब्ध पुर्नस्थापन लाभों अथवा पुर्नवास के लिए प्रभावित व्यक्तियों और समूह के रूप में चिंताग्रंस्त लोगों की समस्याओं के समाधान पर विचार कर सकते हैं। शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल को नियुक्त किया गया है। खुर्जा–भाऊपुर और भाऊपुर मुगलसराय सेक्शनों दोनों के लिए परियोजना एवं जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन

किया गया है। परियोजना स्तर पर गठित समिति गठन डीफसीसीआईएल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भूमि के मुआवज से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए आर्बीट्रेटरों को नियुक्त किया गया है।

मानव संसाधन विकास और ओद्योगिक संबंध

मिशन और मूल्य

मानव संसाधन विकास अपने संगठन के लोगों के सबसे मूल्यावन संसाधन से उनके हितों को विकसित करने, सहयोग प्रदान करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए कार्य करता है। यह सतत् परिवर्तन के वातावरण में उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर सीखने और कर्मचारी सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देकर एक ही समय में अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठनात्मक विकास के लिए निर्देशित कर विश्व स्तर पर अनुकूल वातावरण को तैयार कर मानव संसाधनों की मूल दक्षताओं को प्राप्त करना व्यावसायिक मानकों को प्राप्त करना है।

मानव शक्ति जुटाव

हमारे संगठन को सूचारू रूप से संचालन के लिए उचित मानव शक्ति, उचित स्थान, उचित समय का बहुत ही महत्व होता है। संगठन के दूरगामी आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, प्रतिनियुक्ति पर ज्वाइन करने वाले योग्य अधिकारियों को स्थाई समावेशन के अलावा तत्काल समावेशन और सीधी भर्ती ओपन मार्केट से मानव शक्ति को अधिष्ठापित किया गया है। वर्ष 2015–2016 के दौरान ओपन मार्केट से 67 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया। इसी के साथ 11 पदों को सेवारत सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों से तत्काल समावेशन के आधार पर भरा गया। सभी अभ्यर्थियों को प्रांरभिंक प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है।

डीएफसीसीआईएल की आवश्यकताओं के संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने तत्काल समावेशन नियम के लिए डीएफसीसीआईएल को समय समय पर छूट दी गई है। प्रतिनियुक्ति के शर्तों पर 200 अराजपत्रित एवं 200 राजपत्रित अधिकारियों के अधिष्ठापन की अनुमति 29.12.2015 तक मान्य है। 29.12.2015 के उपरान्त अनुमति के लिए डीपीई के साथ प्रस्ताव विचाराधीन है। रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 द्वारा अनुमोदन के अनुसार डीएफसीसीआईएल में रेलवे कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रतिनियुक्ति अवधि 05 वर्ष है। वर्ष के दौरान 58 कर्मचारियों ने प्रतिनियुक्ति पर ज्वाइन किया और मानव संसाधन विभाग द्वारा 28 अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति विस्तार किया गया।

नए अधिष्ठापन (इन्डक्शन) के साथ कुल संख्या बढ़कर 758 अधिकारी हो गई हैं जिसमें से 467 स्थाई है।

पदोन्नति

पदोन्नति के पर्याप्त अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए डीएफसीसीआईएल में पदोन्नति नीति में मेरिट, उपयुक्त और निष्पादन को ध्यान में रखा गया है और उपयुक्त क्षमता के साथ और उत्कृष्ट मानव संसाधन सहयोग प्रदान किया जाता है और उपयुक्त कौशल और योग्यता के साथ सेवा के प्रभावशाली नेतृत्व, व्यावसायिक विशेषज्ञ और गुणवत्ता परामर्श के साथ किया जाता है। सामान्यतः कार्यकारी से कार्यकारी निदेशक स्तर तक पदोन्नति के लिए एक ग्रेड में 04 वर्षों की आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान 22 कर्मचारियों को जो कि पदोन्नति के लिए उच्च ग्रेड में उर्पयुक्त पदोन्नति नीति के अनुसार योग्य पाए गए।

नीति पहल

विभिन्न प्रकार की मानव संसाधन नीतियों जैसे कर्मचारी कल्याण, नियमित कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना,

चिकित्सा नियमों में संशोधन, कर्मचारी की मृत्यु के मामले में वित्तीय मदद, संविदा नियुक्तियां, एपीएआर, स्थाई/तत्काल/प्रतिनियुक्ति की नीति में संशोधन, प्रतिनियुक्ति अवधि में भर्ती नियमों में संशोधन, सेवानिवृत कर्मचारियों की परिलब्धियों में संशोधन, सचिवीय केडर में पदो का सृजन, ई–2 वेतनमान का परिचय, ई–0 स्तर आदि से नीचे भत्ते और पर्कस, यूनिफार्म प्रतिपूर्ति के लिए नियम, अपडेटेशन/नवीनीकरण के अलावा वर्तमान मानव संसाधन नीतियां की पहल की गई है।

प्रशिक्षण

डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए के लिए पेशेवर अपग्रेडेशन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। कॉर्पोरेट कार्यालय की समूह महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों और मुख्य परियोजना प्रबंधकों (फील्ड अधिकारीगण) को शामिल करते हुए एचआर द्वारा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर, एक विस्तृत योजना तैयार की गई थी जिसे विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था। 739 कार्य दिवसों में 422 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

आयोजित किए गए बड़े प्रशिक्षण

क) **रणनीति प्रबंधन' इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी)** प्री–डायगनोस्टिक पर आधारित डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुसार आईएसबी के माध्यम से 35 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों और निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया था।

ख) **परियोजना प्रबंधन– प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई, गुडगांव)**– एमडीआई गुडगाव में आयोजित परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण में डीएफसीसीआईएल के 6 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को परियोजना का लाइफ साइकिल जोखिम विश्लेषण, परियोजना लागत, प्राक्कलन, परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली, परियोजना प्रबंधन सोफ्टवेयर का प्रयोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट, परियोजना मॉनीटरिंगः समय और लागत का मूल्यांकन, परियोजनाओं का करार, परियोजनाओं में परियोजना लागत नियंत्रण आउटसोर्सिंग/जेवी।

ग) **अनुमूति प्रबंधन और संचार–इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी)**

घ) **कंपनी अधिनियम के अवलोकन पर प्रशिक्षण**

ड़) **सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण**

- विभिन्न रेलवे संस्थानों जैसे इरीसेट, इरीसेन, जेडईटीसी/वडोदरा, जेडआरटीआई/उदयपुर, इरीन में नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को इंडक्शन और विशेषज्ञ तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- तत्काल समावेशन के आधार पर आए अधिकारियों के लिए इंडक्शन और विशेषज्ञ तकनीकी प्रशिक्षण जेडआरटीआई/मुजफ्फरपुर, एनएआईआर में आयोजित किये गए।

च) **विदेश प्रशिक्षण**

- हिंटरलेंड बंदरगाह कनेक्टिविटी, आधुनिक लोजिस्टिक एवं केन्द्रीत आर्थिक, रॉटरडैम और ड्यूसबर्ग के बंदरगाहों पर रिजनरेशन पर अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और केस अध्ययन में डीएफसीसीआईएल के एक अधिकारी ने भाग लिया।
- जायका के माध्यम से जापान में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर परियोजना के लिए तकनीकी सहायता के लिए डीएफसीसीआईएल से दो बैच (प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों सहित 10 प्रतिभागीयों) ने समकक्ष प्रशिक्षण में सहभागिता की। समान प्रशिक्षण में तीसरा बैच अगस्त–सितबंर, 2016 में आयोजित किए जाने की संभावना है जिसमें 08 प्रतिभागियों के भाग लेने की आशा है।

छ) **डीएफसीसीआईएल अधिकारियों के लिए अन्य आयोजित किए गए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण**

- प्रशिक्षणः प्रभावी नेतृत्व–आईआईएम, दिल्ली, महिला कार्यकारी के लिए नेतृत्व विकास–स्कोप, परियोजना और ठेका प्रबंधन–ए एस सी आई, हैदराबाद, भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास, पुर्नस्थापन–रेक्टलॉर अधिनियम 2013–ए एस सी आई, हैदराबाद, सामाजिक प्रभाव आंकलन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम–ए एस सी आई, हैदराबाद, आग के खतरों में कमी और उनका जवाब–आपदा प्रबंधन और प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित, जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क–ईएमएसटी एंड यंग, अग्रिम कर, टीडीएस और कर योजना– आई सी डब्ल्यू ए आई, सेवाकर मुददे , प्रस्तावित जीएसटी–आई सी डब्ल्यू ए आई, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड वित–क्रिसिल, कॉर्पोरेट टेक्सेशन–आई सी डब्ल्यू ए आई, सेवाओं में आरक्षण–एन ए एच आर आर डी, एच आर आडिट–एन ए एच आर डी, लोजिस्टिक और सप्लाई चेन प्रबंधन एम डी आई, गुड़गाव, सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण–एन ए एच आर डी, विद्युत परिसंपत्तियों की ऑन लाइन आधारित मॉनीटरिंग स्थिति–स्कोप, परियोजना वित्त में पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारी–सीएसई।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए उठाए गए कदमों की एक रिपोर्ट, निदेंशक रिपोर्ट के **अनुलग्नक–बी** में सलंग्न है।

अनुलग्नक – ई

अखिल रोहतगी
एम.काम.एलएल.बी. एफसीएस

अखिल रोहतगी
कंपनी सचिव
21,शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054
फोन:011–23926504 मोबाइलः 9811387946
ईमेलः rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

फार्म नं. एमआर–3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और कार्मिकों की परिलब्धियां नियम 2014 के नियम 9) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्य,
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर
नई दिल्ली–110001

मैनें लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में सचिवीय लेखा परीक्षण किया है और डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं का पालन किया गया है। (बाद में कंपनी कहलाई गई) सचिवीय लेखा परीक्षण हमे कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक मूल्याकन के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार हैं ओर उसी के आधार पर हमने अपने विचार प्रकट किए हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी की बुक्स, दस्तावेज, मिनट बुक्स, ई–फार्म और फाइल किए गए रिटर्न ,कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और उनके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कंपनी का सत्यापन किया गया है। हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में कंपनी ने लेखा परीक्षक के दौरान वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2016 तक सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है ओर कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन मेकेन्जिम है।

हमने 31, मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, प्रावधानों के अनुसार डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड और बुक्स, दस्तावेज, मिनट, बुक्स, ई–फार्म और फाइल किए गए रिटर्न का परीक्षण कर दिया है।

i कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत नियम

ii दि सिक्यूरिटीज कान्ट्रेक्ट (रेगुलेशन) अधिनियम 1956 (एससीआरए) और उसके अंतर्गत नियम इसलिए लागू नहीं है क्योंकि शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्व नहीं हैं।

iii विदेश व्यापार प्रबंधन अधिनियम 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम लागू नहीं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेश प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यक ऋणकर्ता कोई नहीं है।

iv डिपोजिटरीज अधिनियम 1996 और बनाए गए विनियम और उप नियम लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के शेयर उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी भी डिपोजिटरी से पंजीकृत नहीं हैं

v (सेबी अधिनियम) भारत के विनिमय और सुरक्षित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देश लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्व नहीं है।

vi अन्य लागू कानून, नियम और दिशानिर्देश निम्नुनसार है:

क) भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक सेक्टर उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गर्वनेंस पर डीपीई दिशानिर्देश।

ख) प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन और मान्यता) अधिनियम।

ग) माइक्रो स्माल एवं मीडियम उद्यम विकास अधिनियम 2006

घ) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980

ड़) रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008

च) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972

छ) झीलों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2010

ज) कोस्टल विनियम जोन एन/एन, 2011

झ) एन आर आर पी और उसके संबंधित प्रावधान 2007

य) भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी (रोजगार के विनियम और सेवा की शर्त) अधिनियम 1996

र) भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

ल) कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013

व) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

स) दुकानदार स्थापना अधिनियम।

श) पर्यावरण कानून जो भी लागू हों।

ष) श्रम कानून जो भी लागू हों।

हमने 01 जुलाई, 2015 से लागू भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के अनुसार अनुपालन का भी परीक्षण कर लिया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रबंधन और कंपनी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्या के अनुसार कंपनी ने उरोक्त के अलावा अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों का अनुपालन किया है कि

1. कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

2. स्वतंत्र निदेशकों की की अनुपस्थिति में, ''लेखा परीक्षण समिति'' ''नामित और पारिश्रमिक समिति'' और सीएसआर समिति का सभी गैर स्वतंत्र निदेशकों के संयोजन से गठन किया गया था और

3. कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नही थीं।

4. श्री गजेन्द्र नाथ हल्दिया, नामित निदेशक ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया और इससे प्रशासनिक मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है। बोर्ड ने अपनी दिनांक 05.02.2016 को आयोजित बैठक में निदेशक के कार्यालय में उनकी तकनीकी रिक्ती का कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन के अंतर्गत जायजा लिया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कंपनी के निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशक और नॉन–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के साथ गठन में उचित संतुलन नहीं रखते हैं। श्री आर.एस.शर्मा, स्वतंत्र निदेशक का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 29.04.2015 को समाप्त हो गया और उसके बाद कंपनी के बोर्ड ने किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया।

बोर्ड की निर्धारित बैठकों के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। बैठक से कम से कम सात दिवस पूर्व कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट भेजा गया था।

आगे, वर्तमान प्रणाली में बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए और बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर स्पष्टीकरण और सूचना प्राप्त करने की मांग पहले से की जा रही है।

कार्यवृत्त के एक भाग के रूप में बहुमत से किए गए निर्णयों को सदस्यों की असहमति के विचारों को रिकार्ड किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के साइज और परिचालन को मॉनीटर करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं और लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने रू. 1000 प्रत्येक इक्विटी शेयर के रूप में रू. 108,70,000 के जारी और आबंटित किए और कुल मिलाकर भारत सरकार रेल मंत्रालय के लिए रू. 1087,00,00,000।

कृते अखिल रोहतगी

ह/–
अखिल रोहतगी
पेशेवर कंपनी सचिव,
एफसीएस सं. 1600
सीपी स. 2317

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 अगस्त, 2016

अखिल रोहतगी
एम.काम.एलएल.बी. एफसीएस

अखिल रोहतगी
कंपनी सचिव
21,शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054
फोनः011–23926504 मोबाइलः 9811387946
ईमेलः rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

सेवा में,
सदस्य,
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर
नई दिल्ली–110001

इस पत्र के साथ हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को पढ़ा जाए

1. सचिवीय रिकार्ड को रखने की कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकार्ड पर विचार व्यक्त करने की हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने सचिवीय रिकार्ड के सार के संशोधन ही सत्यता के बारे उचित आश्वासन प्राप्त करके व्यावसायिक लेखा परीक्षण का अनुसरण किया है। हम टेस्ट के आधार पर सत्यापन करते हैं और यह सुनिश्चित करते है कि सचिवीय रिकार्ड में सही तत्वों को दर्शाया गया हो। हम विश्वास करते हैं कि प्रक्रियाओं और व्यवसाय, हमारे विचार के लिए हमने उचित आधार अपनाए हैं।
3. हमने कंपनी के बुक्स लेखे ओर वित्तीय रिकार्ड के उचित और सही को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां आवश्यक हुआ है, हमने कानूनों का अनुपालन, नियम और विनियम और घटित घटनाओं के बारे में प्रबंधन से प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों नियम, विनिय मानकों के प्रावधानों की अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा टेस्ट आधार पर परीक्षण प्रक्रियाओं का सत्यापन सीमित था।
6. सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की क्षमता के आश्वासन और अथवा प्रभावीकरण के साथ जो कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों में आयोजित किया है।

कृते अखिल रोहतगी

ह/–
अखिल रोहतगी
पेशेवर कंपनी सचिव,
एफसीएस सं. 1600
सीपी स. 2317

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 अगस्त, 2016

अनुलग्नक – एफ

फार्म नं एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का सार
31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

1. रजिस्ट्रेशन और अन्य विवरण

i	**सीआईएन**	**यू 60232 डीएल 2006 जीओआई 155068**
ii	पंजीकरण की तिथि	30.10.2006
iii	कपंनी का नाम	डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv	कंपनी की केटेगरी/उप केटेगरी	
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सपंर्क विवरण	5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर, नई दिल्ली–110001
vi	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	स्थानान्तरण एजेन्ट ओर रजिस्ट्रार का संपर्क विवरण और नाम व पता	लागू नहीं

2. कंपनी की मूल व्यापारिक गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्नओवर की 10% से अधिक सभी व्यापारिक गतिविधियों का योगदान दिया जा रहा है।

क्रसं.	मुख्य उत्पादो/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का प्रतिशत
1.	लागू नहीं		
2.			
3.			

3. सहायक और सहयोग कंपनियों का होल्डिंग विवरणः–

क्रसं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीआईएन	होल्डिंग/सहायक/
1.	लागू नहीं		
2.			

4. शेयर होल्डिंग पद्वति (कुल इक्विटी का प्रतिशत के रूप में शेयर पूंजी, इक्विटी का ब्रेकअप)

i कोटिवार शेयर होल्डिंग

शेयर होल्डरों की कोटि	वर्ष के आंरभ मे हेल्ड शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में हेल्ड शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदला%
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का%	डिमेट	भौतिक	कुल	शेयर का कुल%	
क. प्रोमोटर्स									
1. भारतीय									
क) स्वंत/एचयूएफ									
ख) केन्द्र सरकार	–	37,156,688	37,156,688	100%	–	48,026,688	48,026,688	100%	29.24%
ग) राज्य सरकार/रों	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) निकाय/निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) बैंक/वित्त संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य कोई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सब– योग (क) (1)	**–**	**37,156,688**	**37,156,688**	**100%**	**–**	**48,026,688**	**48,026,688**	**100%**	**29.24%**
2. विदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) एनआरआई– स्वतंत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) अन्य स्वतंत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) निकाय/निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बैंक/वित्त संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) कोई हो	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सब–टोटल (क)(ख)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

प्रोमोटर की कुल शेयर होल्डिंग	–	37,156,688	37,156,688	100%	–	48,026,688	48,026,688	100%	29.24%
ख) पब्लिक शेयरहोल्डिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) म्यूचल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) बैंक/वित्त संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) राज्य सरकारें	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) वेन्चर केपीटल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) बीमा कंपनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छ) एफआईआईएस	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ज) विदेशी वेन्चर केपीटल फंडस	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झ) अन्य यदि कोई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–कुलयोग (ख)(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. गैर संस्थान क) निकाय/निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1. भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ओवरसीज	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) व्यैक्तिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1. रू. 01 लाख उतक के सामान्य पूंजी शेयर रखने वाले व्यैक्तिक शेयर धारक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. रू. 01 लाख से अधिक के सामान्य पूंजी शेयर रखने वाले व्यैक्तिक शेयर धारक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) अन्य (विवरण दें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग (ख)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल पब्लिक शेयरधारक (ख)–(1) (ख)–(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग (क+ख+ग)		37,156,688	37,156,688	100%	–	48,026,688	48,026,688	100%	29.24%

ii प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग

क्रसं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत मे शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	गिरवीं/ ऋणों कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का प्रतिशत	गिरवीं/ ऋणों कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान होल्डिंग शेयरों के बदलाव का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	37,156,688	100%	–	48,026,688	100%	–	29.24%
	कुल	**37,156,688**	**100%**	**–**	**48,026,688**	**100%**	**–**	**29.24%**

iii प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग बदलनाः (कृपया स्पष्ट करें यदि कोई बदलाव नहीं है)

क्रसं.		वर्ष के प्रांरभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	37,156,688	100%	37,156,688	100%
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी बढ़ोत्तरी/कमी का स्पष्ट कारण दें जैसेः आबंटन/स्थानान्तरण	08.05.2015 1,08,70,000		1,08,70,000	
	वर्ष के अंत पर	**48,026,688**	**100%**	**48,026,688**	**100%**

iv टॉप दस शेयर होल्डरों की शेयर होल्डिंग पद्धति (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर के होल्डर्स के अलावा)

क्रसं.	टॉप दस शेयरहोल्डरों प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रांरभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ पर	लागू नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयरहोल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी बढ़ोत्तरी/कमी का स्पष्ट कारण दें जैसेःआबंटन/स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि।				
	वर्ष के अंत पर (अथवा अलग होने की तिथि, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हैं)				

v मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों एवं निदेशकों की शेयरहोल्डिंगः कंपनी में कोई भी निदेशक अथवा के एमपी शेयरधारक नहीं है।

क्रसं.	निदेशक और केएमपी प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रांरभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ पर	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयरहोल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी बढ़ोत्तरी/कमी का स्पष्ट कारण दें जैसेः आबंटन/स्थानान्तरण	–	–	–	–
	वर्ष के अंत पर	–	–	–	–

vi ऋणभार

कंपनी पर ब्याज शेष/प्राप्त का ऋणभार लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं:

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमाएं	कुल ऋणभार
वित्तीय वर्ष के प्रांरभ में ऋणभार (1) मूल भार		1441,08,48,582	–	1441,08,48,582
2. ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया		–	–	–
3. ब्याज प्राप्त लेकिन देय नहीं		87,01,18,760	–	87,01,18,760
कुल (1+2+3)		**1528,09,67,342**	**–**	**1528,09,67,342**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में बदलाव		–	–	–
जोड़ (ब्याज+ऋण)		1923,49,28,280	–	1923,49,28,280
घटाना		–	–	–
कुल बदलाव		1923,49,28,280	–	1923,49,28,280
वित्तीय वर्ष के अंत पर ऋणभार 1. मूल राशि		3272,17,83,116	–	3272,17,83,116
2. ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया		–	–	–
3. ब्याज प्राप्त लेकिन देय नहीं		179,41,12,506	–	179,41,12,506
कुल (1+2+3)		**3451,58,95,622**	**–**	**3451,58,95,622**

vi प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों और निदेशकों की परिलब्धि

क) प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशकों और प्रबंधकों की परिलब्धियां

क्रसं.	परिलब्धि का विवरण			प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		नाम	100007 आदेश शर्मा	100004 एच.डी. गुजराती डीएल 42192135	100291 डी एस राणा	100003 अंशुमान शर्मा डीएल 42192007	100005 एम के मितल निदेशक/ वित्त	
		पदनाम	प्रबंध निदेशक	निदेशक (परि. एवं व्यवसाय विकास)	निदेशक/ अवसरंचना	निदेशक (पीपी)	निदेशक/ वित्त	
1.	धारा 17(1) के प्रावधान के अनुसार वेतन (कुल वेतन) (क)		26,16,800.00	24,35,102,00	24,17,512.00	25,61,335.00	27,33,436.00	1,27,64,185.00
	(ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत अनुलाभ	–	1,53,381.00	1,53,462.00	95,512.00	4,14,899.00	1,66,880.00	9,81,134.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–	–	–	–
2.	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–	–	–	–
3.	उद्यम इक्विटी	–	–	–	–	–	–	–
	अन्य लाभ के रूप में प्रतिशत कमीशन, उल्लेख करें	–	–	–	–	–	–	–
	कुल योग (क)		**27,70,181.00**	**25,88,564.00**	**25,10,024.00**	**29,76,234.00**	**29,00,316.00**	**1,37,45,319.00**
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग							

ख) अन्य निदेशकों की परिलब्धि–निल

क्रसं.	परिलब्धि का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल राशि
	बोर्ड/कमेटी बैठकें में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का शुल्क	–	–	–	–	–
	कमीशन	–	–	–	–	–
	अन्य, कृप्या उल्लेख करें	–	–	–	–	–
	कुल (1)	–	–	–	–	–
	बोर्ड/कमेटी बैठकें में उपस्थित होने के लिए अन्य गैर कार्यकारी निदेशकों का शुल्क	–	–	–	–	–
	कमीशन	–	–	–	–	–
	अन्य, कृप्या उल्लेख करें	–	–	–	–	–
	कुल (2)	–	–	–	–	–
	कुल (ख) (1)1+2	–	–	–	–	–
	कुल प्रबंधकीय परिलब्धि	–	–	–	–	–
	अधिनियम के अनुसार कुल सीलिंग	–	–	–	–	–

ग) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिको की परिलब्धि

क्रसं.	परिलब्धि का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
		सीईओ			
1.	कुल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वेतन	–	10,63,968.00	–	10,63,968.00
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ/भों का मूल्य	–	41,416.00	–	41,416.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	–	–	–	–
2.	स्टॉक विकल्प	–	0	–	–
3.	उद्यम इक्विटी	–	0	–	–
4.	लाभ पर प्रतिशत के रूप में कमीशन, अन्य, उल्लेख करें	–	0	–	–
5.	अन्य, कृप्या उल्लेख करें	–	0	–	–
	कुल		**11,05,384.00**	**–**	**11,05,384.00**

viii अपराधों का दंड/सजा/समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	सक्षिप्त विवरण	दी गई पेनल्टी/दंड/समझौता शुल्क	प्राधिकारी आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट	अपील की गई यदि कोई हो (विवरण दें)
क) कंपनी					
पेनल्टी	–	निल	निल	–	–
सजा	–	निल	निल	–	–
समझौता	–	निल	निल	–	–
ख) निदेशक					
पेनल्टी	–	निल	निल	–	–
सजा	–	निल	निल	–	–
समझौता	–	निल	निल	–	–
ग) अन्य दोशी पाए गए अधिकारीगण					
पेनल्टी	–	निल	निल	–	–
सजा	–	निल	निल	–	–
समझौता	–	निल	निल	–	–

नोटः

कंपनी अधिनियम के सेक्शन 149 की चूक जिसे नियम 2014 (निदेशक की नियुक्ति की योग्यता) कंपनी के नियम 3 के संबंध में दिल्ली एवं हरियाणा शहर में रजिस्ट्रार, कंपनीज कार्यालय से कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 162 के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिकली एक कारण बताओं नोटिस प्राप्त हुआ है। इस सबंध में यह अवगत कराया जाता है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महिला निदेशक की नियुक्ति और स्वतंत्र निदेशक सहित नामित निदेशकों की नियुक्ति का अनुपालन कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है, जैसे निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

वित्तीय वर्ष 2015-2016
के लिए डीएफसीसीआईएल के वार्षिक लेखे

31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन पत्र

सीआईएन–यू60232 / डीएल–2006जीओआई155068

(लाख रूपये में)

क्रं सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
i	**इक्विटी एवं देनदारी**			
1.	**शेयरधारकों की निधियां**			
	क) शेयर पूंजी	3	4,80,266.88	3,71,566.88
	ख) आरक्षित एवं बचत	4	17,330.45	11,010.62
2.	**शेयर आवेदन लंबित धन आबंटन**	**5**	**2,85,560.41**	**1,08,700.00**
3.	**गैर चालू देनदारियां**			
	क) दीर्घवधि के उधार	6	3,27,217.83	1,44,108.49
	ख) अन्य दीर्घवधि की देनदारियां	7	38,299.94	22,888.80
	ग) दीर्घवधि के प्रावधान	8	1,031.87	557.60
4.	**चालू देनदारियां**			
	क) अन्य चालू देनदारियां	9	48,397.54	41,258.48
	ख) अल्पावधि प्रावधान	10	196.66	36.69
	योग		**11,98,301.58**	**7,00,127.56**
ii	**परिसंपत्तियां**			
(1)	गैर चालू परिसंपत्तियां			
	क) स्थाई परिसंपत्तियां	11		
i	मूर्त परिसंपत्तियां		1,496.15	1,182.58
ii	अमूर्त परिसंपत्तियां		139.86	41.37
iii	कार्यगत पूंजी		5,77,715.86	3,27,209.88
iv	विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियां			18.99
v	विकासाधीन परिसंपत्तियां		989.54	911.88
	ख) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	**12**	**4,49,734.25**	**2,84,479.12**
2.	**चालू परिसंपत्तियां**			
	क) नकद और बैंक शेष	13	1,60,607.27	83,484.75
	ख) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	14	191.93	180.85
	ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	7,426.72	2,618.14
	योग		**11,98,301.58**	**7,00,127.56**

सामान्य सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	2		
विकास लेख (लंबित पूजीकरण)	19		

कृते बावेजा एंड कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म रजि.नं.05834 एन

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
सीए साक्षी कौल धर
सदस्यता सं. 514325

ह/–
(आदेश शर्मा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 7022393

ह/–
(एम के मित्तल)
निदेशक/वित्त
डीआईएन– 2889021

ह/–
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव एसीएस–18954

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.06.2016

मार्च, 2016 के लिए लाभ एवं हानि विवरण

सीआईएन–यू60232/डीएल–2006जीओआई155068

(लाख रूपये में)

क्रं सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
	राजस्व			
i	परिचालनों से आय		–	–
ii	अन्य आय	16	9,957.18	5,699.20
iii	**कुल राजस्व (i+ii)**		**9,957.18**	**5,699.20**
	खर्चे			
	कर्मचारियों के लाभ के लिए खर्च	17	–	–
	वित्तीय लागत	17 A	–	–
	घोषणा एवं परिशोधन खर्च	17 B	–	–
	अन्य खर्च (सीएसआर)	17 C	167.98	32.27
iv	कुल खर्च		167.98	32.27
v	अपवाद और असाधारण मदों और कर से पूर्व का लाभ (iii-iv)		9,789.20	5,666.93
vi	अपवाद मदें		–	–
vii	असाधारण मदों और कर से पूर्व का लाभ (v-vi)		9,789.20	5,666.93
viii	असाधारण मदें		–	–
ix	**कर पूर्व लाभ (vii-viii)**		**9,789.20**	**5,666.93**
x	कर खर्च:			
	1. चालू कर		3,408.33	1,914.25
	2. आयकर (गत वर्ष)		(0.01)	(31.50)
	3. आस्थगित कर		–	–
xi	**परिचालन के जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/हानि (ix-x)**		**6,380.88**	**3,784.18**
	क) विकास खाते में स्थानांतरित		**61.04**	**45.92**
xii	परिचालन के जारी न रहने से लाभ		–	–
xiii	परिचालन के जारी न रहने से कर खर्च		–	–
xiv	परिचालन के जारी न रहने से लाभ/हानि (xii-xiii)		–	–
xv	**अवधि के लिए लाभ /हानि (xi+xiv-क)**		**6,319.84**	**3,738.26**
xvi	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 1000 प्रत्येक)			

	बेसिक		13.47	10.64
	डाइलयूटिड		13.14	10.05
	सामान्य सूचना	1		
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	2		
	विकास लेखा (लंबित पूंजीकरण)	19		
	नोट 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अंतरिक भाग है।			
समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट में लाभ हानि का यह विवरण उल्लिखित है।				

कृते बावेजा एंड कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म रजि.नं.05834 एन

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
सीए साक्षी कौल धर
सदस्यता सं. 514325

ह/–
(आदेश शर्मा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 7022393

ह/–
(एम के मित्तल)
निदेशक/वित्त
डीआईएन– 2889021

ह/–
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव एसीएस–18954

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.06.2016

मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

सीआईएन–यू60232 / डीएल–2006जीओआई155068

(लाख रूपये में)

क्रं सं.	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर से पूर्व शुद्ध लाभ		9,789.20	–	5,666.94
	बैंक जमा पर ब्याज से आय	(9,869.17)		(5,635.78)	
	विकास लेखे के प्रभार के लिए समायोजन	(61.04)		(45.92)	
			(9,930.21)		(5,681.70)
	कार्यगत पूंजी के बदलाव से पूर्व परिचालनिक लाभ समायोजन के लिए:		(141.01)		(14.76)
	ऋण और अग्रिम तथा अन्य चालू परिसंपत्तियां	548.33		3,322.69	
	ट्रेड देय, प्रावधान और अन्य देनदारियां	21,760.15	22,308.48	36,451.01	39,773.69
	परिचालन (प्रयोग में) से नकद प्रवाह		22,167.46		39,758.93
	आयकर प्राप्त / अदा किया गया		(3,294.25)		(1,880.91)
	परिचालन गतिविधियों (ए) से (प्रयोग में) कुल नकदी प्रवाहः–		**18,873.21**		**37,878.02**
2.	**पूँजी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः–**				
	कार्यगत पूंजी सहित स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद एवं पूंजी कार्य प्रगति	(2,43,329.60)		(1,69,857.87)	
	स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	14.84	–	10.93	–
	बैंक जमा पर ब्याज से आय	8,060.85	–	5,978.29	–
	पूंजी अग्रिम में कमी / बढोतरी	(1,66,297.80)	–	(24,591.03)	–
	निवेश गतिविधियों (बी) (प्रयोग में) से कुल नकद प्रवाह		**(4,01,551.71)**		**(1,88,459.68)**
3.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाहः–**				
	शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त धनराशि	–		–	
	शेयर आवेदन से प्राप्त धनराशि	2,85,560.41		1,08,700.00	

	दीर्घकालीन उधार की राशियां	1,75,447.39		42,762.20	
	अदा किया गया ब्याज	(1,206.79		(1,544.83)	
	वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त नकदी /अर्जित की गई नकदी (सी)		**4,59,801.01**		**1,49,917.37**
	रोकड़ और रोकड़ समकक्षों में शुद्ध वृद्धि /कमी (ए +बी+सी) वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष		77,122.51		(664.29)
	वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष		83,068.41		83,732.70
	वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष		**1,60,190.93**		**83,068.41**
	नकद और नकद समकक्ष को शामिल करना				
	नकद और बैंक अधिशेष		1,60,179.84		83,046.45
	उपलब्ध चेक्स		11.09		21.96
			1,60,190.93		**83,068.41**

नोटः–

1. एमओआर की ओर से नकद और नकद समकक्ष में रू. 2,683.12 लाख (पिछले वर्ष रू. 3,382.70 लाख) चालू और जमा खाता में सम्मिलित है और कंपनी के स्वंतत्र व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. सीएसआर गतिविधियों के लिए (पिछले वर्ष रू. 15.06 लाख) परिचालित गतिविधियों के लिए नकद प्रवाह खर्च शमिल है।

कृते बावेजा एंड कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म रजि.नं.05834 एन

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
सीए साक्षी कौल धर
सदस्यता सं. 514325

ह/–
(आदेश शर्मा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 7022393

ह/–
(एम के मित्तल)
निदेशक/वित्त
डीआईएन– 2889021

ह/–
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव एसीएस–18954

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.06.2016

वित्तीय विवरण से टिप्पणियां

1. सामान्य सूचना

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडार्स के निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन के लिए रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक संस्था हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

2.1 वित्तीय विवरण (स्टेटमेंट) तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी आनिवार्य लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत मानक के अनुसार ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत एक संचयी आधार पर तैयार किए गए हैं।

2.2 आंकलनों का प्रयोग

सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन ऐसे आंकलन और अभिधारणाएं करें जो प्रस्तुत किए गए वर्षो के लिए रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशियां तथा वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई परिसंपत्ति ओर देयताओं की राशि और आनुषंगिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण पर प्रभाव डालते हों। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलन और वास्तविकता में होने वाले अंतर को चालू और क्रमशः भविष्य की लेखा अवधि में समायोजित किया जाता हैं।

2.3 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर आधारित लेखा मानक ''3'' में निर्धारित अप्रत्यक्ष तरीके से तैयार किया जाता है और नकद प्रवाह परिचालन निवेश और वित्तीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है।

2.4 स्थायी परिसंपत्तियां और पूंजीगत प्रगति कार्य

क) स्थायी परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण की लागत को दर्शाती है। ऐसे मामलों में जहां ठेकेदारों के बिलों को अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन परिसंपत्ति पूरी हो गई और उपयोग के लिए तैयार है आवश्यक समायोजन के शर्त पर अनुमानित आधार पर पूंजीकरण किया जाता है इसमें वर्ष के दौरान अंतिम निपटान के लिए आर्बीट्रेशन ओर न्यायालय के मामले सम्मिलित हैं।

ख) लागत पर किए गए कार्यों का पूंजीगत कार्य प्रगति पर है। वर्ष के दौरान आकस्मिक आय की शुद्ध खर्च, संबंधित परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूंजीगत है।

ग) पूंजी भंडार मापी गई अनुमानित लागत पर है।

2.5 मूल्य ह्रास और परिशोधन

क) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों की वृद्धि ओर कटौती अवमूल्यन समानुपातिक आधार पर से उस तारीख तक जहां उपयोग/निपटान के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है, किया जाता है।

ख) भारतीय रेलवे वित्त कोड भाग–1 के पैरा 219 के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का अवमूल्यन जो कि रेलवे परिसंपत्तियों की विभिन्न श्रेणीयों की विशिष्ट सामान्य जीवन को दर्शाता है, दिया गया है। यदि भारतीय रेलवे वित्त कोड के पैरा 219 में स्थायी परिसंपत्तियों के कंपोनेंट उपलबध नहीं होते हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में वर्णित दरों पर मूल्य पद्वति के नीचे गिरने पर परिसंपत्तियों का अवमूल्यन किया जाता है।

ग) इसके अलावा वर्ष में रू. 5000/– या कम के मूल्य की परिसंपत्ति का अवमूल्यन किया गया है।

घ) सोफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्तियों मे रखा जाता है ओर इसे तीन वर्ष की कानूनी अवधि के लिए प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, जो भी पहले हो। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां सीधे लाइन के आधार पर कानूनी अवधि के लिए उपयोग में लायी जाती है।

ड़) पट्टाशुदा भूमि ओर पट्टाशुदा परिसर में सुधारों पर स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन कर संबंधित भूमि/पट्टाशुदा परिसर अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अवमूल्यन की दरों पर लागू जीवन के ऊपर जो भी कम हो, किया जाता है।

छ) वर्ष के दौरान जहां परिसंपत्ति पर अवमूल्यन की लागत लम्बी अवधि के दायित्वों के कारण बढ़ती/घटकर बदलती है, ऐसी परिसंपत्तियों की अवधि को अवमूल्यंन, लागत समायोजन के अनुसार उपभोग करना पड़ता है।

ज) जहां एक परिसंपत्ति की अवधि या कार्यकुशलता में नवीनी और अशुद्धिकरण के कारण वृद्धि होती है वहां अमूर्त अवमूल्यन राशि को चार्ज किया जाता है तथा तकनीकी आंकलन द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है।

2.6 राजस्व

क) राजस्व की मान्यता गतिविधि की प्रकृति के आधार पर की जाती है जब विचार सही पाया जाता है और इसकी वसूली की निश्चितता सही पाई जाती है।

ख) बैंक जमा पर ब्याज को समय समानुपात के आधार पर बुक किया जाता है।

ग) आय की अन्य मदों को उनके प्राप्त करने के अधिकारी के समय लेखाबद्ध किया जाता है।

घ) सेवा शुल्क आय को संविदा की शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

2.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन

क) विदेशी मुद्रा का संव्यवहार विनिमय की उस दर पर किया जाता है जिस दिन संव्यवहार किया जाता है। प्रत्येक संतुलन पत्र में संतुलन पत्र की तिथि में एक्सचेंज दर पर विदेशी मुद्रा में पुनःनामित मदों की तिथि को दर्शाया जाता है।

ख) उधार ली गई विदेशी मुद्रा के विनिमय अंतर को ब्याज लागतों पर समायोजन के संबध में उधार लागत पर एएस–16 के पैरा 4(ई) की शर्त पर लिया जाता है और उधार लागत के लिए एएसआईवीआईडी की शर्त पर संबंधित स्थायी परिसंपत्ति/प्रगति पर किए जा रहे पूंजीगत कार्य जो कि उधार से संबंधित होते हैं लिया जाता है।

ग) आय और व्यव के रूप में अन्य मुद्रा पर विनिमय अंतर की पहचान की जाती है।

2.8 कर्मचारी के हित लाभ

क) सभी कर्मचारियों के हित लाभों को सेवा के बारह महीनों के भीतर पूर्ण किया जाता है उनका वर्गीकरण अल्पावधि के हित लाभों में किया जाता है। अनुपस्थिति जैसा अल्पावधि के हितलाभों की क्षतिपूर्ति की पहचान कर्मचारी से संबंधित सेवा अवधि में की जाती है।

ख) कर्मचारी हित में नियोजन उपरान्त लाभ का प्रावधान एएस–15 (2005) में वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित किया गया है।

ग) दीर्घावधि के लिए कर्मचारियों के हित लाभ से संबंधित प्रावधान का निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जो कि लेखे में प्रभारित होता है।

घ) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के लिए विदेश सेवा योगदान से संबंधित प्रावधान का निर्धारण सरकार के नियमों/विनियमों के आधार पर किया जाता है और लेखा में प्रभारित होता है।

ड़) स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के अंतर्गत उपादान भुगतान ओर नोटिस वेतन के खर्च को वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

2.9 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए उधार लागत उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में निकाली जाती है। अन्य उधार लागतों की पहचान उन खर्चों के आधार पर की जाती है जिसमें वे किए जाते हैं। उधार/अपफ्रंट और अन्य समान खर्चों को वर्ष में पूंजीगत/प्रभारित किया जाता है।

2.10 आय पर कर

चालू वर्ष के लिए कर का निर्धारिण कर योग्य आय को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर की जाती है।

आस्थगित कर की पहचान आय और वर्ष की कर योग्य आय के बीच अन्तर पर की जाती है और संतुलन पत्र की तारीख से कर दरों और वास्तविक रूप से लागू कानूनी का परिणाम निर्धारित करता है। आस्थगित कर

परिसंपत्तियों की पहचान वास्तविक सुनिश्चितता की मात्रा पर की जाती है जो अस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है उनकी तुलना में पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय पर उपलब्ध होगी।

2.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां

देयताओं की पहचान का प्रावधान जहां दायित्व के निपटारे के लिए संभावित निःस्राव की संसाधनों की संभावना हो और दायित्व की राशि का सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है। इन देयताओं को लेखे के नोट्स में नहीं दिखाया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियां की न तो पहचान की जाती है और न ही वित्तीय विवरणों को दिखाया जाता है।

2.12 विविध

क) ट्रांजिट/पूंजी माल के कार्यों के निष्पादन के लिए दायित्व लेकिन लंबित, निरीक्षण और कॉर्पोरेशन द्वारा स्वीकार नहीं किए गए।

ख) स्वीकार करने के लिए विभिन्न मूल्य के दावे।

ग) वास्तविक वसूली के समय पहचाने गए हर्जाने।

घ) पूर्व और बाद की अवधि के लिए किए गए खर्चे/आय की मदों रू. 50,000/–और लेखे के प्रकृति शीर्ष में प्रभारित किये जाते हैं।

ड़) मोबाइल उपकरणों को राजस्व ऑफ के लिए चार्ज किया जाता है।

च) बीमा दावों को बीमा नीति के कवर किए जाने वाले हानि के प्रबंधन और आंकलन के आधार पर किया जाता है। यदि कोई कमी रहती है तो दावों का आपसी आधार पर निस्तारण किया जाता है। ठेकेदार द्वारा संबंधित ठेके के प्रावधानों के अंतर्गत इसे कंपनी के लेखे में नहीं लिया जाता है।

3. शेयर पूंजी

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
अधिकृत शेयर पूंजी 8,00,00,000 (गत वर्ष 8,00,00,000) इक्विटी शेयर 1000/– प्रति शेयर	800,000.00	800,000.00
	800,000.00	**800,000.00**
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत पूंजी 4,80,26,688 (गत वर्ष 3,71,56,688) इक्विटी शेयर 1000/– प्रति शेयर	4,80,266.88	3,71,566.88
	4,80,266.88	**3,71,566.88**

3.1 इक्विटी शेयरों के मिलन की संख्या

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार		31 मार्च 2015 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि लाख रुपयों में	शेयरों की संख्या	राशि लाख रुपयों में
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**371,56,688**	**3,71,566.88**	**270,77,400**	**2,70,774.00**
जमाः वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	108,70,000	1,08,700.00	100,79,288	1,00,792.88
वर्ष के अंत में शेष	**480,26,688**	**4,80,266.88**	**371,56,688**	**3,71,566.88**

3.2 कंपनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक धारण किए गए शेयर धारकों द्वारा शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार		31 मार्च 2015 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	धारण किए गए शेयरों का%	शेयरों की संख्या	धारण किए गए शेयरों का%
इक्विटी शेयरः				
भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय)	**480,26,688**	**100%**	**371,56,688**	**100%**

3.3 इक्विटी शेयरों के साथ संलग्न अधिकार एवं प्राथमिक शेयर

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों के रुप में केवल एक ही श्रेणी है जिनकी मूल्य 1000 रु. प्रति शेयर है। एक इक्विटी शेयर रखने वाले को एक वोट का अधिकार है। कंपनी की द्रव्यता के मामले में, शेयर धारक समस्त प्राथमिक राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों के लिए हकदार होंगे।

4. आरक्षित और अधिशेष

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
अधिशेषः शेष जोड़ः कर के बाद लाभ (चालू वर्ष)	11,010.62 6,319.83	7,272.35 3,738.27
	17,330.45	**11,010.62**
घटानाः अनुपातिक	–	–
शेष	**17,330.45**	**11,010.62**

5. शेयर आवेदन धन लंबित आबंटन

क) शेयर आवेदन धन के संबंध में सम मूल्य पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को रेल मंत्रालय से 31.03.2015 को प्राप्त किया गया था जिसकी प्राप्त राशि 1,08,700.00 लाख रु. उपर्युक्त आवेदन धन 08.05.2015 को प्राप्त किया गया था।

ख) कंपनी ने रेल मंत्रालय से 31.03.2016 को अंतिम अधिशेष रू. 2,85,560.41 शेयर आवेदन धन प्राप्त किए गए। 2,85,56,041 इक्विटी शेयर को उक्त वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आउटस्टेंडिंग राशि है। ऐसे शेयर आवेदन धन में से शेयरों के आबंटन पर शेयर पूंजी राशि को कवर करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकृत शेयर पूंजी है। दिनांक 31.03.2016 तक कोई शेयर आवेदन धन आबंटन ओवर ड्यू नहीं है।

6. दीर्घ कालीन उधार राशियां

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
अन्य से अवधि ऋण असुरक्षित ऋण		
ईएपी जायका–205 परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण	12,055.78	11,645.53
ईएपी जायका–209 परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण	1,63,932.98	73,159.84
ईएपी जायका–212 परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण	7,092.48	6,480.99
ईएपी जायका–229 परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण	3,876.19	–
ईएपी/आईबीआरडी परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण–8066	1,18,219.20	52,665.54
ईएपी परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी से ऋण–8318	22,041.20	156.59
योग	**3,27,217.83**	**1,44,108.49**

6.1 पुनर्भुगतान की शर्तें (ईएपी/जायका ऋण)

जायका से प्राप्त ऋण को वित्त मंत्रालय द्वारा सकल बजटरी सहायता से बाहरी सहायता प्राप्त घटकों के रुप में रेल मंत्रालय को दिया जा रहा है। इस राशि को डीएफसीसीआईएल को उन्हीं शर्तों पर ऋण के रुप में दिया जाएगा। रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2009/इन्फ्रां/3/1/26 भाग–1 दिनांक 06.02.2015 के स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण की अवधि 40 वर्ष है और ब्याज दर 7% और ऋण स्थगन अवधि 10 वर्ष है। स्थगन की अवधि के दौरान संचित ब्याज 10 वर्ष पूरे होने के बाद देय होगा। यह ब्याज साधारण ब्याज के रूप में होगा। जैसा कि केबिनेट ने अनुमोदन किया है कोई मूल पुर्नभुगतान नहीं होगा ऋण को जीबीएस के रूप में रेल मंत्रालय को देय होगा।

6.2 पुनर्भुगतान की शर्तें (ईएपी/आइबीआरडी ऋण)

6.2.1 भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से पुननिर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से 975 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण नं. आईडी–8066 इन प्राप्त करने के लिए दिनांक 27.10.2011 को ऋण करार किया है। जिसका उपयोग पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खुर्जा–भाऊपुर सेक्शन पर 343 कि.मी. के डबल ट्रैक विद्युतीकरण लाइन के संस्थागत विकास गतिविधियों और डिजाइन, निर्माण और शुरु करने के लिए किया जाएगा।

ऋण करार की शर्तों के अनुसार डीएफसीसीआईएल को परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रुप में चिन्हित किया गया है। डीएफसीसीआईएल ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए बैंक के साथ परियोजना करार किया है। इसके अतिरिक्त डीएफसीसीआईएल द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को डीएफसीसीआईएल को रेल मंत्रालय और डीएफसीसीआईएल के माध्यम से भारत सरकार के बीच एक सहायक ऋण करार के अंतर्गत उपलब्ध ऋण के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

ब्याज के साथ आईबीआरडी ऋण सं.आईडी–8066 इन का पुर्नभुगतान डीएफसीसीआईएल द्वारा मिलियन ऋण/ब्याज राशि के समकक्ष रूपयों में रेल मंत्रालय को किया जाएगा।

डीएफसीसीआईएल ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से 1100 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण के उपयोग के लिए दिनांक 11.12.2014 को आईबीआरडी के साथ दूसरा ऋण आईडी–8318 इन का करार किया है। इस ऋण का उपयोग सस्थागत विकास गतिविधियों और डिजायन, निर्माण और पूर्वी डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर के कानपुर–मुगलसराय सेक्शन पर 393 किमी. के डबल ट्रैक विद्युतीकृत रेलवे लाइन को शुरू. करने के लिए किया जाएगा। इस करार में भारत सरकार ने संप्रभु गांरटी दी है।

ब्याज के साथ ऋण का आईबीआरडी ऋण नं. आईडी–8318 का पुर्नभुगतान डीएफसीसीआईएल द्वारा मिलियन ऋण/ब्याज राशि के समकक्ष रूपयों में वर्ल्ड बैंक को किया जाएगा।

6.2.2 मूल के पुनर्भुगतान की शर्ते एवं विवरण

ऋण	पुनर्भुगतान की तिथि	पुर्नभुगतान की शर्त	पुर्नभुगतान की अवधि
आईबीआरडी ऋण (ईडीएफसी)–8066	नवम्बर 2018 से	अर्धवार्षिक	30 किश्तों में
आईबीआरडी ऋण (ईडीएफसी)–8318	मई 2021 से	अर्धवार्षिक	30 किश्तों में

7. अन्य दीर्घावधि देनदारियां

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
व्यापार देय अन्य		
ईएपी/जायका पर रेल मंत्रालय से प्राप्त ऋण पर न दिया जाने वाला उपार्जित ब्याज	17,521.77	8,574.76
(आपूर्तिकर्ता और सेवादाताओं से प्राप्त) जमा/रिटेंन्शन राशि	14,845.31	8,562.62
आग्रिम से प्राप्त आय	187.59	189.90
जमा क विरुद्व ग्राहकों से अग्रिम की प्राप्ति	5,561.52	5,561.52
अन्य अग्रिम प्राप्त	183.75	–
योग	**38,299.94**	**22,888.80**

8. दीर्घकालीन प्रावधान

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
(क) कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	302.92	205.20
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	600.96	263.36
छुट्टी यात्रा रियायत	127.99	89.04
(ख) अन्य प्रावधान	–	–
योग (क) + (ख)	**1,031.87**	**557.60**

8.1 कर्मचारी लाभ

क) उपदान

31.03.2016 तक, परिणत मूल्यांकन के अनुसार उपदान के दायित्व का प्रावधान रखा गया है।

उपदान का लाभ कर्मचारी को कंपनी से अलग होने पर मिलता है। उपदान का भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान की राशि का आधार सेवा की कुल अवधि और सेवा समाप्ति के समय वेतन के आधार पर होता है। इस लाभ में पांच वर्ष की निहित अवधि होती है।

सेवानिवृत्त लाभ (उपदान) पर वर्तमान कीमत के प्रारंभिक एवं समाप्ति शेषों के मिलान और आरोपित अवधि के दौरान प्रभाव निम्नलिखित हैं–

दायित्व के वर्तमान मूल्य में

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	213.38	109.93
ब्याज लागत	17.07	9.34
वर्तमान सेवा लागत	86.33	63.86
दिया गया लाभ	–	–
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	7.35	30.25
अंतिम अधिशेष	**324.13**	**213.38**

पहचान किए गए खर्चे

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
ब्याज लागत	17.07	9.34
वर्तमान सेवा लागत	86.33	63.86
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	7.35	30.25
पहचान किए गए खर्चे और विकास लेखे में स्थानान्तरित	**110.75**	**103.45**

संतुलन पत्र में पहचाने गए दायित्व में संचलन

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायित्व	213.38	109.93
उपयुक्त खर्चे	110.75	103.45
दिया गया लाभ	–	–
योजना संपत्तियों पर वास्तविक वापसी	–	–
अधिग्रहण समायोजन	–	–
स्मापन शुद्ध दायित्व	**324.13**	**213.38**
के अंतर्गत पहचाने गए:		
दीर्घकालीन प्रावधान	302.92	205.20
अल्पकालीन प्रावधान	21.21	8.19
योग	**324.13**	**213.38**

परिणत धारणाएं

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
मूल्यांकन की प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली
छूट की दर	8.00%	8.00:%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)

ख) छुट्टी नकदीकरण

दिनांक 31.03.2016 को बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के लिए छुट्टी नकदीकरण के दायित्व का प्रावधान कर दिया गया है।

जिन कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है और वे नकदीकरण के योग्य होते हैं उन्हें निश्चित सीमा एवं अन्य शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

दायित्व की वर्तमान राशि जिसमें प्रारंभिक और अंतिम शेष होता है, का मिलान किया जाता है और निम्नानुसार प्रत्येक अवधि के दौरान निश्चित किया जाता है।

दायित्व के मूल्य में प्रस्तुत करने के लिए बदलाव

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	286.94	160.09
अधिग्रहण समायोजन	–	17.24
ब्याज लागत	22.96	12.81
चालू सेवा लागत	218.57	117.66
पिछली सेवा लागत	125.51	–
लाभांश का भुगतान	(14.00)	(23.07)
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	16.97	2.21
अंतिम शेष	**656.95**	**286.94**

पहचान किए गए खर्चे

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
ब्याज लागत	22.96	12.81
पिछली सेवा लागत	125.51	–
चालू सेवा लागत	218.57	117.66
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	16.97	2.21
पहचान किए गए खर्चे और विकास लेखा में स्थानान्तरित किए गए	**384.01**	**132.68**

तुलनपत्र में पहचान किए गए दायित्व में संचलन

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
शुद्ध प्रारंभिक दायित्व	286.94	160.09
उपर्युक्तानुसार खर्च	384.00	132.68
लाभ का भुगतान	(14.00)	(23.07)
प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	–	–
अधिग्रहण समायोजन	–	17.24
शुद्ध अंतिम दायित्व	**656.94**	**286.94**
के अंतर्गत पहचाने गए:		
दीर्घ कालीन प्रावधान	600.96	263.36
अल्पकालीन प्रावधान	55.98	23.58
योग	**656.94**	**286.94**

परिणत धारणाएं

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
मूल्यांकन की प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली
डिस्काउंट दर:	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि दर:	6.00%	6.00%
मृत्यु दर:	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)

ग) छुट्टी यात्रा रियायत

दिनांक 31.03.2016 की अवधि के लिए बीमाकिंत मूल्यांकन के अनुसार बनाए गए छुटटी यात्रा प्रावधान। कर्मचारियों के अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की कुछ सीमाएं और शर्तें दी गई हैं। निम्नानुसार प्रत्येक प्रारभिंक और अतिंम अधिशेष का मिलान दिया गया है।

वर्तमान मूल्य में बदलाव की धारणां

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	92.12	79.68
अधिग्रहण समायोजन	–	–
ब्याज लागत	7.37	6.77
चालू सेवा लागत	83.89	53.24
लाभांश भुगतान	(7.65)	(4.83)
दायित्व पर बीमाकिंत (प्राप्ति)हानि हुई	(42.33)	(42.74)
अंतिम शेष	**133.40**	**92.12**

पहचाने गए खर्चे

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
ब्याज लागत	7.37	6.77
चालू सेवा कर	83.89	53.24
दायित्व पर बीमाकिंत हानि हुई	(42.33)	(42.74)
पहचाने गए खर्चे और विकास लेखे में स्थानान्तरित किए गए	**48.93**	**17.27**

तुलनपत्र में पहचान किए गए दायित्व में संचलन

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
शुद्ध प्रारंभिक दायित्व	92.12	79.68
उपर्युक्तानुसार खर्च	48.92	17.27
लाभ का भुगतान	(7.65)	(4.83)
प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	–	–
अधिग्रहण समायोजन	–	–
शुद्ध अंतिम दायित्व	**133.39**	**92.12**
के अंतर्गत पहचाने गए:		
दीर्घ कालीन प्रावधान	127.99	89.04
अल्पकालीन प्रावधान	5.40	3.08
योग	**133.39**	**92.12**

परिणत धारणाएं

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
मूल्यांकन की प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली
डिस्काउंट दरः	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि दरः	6.00%	6.00%
मृत्यु दरः	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)

9. अन्य चालू देनदारियां

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
1. बयाना राशि जमा	216.74	138.24
2. भूमि के लिए अग्रिम (एस एल ए ओ लेखा को स्थानांतरण के लिए लंबित)	2,683.12	3,382.70
3. जमा कार्य के विरुद्ध ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	6.48	6.48
4. सांविधिक देय	4,373.56	2,054.18
5. अन्य देय	37,911.19	31,718.04
6. विविध जमा (आपूर्तिकर्ता और सेवादाताओं से प्राप्त जमानत राशियां)	2,576.54	1,033.77
7. अग्रिम पर उपार्जित ब्याज	5.55	5.55
8. लम्बित समायोजन के लिए रेल मंत्रालय से राशि प्राप्त हुई	–	2,793.10
9. ब्याज उपर्जित लेकिन आईबीआरडी पर रेल मंत्रालय को देय नहीं	419.36	126.42
10. अन्य अग्रिम उपार्जित	205.00	–
योग	**48,397.54**	**41,258.48**

10. अल्पकालीन प्रावधान

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान		
उत्पादन के लिए प्रावधान	21.21	8.19
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	55.98	23.58
छुट्टी यात्रा रियायत	5.40	3.08
ख) अन्य प्रावधान		
आयकर 2015–16 (टीडीएस और एडवांस टैक्स के नेट)	**114.07**	**1.84**
योग (क) + (ख)	**196.66**	**36.69**

10.1 प्राप्त किए गए सेवा प्रभारों और जमा राशियों पर ब्याज के सबंध में प्रावधान किया गया है। यद्यपि ठेकेदार को मोबीलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है और परामर्शदाता से प्राप्त विचार के आधार पर पूंजी को हानि के रूप में वसूला जाता है। निर्माण स्तर पर एएस 22 के अनुसार आय पर कोई समायोजन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण से टिप्पणीयां

11. स्थाई परिसंपत्तियां

(लाख रूपये में)

परिसंपत्तियों का ब्लाक	सकल ब्लाक				अवमूल्यन				शुद्व ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2015 तक लागत	अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी/समायोजन	31 मार्च, 2016 तक लागत	1 अप्रैल, 2015 तक अवमूल्यन	वर्ष के लिए प्रभार	वर्ष के दौरान कमी	31 मार्च 2016 तक लागत	31 मार्च, 2016 की स्थिति	31 मार्च, 2015 की स्थिति
क) मूर्त परिसंपत्तियां										
1. फ्लेट (पट्टाधारी)	160.00	160.00	–	320.00	10.66	6.82	–	17.48	302.52	149.34
2. पट्टाधारी परिसर का सुधार	1,427.56	53.23	–	1,480.79	1,099.72	79.18	–	1,178.90	301.89	327.84
3. ईडीपी परिसंपत्तियां	634.22	294.24	50.09	878.37	363.02	172.89	42.80	493.11	385.26	271.20
4. कार्यालय उपस्कर	562.74	90.98	0.93	652.79	399.45	43.65	1.29	441.81	210.98	163.29
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर	387.31	87.60	7.46	467.45	119.42	55.68	0.41	174.69	292.76	267.90
6. मशीनरी	3.07	–	–	3.07	0.06	0.28	–	0.34	2.73	3.01
योग (क)	**3,174.90**	**686.05**	**58.48**	**3,802.47**	**1,992.33**	**358.50**	**44.50**	**2,306.33**	**1,496.15**	**1,182.58**
ख) अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. कंप्यूटर साफ्टवेयर	182.29	153.25	0.29	335.25	140.92	54.58	0.11	195.39	139.86	41.37
योग ख)	**182.29**	**153.25**	**0.29**	**335.25**	**140.92**	**54.58**	**0.11**	**195.39**	**139.86**	**41.37**
जोड़ (क) + (ख)	**3,357.19**	**893.30**	**58.77**	**4,137.72**	**2,133.25**	**413.08**	**44.61**	**2,501.72**	**1,636.01**	**1,223.95**
विगत वर्ष	**2,862.39**	**606.14**	**111.34**	**3,357.19**	**1,924.08**	**277.36**	**68.20**	**2,133.24**	**1,223.95**	**–**

नोटः

1. कंपनी ने कंपनी पॉलिसी नीति के 2.5 (ई) के अनुसार कंपनी ने विभिन्न प्रकार की पट्टाशुदा परिसंपत्तियों के अवमूल्यन, विभिन्न पट्टा अवधि के लिए विभिन्न लोकेशनों पर पट्टाशुदा परिसर लिए हैं।
2. स्थायी परिसंपत्तियों की प्रकृति और राशि को ध्यान में रखते हुए निर्माण चरण के दौरान, परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 03 वर्ष में एक बार किया गया है।
3. कंपनी के आकार और वित्तीय प्रभावों, पर विचार करते हुए स्वतंत्र मूल्य की परिसंपत्तियों रू. 5000/– अथवा कम को वर्ष में खरीद के लिए पूर्णतः अवमूल्यन किया जाता है।
4. कंपनी के पक्ष में फ्लैट की राशी रू. 320 लाख के संबंध में लीज दस्तावेज को अभी निष्पादित किया जाना है।

ग) पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	31 मार्च, 2016 को प्रारंभिक शेष
1. मिट्टी कार्य	25,780.66	2,793.59	–	–	28,574.25
2. पुल जो निमार्णधीन है	1,41,906.83	33,614.51	–	839.44	1,74,681.90
3. ट्रेक्स	38,031.53	1,68,024.12	–	1,136.26	2,04,919.39
4. अन्य परियोजना व्यय	55,683.60	20,642.67	–	652.87	75,673.40
5. फारमेशन	170.72	17.67	–	12.50	175.89
6. उप शीर्ष विद्युत उपस्कर	81.11	2,131.06	–	–	2,212.17
7. प्रतिपूरक वनीकरण खर्च	2,185.69	8,298.28	–	37.79	10,446.18
8. ठेकेदार को जारी सामग्री	10,396.39	165.46	–	10,561.85	–
9. निर्माण अवधि के दौरान खर्चे नोट 19 (लंबित लेखा विकास पूंजीकरण)	52,973.35	28,059.35	–	–	81,032.70
कुल ग)	**3,27,209.88**	**2,63,746.71**	**–**	**13,240.71**	**5,77,715.86**

घ) विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियां

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	31 मार्च, 2016 को प्रांरभिक शेष
1. मूर्त					
1. लीज होल्ड सुधारों की प्रगति	8.18	88.59	96.77	–	–
2. इंस्टॉल की जाने वाली वातानुकूलित प्रणाली की प्रगति	10.81	–	10.81	–	–
कुल (1)	**18.99**	**88.59**	**107.58**	**–**	**–**
2. अमूर्त					
आईटी सोफ्टवेयर की प्रगति	911.88	84.26	–	6.60	989.54
कुल (2)	**911.88**	**84.26**	**–**	**6.60**	**989.54**
कुल घ)	**930.87**	**172.85**	**107.58**	**6.60**	**989.54**

12. दीर्घवधि ऋण एवं अग्रिम

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
क) पूंजी अग्रिम		
a) प्रतिभूत समझा गया माल		
1. संचलन अग्रिम (डीएफसीसीआईएल के पक्ष में यंत्र और संयत्र के गिरवी रखने के विरुद्ध)	3,080.79	3,734.84
b) असुरक्षित समझा गया माल		
1. यूटीलिटी की शिफ्टिंग और पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम	2,28,583.39	1,79,047.00
2. आरओबी/आरयूबी के लिए अग्रिम	36,152.20	–
3. पूंजीगत और अन्य कार्य के लिए अग्रिम	27,190.77	1,876.44
4. मोबिलाइजेशन अग्रिम	1,53,939.91	98,969.29
कुल क)	**4,48,947.06**	**2,83,627.57**
ख) जमानत राशि		
असुरक्षित तुलनात्मक		
1. जमानत राशि–विद्युत	32.95	32.60
2. जमानत राशि–लीज किराया	86.18	75.58
3. टेलीफोन एवं अन्य के विरुद्ध जमानत राशि	1.52	1.36
4. पेड़ों को काटने के विरुद्ध जमानत	55.49	36.08
5. ब्याज सहित अन्य जमाएं	287.83	265.43
कुल ख)	**463.97**	**411.05**
ग) अन्य		
कर्मचारियों को अग्रिम ( )	18.14	–
आयकर और टीडीएस अग्रिम (प्रावधान का नोट)	305.08	440.50
कुल ग)	**323.22**	**440.50**
कुल (क+ख+ग)	**4,49,734.25**	**2,84,479.12**

विगत वर्षों में लंबित आंकलन/रिफण्ड के लिए यह आयकर अग्रिम और टीडीएस (आयकर के लिए नेट प्रावधन) के रू. 305.08 लाख (पिछले वर्ष रू. 440.50 लाख) को दर्शाती है।

12.1 कंपनी ने विभिन्न पार्टीयों को विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए और निर्माणाधीन फ्रेट कोरीडोर्स के लिए यूटिलिटी की शिफ्टिंग के लिए अग्रिम दिए हैं। इस तरह के कुल अग्रिम (31.03.2016 को नोट सं. 12ए बी (I))(II) रू. 2,91,926.35 लाख (पिछले वर्ष रू. 1,80,923.44 लाख) हैं। विभिन्न स्तरों पर कार्य प्रगति पर है और संबंधित पार्टीयों द्वारा संबंधित कार्य के पूरा होने पर सीडब्लयूआईपी के लिए इसकी गणना की जाएगी।

13. नकदी और बैंक बैलेंस

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) नकद एवं नकद समकक्ष बैंक शेष		
– चालू और फ्लेक्सी खातें	17,479.84	17,046.45
–तीन माह के मेच्योरिटी के साथ जमा	1,42,700.00	66,000.00
खाते अथवा हस्तगत चेक	11.09	21.96
ख) अन्य बैंक शेष		
तीन माह के मेच्योरिटी के साथ जमा खाते	–	–
– सुरक्षा के रुम में गिरवी स्थायी जमा खाते	416.34	416.34
योग (क) + (ख)	**1,60,607.27**	**83,484.75**

13.1 रेल मंत्रालय के आधार पर चालू खाते और फलैक्सी में बैंक जमा रू. 2,683.12 लाख (पिछला रू. 3,382.70 लाख) सम्मिलित है।

14. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) अन्य ऋण एवं अग्रिम		
i कर्मचारी अग्रिम	12.34	15.16
ii पूर्व भुगतान किए गए खर्च	19.65	12.26
iii सेवा पर इनपुट क्रेडिट	91.26	113.15
iv जमानत राशि एनडीएससी	9.98	10.33
v अन्य	58.70	29.95
कुल	**191.93**	**180.85**

14.1 निदेशको को दिनांक 31.03.2016 को अग्रिम की देनदारी नहीं है (विगत वर्ष की भी कोई नहीं)

15. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) स्थायी जमा और जुटाए गए अग्रिम और अन्य पर अर्जित ब्याज		
i बैंकों के खातों में जमा	2,193.71	385.39
ii जुटाए गए अग्रिम	1,588.46	664.09
ख) भूमि अधिग्रहण पर खर्च–रेल मंत्रालय से वसूलने योग्य	2,084.26	355.41
ग) पेट्स सर्वे पर खर्च–रेल मंत्रालय से वसूलने योग्य	1,355.30	974.47
घ) कर्मचारी से वसूलने योग्य	3.45	3.38
ड़) ठेकेदारों/परामर्शदाताओं से वसूलने योग्य	16.83	5.10
च) अन्य वसूलने योग्य (उप पट्टे के लेखे पर वसूलने योग्य किराया और सुविधा प्रबंधन प्रभार आदि को प्रदर्शित करता है)	184.47	228.61
छ) कर्मचारियों के लिए हस्तगत गोल्ड/सिल्वर प्राचीन पदक	0.24	1.69
कुल	**7,426.72**	**2,618.14**

15.1 भूमि अधिग्रहण पर खर्च

क) रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कंपनी परियोजना के लिए रेल अधिनियम 1989 रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अंतर्गत रेल मंत्रालय की ओर से रेल मंत्रालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी के साथ भूमि अधिगृहीत कर रही है। कंपनी की भूमि के मूल्य का 6% की दर से कंपनी को पट्टा दिया जाएगा। पट्टा किराया चालू होने की तिथि से शुरू. किया जाएगा। भूमि के अधिग्रहण के लिए रेल मंत्रालय ने अलग बैंक खाते खोल दिए गए हैं जिसे संयुक्त रूप से राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी तथा कंपनी द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। ये बैंक खाते कंपनी का हिस्सा नहीं है।

ख) इसके साथ भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान रेल मंत्रालय द्वारा दी गई राशि से किया जाता है। (क) कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के प्रशासनिक खर्च और सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है।

16. अन्य आय

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) ब्याज आय		
एफ डी आर पर ब्याज	9,869.17	5,635.78
कुल क)	**9,869.17**	**5,635.78**
ख) अन्य गैर परिचालन आय		
विविध आय	6.86	2.02
उप पट्टे पर किराये की वसूली (नीचे नोट सं. 16.1 देखें)	274.24	499.17
उप लीज से वसूल किया गया हाउसकीपिंग खर्च	15.45	25.28
उप लीज से वसूल से किया गया कार्यालय सुरक्षा खर्च	20.01	40.60
उप लीज से वसूल किया गया कार्यालय विद्युत खर्च	25.57	55.26
उप लीज से वसूल किया गया वार्षिक अनुरक्षण प्रभार	6.03	14.75
प्राप्त किया गया कंपाजिट किराया एवं सुविधा प्रबंधन प्रभार	236.17	182.35
कुल ख)	**584.33**	**819.43**
ग) घटाएंः प्रत्यक्ष खर्च		
हाउसकीपिंग खर्च	13.73	21.38
किराया	274.24	499.17
कंपोजिट किराया एवं सुविधा प्रबंधन खर्च	162.47	141.91
कार्यालय सुरक्षा खर्च	17.78	34.33
कार्यालय विद्युत खर्च	22.73	46.73
वार्षिक अनरक्षण प्रभार	5.37	12.49
कुल ग)	**496.32**	**756.01**
(घ) शुद्ध अन्य गैर परिचालन आय { (ख) – (ग) }	**88.01**	**63.42**
शुद्ध अन्य आय { (क) + (घ) }	**9,957.18**	**5,699.20**
घटानाः विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	–	–
शेष (लाभ एवं हानि विवरण में स्थानान्तरित)	**9,957.18**	**5,699.20**

16.1 उप पट्टा

31.03.2016 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए उप पट्टा वसूलने योग्य राशि रु. 274.24/– लाख है (गत वर्ष रु. 499.17/–लाख)।

17. कर्मचारियों के लाभ के लिए खर्च

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी और भत्ते	7,683.45	6,028.39
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	319.75	293.22
उपदान, पीएफ और पेंशन एवं योजना में अंशदान (प्रशासनिक फीस हेतु)	417.43	322.50
कर्मचारी कल्याण	476.34	356.00
कुल योग	**8,896.97**	**7,000.11**
कमीः विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	**8,896.97**	**7,000.11**
शेषः लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित	–	–

17.1 एएस–15 की शर्त पर प्रकटीकरण निम्नानुसार है

परिभाषित की गई अंशदान योजना

पहचाने गए विकास खर्चे अंशदान योजना में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

– कर्मचारी का भविष्यनिधि अंशदान	283.40	199.80

17(क) वित्तीय लागत

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
खर्च पर ब्याज	8,947.00	5,767.60
ई ए पी / जायका ऋण पर ब्याज	856.46	264.33
आई बी आर डी ऋण पर ब्याज	–	16.32
आयकर पर ब्याज	376.33	1,332.06
अग्रिम शुल्क	266.94	–
गारन्टी फीस	–	–
अन्य उधार लागत	–	–
ब्याज लागत में समायोजन से संबंधित विभिन्न बदलाव	4,922.52	1,684.16
	–	–
कुल	**15,369.25**	**9,064.47**
कमीः विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	**15,369.25**	**9,064.47**
शेषः लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित	**–**	**–**

नोटः

उधार लागत पर लेखा मानक 16 के पैरा 4(घ) के अनुपालन में ब्याज लागत से संबंध में विनिमय अंतर की मात्रा के निर्धारण के उद्देश्य के लिए, स्थानीय उधार करेंसी पर ब्याज की गणना 7% की दर से की गई है जो कि रेल मंत्रालय से डीएफसीसीआईएल को उधार राशियों के लिए उपलब्ध है।

17(ख) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 को 31 मार्च 2016 समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को 31 मार्च 2015 समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास–ई डी पी परिसंपत्तियां	217.35	90.49
मूल्यह्रास–कार्यालय उपकरण	49.71	157.72
मूल्यह्रास–फर्नीचर एवं फिक्सचर	55.68	(33.51)
मूल्यह्रास–पट्टाधारी सुधार	79.18	57.28
मूल्यह्रास–पट्टाधारी फ्लेट	6.82	5.33
मूल्यह्रास–संयंत्र एवं मशीनरी	0.28	0.06
कुल	**409.02**	**277.37**
कमीः विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	**409.02**	**277.37**
शेषः लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित	–	–

17(ग) अन्य खर्च

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन खर्च	341.18	220.68
संचार व्यय	105.79	93.09
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	135.89	122.59
विविध खर्च	70.18	43.81
पुस्तकें और पत्रिकाएं	2.57	2.41
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	158.63	104.25
डायरेक्टर सीटिंग फीस	–	2.02
परामर्शदाताओं को परामर्श फीस	134.15	127.83
नियुक्ति परामर्श प्रभार	415.77	260.95
भर्ती प्रभार	1.10	470.23
बिजली खर्च	117.89	83.18
पावर एवं इधन	3.54	7.13
रखरखाव खर्च	321.26	303.15
लेखा परीक्षा शुल्क'	16.72	13.79
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी	167.98	32.27
बैठक और सम्मलेन	51.71	43.96
दर एवं कर	112.03	102.04
किराया''	1,590.38	1,324.94
दौरे, यात्राएं और सवारी भत्ता	2,172.11	1,659.96
संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण खर्च	380.81	230.95

मरम्मत और अनुरक्षण–अन्य	118.61	86.98
वार्षिक अंशदान शुल्क–सूचना तकनीक परामर्श एवं सॉफ्ट्वेयर	6.92	1.94
कार्यालय खर्च	41.71	14.76
मेहमाननवाजी खर्च	17.68	13.22
कार्यालय सुरक्षा व्यय	215.08	68.32
सेवा कर / टीडीएस पर ब्याज	–	2.37
विदेशी मुद्रा खर्च	7.57	2.25
योग	**6,707.26**	**5,439.07**
कमीः विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	**6,539.28**	**5,406.80**
शेषः लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित	**167.98**	**32.27**
'सांवैधिक लेखा परीक्षकों का भुगतान		

***संविधिक लेखा परीक्षक शुल्क**	**9.78**	**9.22**
लेखा परीक्षक कर शुल्क	2.26	2.19
खर्चों की प्रतिपूर्ति (अवधि के दौरान भुगतान किए गए)	1.02	0.08
पॉकेट खर्च के बार खर्च का प्रावधान	1.41	0.37
अन्य लेखा परीक्षा शुल्क (ईडीएफसी–I–आई लेखा परीक्षा)	1.96	1.93
अन्य लेखा परीक्षा शुल्क (ईडीएफसी–II–आई लेखा परीक्षा)	0.29	–
	16.72	**13.79**

** पट्टा किराया

कंपनी ने अपने कार्पोरेट कार्यालय के लिए परिसर एवं गेस्ट हाउस के लिए लीजिंग की महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। यह लिजिंग व्यवस्था निरस्त नहीं की जाती है, आपस विचार विमर्श से नवीनीकरण किया जाता है। कार्यालय एवं गेस्ट हाउस के लिए लीज के भुगतानों को किराया में दर्शाया गया है।

31.03.2016 अवधि के लिए लेखे में दर्शाये गए पट्टे का भुगतान रु. 1,590.38/–लाख है। (गत वर्ष रु. 1,324.94/–लाख है)

17(ग)–1 उप पटट्ा और समग्र किराये से वसूली का विवरण

खर्च की प्रकृति	कुल खर्च	उप पटटा से वसूली (नोट सं.16 के पाइंट ग से संबंद्व)	समग्र किराये से वसूली	कुल खर्च (नोट सं. 17 ग से संबंद्व)
किराया	2,002.10	274.24	137.48	1,590.38
बिजली खर्च	147.64	22.73	7.02	117.89
हाउसकीपिंग खर्च	343.77	13.73	8.78	321.26
मरम्मत एवं अनुरक्षण	125.93	5.37	1.95	118.61
कार्यालय सुरक्षा खर्च	240.10	17.78	7.24	215.08
कुल	**2,859.54**	**333.85**	**162.47**	**2,363.22**

18. अवधि पूर्ण समायोजन

(लाख रूपये में)

क्र.स.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	परामर्श शुल्क	0.75	7.93
2.	बैठक खर्च	3.06	–
3.	विद्युत खर्च	–	0.29
4.	गाड़ियो का किराया	1.03	4.14
5.	अवधि पूर्व विविध समायोजन	–	2.94
6.	अवधि पूर्व परामर्श–आईटी	7.26	–
7.	परामर्श सेवा खर्च	0.55	22.83
8.	दौरा, यात्राएं और वाहन	6.07	1.63
9.	सेमिनार एवं प्रशिक्षण खर्च	–	(29.45)
10.	व्यावसायिक प्रभार	–	5.31
11.	वेतन, मजदूरी और भत्ते	125.51	(1.02)
12.	विदेश सेवा योगदान	–	12.99
13.	सुरक्षा प्रभार	–	(0.97)
14.	किराया	(1.39)	0.59
15.	ऋण पर ब्याज	–	(4.63)
16.	ऋण पर खपत जमा ब्याज	–	(16.23)
17.	मूल्यह्रास	3.64	–
	योग	**146.48**	**6.35**
	कमीः विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	**146.48**	**6.35**
	शेषः लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित	**–**	**–**

19. विकास लेखा (लंबित पूजीकरण)

(लाख रूपये में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
कर्मचारी कल्याण खर्च	17	8,896.97	7,000.11
वित्तीय लागत	17 क	15,369.25	9,064.47
ह्रास एवं परिशोधन खर्च	17 ख	409.02	277.37
अन्य खर्च	17 ग	6,539.28	5,406.80
समायोजन पूर्व अवधि	18	146.48	6.35
कुल (क)		**31,361.00**	**21,755.10**
घटाएं:			
निर्णीत हर्जाना (एल डी ए)		1,918.30	302.67
संचलन अग्रिम पर ब्याज		1,385.50	1,838.90
अग्रिम उपभोग जमा पर ब्याज		22.40	29.21
कर्मचारियों के अंग्रिम पर ब्याज		0.93	–
ठेकेदारों से नकद छूट		0.72	233.95
भर्ती शुल्क प्राप्त		186.28	77.17
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		0.69	32.21
विदेशी मुद्रा घट/बढ़		(326.52)	209.62
सुरक्षा जमा / ईएमडी जब्त		6.06	14.70
डीएंडजी, पर्यवेक्षण और प्लांट अनुमानन		5.85	7.44
प्राप्त प्रभार			
निविदा की बिक्री		40.40	22.61
कुल (ख)		**3,240.61**	**2,768.48**
कुल खर्च (क–ख)		28,120.39	18,986.62
लाभ–हानि के विवरण से स्थानान्तरित लाभ			
पूंजीगत कार्यों में प्रगति के लिए स्थानान्तरित		61.04	45.92
पूंजी कार्य प्रगति में कुल स्थानान्तरित (सीडब्ल्यूआईपी)		**28,059.35**	**18,940.70**

20.(क) आकस्मिक देनदारियां

(लाख रूपये में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
कंपनी द्वारा पूंजीगत कार्यों के संबंध में दावों को स्वीकार नहीं किया गया	34,805.54	31,796.38
विवादित आयकर की मांग	119.08	705.87
योग	**34,924.62**	**32,502.25**

ख) उपर्युक्त आकस्मिक देनदारियों में सेवा मामलों एवं अन्य मामलें की आकस्मिक देनदारियां सम्मिलित नही हैं जहां राशि की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

ग) यह किसी भी प्रभाव से सम्बन्धित अनिश्चितताओं को प्रकट करने के लिए साध्य नहीं है।

घ) भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित विभिन्न रूपों में न्यायिक निर्णय के लिए काफी मामलें लंबित चल रहे हैं। चूकि भूमि अधिग्रहण को कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में किया जाता है। कंपनी न्यायिक निर्णय प्राधिकारियों की उपुर्यक्त निर्णय के अधीन है।

21. 29–लेखा मानक के अनुसार, प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है

(रू. लाख में)

विवरण	ग्रेच्यूटी	छुटटी नकदीकरण	छुटटी यात्रा रियायत	आयकर
प्रारंभिक शेष	213.38	286.94	92.12	1.84
वर्ष के दौरान जोड़ी गई	110.75	384.00	48.92	3,408.33
प्रयोग/खर्च की गई राशि	–	14.00	7.65	3,296.10
अप्रयुक्त राशि घटाई गई	–	–	–	–
अधिशेष	**324.13**	**656.94**	**133.39**	**114.07**

22. पूंजी वचनबद्धता

पूंजी खाते पर पूरे किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया 24,70,940.11 लाख रु. (गत वर्ष 10,00,720.72 लाख रु.)

23. शेष राशि के अंतर्गत ठेकोदारों को जारी सामग्री,वसूली योग्य दावे,पूंजीगत खर्चों के लिए अग्रिम, ठेकोदारों को अग्रिम, रेल मंत्रालय से वसूली/देनदारी, ठेकेदारों से विविध लेनदेन और जमा/बयाना राशि और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन होते हैं।

24. हमारे विचार में प्रबंधन ने व्यापार के सामान्य रूप में वसूली में मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिम के मूल्य जो संतुलन पत्र में दिए गए है जिस पर मूल्य कम नहीं होगा।

25. 31 मार्च,2016 को समाप्त अवधि में विदेशी विनिमय का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है:

(लाख रूपये में)

		31 मार्च 2016 को समाप्त	31 मार्च 2015 को समाप्त
1.	विकास खाते में प्रभारित की गई राशि (उधार लागत के रूप में)	4922.52	1684.16
2.	विकास खाते में प्रभारित की गई राशि (एफईआरवी के रूप में)	326.52	(209.62)

26. वर्ष के दौरान पूंजीगत उधार की लागत की राशि रू. 15,369.25 लाख (विगत वर्ष रू. 9,048.15 लाख) को विकास खाते में स्थानान्तरित किया जाता है।

27. 31.03.2016 वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण खाता पॉलिसीयो को परिवर्तित/संशोधित/शुरू. किया गया।

महत्वपूर्ण खाता पॉलिसी	विवरण	खातों पर प्रभाव
पॉलिसी सं. 2.5 (बी)	रेलवे परिसंपत्तियों के अवमूल्यन के उद्देश्य के लिए भारतीय रेलवे वित्त कोड के पैरा 219 में वर्णित उपयोग जीवन के उपयोग के तथ्य को दर्शाने वाली पॉलिसी हे।	चालू वर्ष के लिए 20.71 लाख रूपये द्वारा कम किया गया है।

28.

क) कंपनी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के पूर्वी और पश्चिम सेक्शन से संबंधित कार्य के लिए निर्माणाधीन स्तर पर है। परिचालन अभी शुरू. नहीं हुआ है और वर्ष के दौरान कोई परिचालन आय नहीं हुई हैं। इसलिए लाभ एवं हानि खाता केवल गैर परिचालनिक आय जैसे बैंक जमा और सेवा प्रभारों पर ब्याज और उप पट्टे पर उपलब्ध सुविधा प्रबंधन सेवाओं पर कंपनीज एकाउन्टिंग मानक नियम 2006 सेवा प्रभाव आय के लिए तैयार किया जा रहा है। उपर्युक्त को खाता मानक–17 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सेंगमेट रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) चूंकि कंपनी देश के अंदर फ्रेट कोरीडोर का निर्माण कर रही हैं, जियोग्राफिकल सेगमेंट भी लागू नहीं हैं।

29. लेखा मानक 18 के अनुपालन में अधिसूचित पार्टी प्रकटीकरण से संबंधित अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है।

क) मुख्य प्रबंधन अधिकारी

श्री आदेश शर्मा	प्रबंध निदेशक
श्री एच. डी. गुजराती	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)
श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक (परियोजना नियोजन)
श्री एम. के. मित्तल	निदेशक (वित्त)
श्री डी. एस. राणा	निदेशक (अवसंरचना)
सुश्री मीनू कपूर	कंपनी सचिव

ख) संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेने का विवरण निम्नलिखित है:

मुख्य प्रबंधन अधिकारियो को रू. 148.51 लाख का पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (विगत वर्ष रू. 136.32 लाख) था और दिनांक 31.03.2016 को कंपनी की देनदारी कोई नहीं है। (विगत वर्ष में भी कोई नहीं थी)

30. प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर आय की गणना (बुनियादी एंड डायलूटेड) निम्नानुसार है।

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
अंश के रूप में प्रयोग के बाद शुद्ध आय (लाख रूपये में)	6,319.84	3,738.26
विभाजक के रूप में इंक्विटी शेयरों के भारक की संख्या		
बुनियादी –	4,69,27,808	3,51,40,830
डायलूटेड –	4,81,04,710	3,71,86,469
प्रति शेयर आय बुनियादी –	13.47	10.64
प्रतिशेयर आय डायलूटेड –	13.14	10.05
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपयों में)	1,000	1,000

31. विदेशी मुद्रा में आय/खर्च

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2016 को वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
आय	**छपस**	**छपस**
खर्च:		
ब्याज	853.34	264.32
प्रोफेशनल और परामर्श शुल्क	3,757.63	5,611.34
सविदात्मक भुगतान	37,552.20	8,195.40
अन्य	**69.81**	**60.68**

32. वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसार) के लिए रू. 135.00 लाख के खर्च का अनुमोदन प्रदान किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर रू. 167.98 लाख रूपये खर्च किये हैं।

(रू. लाख में)

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल योग
किसी परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण	निल	निल	निल
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए	130.42	37.56	167.98
कुल योग	**130.42**	**37.56**	**167.98**

33. सूक्ष्म, छोटे और माध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के सेक्शन 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित है।

(लाख रूपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त	31 मार्च 2015 को समाप्त
i	सूक्ष्य, छोटे और मध्यम उपक्रम को शेष मूल अभुगतान राशि	कोई नहीं	कोई नहीं
ii	उपर्युक्त (i) के ऊपर मूल राशि पर प्राप्त ब्याज	कोई नही	कोई नहीं
iii	वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई ब्याज की राशि, 15 दिन से ऊपर अवधि के लिए मूल राशि के भुगतान पर की गई ब्याज राशि अथवा डिलीवरी तारीख/सेवाओं को देने की तिथि से तय की गई राशि इसमें सम्मिलित है	कोई नहीं	कोई नहीं
iv	वित्तीय वर्ष के दौरान मूल पर देय ब्याज लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया है	कोई नही	कोई नहीं
v	आगे देय ब्याज की राशि और उत्तरवर्ती अवधि जब तक की उपर्युक्त पर वास्तविक छूट के रूप से ब्याज का भुगतान नहीं हो जाता है	कोई नहीं	कोई नहीं

34. डीपीई के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–VII/09 दिनांक 02.04.2009 के पैरा 2(iii) के अंतर्गत रेल मंत्रालय द्वारा सेवा निवृत्त योजना लंबित है, उपरोक्त इविड ए एस के अंतर्गत ए एस–29 के सृजन के प्रावधान के लिए रेल मंत्रालय का पेंशन एवं सेवा निवृत्त उपरांत लाभों के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

35. वित्तीय विवरणों के आंकड़े लगभग रू. लाख है। गत वर्ष के आकंडो/प्रारंभिक शेष को पुनः समूहीकृत/व्यवस्थापित/रि–कॉस्ट जो भी आवश्यक थे, किया गया है।

इस विवरण का उल्लेख हमारी उक्त रिपोर्ट में किया गया है।

कृते बावेजा एंड कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म रजि.नं.05834 एन

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
सीए साक्षी कौल धर
सदस्यता सं. 514325

ह/–
(आदेश शर्मा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 7022393

ह/–
(एम के मित्तल)
निदेशक/वित्त
डीआईएन– 2889021

ह/–
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव एसीएस–18954

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.06.2016

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुतः

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2016 के संतुलन पत्र तथा उसके साथ सबंद्ध उसी तिथि को समाप्त कॉर्पोरेशन के विकास व्यय लेखे का लेखा और लेखा नीतियों और व्याख्यात्मक सूचना सारांश का परीक्षण कर लिया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की निदेशक मंडल की है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) की संदर्भित लेखा मानको एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार लेखा सिद्धान्तों के अनुसार इसमें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7, अधिनियम के सेक्शन 133 के दिए गए लेखा मानको सहित कंपनी के कैश फ्लो और वित्तीय निष्पादन, वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सत्य और स्वच्छ जानकारी दें। जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम में दिए गए प्रावधनों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखा रिकार्ड को रखना और धोखाधड़ी और अन्य अनियमिताओं को रोकने, उपयुक्त लेखा नीतियों के आवेदन और चयन, निर्णय और आंकलन को बनाने डिजायन, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण और संबंधित आंतरिक कन्ट्रोल को तैयार कर अनुरक्षण करने और उसका कार्यान्वयन सम्मिलित है ताकि वह सत्य और स्वच्छ और निष्पक्ष विचार दे सकें और धोखाधड़ी या गलती के लिए गलत बयान से मुक्त हो सकें।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना है। हमने खाते में अधिनियम के प्रावधानों, लेखा ओर लेखा परीक्षण मानको को लिया है, और आवश्यक होता है तो अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाता है।

हमने लेखा परीक्षण को अधिनियम के सेक्शन 143(10) के अंतर्गत मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों में अपेक्षाकृत है कि हम यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण गलत सामग्री से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के समर्थन में उल्लिखित प्रमाण की एक परीक्षण के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल होना है। क्या धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों के गलत जोखिम का आंकलन जिसमें लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित चुनिन्दा प्रक्रियायें शामिल होती है, इन जोखिम आंकलनों को बनाते समय, लेखा परीक्षक द्वारा उचित परिस्थितियों में लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के क्रम में वित्तीय विवरणों की स्वच्छ और कंपनी के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया जाता है। प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्वांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल

होता है। एक लेखा परीक्षा भी इस्तेमाल लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखा की तर्कसंगतता का मूल्यांकन भी प्रबंधन के साथ शामिल होता है। वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा में हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार उपलब्ध है।

योग्य विचार

हमारे विचार और हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार योग्य विचार पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना सत्य और स्वच्छ है तथा तर्कसंगत हैं तथा सामान्यतया भारत में मूल खातों, 31 मार्च, 2016 को कंपनी के मामलों और उसके लाभ और वर्ष के अंत में उस तारीख के लिए नकद प्रवाह के साथ स्वीकार की जाती है।

प्रमुख मामले

निम्नानुसार ध्यान आकर्षित किया जाता है।

1. टिप्पणी संख्या 23 के संबंध में ठेकेदारों को जारी सामग्री, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत खर्च के लिए अग्रिम, ठेकेदारों को अग्रिम, रेल मंत्रालय को/से वसूलीयोग्य/देय, सन्ड्री क्रेडिटर्स और ठेकोदारों से जमाओं/धरोहर राशि सुलह/पुष्टि और संबंधित परिणामी समायोजन को दर्शाया गया है, की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे विचार में उपर्युक्त प्रमुख मामले के अंतर्गत वर्णित योग्य विचार नहीं है।

कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की आवश्यकता अनुसार अधिनियम, की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधन में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में वर्णित मामलों में विवरण को अनुलग्नक ''क'' के साथ संलग्न करते हैं।
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के संबंध में भारत के महानिदेशक लेखा परीक्षक ने परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए है, का अनुपालन अनुलग्नक ''ख'' में किया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं:
   - क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
   - ख) हमारे विचार में जहां तक पुस्तिकाओं के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है, कपंनी द्वारा जैसा कि कानून अपेक्षित है, लेखों की सभी बहियां उचित ढंग से रखी गई हैं।
   - ग) कपंनी का संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह को लेखा बहियों से पूरी तरह मेल खाता है।
   - घ) हमारे विचार में उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत वर्णित लेखा मानको का अनुपालन करता है, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 को पढ़ा जाए।
   - ड़) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में दिनांक 5 जून 2015, जी एस आर संख्या 463(ई) की अधिसूचना, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इन नियंत्रणों की परिचालनिक प्रभावशीलता के संबंध में अलग से रिपोर्ट अनुलग्नक ''सी'' पर दी गई है और

छ) अन्य मामलों के संबंध में (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, हमारे विचार और हमें प्राप्त अच्छी जानकारी और में दी गई टिप्पणी के अनुसार लेखा परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाना है।

i कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्मों के प्रभाव का खुलासा कर दिया है। वित्तीय विवरणों के लिए संदर्भित नोट–20।

ii कंपनी ने लेखा मानको अथवा लागू कानून के अंतर्गत, व्युत्पन्न ठेकों सहित दीर्घ कालीन अवधि के ठेके पर होने वाले नुकसान के लिए आवश्यक प्रावधान कर दिए हैं।

iii निवेशक शिक्षा ओर फंड सुरक्षा की राशि को स्थानान्तरित करने का प्रावधान कंपनी पर लागू नही होता।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 005834 एन

ह/–
सीए साक्षी कौल धर
पार्टनर
सदस्यता सं. 514325

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.06.2016

31 मार्च, 2016 के समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सदस्य डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिडेड की हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के सेक्शन (अन्य कानूनी ओर रेगुलेटरी आवश्यकताऐं) के सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में वर्णित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–''ए''

i

क) कंपनी ने सामान्य रुप से अपनी अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति और संख्यात्मक ब्योरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

ख) कंपनी के पास अपनी अचल संपत्तियों को तीन वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से भौतिक सत्यापन के लिए एक नियमित कार्यक्रम होता है। यद्यपि वर्ष के दौरान इन अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करवाती है इसके लिए वर्ष 2014–2015 में कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। हमारे विचार में कंपनी के साइज और परिसंपत्तियों की प्रकृति के साथ यह आवधिक भौतिक सत्यापन उचित है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान निश्चित अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और बुक रिकार्ड सत्यापन में कोई अनियमितता नहीं पायी गई।

ग) प्रबंधन और हमारे कंपनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास दो लीज होल्ड फ्लेट जिनकी कीमत 320 लाख रूपये है, को छोड़कर कोई अचल संपत्ति नहीं है, जिसका वित्तीय विवरण के नोट नं.11 में दिया गया है जो कि लीज होल्ड डीड का निष्पादन किया जाना अभी शेष है।

ii कंपनी को डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के अनुरक्षण और रनिंग के लिए निगमित किया गया है। चूंकि रेलवे फ्रेट कोरीडोर अभी निर्माणाधीन है, कंपनी के पास कोई इनवेन्ट्री नहीं है। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3(ii) लागू नहीं होता है।

iii कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 189 के अंतर्गत रजिस्टर के अभिलेख के अनुसार अन्य पक्षकारों अथवा कंपनी द्वारा प्रतिभूति या अप्रतिभूमि ऋण न दिए हैं और न लिए गए हैं। इसलिए खंड 3(iii)(क)(ख) और (ग) लागू नहीं होते हैं।

iv हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 185 और 186 के अनुसार कंपनी ने किसी भी प्रकार की सिक्यूरिटी, गांरटी, इनवेस्टमेंट, और ऋण नहीं दिया है। तद्नुसार आदेश के खंड 3(iv) लागू नहीं होता है।

v कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य संबंधित प्रावधानों और उसके नियमों के अंतर्गत अथवा सेक्शन 73 से 76 के अर्थ में कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा स्वीकार नहीं किया है। इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के फलस्वरूप कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देश और बनाए गए नियम इस पर लागू नहीं होते हैं।

vi हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कपंनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 148 (1) के प्रावधानों जिसे कंपनी (कॉस्ट रिकार्ड एवं आडिट नियम) 2014 पढ़ा जाता है, के अनुसार कॉस्ट रिकार्ड का अपेक्षित अनुरक्षण कपंनी पर लागू नहीं होते हैं।

vii

क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों अविवादित सांविधिक बकायों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकार, बिक्रीकर, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, वेल्यू सहित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाया को सामान्यतय नियमित रूप से जमा कराती रही है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निम्नलिखित आयकर, और बिक्री कर/वेट के बकाया विवादित राशि को जमा नहीं कराया गया है।

मूल्यांकन वर्ष/सांविध का नाम	देय की प्रकृति	राशि (लाख रू. में)	संबंधित वर्ष जिससे संबंधित है	फोरम जहां विवाद लबिंत है
बिक्रीकर अधिनियम	बिक्रीकर/वेट	2.97	2013–14	वीएटीओ (वार्ड 2), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	7.03	2009–10	सी आई टी (अपील), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	15.23	2011–12	आई टी ए टी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	टीडीएस	0.04	2007–08	ए सी आई टी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	टीडीएस	2.13	2008–09	ए सी आई टी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	टीडीएस	45.57	2009–10	ए सी आई टी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	टीडीएस	8.04	2010–11	ए सी आई टी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	टीडीएस	0.04	2011–12	ए सी आई टी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	टीडीएस	23.06	2012–13	ए सी आई टी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	टीडीएस	14.97	2013–14	ए सी आई टी, नई दिल्ली

viii हमारे लेखा परीक्षण और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी को किसी वित्तीय संस्थान, सरकार डिबेन्चर धारकों के पुर्नभुगतान के लिए दोषी नहीं पाया गया है।

ix हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने आंरभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे सार्वजनिक निर्गम (ऋण उपकरणों सहित) किसी भी राशि को प्राप्त नहीं किया है, यद्यपि कंपनी ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आवधिक ऋणों को लिया गया था है उसी उद्देश्य में उपयोग किया गया है।

x हमारी लेखा परीक्षण और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी अथवा कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के किसी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न देखी गई अथवा ध्यान में आई है।

xi कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर. नं. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के संदर्भ में दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची वी के साथ पठित प्रबंधकीय पारिश्रमिक कंपनी पर लागू नहीं है।

xii हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 के प्रावधानों के अनुपालन में पार्टी के साथ लेनदेन, लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों के नोट में वर्णित इस प्रकार के लेनदेन पर जहां लागू हों।

xiv लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आंशिक अथवा पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेन्चर अथवा शेयरों का प्राईवेट प्लेसमेंट अथवा अधिमान्य आवंटन नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xv हमारे विचार में और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार इससे संबंधित कंपनी ने निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर नकद लेनदेन नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं है।

xvi कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, की धारा 45–I ए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अतः आदेश के खंड 3 (xvi) कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 005834एन

ह/–
सीए साक्षी कौल धर
पार्टनर
सदस्यता सं. 514325

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.06.2016

31 मार्च, 2016 के समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सदस्य डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के सेक्शन (अन्य कानूनी ओर रेगुलेटरी आवश्यकताऐं) के सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में वर्णित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–''बी''

क्रसं.	निदेश	हमारी रिपोर्ट
1.	क्या कंपनी ने क्रमशः लीज होल्ड भूमि और फ्री होल्ड भूमि के लिए शीर्षक/लीज विलेख को क्लीयर कराया है यदि नहीं तो कृपया फ्री होल्ड और लीज होल्ड भूमि के लिए जिसका शीर्षक/लीज विलेख नहीं है विवरण दें।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास अपनी अथवा फ्री होल्ड या लीज होल्ड आधार पर कोई भूमि नहीं है। यद्यपि, कंपनी के पास लीज होल्ड अधिकार के तहत् दो 199.5 स्कायर मीटर के दो फ्लेट हैं। जिनका लीजहोल्ड विलेख का अभी निष्पादित किया जा रहा है।
2.	क्या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की माफी का कोई मामला है कृपया रिपोर्ट दें, यदि हां तो माफ की गई राशि का कारण।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कर्ज़/ऋण/ब्याज आदि की माफी का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से गिफ्ट के रूप में परिसंपत्ति ओर तीसरे पक्ष के साथ इन्वेन्ट्री का उचित रिकार्ड रखा गया है।	कंपनी ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की इन्वेन्ट्री का रखरखाव और निर्देश लागू नहीं किया है। कंपनी द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने गिफ्ट/गांन्ट के रूप में कोई परिसंपत्ति सराकर अथवा अन्य किसी प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं की गई है।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 005834एन

ह/–
सीए साक्षी कौल धर
पार्टनर
सदस्यता सं. 514325

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.06.2016

31 मार्च, 2016 के समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सदस्य डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के सेक्शन (अन्य कानूनी ओर रेगुलेटरी आवश्यकताऐं) के सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ 3 (एफ) में वर्णित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–''सी''

कंपनी अधिनियम, 2013 (दि अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा (3) के खंड(I) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमनें वर्ष की अंत की तारीख के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षणों के संयोजन में 31 मार्च 2016 को **डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (द कंपनी) की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण कर लिया है।

आंतरिक वित्तीय नियत्रंणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

(आईसीएआई) इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के नोट के दिशा निर्देश में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिर्पोटिंग मानदंड की समाप्ति पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर उनका रखरखाव एवं स्थापित करने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपेक्षित उपयुक्त वित्तीय सूचना को समय से तैयार करना, लेखा रिकार्डों को पूरा और सटीक रखना और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाकर उनकी रोकथाम करना, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कंपनी नीतियों का अनुपालन सहित अपने व्यापार के कुशल संचालन द्वारा प्रभावी ढंग से परिचालन को सुनिश्चित करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण और कार्यान्वयन, डिजायन सम्मिलित है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपने लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिर्पोटिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर अपने विचार व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण के मानकों और वित्तीय रिर्पोटिंग (दिशा निर्देश नोट) आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर निर्देश नोट के अनुसार लेखा परीक्षण कर लिया है और कंपनी अधिनियम 2013, के सेक्शन 143(10) में निर्धारित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी पर निर्देश नोट दोनों पर लागू समझा जाए। उन मानकों और आवश्यक मार्गदर्शन है कि हमें नैतिक आवश्यकताओं और योजना और पर्याप्त लेखा परीक्षण के निष्पादन का आश्वासन के साथ कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित और बनाए रखा गया है और यदि इस तरह सभी सामग्री मामलों में नियंत्रण को प्रभावी ढंग से संचालित किया गया है।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्ता के संबंध में लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रियों का प्रदर्शन और उनका प्रभावी परिचालन शामिल है। हमने लेखा परीक्षण में विद्यमान दुर्लभ साम्री जोखिम का आंकलन, वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझा और आंकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और मूल्यांकन और परीक्षण को शामिल किया है। क्या धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों के गलत जोखिम का आंकलन जिसमें लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित चुनिन्दा प्रक्रियायें शामिल होती हैं।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षण के रूप में हमने वित्तीय रिर्पोटिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपने लेखा परीक्षण विचार के आधार पर पर्याप्त और उचित साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

सामान्यतः लेखा सिद्धांतों को स्वीकार करने के साथ बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करना और वित्तीय रिर्पोटिंग की जवाब देही के संबंध में उचित आश्वासन के उपलाब्ध कराने के लिए एक कंपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिर्पोटिंग की प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। वित्तीय रिर्पोटिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को जो (1) उचित विवरण, कंपनी की परिसंपत्तियों के स्वभाव और लेनदेन को निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंवित करना (2) आमतौर पर लेखा सिद्धांतों और प्राप्तियों के अनुसार स्वीकार किए जाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यक अनुमति जैसे कि रिकार्ड की गई हो लेनदेन का उचित आश्वासन प्रदान करना, और कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन प्राधिकारियों के अनुसार बनाए गए कंपनी की प्राप्तियों और खर्चे और (3) समय से अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग का पता लगाने अथवा प्रतिबंधित के संबंध में उचित आश्वासन देना अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रकृति जिसका वित्तीय विवरणों को प्रभाव पड़ सकता है, को शामिल किया जाता है।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

क्योंकि मिलीभगत की संभावनाएं, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिर्पोटिंग अथवा नियंत्रणों की अनुचित प्रबंधन ओवरराइड, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी, गलतबयानी के कारण निहित सीमाएं जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का मूल्यांकन अनुमानों का जोखिम की शर्तं पर वित्तीय रिपोर्टिंगपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि शर्तों में बदलाव अथवा नीति के साथ कार्यान्वयन की डिग्री अथवा प्रक्रियाओं का ह्रास हो सकता है।

विचार

हमारे विचार में कंपनी द्वारा वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का जैसे 31 मार्च 2016 को प्रभावी परिचालन वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हुए चार्टड एकाउटेंट ऑफ इंडिया के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिर्पोटिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर दिशा निर्देश नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक सभी सामग्री मामलों, का ध्यान रखा गया है।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 005834एन

ह/–
सीए साक्षी कौल धर
पार्टनर
सदस्यता सं. 514325

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.06.2016

गोपनीय

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, रेलवे–वाणिज्यिक का कार्यालय
काफमों, भारतीय रेल, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली–110002

नं.– PDA/RC/RPSU/32-31/DFCCIL/2015-16/172 दिनांकः 13.07.2016

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली।

विषयः 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2016 के समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अग्रेषित कर रहा हूं।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय

ह/–
(दिनेश भार्गव)
महानिदेशक/आर.सी.

संलग्न– यथोपरि

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिर्पोटिंग ढांचे के अनुसार डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना कपंनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कपंनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया जाता है इन वित्तीय विवरणों पर अपनी सलाह देने के लिए इस अधिनियम की धारा 143 की धारा में निर्धारित लेखा परीक्षण मानको के अनुसार इस अधिनियम की धारा 143(10)के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा पर आधारित होती है। उनकी दिनांक 27 जून, 2016 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट द्वारा ऐसा किया गया बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के 31, मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यकरण कागजातों से जानकारी लिए बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षक की जिज्ञासाओं और कंपनी कर्मिकों और लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक ही मुख्य रूप से सीमित रखा गया है। हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर हमारे ज्ञान में कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया है जिससे हम सांविधिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट अथवा कोई अन्य टिप्पणी कर सकें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/–
(दिनेश भार्गव)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(रेलवे वणिज्य) नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.07.2016

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A GOVT OF INDIA (MINISTRY OF RAILWAYS) ENTERPRISES

Corporate and Registered Office:

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Tel : 011-23454890, Fax : 91-11-23454701

Website : www.dfccil.gov.in

CIN : U60232 DL 2006 GOI 155068